हम माला, खंड 32, अंक 1

शुक्रवार, 6 नवम्बर, 1987
15 कार्तिक, 1909 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 32 नौवां सत्र, 1987/1909 (शक)

अंक 1 शुक्रवार, 6 नवम्बर, 1987 15 कार्तिक, 1909 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1-4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	4-20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 1, 2, 4, 5 और 7	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21-138
तारांकित प्रश्न संख्या : 3, 6 और 8 से 20	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 4, 6 से 15, 17 से 72 74 से 106, 108 से 113, 115, 116, 118 से 143 और 145 से 172	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	139-145
अध्यक्ष महोदय को न्यायालय में 9 नवम्बर, 1987 को उपस्थित होने के लिए उच्चतम न्यायालय के नोटिस के बारे में उनके द्वारा घोषणा	146-148
बोफोर्स ठेके की जांच सम्बन्धी संयुक्त समिति	148-165
प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव	
श्री बी० शंकरानन्द	148
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	148-149
श्री सी० माधव रेड्डी	149-150
प्रो० मधु दंडवते	150-155
श्री इन्द्रजीत गुप्त	155-156
श्री अमल दत्त	156-157
श्री दिनेश गोस्वामी	157-158
श्री भागवत झा आजाद	158-159
श्री बी० शंकरानन्द	160

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले 165-169

(एक) कटक और सम्बलपुर से कुछ कार्यक्रम तैयार कराकर दूरदर्शन और रेडियो पर उड़िया कार्यक्रमों के लिए अधिक समय प्रदान करने की आवश्यकता

श्री बृज मोहन महंती 165

(दो) उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका को रोकने की आवश्यकता

डा० गौरीशंकर राजहंस 166

(तीन) लोन्डा से वास्कोडिगामा तक मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री शान्ताराम नायक 166-167

(चार) औषधियों के मूल्यों में कमी करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को न मानने के कारणों की जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने की आवश्यकता

श्री राजकुमार राय 167

(पांच) पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली रक्ताल्पता को रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली लोह आधारित कतिपय औषधियों की कीमतों के विनियंत्रण के प्रश्न की जांच करने के लिए संसद के सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने की मांग

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी 167-168

(छह) झारसुगुडा (उड़ीसा) में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की मांग

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 168

(सात) कोट्टायम जिले (केरल) में इत्तुमूनर में एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र लगाने की आवश्यकता

श्री सुरेश कुरूप 168

(आठ) देश में अच्छी फसल को देखते हुये रूई और विस्कोस स्टेपल रेशे के आयात संबंधी निर्णय को लागू न करने की वांछनीयता की आवश्यकता

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव 168-169

पंजाब के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को अगले छह मास तक लागू रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प 169-185

सरदार बूटा सिंह 169-170

श्री सी० माधव रेड्डी 171-173

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया 173-177

श्री वसुदेव आचार्य 177-182

श्री आर० एस० स्पैरो 182-184

प्रो० मधु दंडवते 184-185

विधेयक—पुरःस्थापित

संविधान (संशोधन) विधेयक 185

(अनुच्छेद 54 में संशोधन)

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 185

पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक

(धारा 10 में संशोधन)

श्री सैयद शहाबुद्दीन 185

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक

(धारा 2 में संशोधन आदि)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव 186

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक

(धारा 8 में संशोधन आदि)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव

श्री पीयूष तिरकीका 186

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 244 में संशोधन आदि)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा० गौरी शंकर राजहंस 187-188

श्री बाजूबन रियान	188-19
श्री सोमनाथ रथ	193-19
श्री शान्ताराम नायक	194-19
श्री सैयद शहाबुद्दीन	196-20
श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही	200-20
श्री विजय एन० पाटिल	203-205
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	205-20
श्री मानूकराम सोडी	207-20
श्री हरिहर सोरन	209-21
श्री समर ब्रह्म चौधरी	214-21

सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा (सिकन्दराबाद)

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)

अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान (मधुबनी)

अख्तर हसन, श्री (कैराना)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक)

अठवाल, श्री चरनजीत सिंह (रोपड़)

अडईकलराज, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)

अताउर्रहमान, श्री (बारापेट)

अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)

अण्णानम्बी, श्री आर (पोल्लाची)

अप्पालानरसिंहम, श्री पी० (अनकापल्ली)

अब्दुल गफूर, श्री (सीवन)

अब्दुल हमीद, श्री (धुबरी)

अब्दुल्ला, बेगम अकबर जहां (अनन्तनाग)

अब्बासी, श्री के० जे० (डुमरियागंज)

अर्जुन सिंह, श्री (दक्षिण दिल्ली)

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण (बंगलौर दक्षिण)

अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)

अलखाराम, श्री (सलुम्बर)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अहमद, श्रीमती आबिदा (बरेली)

अहमद, श्री सरफराज (गिरिडीह)

अहमद, श्री सैफुद्दीन (मंगलदाई)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)

उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एंथनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

एन्टनी, श्री पी० ए० (त्रिचूर)

ऐ

ऐंगती, श्री बीरेन सिंह (स्वायत्तशासी जिला)

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार (पोरबन्दर)

ओडेयार, श्री चनैया (दावनगोर)

ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

ककाडे, श्री सांभाजीराव (बारामती)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)

कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)

कल्पना देवी, डा० टी० (वारंगल)

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)

कण्णन, श्री पी० (तिरुचेंगोडे)

काबुली श्री अब्दुल रशीद (श्रीनगर)

कामत, श्री गुरुदास (बम्बई उत्तर पूर्व)

कामसन, प्रो० मिजिनलुंग (बाह्य मणिपुरी)

किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द (दुमका)

कुंवर राम, श्री (नवादा)

कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)

कुजूर, श्री मारिस (सुन्दरगढ़)

कुन्जम्बु, श्री के० (अदूर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)
कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (इदुक्की)
कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)
कुरैशी, श्री अजीज (सतना)
कुलनदईवेलु, श्री पी० (गोबिचेट्टिपालयम)
केन, श्री लाला राम (बयाना)
केयुर भूषण, श्री (रायपुर)
कोनयक, श्री चिनवांग (नागालैंड)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चण्डीगढ़)
कृष्ण कुमार, श्री एम० (त्रिवलोन)
कृष्ण सिंह, श्री (भिण्ड)
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई (बीड़)

ख

खत्री, श्री निर्मल (फैजाबाद)
खां, श्री असलम शेर (बेतुल)
खां, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खां, श्री खुर्शीद आलम (फर्रुखाबाद)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मोहम्मद महफूज अली (एटा)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खां, श्री रहीम (फरीदाबाद)
खिरहर श्री राम श्रेष्ठ (सीतागढ़ी)

ग

गंगा राम, श्री (फिरोजाबाद)
गढ़वी, श्री बी० के० (बनासकांठा)
गहलौत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गामित, श्री सी० डी० (माण्डवी)
गिल, श्री मेवा सिंह (लुधियाना)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह (बड़ौदा)
गावली, श्री सीताराम जे० (दादरा और नगर हवेली)
गावीत, श्री मानिकराम होडल्या (नन्दरबार)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)
गुप्त, श्री जनक राज (जम्मू)
गुप्त, श्रीमती प्रभावती (मोतीहारी)
गुरेड्डी श्री एस० एम० (बीजापुर)
गुहा, डा० फूलरेणु (कन्टई)
गोपेश्वर, श्री (जमशेदपुर)
गोमांगों, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोस्वामी, श्री दिनेश (गौहाटी)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)
गौडर, श्री ए० एस० (पलानी)
गौडा, श्री के० वी० शंकर (मांड्या)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)

घ

घोलप, श्री एस० जी० (थाणे)
घोरपड़े, श्री एम० वाई० (रायचूर)
घोष, श्री तरुण कान्ति (बारासट)
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा (नवद्वीप)
घोष, श्री बिमल कान्ति (सीरमपुर)
घोषाल, श्री देवी (बैरकपुर)

च

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र (कानपुर)
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (श्री पेरम्बुदूर)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल (दुर्ग)
चन्द्रेश कुमारी, श्रीमती (कांगड़ा)
चव्हाण, श्री अशोक शंकर राव (नान्देड़)

चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चालिहा, श्री पराग (जोरहाट)
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई० के० (आनन्द)
चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन डा० (तिरुपति)
चौधरी, श्रीमती ऊषा (अमरावती)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान (मालदा)
चौधरी, श्री जगन्नाथ (बलिया)
चौधरी, श्री नन्दलाल (सागर)
चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)
चौधरी, श्री समर गुह (कोकराझर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

ज

जगत रक्षकन, डा० एम० (चेंगलपट्ट)
जगन्नाथ प्रसाद, श्री (मोहन लालगंज)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री कादम्बुर (तिरूनेलवेली)
जयदीप सिंह, श्री (गोधरा)
जय मोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)
जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)
जाखड़, डा० बलराम (सीकर)
जाटव, श्री कमोदीलाल (मुरैना)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)
जितेन्द्र सिंह श्री (महाराजगंज)
जीवारत्तिनम, श्री आर० (अराकोनम)
जुझार सिंह, श्री (झालावाड़)
जैना, श्री चिन्तामणि (बालासोर)
जैना, श्री डाल चन्द्र (दमोह)
जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाडमेर)
जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

झ

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी० (चित्तूर)
झिकराम, श्री एम० एल० (मांडला)

ट

टाइटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषा (कच्छ)
ठाकुर, श्री सी० पी० (पटना)

ड

डामर, श्री सोमजी भाई (दोहद)
डिगाल, श्री राधाकांत (फूलबनी)
डेनिस श्री एन० (नागर कोइल)
डोगरा, श्री गिरधारी लाल (ऊधमपुर)
डोण गांवरकर, श्री साहब राव पाटिल (औरंगाबाद)
डोरा, श्री एच० ए० (श्रीकाकुलम)

द

दिल्लन, डा० एच० ए० (फिरोजपुर)

त

तंगराजु, श्री एस० (पेरम्बलूर)
तपेश्वर सिंह, श्री (विक्रमगंज)
तम्बिदुराइ, श्री एम० (धर्मपुरी)
तांती, श्री भद्रेश्वर (कलियाबोर)
तारादेवी, कुमारी डी० के० (चिकमगलूर)
तारिक अनवर, श्री (कटिहार)
तिग्गा, श्री साइमन (खूंटी)
तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
तिलकधारी सिंह, श्री (कोडरमा)

तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)
तुर, सरदार त्रिलोचन सिंह (तरनतारन)
तुलसीराम, श्री वी० (नगरकुरनूल)
तोमर, श्रीमती ऊषा रानी (अलीगढ़)
त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह (मुजफ्फरनगर)
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर (खलीलाबाद)
त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा (चन्दौली)

थ

थामस, प्रो० के० वी० (एरनाकुलम)
थामस, श्री थम्पन (मवेलिकरा)
थुंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोटा, श्री गोपाल कृष्ण (काकीनाडा)
थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दण्डवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दत्त, श्री अमल (डायमन्ड हार्बर)
दर्वी, श्री तेजा सिंह (भटिंडा)
दलवाई, श्री हुसैन (रत्नगिरि)
दलबीर सिंह, श्री (महेडोल)
दामी, श्री अजीत सिंह (केरा)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री बिपिनलाल (तेजपुर)
दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन (हावड़ा)
दास, श्री रेणपद (कृष्णनगर)
दास, श्री सुदर्शन (करीमगंज)
दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)
दिग्विजय सिंह, श्री (सुरेन्द्र नगर)
दिघे, श्री शरद (बम्बई उत्तर-मध्य)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दिक्षित, श्रीमती शीला (कन्नौज)
दुबे, श्री भीष्म देव (बांदा)
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)
देव, श्री सन्तोष मोहन (सिलचर)
देव, श्री शरत (केन्द्रपाड़ा)
देवरा, श्री मुरली (बम्बई दक्षिण)
देवराजन, श्री बी० (रस्सिपुरम)
देवी, प्रो० चन्द्र भानु (बलिया)

ध

धारीवाल, श्री शांति (कोटा)

न

नटराजन, श्री के० आर० (डिण्डिगुल)
नटराज सिंह, श्री के० (भरतपुर)
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती (करौलबाग)
नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)
नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)
नायक, श्री शांताराम (पणजी)
नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)
नौखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह (गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (रायबरेली)

प

पंजा, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र (नई दिल्ली)
पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम० (मयूरम)
पटनायक, श्री जगन्नाथ (कालाहण्डी)
पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)
पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ौच)
पटेल, श्री यू० एच० (बलसार)
पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)
पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)
पटेल, श्री जी० आई० (गांधीनगर)
पटेल, श्री मोहन भाई (जूनागढ़)

पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)
पडयाच्ची, श्री एस. एस. रामास्वामी (तिंडीवनम्)
पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्ट्सगंज)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पलाकोंड्रायुडू, श्री एस० (राजमपेट)
पवार, श्री बालासाहिब (जालना)
पवार, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)
पांडेय, श्री काली प्रसाद (गोपालगंज)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री मदन (गोरखपुर)
पांडे, श्री मनोज (बेतिया)
पांडे, श्री राज मंगल (देवरिया)
पाइलट, श्री राजेश (दौसा)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री एच० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा)
पाटिल, श्री प्रकाश बी (सांगली)
पाटिल, श्री बालासाहेब बिखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री यशवंतराय गडाख (अहमदबाद)
पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)
पाटिल, श्री बीरेन्द्र (गुलबर्गा)
पाटिल, श्री शिवराज बी० (लातूर)
पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)
पाठक, श्री चन्द्र किशोर (सहस्सा)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाणीग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)
पारधी, श्री केशवराव (भण्डारा)
पासवाना, श्री राम भगत (रोसड़ा)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुरुषोत्तम, श्री बक्कम (अलप्पी)
पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)
पुष्पादेवी, कुमारी (रायगढ़)
पूरन चन्द, श्री (हाथरस)
पेंचालैया, श्री पी० (नेल्लोर)
पेरुमान डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)
पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रकाशचन्द्र, श्री (बाढ़)
प्रधान, श्री के० एन० (भोपाल)
प्रधान, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बघेल, श्री प्रताप सिंह (धार)
बनर्जी, कुमारी ममता (जादवपुर)
बनातवाला श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)
बलरामन, श्री एल० (बन्डावासी)
बशीर, श्री टी० (चिरायिकिल)
बसवराजु, श्री जी० एस० (टुमकुर)
बसवराजेश्वरी, श्रीमती (बेल्लारी)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बागुन सुम्बरुई, श्री (सिंहभूम)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बालगौड़, श्री टी० (निजामाबाद)
बाली, श्रीमती बैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)
बिश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बीरेन्द्र सिंह, राव, (महेन्द्रगढ़)
बीरेन्द्र सिंह, श्री (हिसार)
बुढानिया, श्री नरेन्द्र (चुरु)
बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)

बूटा सिंह, सरदार (जालोर)
बैरवा, श्री बनवारी लाल (टोंक)
बैठा, श्री डूमर लाल (अररिया)
बैरागी, श्री बालकवि (मंदसौर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ब्रह्मदत्त, श्री (टहरी गढ़वाल)

भ

भण्डारी, श्रीमती डी० के० (सिक्किम)
भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्वी दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (आरा)
भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम)
भट्टाचार्य, श्रीमती इन्दुमती (हुगली)
भरत सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भूपति, श्री जी० (पेद्दापल्ली)
भूमिज, श्री हरेन (डिब्रूगढ़)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपा सिंधु (सम्बलपुर)
भोय, श्री आर० एम० (धुले)
भोये, श्री एस० एस० (मालेगांव)
भोसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

म

मण्डल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मकवाना, श्री नरसिंह (धंधुका)
मनोरमा सिंह, श्रीमती (बांका)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र (दुर्गापुर)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मसुदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महावीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महन्ता, श्री चित्त (पुरुलिया)
महालिंगम, श्री एम० (नागापट्टिनम)
महेन्द्र सिंह, श्री (गुना)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)
मानवेन्द्र सिंह, श्री (मथुरा)
माने, श्री आर० एस० (इचलकरांची)
माने, श्री मुरलीधर (नासिक)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालवीय, श्री बापूलाल (शाजापुर)
माविण, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई (राजकोट)
मिर्धा, श्री राम निवास (नागौर)
मिश्र, श्री उमाकान्त (मिर्जापुर)
मिश्र, गार्गीशंकर (सिवनी)
मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगिर)
मिश्र, श्री राम नगीना (सलेमपुर)
मिश्र, श्री विजय कुमार (दरभंगा)
मिश्र, श्री श्रीपति (मछलीशहर)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मिश्र, डा० प्रभात कुमार (जंजगीर)
मीणा, श्री रामकुमार (सवाई माधोपुर)
मीरा कुमार, श्रीमती (बिजनौर)
मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवत्तुपुजा)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)
मुखोपध्याय, श्री अनन्त गोपाल (आसनसोल)
मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)
मुरमू, श्री सिद्धलाल (मयूरभंज)
मुरुगई श्री ए० आर० (करूर)

मुशरान, श्री अजय (जबलपुर)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)
मेहता, श्री हरुभाई (अहमदाबाद)
मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)
मोदी, श्री विष्णु (अजमेर)
मोरे, प्रो० रावकृष्ण (खेड)
मोहनदास, श्री के० (मुकुन्दपुरम)

य

यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यजदानी, डा० गुलाम (रायगंज)
यादव, श्री आर० एन० परभणी)
यादव, श्री कैलाश (जलेसर)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)
यादव, श्री महावीर प्रसाद (माधीपुरा)
यादव, श्री राम सिंह (अलवर)
यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)
यादव, श्री श्याम लाल (वाराणसी)
यादव, श्री सुभाष (खारगोन)
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा)

र

रंगनाथ, श्री के० एच० (चित्रदुर्ग)
रंगा, प्रो० एन० जी० (गुंटूर)
रघुराज सिंह, चौधरी (इटावा)
रत्नम, श्री एन० वेंकट (तेनाली)
रणवीर सिंह, श्री (कैसरगंज)
रथ श्री सोमनाथ (आस्का)
रमैया, श्री बी० बी० (ऐलरू)
रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राजकरन सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राजहंस, डा० गौरी शंकर (झंझारपुर)
राजू, श्री आनन्द गणपति (वोबिली)
राजू, श्री विजय कुमार (सरसापुर)
राजेश्वर, डा० वी० (रामनाथपुरम)
राठवा, श्री अमरसिंह (छोटा उदयपुर)
राठौड, श्री उत्तम (हिंगोली)
राम, श्री राम रतन (हाजीपुर)
राम, श्री रामस्वरूप (गया)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
रामचन्द्रन श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
रामसमुझावन, श्री (सैदपुर)
रामधन, श्री (लालगंज)
रामपालसिंह, श्री (अमरोहा)
राम प्रकाश, चौधरी (अम्बाला)
रामबहादुर सिंह, श्री (छपरा)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)
रामसिंह, श्री (हरिद्वार)
रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री (जहानाबाद)
रामुलू, श्री एच० जी० (कोप्पल)
रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह (संगरूर)
राय, श्री आई० रामा (कासरगोड़)
राय, श्री राज कुमार (धोसी)
राय, श्री रामदेव (समस्तीपुर)
राय, श्री डा० सुधीर (बर्दवान)
रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, श्री ए०जे० वी०बी० महेश्वर (अमलापुरम)
राव, श्री के० एस० (मछलीपतनम)
राव, श्री जगन्नाथ (बरहामपुर)
राव, श्री डा० जी० विजयरामा (सिद्दिपेट)
राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)
राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (रामटेक)
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा)

राव, श्री वी० कृष्ण (चिकबल्लापुर)
राव, श्री श्रीहरि (राजामुन्द्री)
राव जी, श्री नवीन (अमरेली)
रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)
रावत, श्री प्रभुलाल (बांसवाड़ा)
रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)
रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)
रेड्डी, श्री ई० अय्यप्पू (कुरनूल)
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री सी० जंगा (हनमकोंडा)
रेड्डी, श्री डी० एन० (कडप्पा)
रेड्डी, श्री बैजावाड़ा पपी (ओंगोल)
रेड्डी, श्री मानिक (मेडक)
रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री एम० सुब्बा (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री एम० रघुमा (नालगोंडा)
रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री एस० जयपाल (महबूबनगर)

ल

लच्छी राम, चौधरी (जालौन)
लाल डहोमा; श्री (मिजोरम)
लाहा, श्री आशुतोष (दमदम)
लोवांग, श्री वांगका (अरुणाचल पूर्व)

व

वन, श्री दीप नारायण (बलरामपुर)
वनकर श्री पूनमचन्द मीठाभाई (पाटन)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)
वर्मा, डा० सी० एस० (खगरिया)
वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज (मैसूर)
वालिया, श्री चरनजीत सिंह (पटियाला)
वासनिक, श्री मुकुल (बुलढाना)
विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)
वीरसेन, श्री (खुर्जा)
वेंकटेश, डा० वी० (कोलार)
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुड्डालोर)
वैराले, श्री मधुसूदन (अकोला)
व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चितौड़गढ़)
शमिन्दर सिंह, श्री (फरीदकोट)
शर्मा, श्री चिरंजीलाल (करनाल)
शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)
शर्मा, श्री नवल किशोर (जयपुर)
शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)
शांति देवी, श्रीमती (सम्भल)
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)
शाह, श्री अनूपचन्द (बम्बई उत्तर)
शाहबुद्दीन, सैयद (किशनगंज)
शाही, श्री ललितेश्वर (मुजफ्फरपुर)
शिगडा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासुमुन्द)
शेरवानी, श्री सलीम आई० (बदायूं)
शैलेश, डा० बी० एल० (चैल)
श्री निवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
सक्सेना, श्री आशकरण (घाटमपुर)
संगमा, श्री पी० ए० (तुरा)
संतोष कुमार सिंह, श्री (आजमगढ़)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सकरगयेन, श्री कालीचरण (खंडवा)
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)

सान्याल श्री मानिक (जलपाइगुड़ी)
सम्बू श्री सी० (बापताला)
सलाउद्दीन, श्री (गोड्डा)
साठे, श्री वसंत (वर्धा)
सामंत डा० दत्ता (बम्बई दक्षिण मध्य)
साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)
साहु, श्री शिव प्रसाद (रांची)
सिंगरावडीवेल, श्री एस० (तंजावूर)
सिंह, श्री अतीशचन्द्र (बरहामपुर)
सिंह, श्री एन० टोम्बी (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्रीमती किशोरी (वैशाली)
सिंह, श्री कमला प्रसाद (जोनपुर)
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप (महाराजगंज)
सिंह, श्री के० एन० (हापुड़)
सिंह, श्री चन्द्रप्रताप नारायण (पदरौना)
सिंह, श्री डी० जी० (शाहाबाद)
सिंह, श्री भानुप्रताप (पीलीभीत)
सिंह, श्री रामनारायण (भिवानी)
सिंह, श्री लाल विजय प्रताप (सरगुजा)
सिंह, श्री एस० डी० (धनबाद)
सिंह, सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंहदेव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)
सिद्वनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद (मुरादाबाद)
सिन्धिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी (शिवहर)
सुन्दर सिंह, चौधरी (फिल्लौर)
सुखराम, श्री (मंडी)
सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला (उदयपुर)
सुखवन्त कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुनील दत्त, श्री (बम्बई उत्तर पश्चिम)
सुन्दरराज, श्री एन० (पुदुकोट्टई)
सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)
सुब्बूरमन, श्री ए० ज० (मुदुरै)
सुमन, श्री रामप्यारे (अकबरपुर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सुलतानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह (बीदर)
सेट, श्री अजीज (धारवाड़ दक्षिण)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद (भद्रक)
सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र (इन्दौर)
सेन, श्री भोला नाथ (कलकत्ता दक्षिण)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेल्वेन्द्रन, श्री पी० (पेरियाकुलम)
सैकिया, श्री गोकुल (लखीमपुर)
सैकिया, श्री एम० आर० (नवगांव)
सोज़, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)
सोढी, श्री मनकूराम (बस्तर)
सोमू, श्री एन० वी० एन० (मद्रास उत्तर)
सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)
सोलंकी, श्री कल्याण सिंह (आंवला)
सोलंकी श्री नटवर सिंह (कापड़वंज)
स्वामी, श्री कटूरी नारायण (नरसारावपेट)
स्वामी, श्री डी० नारायण (अनन्तपुर)
स्वामीप्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
स्पैरो, श्री आर० एस० (जालन्धर)
स्वैल, श्री जी० जी० (शिलांग)

ष

षण्मुख, श्री ए० सी० (वेल्लोर)
षण्मुख, श्री पी० (पांडिचेरी)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हन्नान मौल्लाह, श्री (उलूबेरिया)
हरद्वारी लाल, श्री (रोहतक)
हरपाल सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)
हाल्दर, प्रो० एम० आर० (मथुरापुर)
हेम ब्रम, श्री सेत (राजमहल)

लोक-सभा

अध्यक्ष

डा० बलराम जाखड़

उपाध्यक्ष

श्री एन० थम्बी दुराई

सभापति तालिका

श्रीमती बसवराजेश्वरी
श्री जैनुल बशर
श्री शरद दिघे
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
श्री सोमनाथ रथ
श्री एन० वेंकट रत्नम

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा विदेश; कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; जल संसाधन; परमाणु ऊर्जा; इलैक्ट्रोनिकी, महासागर विकास, अंतरिक्ष मंत्रालयों; विभागों के भी प्रभारी तथा अन्य उन सभी मंत्रालयों/ विभागों के प्रभारी जो नीचे नहीं दिये गये हैं	श्री राजीव गांधी
मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री पी० वी० नरसिंह राव
गृह मंत्री	सरदार बूटा सिंह
योजना मंत्री, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री और कानून और न्याय मंत्री	श्री पी० शिव शंकर
वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री	श्री नारायण दत्त तिवारी
रक्षा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
कृषि मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
उद्योग मंत्री	श्री जे० वेंगलराव
ऊर्जा मंत्री	श्री बसन्त साठे
संचार मंत्री	श्री अर्जुन सिंह
पर्यावरण और वन मंत्री	श्री भजन लाल
संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
इस्पात और खान मंत्री	श्री माखन लाल फोतेदार
शहरी विकास मंत्री	श्रीमती मोहसिना किदवई

राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार)

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री ए० के० पांजा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री ब्रह्म दत्त
नागर विमानन मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री और पर्यटन मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री जगदीश टाइटलर
रेल मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री माधव राव सिंधिया
श्रम मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री पी० ए० संगमा
कल्याण मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी
भू-तल परिवहन मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री राजेश पायलट
वस्त्र मन्त्रालय के (स्वतन्त्र प्रभार) राज्य मन्त्री	श्री राम निवास मिर्धा

राज्य मन्त्री

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री	श्री बी० के० गढवी
गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री दलबीर सिंह
विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री एड्वार्डो फैलीरो
विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री जनार्दन पुजारी
विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री के० नटवर सिंह
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री	श्रीमती कृष्णा साही
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री	श्री के० आर० नारायणन
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मन्त्री	श्रीमती मारग्रेट अल्वा
उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री	श्री एम० अरुणाचलम
संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री एम० एम० जैकब
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री पी० चिदम्बरम
वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री प्रियरंजन दास मुंशी
कृषि मन्त्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री	श्री रामानन्द यादव
उद्योग मन्त्रालय में रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री	श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह

इस्पात और खान मन्त्रालय में खान विभाग में राज्य मन्त्री	श्रीमती रामदुलारी सिन्हा
कृषि मन्त्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री	श्री आर० प्रभु
संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री संतोष मोहन देव
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	कुमारी सरोज खापर्डे
संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री मती शीला दीक्षित
रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री	श्री शिवराज वी० पाटिल
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुखराम
ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री	श्री योगेन्द्र मकवाना
पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी

उप-मन्त्री

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वीरेन्द्र सिंह ऐंगती
कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
वस्त्र मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार

लोक सभा

शुक्रवार, 6 नवम्बर, 1987/15 कार्तिक, 1909 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, जैसे कि आज हम दो माह से अधिक के अन्तराल के उपरान्त-मिल रहे हैं अतः सभा को वर्तमान लोक सभा के सदस्य डा० के०जी० अदियोडी तथा श्री दलबीर सिंह और हमारे आठ पुराने साथियों श्री अमजद अली, डा० पशुपति मंडल, सर्व श्री राम सहाय पांडे, एम० गोपाल स्वामी तेनकोंडर, डा० बसंत कुमार पंडित, सर्व श्री खुशीराम शर्मा, अजीत सिंह और आत्मदास के निधन की सूचना देना मेरा कर्तव्य हो जाता है।

डा० के०जी० अदियोडी 1984 से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे और केरल के कालीकट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पहले वह 1971-80 के दौरान केरल विधान सभा के सदस्य रहे थे।

एक सुयोग्य सांसद डा० अदियोडी विभिन्न संसदीय कार्यकलापों में गहरी दिलचस्पी लेते थे। वह बोफोर्स सौदे की जांच के लिये स्थापित संयुक्त समिति के सदस्य थे। वह सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के भी सदस्य थे।

एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता डा० अदियोडी ने 1971-77 के दौरान केरल राज्य के वित्त, वन और सिंचाई मंत्री के रूप में कार्य किया। एक योग्य प्रशासक और विख्यात शिक्षाविद डा० अदियोडी अप्रैल से नवम्बर 1984 तक केरल राज्य के लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे।

पेशे से चिकित्सक डा० अदियोडी ने जनजातियों और निर्धनों के लिये नि शुल्क चिकित्सा शिविर चलाये। वह केरल राज्य में विज्ञान, विकास, योजना और प्रोद्यौगिकी के हस्तान्तरण संबंधी केन्द्र के निदेशक थे। तालुक कृषि-विपणन समिति के अध्यक्ष के रूप में कृषि सुधार में उन्होंने काफी रुचि ली। उन्होंने क्षेत्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में 14 वर्ष कार्य किया। वह 1974 से केरल राज्य भारत स्काऊट और गाइड से भी संबद्ध रहे।

डा० अदियोडी का 22 अक्टूबर 1987 को 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री दलबीर सिंह 1984 से लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे तथा हरियाणा के सिरसा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वह 1967-70, 1971-77 और 1980-84 के दौरान क्रमशः चौथी, पांचवीं और सातवीं लोक सभा के भी सदस्य रहे। पहले वह 1952-62 के दौरान पंजाब विधान सभा के सदस्य रह चुके थे और वहाँ 1957-62 तक एक उपमंत्री भी रहे। उन्होंने सर्वप्रथम केन्द्रीय मंत्रीमण्डल में 1971-77 के दौरान एक उप-मंत्री के रूप में और फिर बाद में 1980-84 के दौरान एक राज्य मंत्री के रूप में विभिन्न विभागों का कार्यभार बड़ी योग्यता से निभाया।

एक योग्य सांसद श्री दलबीर सिंह न केवल सभा की कार्यवाहियों में अपितु विभिन्न संसदीय समितियों के कार्य में भी रुचि लेते थे। वे आवत्स समिति के चेयरमैन थे और सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, 1987-88 के सदस्य थे। व्यवसाय से कृषक श्री दलबीर सिंह ने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये कार्य किया।

श्री दलबीर सिंह का नई दिल्ली में 30 अक्टूबर 1987 को 62 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया।

श्री अमजद अली 1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने असम के डुबरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पहले वह 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा के और 1937-45 के दौरान असम विधान सभा के सदस्य थे।

व्यवसाय से वकील श्री अमजद अली ने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें लूई चौदह पर लिखने के लिये इब्न खालदुन स्वर्ण पदक से पुरस्कृत किया गया था।

श्री अमजद अली का गुवाहाटी में 31 अगस्त 1987 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

डा० पशुपति मंडल 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पहले वह 1952-57, 1957-62 और 1962-67 के दौरान क्रमशः पहली, दूसरी तथा तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे।

पेशे से चिकित्सक डा० पशुपति मंडल ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा प्रचार में काफी दिलचस्पी ली। वह कई शैक्षिक संस्थाओं से संबद्ध थे। उन्होंने निरक्षरता को दूर करने तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये कार्य किया। उन्होंने कृषि के विकास में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और कई लघु सिंचाई योजनाओं का श्रीगणेश किया।

डा० पशुपति मंडल का 16 सितम्बर 1987 को बंकुरा में निधन हो गया।

श्री राम सहाय पांडे 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के राजनंद गांव निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पहले वह 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य थे।

एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सैनानी श्री राम सहाय पांडे ने राजनीति में तब प्रवेश किया जबकि वह एक छात्र ही थे। उन्हें 1940 और 1942 में स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिये गिरफ्तार किया गया। एक जाने माने कार्यकर्ता श्री राम सहाय पांडे ने ग्रामीण लोगों में शिक्षा के प्रसार

तथा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में काफी रुचि ली। उन्होंने युवा और श्रमिक आन्दोलनों में भी भाग लिया।

देश विदेश में घूमे श्री राम सहाय पांडे 1956 में बर्लिन में विश्व युवा सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि थे। उन्हें 1964 में संयुक्त राष्ट्र अमरीका और इंग्लैंड की सरकारों ने चुनाव प्रक्रिया तथा सामान्य अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिये भी आमंत्रित किया था। वह 1965 में दक्षिण पूर्व एशियायी देशों में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य के रूप में भी गये थे।

श्री राम सहाय पांडे का 21 सितम्बर 1987 को 67 वर्ष की आयु में बम्बई में निधन हो गया।

श्री एम० गोपालस्वामी तेनकोंडर 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तत्कालीन मद्रास राज्य के नागपट्टिनम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री एम० गोपाल स्वामी तेनकोंडर ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल गये। व्यवसाय से एक कृषक श्री एम० गोपाल स्वामी तेनकोंडर ने समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये कार्य किया। वह कई सामाजिक संगठनों से संबद्ध थे और उन्होंने हरिजन कल्याण कार्य में काफी रुचि ली।

श्री एम० गोपाल स्वामी तेनकोंडर का 22 सितम्बर 1987 को 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

डा० बसंत कुमार पंडित 1980-84 के दौरान सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पहले वह 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा के तथा 1959-77 के दौरान महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे।

डा० बसंत कुमार पंडित ने कई राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई बार गिरफ्तार हुये। एक मान्य शिक्षा विद् डा० पंडित कई शैक्षिक तथा सामाजिक संगठनों से संबद्ध रहे। एक विख्यात ज्योतिषशास्त्री के रूप में उन्हें भारत में सर्वप्रथम ज्योतिषशास्त्र में एम०ए० और पी०एच०डी० उपाधियां मिलीं। देश विदेश में घूमे डा० पंडित ने 1966 में लंदन में और 1975 में दिल्ली में राष्ट्र मंडल सम्मेलन में भाग लिया।

डा बसंत कुमार पंडित का 25 सितम्बर 1987 को 66 वर्ष की आयु में बम्बई में निधन हो गया।

श्री खुशीराम शर्मा 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मेरठ के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से वकील श्री शर्मा ने तीन वर्ष मेरठ जिले के भारत स्काउट संघ के अध्यक्ष तथा दो वर्ष राष्ट्र भाषा विद्यापीठ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

श्री शर्मा का 29 सितम्बर 1987 को 82 वर्ष की आयु में मेरठ में निधन हो गया।

श्री अजीत सिंह 1957-62 के दौरान दूसरी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने पंजाब के भटिंडा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पहले वह 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य रहे।

पेशे से कृषक श्री अजीत सिंह ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और पुनर्वास के लिये कार्य किया। एक वीर सैनिक के रूप में उन्होंने भारतीय सेना में लगभग छह वर्ष कार्य किया।

श्री अजीत सिंह का 8 अक्टूबर 1987 को 62 वर्ष की आयु में भटिंडा में निधन हो गया।

श्री आत्मदास 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुरैना निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पहले वह 1948-49 के दौरान तत्कालीन ग्वालियर राज्य के अन्तरिम विधान मण्डल के और फिर मध्य भारत विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री आत्मदास ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल गये। व्यवसाय से कृषक श्री आत्मदास कई सामाजिक संगठनों से संबद्ध थे और उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में गहन रुचि ली।

श्री आत्मदास का 10 अक्टूबर 1987 को 75 वर्ष की आयु में ग्वालियर में निधन हो गया।

हम इन साथियों के निधन पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मुझे आशा है कि सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनायें व्यक्त करेगी।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहें।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बैंकों द्वारा वर्ष 1986-87 के दौरान दिए गए ऋण

*1. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 1986-87 के दौरान देश भर में कितने व्यक्तियों को 10,000 रुपये (दस हजार रुपये) से अनधिक राशि के ऋण प्रदान किए गए हैं;

(ख) उन्हें कुल कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गयी है; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में शामिल राशि के अतिरिक्त वर्ष 1986-87 के दौरान बैंकों द्वारा गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कुल कितनी धनराशि के ऋण दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से सारे देश में कतिपय राशि से कम के ऋणों के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होती है।

मार्च 1986 और मार्च 1987 के अंत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर वर्गों के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों की बकाया रकमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(राशि करोड़ रुपये)

(खाते लाखों में)

	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		कमजोर वर्गों	
	मार्च 1986	मार्च 1987	मार्च 1986	मार्च 1987
खाते	244.33	273.05	183.77	205.72
राशि	20852.75	24551.75	5097.94	6118.78
प्रति ऋणकर्ता खाता औसत राशि	8535	8992	2774	2974

(ग) प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों को छोड़कर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों की राशि मार्च 1986 के अन्त में 28775 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1987 के अन्त में 31305 करोड़ रुपये हो गई।

श्री ए० चार्ल्स : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं माननीय मंत्री के प्रयासों की पूरी तरह से प्रशंसा करता हूं और उन्हें उस तरीके के लिए बधाई देता हूं जिससे वह समाज के कमजोर वर्गों को अपने भविष्य के निर्माण हेतु ऋण देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उत्तर के प्रथम भाग के बारे में और जिस लापरवाही से भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है उसके बारे में बहुत अप्रसन्नता है। यह बहुत गलत बात है कि यद्यपि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिये गये ऋण के बड़े आंकड़े देने में समर्थ हैं लेकिन कमजोर वर्गों को दिये ऋण का ब्यौरा देने में असमर्थ हैं। 'कारण बहुत स्पष्ट है।' माननीय मंत्री के काफी प्रयत्न करने के बावजूद कमजोर वर्गों को केवल बहुत कम धन-राशि ही दी गई है। मैं उनका ध्यान प्रश्न के भाग (ग) के दिये उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं :

> "प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों को छोड़कर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों की राशि मार्च, 1986 के अन्त में 28775 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च, 1987 के अन्त में 31305 करोड़ रुपए हो गई।"

मेरी इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है, उसे बढ़ने दीजिए। मैंने सरकारी विभागों में कुछ लाल कार्य किया है और मुझे इन साधारण तथ्यों को एकत्र करने के तरीकों का पता है। बैंक की प्रत्येक शाखा में केवल एक परिपत्र भेजना ही तथ्यों को एकत्र करने के लिए काफी होगा। मैं त्रिवेन्द्रम क्षेत्र से हूं। वह एक मछली बाजार है। मछली से भरी गाड़ियां बाजार में आती हैं। निर्धन मछुआरिनों को जो वहां मछली खरीदने आती हैं प्रत्येक दिन के लिए प्रति 100 रुपये के लिए 10 रुपये ब्याज देना पड़ता है। यह 3600 प्रतिशत बैठता है। कमजोर वर्गों से संबंधित इन लोगों की सहायता करने के लिए क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या उस जमा राशि में से जो

कि ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त होती है तथा जो कुल जमा राशि का लगभग 70 प्रतिशत है, की कम से कम आधी जमा राशि को कमजोर वर्गों के लिए ऋण का भुगतान करने के लिए नियत किया जायेगा बशर्ते कि ऐसे पर्याप्त आवेदन आयें जो सामान्य शर्तों को पूरा करते हों।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं कमजोर वर्गों के लिए माननीय सदस्य की चिन्ता में शरीक हूं। यह एक जान-बूझकर किया गया निर्णय और राष्ट्र को दिया गया वचन है कि हम कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करने जा रहे हैं। जून 1987 को हमने कमजोर वर्गों को 6,368 करोड़ रुपये दिये हैं। लक्ष्य 10 प्रतिशत का था और 10 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में हमने पहले ही लगभग 11 प्रतिशत दे दिया है। यह सच है जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है, कि कमजोर वर्गों के लोगों को, गैर-सरकारी उधार बाजार में अधिक ब्याज देने के लिए विवश किया जाता है। इसका कारण यह है कि हम कमजोर वर्गों के लोगों को सहायता देते रहे हैं। माननीय सदस्य के लाभ के लिए मैं यह भी कह सकता हूं कि हमने अपने विभाग को कमजोर वर्गों के लोगों के लिए लक्ष्य में वृद्धि करने के लिए अनुदेश दिए हैं।

श्री ए० चार्ल्स : मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने अनुकूल उत्तर दिया है, और मुझे यकीन है कि सम्पूर्ण देश में कमजोर वर्गों के लोग इसके लिए उन्हें याद करेंगे। लेकिन यहां भी, इसमें कुछ खामियां हैं और बिचौलियों द्वारा कुछ धोखाधड़ी की जा रही है। क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या सम्पूर्ण कार्यक्रम पर निगरानी रखने के लिए बैंकों के कर्मचारियों और गैर-सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के किसी ऐसे कक्ष के गठन की कोई संभावना है जो यह देख सके कि क्या बैंक सभी उपयुक्त मामलों में ऋण दे रहे हैं। प्राक्कलन समिति में, हमारी नोटिस में ऐसे मामले आए हैं कि बहुत ही उचित मामलों में ऋण नहीं दिए गए हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये ऋण सभी उपयुक्त मामलों में दिए जाते हैं और क्या इन पर निगरानी रखने के लिए निगरानी व्यवस्था स्थापित की जायेगी।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, वहां पर निगरानी संस्था पहले से ही है, वहां पर जिलाधीश संयोजक है और वहां गैर-सरकारी व्यक्ति भी हैं। वे उस स्तर पर निगरानी रख रहे हैं। ब्लाक स्तर पर भी वहां निगरानी एजेंसियां हैं। जब प्राक्कलन समिति सिफारिश करती हैं, यदि वे कमजोर वर्गों के लोगों के हित में होती हैं, तो हम प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को निश्चित रूप से कार्यान्वित करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : बिचौलियों के बारे में उन्होंने जो प्रश्न उठाया है उसका क्या हुआ ?

श्री वसुदेव आचार्य : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने त्रिपुरा में ऋण मेला आयोजित करने का निर्णय इस तथ्य के बावजूद लिया था कि त्रिपुरा के पुरक मंत्री ने चुनावों के ठीक पहले इस प्रकार के ऋण मेला आयोजित करने पर आपत्ति की थी? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सच कि यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धकों ने काफी संख्या में नए आवेदन-पत्रों के फार्मों को गुप्त रूप से कलकत्ता में छपवाया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने इन फार्मों का अनुमोदन नहीं किया है। इनमें से 1,20,000 फार्म त्रिपुरा के अपने विश्वसनीय लोगों में वितरण के लिए कांग्रेस (इ०) के नेता को दे दिए गए थे।

श्री जनार्दन पुजारी : इनका ऋण मेले से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि आप मुझे इसका उत्तर देने के लिए कह रहे हैं तो मैं इसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : इसका ऋण वितरण से सम्बन्ध है। ऋण मेला, ऋण वितरण के लिए लगाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : इस पर अलग से चर्चा की जाएगी और आप इस मुद्दे को उस समय उठा सकते हैं।

श्री शांताराम नायक : मेरा प्रश्न भिन्न है, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब कभी कोई राष्ट्रीयकृत बैंक कमजोर वर्गों के लोगों के लिए ऋण वितरित करने के लिए योजनाएं शुरू करता है और यदि संबंधित राज्य सरकार बीच में रुकावट डालती है और उस क्षेत्र में हिंसा भड़काती है तो वह क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : यह भी वही बात है।

श्री शांताराम नायक : मैं ऋण मेलों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं ऋण वितरित किये जाने के समय राज्य सरकार द्वारा हिंसा भड़काए जाने के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसका उस विषय से क्या सम्बन्ध है ?

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मंत्री जी ने अपने बयान में बताया कि कमजोर वर्ग के लोगों को बैंक से लोन दिलाने के लिए, यदि उनको कोई भी कठिनाई होती है तो उसको सुधारने के लिए हम कदम उठाते हैं। क्या मंत्री जी के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कमजोर वर्ग के लोगों के नाम से कुछ और आदमी कर्जा लेते हैं ? इस तरह से कमजोर को तो कर्जा मिलता नहीं और कमजोर आदमी बैंक में फिर-फिर कर तंग हो जाते हैं और वहां पर अपने कागजात फेंक-कर वापिस चले जाते हैं। तो इसे सुधारने के लिए भारत सरकार के ध्यान में क्या है और सरकार इसके लिए क्या करने वाली है ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : हमें राज्यों से भी कुछ रिपोर्ट प्राप्त हो रही है। कमजोर वर्गों के लिए कार्यक्रम जैसे समेकित कालीन विवाद कार्यक्रम और शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए योजना, राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। हमें शिकायतें मिल रही है जिनमें यह कहा गया है कि वे सही लोगों को और पात्र लोगों को ऋण नहीं दे रहे है और कुछ अपात्र लोग भी ऋण ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि कुछ लोग अन्य लोगों के नाम पर बोगस ऋण ले रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं उस बात पर आ रहा हूं। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों का पता लगाते हैं। यहां तक कि शिक्षित बेरोजगार लोगों के मामले में भी राज्य सरकार लाभार्थियों का पता लगाती है। यह राज्य सरकार का कार्य है कि वह ठीक तरह से पता लगाए और तभी उन आवेदन पत्रों को बैंकों को भेजे। यदि माननीय सदस्य को अपने राज्य के बारे में कोई शिकायत मिली है तो वह राज्य के मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर यह कह सकता है कि इसका ठीक प्रकार से पता लगाया जाए। जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, जहां कहीं भी कोई कमी

है मैं स्वयं उस पर निगरानी रखता हूं। मैं माननीय सदस्यों के पत्रों पर कार्यवाही करता हूं। मैं नागरिकों द्वारा दी गई शिकायतों पर भी कार्यवाही करता हूं और हम उचित कार्यवाही करते हैं।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : ऐसे उदाहरण हैं कि ऋणों की फाइलें, विशेषकर 10,000 रुपये की सीमा के अन्दर के मामलों को बैंकों ने कड़ाई और तेजी से नहीं निपटाया है। ऐसे विशिष्ट मामले हैं जहां बैंको ने एक वर्ष से अधिक का समय लिया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि इन निर्धन लोगों को दर्जनों बार चक्कर लगाने पर मजबूर किया जाता है और वे अपनी शक्ति और श्रम नष्ट कर रहे हैं तो वह विशेषकर इन निर्धन वर्गों के लोगों से संबंधित ऋणों की फाइलों को निपटाने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, हमने 10 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर लिया है और 11 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र से लगभग 6368 करोड़ रुपये कमजोर वर्गों के लोगों को दिए गए हैं। इन्हीं बातों से यह पता लगता है कि कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है। हम इस पर निगरानी रख रहे हैं। हमने बैंकों को इन मामलों को निपटाने के लिए बैंकों के अहाते से बाहर महीने में दो बार ऋण मेले आयोजित करने की सलाह दी है और उसमें वह देखे कि यह ऋण कमजोर वर्गों के लोगों को ही दिया जाए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान 'इकनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिनमें यह उल्लेख किया गया था कि एक वर्ष पहले बंगलौर में श्रीमती इन्दिरा गांधी की पुण्य तिथि के मौके पर दो ऋण मेलों में लगभग 1 लाख फार्म वितरित किये गए थे और जो फार्म कांग्रेस (इ.) से सहानुभूति रखने वाले और उसके समर्थकों से प्राप्त हुए थे उनके कोने पर एक विशेष सील लगा दी गई थी और ऋणों को स्वीकृति देते समय उन्हें प्राथमिकता दी गई थी ? माननीय मंत्री इस मामले की जांच करने और उसका उत्तर देने के लिए सहमत हो गए थे। लेकिन अभी तक उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि अध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति दे तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें उत्तर देने की अनुमति दे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं यहां तक कि श्री बसुदेव आचार्य को उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे बाद में लेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, वह उत्तर देने के लिए सहमत हैं। मैंने इसको अभी लेने के लिए उसकी ओर से निवेदन किया था।

अध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं। आप सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं उसकी अनुमति देने के लिए तैयार नहीं हूं। हम इसे बाद में लेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, यह मंत्री के साथ बहुत ही अन्याय की बात है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : इस तथ्य को देखते हुए कि देश में और विशेषकर राजस्थान और गुजरात में गंभीर सूखे की स्थिति है क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या जरूरतमंद लोगों की चारा, सिंचाई, बीजों और सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता करने के लिए बैंकों को क्या कोई अनुरोध दिए गए हैं ? यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ?

श्री जनार्दन पुजारी : 12 सितम्बर, 1987 को माननीय वित्त मंत्री ने विशेषकर सूखों से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। 15 सितम्बर, 1987 को भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे और हम जरूततमंद, विशेषकर ऐसे लोगों की जिनका माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया गया था, आवश्यकताओं को पूरा कर रहे है। हमने मुख्य प्रशासकों और चेयरमैनों को यह आदेश भी दिया है कि वे सूखे से प्रभावित लोगों के पास जाएं और यह देखें कि उनकी आवश्यकताएं पूर्णतया पूरी की जाएं।

कपास और मानव निर्मित फाइबर का आयात

+

*2. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :**

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कपास की दस लाख गांठें और पर्याप्त मात्रा में मानव निर्मित फाइबर आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कपास और मानव निर्मित फाइबर का कितनी मात्रा में पहले ही आयात किया जा चुका है। निकट भविष्य में उनका कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा और इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी;

(घ) क्या कुछ कपास उत्पादक संगठनों ने सरकार से कपास का आयात न करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) जी हां ।

(ङ) सरकार का इस समय रुई आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : यह जानकर खुशी हुई है कि सरकार ने काटन मिल्स फेडरेशन के अनुरोध की विक्षुब्धता के सम्बन्ध में सम्पूर्ण देश से प्राप्त कपास उत्पादक संघों और परिसंघों के उन अभ्यादेपत्रों का सकारात्मक उत्तर दिया है जिसमें सरकार से 10 लाख कपास की गांठों और 1.2 लाख टन मानव-निर्मित फाइबर का आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है लेकिन अब मंत्री जी ने बताया है कि सरकार ने अब तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है। इसके साथ साथ मैं माननीय मंत्रीजी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहत।

हूं कि क्या यह संभव नहीं है कि 9 अक्तूबर, 1987 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी जिसमें सरकार ने धागे के निर्यात के बदले में कपास के आयात के लिए आदान और उत्पादन मानकों की घोषणा की थी। 40 काउण्ट ओर उसमें कम काउण्ट के 1 किलोग्राम डोरी वाले धागे के निर्यात के बदले निर्यातक को 1.5 किलोग्राम कपास के आयात की अनुमति है। इसी प्रकार 40 काउण्ट और उसमें कम काउण्ड के काम्ब्द धागे के संबंध में 1.33 किलोग्राम कपास के आयात की अनुमति दी गई है और 40 काउण्ट और उससे अधिक काउण्ट के 1 किलोग्राम काम्ब्ड धागे के निर्यात के बदले में 1.39 किलोग्राम कपास के आयात की अनुमति दी गई है। क्या यह उत्तर सरकार द्वारा दिए गए भाग (क) के उत्तर के विपरीत नहीं है ? अप्रत्यक्ष रूप से आप देश में कपास के आयात की अनुमति दे रहे हैं। नवीनतम आकड़ों से यह पता चलता है कि इस वर्ष कपास का उत्पादन पिछले वर्ष से कम नहीं होगा। वास्तव में, यह उससे थोड़ा जधिक होगा।

अत: मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कुछ समय पहले जारी की गयी सार्वजनिक सूचना पर पुन: विचार करेगी ओर उन्हें वापस लेगी।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मैंने वास्तव में प्रश्न के (क), (ख), और (ग) भागों का उत्तर दिया है। प्रश्न यह था :

> "क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान कपास की 10 लाख गाठें और पर्याप्त मात्रा में मानव निर्मित फाइबर आयात करने का निर्णय लिया है।"

उत्तर है "नही महोदय" हमने स्पष्ट रूप से भी कहा है कि सरकार का हाल ही में रूई आयात करने का विचार नहीं है।

यह सच है कि सूती धागा निर्यातकों को आयात/निर्यात नीति के अन्तर्गत उनके द्वारा निर्यातित सूती धागे पर प्रति पूर्ति लाइसेंस की सुविधा दी गयी थी। इसलिए है क्योंकि सरकार सूती धागे के निर्यात के लिए सुनिश्चित वातावरण पैदा करना चाहती हैं जिससे क्षमता से अधिक चल रही रूग्ण मिलों को अप्रत्यक्ष लाभ होगा। हमें केवल सीमित मात्र में सूती धागे के निर्यात की अनुमति दी गयी है और रूई का पारिणामिक आयात जो अभी शुरू नहीं हुआ है की अनुमति दी गयी है। यह आदेश अक्टूबर में ही जारी किया गया था लेकिन वास्तविक रूप से अभी तक कोई आयात नहीं किया गया है। रूई का प्रति पूर्ति लाइसेंस के अन्तर्गत अगर कोई आयात किया जाता है तो वह देश में कपास के कुल उत्पादन को बहुत थोड़ा भाग होगा। इससे स्थानीय कपास मूल्यों को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। और सूत के मूल्य में लाभ होने से हथकरघा एवं पावरलूम, बुनकर रूग्ण कपड़ा मिलों की भी सहायता कर सकेंगे।

महोदय, यह एक परीक्षणात्मक उपाय है। हम स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे। अगर निर्यातको को दी जाने वाली यह सहायता एक अच्छी कपास मूल्य स्थिति के रास्ते में बाधक बनती है तो सरकार उस समय उपचारात्मक कार्यवाही करेगी।

श्री वी० शोमानाद्रीश्वर राव : अध्यक्ष महोदय, आप पिछले वर्ष की कपास उत्पादकों की असीमित कठिनाइयां और उससे पूर्व बहुत अधिक बाढ़ के नुकसान से भली भांति परिचित है। अब मंत्री जी कहते हैं कि बहुत कम आयात हो सकता है लेकिन आप एक ऐसा रास्ता खोज रहे है जिसे आज के बाद बंद करना कठिन होगा आयातित कपास आने के बाद, कपास उत्पादकों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मैं मंत्री जी से इस नोटिस को वापिस लेने और इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध करूंगा।

श्रीमन्, पिछले वर्ष से इस वर्ष अनुमानित उत्पादन अधिक होगा। पिछले वर्ष हमने कपास की 14 लाख गांठें निर्यात की थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विदेशी मुद्रा कमाने और देश में अनुकूल मूल्य स्थिति उत्पन्न करने के लिए क्या सरकार कपास की कुछ मात्रा निर्यात करने पर विचार कर रही है।

वर्तमान औसत उपज केवल 235 किग्रा लिन्ट प्रति हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर फसल को बोने के लिए सरकार क्या प्रस्ताव करती है और सरकार नये समर्थन मूल्य की भी घोषणा करें जिससे कपास उत्पादकों को वास्तव में प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री एस० कृष्ण कुमार : कपास के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के फलस्वरूप सूत के मूल्य में आई तेजी के कारण हमने कुछ समय के लिए कपास का निर्यात रोक दिया है यद्यपि कपास के मूल्यों के साथ-साथ में अगस्त से कमी दिखाई दे रही है। इस समय हमारा निर्णय है कि हम वर्तमान स्थिति को देखने के बाद निर्यात के प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे। माननीय सदस्य की बात पूर्णतया ठीक है कि कपास की उपज के हमारे पूर्वानुमान में अगस्त की वर्षा के कारण संशोधन करना था। संभवतः वास्तविक अनुमान से लगभग दस लाख गांठें अधिक प्राप्त कर सकते हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहूगा कि अगर यह आशा वर्ष 1987-88 के अन्त तक पूरी हो जाती है, तब भी हमें भण्डारण की ऐसी स्थिति का सामना करना होगा जो संगटित वस्त्र उद्योग की तीन महीने की आवश्यकता के सुरक्षा स्तर से भी नीचे जा सकती है। इस मामले में हम निरन्तर सजग है और आपको यह आश्वासन दिलाना चाहेंगे कि सरकार द्वारा कपास उत्पादकों के हितों की पूर्णतया रक्षा की जायेगी। सूती धागे के आयात की संभावनाये खुली रखी गयी हैं क्योंकि हम कच्चे माल के बजाय मूल्य वर्धित सामान के निर्यात में वृद्धि करना चाहते हैं।

श्री ललितेश्वर शाही : मैं उन क्षेत्रों और देशों के नाम जानना चाहता हूं जिन्हें धागा निर्यात करने का विचार है और उन देशों के नाम क्या हैं जहाँ से कपास आयात करनी है। मैं यह इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि हम अपने पूर्व निर्यात कार्यक्रम में सूत का निर्यात किया और दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से कच्चा माल आयात किया था। इसलिए जहां पर निर्यात करना है और जहां से आयात करना है मैं उन क्षेत्रों के नाम भी जानना चाहता हूं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : सूत यूरोपियन आर्थिक समुदाय, चैकोस्लोवाकिया और अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है जैसा कि पहले बताया गया है, हमारा इस समय कपास आयात करने का इरादा नहीं है और इसलिए मैं प्रश्न के अन्य हिस्से का उत्तर नहीं दे सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात की आवश्यकता की दलील एक उचित दलील है लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि वर्तमान महीनों में देश के प्रत्येक हिस्से में एक ओर सूती धागे की कमी है और दूसरी तरफ सूती धागें की कीमतें ऊंची रही हैं इसके फलस्वरूप लाखो हथकरघा बुनकर बेरोजगार हो गये हैं और उनक हथकरघे भी निस्क्रिय पड़े हैं। वह कपड़ा मिल इकाइयों और कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के विषय में काफी बोले है। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है; लेकिन कपड़ा नीति जिसे पिछले वर्ष पिछले स्वीकृत किया गया था उसका उद्देश्य कमजोर वर्गों के हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा करना था। क्या यह सच नहीं है कि आज लाखों हथकरघा बुनकर बेरोजगार बैठे हुए है। उन्हें धागा प्राप्त नहीं हो रहा है या धागा इतने ऊंचे मूल्य पर प्राप्त होता है कि जो उनकी हैसियत से

बाहर है। देश से सूती धागा जो कि कपास का आयात करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में मंगाया जा रहा है निर्यात करने की इस नई नीति से किस हद तक हथकरघा बाजार में यह स्थिति पैदा हुई ? और क्या हथकरघा बुनकरों की मदद करने के लिए कोई कदम उठाये जायेंगे जो कि इस समय भयंकर संकट में है।

श्री एस. कृष्ण कुमार : इस वर्ष हथकरघे के लिए आवश्यक धागे की कीमतें अगस्त तक बढ़ी हैं और उसके बाद कीमतों में गिरावट आती रही। मुझे हथकरघा आयुक्त द्वारा दिये गये आंकड़े मिले हैं। बहुत से काउन्ट के धागों की सूची है; लेकिन अगस्त से नवम्बर के शुरू तक इनकी कीमतों में पांच से दस प्रतिशत तक की औसत कमी हुई है। अतः हथकरघा मूल्य की बढ़ती हुई प्रवृत्ति रूक गई है। महोदय यह सच नहीं है कि हथकरघा धागे के मूल्य में जो वृद्धि हुई है जिसे अगस्त से पहले अनुभव किया गया था, वह इस निर्यात के कारण थी। हम स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं कपास के मूल्य में लगभग 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है और धागे का मूल्य जो कच्चे माल पर आधारित है केवल कपास के मूल्यों की वृद्धि का 50 प्रतिशत है। हमने हथकरघा मूल्यों को स्थिर रखने के उपाय किए थे। मेरे पास पूरी सूची है। हमने इन निर्देशों को राज्य सरकारों और एपेक्स सोसाइटियों को दे दिया है। हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम और एन०टी०सी० के माध्यम से योजनाओं की एक शृंखला शुरू की है। कपड़ा नीति में हथकरघा श्रमिकों का हित एक प्राथमिक चिन्ता है और हम उस नीति पर कायम हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि सैकड़ों हजारों हथकरघे बंद पड़े हैं और बुनकर बेरोजगार हैं ?

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय कपड़ा अर्थव्यवस्था जिसमें हथकरघा बिजली करघा और संगठित कपड़ा मिलों के सभी खण्डों की कुछ प्रतिशत क्षमता समय-2 पर बंद रखी जाती है क्योंकि कपड़ा अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से बहुत अधिक क्षमता है। वस्त्र मंत्रालय का प्रयास है कि वस्त्र अर्थव्यवस्था के इन विभिन्न क्षेत्रों में विपरीत एक प्रतिस्पर्द्धी मांगों में संतुलन बनाये रख जाये। हम इन क्षेत्रों के हितों में संतुलन बनाये रखने की कोशिश करते आ रहे है।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मैं मंत्री जी से आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक से पिछले वर्ष में निर्यात किये गये कुल धागे की मात्रा जिसमें कि लम्बे रेशे तथा अत्यधिक लम्बा रेशे वाले धागे शामिल है; के बारे में जानना चाहता हूँ। इस वर्ष लम्बे रेशे तथा अत्यधिक लम्बे रेशे वाले धागे का निर्यात करने के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है ?

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय मेरे पास आन्ध्र प्रदेश के लिए किस्मवार आकड़ें नहीं है। लेकिन जैसाकि मैंने कहा है, इस वर्ष के लिए प्रारम्भ में 6 लाख गाठें का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन सिर्फ 4.9 लाख गाठों पर ही निर्यात रोक दिया गया है तथा शेष 1.5 लाख गाठें निर्यात नहीं की जा रही है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के वादग्रस्त मामले

***4. श्री राज कुमार राय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान वर्षवार, स्टेट बैंक आफ इंदौर के न्यायालयों में कितने मामले लंबित हैं/कितने मामलों में उसकी हार हुई है और उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) बैंक द्वारा दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों/वकीलों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैंक द्वारा इस संबंध में उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि उसकी कार्यालय में मामलों में हार न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

स्टेट बैंक आफ इन्दौर से सम्बन्धित, सिविल दावों की उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिनमें बैंक भी पार्टी था, वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान विचाराधीन सिविल दावों की संख्या, अन्तर्ग्रस्त रकम और हारे गये मामलों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	विचाराधीन सिविल दावे	अन्तर्ग्रस्त रकम (लाख रुपये)	हारे गए मामलों की संख्या
1983	409	504.77	—
1984	531	1197.24	—
1985	594	1264.12	—

चूंकि बैंक ने वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान कोई भी सिविल दावा नहीं हारा, अतः बैंक द्वारा इस कारण किसी अधिकारी/कर्मचारी/वकील के विरुद्ध कार्रवाई करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष जी, मैं आपका प्रोटेक्शन करता हूं। यह जो क्वेश्चन दिया जाता है पहले तो इसको एग्जामिनर खत्म कर देते हैं। क्रिमिनल्स प्रोसीडिंग्स के बारे में 83-84, 84-85, 85-86 तक का प्रश्न किया गया था जिसको 85 तक कम कर दिया गया। अब मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें केसिज को सिविल केसिज तक कर दिया है।

[अनुवाद]

यह मुकदमा दीवानी है परन्तु मामला फौजदारी का भी हो सकता है।

[हिन्दी]

इसमें बहुत फर्क है और मंत्री जी ने वह फर्क बताने की कोशिश नहीं की। मेरा क्वेश्चन था—

[अनुवाद]

"न्यायालयों में वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान वर्षवार, स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कितने मामले लंबित हैं। कितने मामलों में उसकी हार हुई और उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है।"

[हिन्दी]

मान्यवर, इन्होंने जवाब दिया—"स्टेट बैंक आफ इन्दौर से सम्बन्धित सिविल दावों की उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिनमें बैंक भी पार्टी था, वर्ष फलां-फलां में संख्या इतनी है।"

इसके पहले भी इस प्रश्न पर कई प्रश्न हुये थे और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था। सिर्फ तीन शाखा में लगभग 9 करोड़ रुपये के घपले हैं—मद्रास शाखा, अमाना देवास (मध्य प्रदेश) और दिल्ली चांदनी चौक शाखा में। उन्होंने कहा था कि सी०बी०आई० इंक्वायरी हुई थी और अभी डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला हुआ था। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में पिछले तीन सालों में जिनके लिये यह सवाल एडमिट हुआ है कितने लोग इन्वाल्व थे, कितनों के खिलाफ केस पेंडिंग हैं, और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? उनमें कौन-कौन लोग हैं जो इनवाल्व्ड हैं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य कृपया प्रश्न का भाग (क) देख सकते हैं जिसमें पूछा गया है कि वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान न्यायालयों में वर्षवार, स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कितने मामले लंबित हैं। कितने मामलों में उसकी हार हुई और उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त हैं। माननीय सदस्य ने 1986 के लिये पूछा है इसलिये उत्तर केवल 1985 तक के उत्तर दिये थे।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। पहले तो 1986 की जानकारी नहीं आई, एग्जामिनर ने पहले ही उसको खत्म कर दिया और जिस जानकारी को पूछने की अनुमति दी गई, उसको भी पूरी तरह मंत्री जी ने समझने की कोशिश नहीं की। मैंने यह जानना चाहा था कि कितने क्रिमनल केसेज चल रहे हैं, कितने एफ०आई०आर० आपकी तरफ से और कितने और लोगों की तरफ में दर्ज किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सही है कि आपने 1985 के बारे में नहीं पूछा ?

श्री राजकुमार राय : उस पर तो एग्जामिनर की छुरी पहले ही चल गई, उसको पहले ही काट दिया गया और जो जानकारी वर्ष 1983-84, 1984-85 की चाही गई थी क्रिमनल केसेज के बारे में, उसको सिविल सूट्स तक सीमित कर दिया गया, अब उसके बारे में क्या सवाल करूं। बता दिया गया कि कोई घपला नहीं है, इसलिये मैं क्या जवाब दूं कि क्या कार्यवाही हुई है। अगर आप इसको विस्तृत कर देते···।

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए जरा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक बैंकों का सम्बन्ध है, वे दीवानी मुकदमों की जांच कर रहे हैं। जहां तक फौजदारी मामलों का संबंध है यह एक राज्य का विषय है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाये रखें। मुझे मंत्री की बात सुनने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : यह रिकार्ड में है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अपराध राज्य के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है···(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनको स्पष्ट करने दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान राय, क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे ? पहले मंत्री जी की बात सुनने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में मत बोलिये, आप सुनिये तो सही।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले सुनें और बाद में कुछ कहें।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक फौजदारी मामलों का संबंध है, ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं और वे ही अभियोगों को दायर करती हैं और उसी के पास जानकारी होती है। अगर माननीय सदस्य मुझे लिखते हैं तो मैं भी जानकारी प्राप्त करके इनको प्रस्तुत कर दूंगा। जहां तक दीवानी मामलों का संबंध है, हमारे पास जानकारी है और मैंने यह प्रस्तुत कर दी है। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : बैंकों के संबंध में आपके पास आंकड़े हैं या नहीं ? आप इसके पीछे अपने आपको छुपाइये मत····।

अध्यक्ष महोदय : छुपाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[हिन्दी]

आप क्यों आपस में बहस कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अगर और जानकारी की आवश्यकता है तो आप कह सकते हैं कि आप वह भी प्रस्तुत कर देंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने वह कह दिया है। अगर मुझे जानकारी मिलती है तो मैं इसे प्रस्तुत कर दूंगा। यह स्पष्ट है। (व्यवधान) जहां तक दीवानी मामलों में लगी धनराशि आदि का

संबंध है मैंने इसका उल्लेख कर दिया है और जहां तक फौजदारी मामलों का संबंध है अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैं यह जानकारी प्रस्तुत कर दूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी इकट्ठी करके आपको दे देंगे।

श्री [illegible] राय : फौजदारी मामलों के बारे में भी मैं जानना चाहता हूं कि जनता द्वारा उनको दी गई महत्वपूर्ण जानकारी पर क्या कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में अब तक क्या किया गया है?

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा भारतीय सीमा पर गोलाबारी

*5. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा पर कई बार गोलाबारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या परस्पर समझौते के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बैठक हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) क्या भारत सरकार भी इस बारे में कोई प्रतिकारक उपाय कर रही है?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, पाकिस्तानी फौजों द्वारा जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार अकारण गोलाबारी की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) और (ग) इस प्रकार की घटनाओं के मामलों को स्थानीय कमाण्डरों के बीच फ्लैग बैठकों में निपटाया जाता है। परन्तु पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है।

(घ) हमारी सशस्त्र सेनाएं देश की सुरक्षा को किसी खतरे का सामना करने के लिये हमेशा पूरी रक्षा तैयारी बनाये रखती हैं।

श्री कमला प्रसाद रावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी द्वारा समुचित उत्तर नहीं दिया गया। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कुछ घटनाएं हुई हैं। स्पष्ट नहीं बताया गया कि अब तक कितनी निश्चित घटनाएं हुई और बार-बार भारतीय सेना का कितना नुकसान हुआ। माननीय मंत्री जी स्पष्ट बताने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं बताने नहीं दूंगा। अस्पष्ट कैसे बताने दूंगा। अस्पष्ट बताइये।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह है, क्या पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा पर कई बार गोलाबारी की है। कई वर्षों से जो जम्मू-कश्मीर में लाइन आफ कंट्रोल है, जो नियंत्रण रेखा है, उसमें गोलाबारी दोनों तरफ से होती है। पाकिस्तान की तरफ से हुई है और जवाबी हमारी तरफ से भी होती है। यह एक सामान्य सी स्थिति वहां बन गई है। वहां पिछले वर्ष कुछ अधिक संख्या में हुई। इस बार कुछ कम हुई। मैं संख्या बताने में असमर्थ हूं। जो पाकिस्तान की और हमारे बीच की सीमा रेखा है, उसमें जब लड़ाई हुई

तब तो जाहिर है कि गोलाबारी हुई। जब लड़ाई नहीं होती तब वहां सामान्यत: ऐसी कोई घटना नहीं होती है। सियाचिन के क्षेत्र में इधर दो घटनाएं हुई हैं। लेकिन वह इनके साथ इसलिये नहीं मिलाता क्योंकि वह अपने में अलग घटनाएं हैं। इसके बारे में स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य ने नहीं पूछा है इसलिये स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया है।

श्री कमला प्रसाद रावत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि एक वर्ष से फ्लैग बैठकों का आयोजन नहीं किया गया जो कि कमाण्डरों के बीच होनी थी। अगर ये बैठकें हो जातीं तो शायद इतना नुकसान न हुआ होता। अत: दोनों देशों के कमाण्डरों के बीच फ्लैग मीटिंग्स, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्यों नहीं बुलाई गई और यह किन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी जिन्होंने इसमें लापरवाही की और अब इस मीटिंग को कब बुलाये जाने की संभावना है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अध्यक्ष जी, सन् 86 में दो बार फ्लैग मीटिंग्स हुई। फ्लैग मीटिंग्स तब होती हैं जब कोई मेजर इन्सीडेंट हो या किसी पोजीशन के बारे में कोई डिस्प्युट हो। सन् 87 में इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई। जो सियाचिन में हुआ है, उसके बारे में कोई लापरवाही का प्रश्न नहीं है। हमारी तरफ से जब यह देखा गया कि कुछ असाधारण तरीके से वहां जमाव हो रहा है फौजों का तो हमारी फौज के माध्यम से उनकी फौज के अफसरों से यह कहा गया कि यह जमाव हो रहा है। इससे हमको चिंता है और कोई ऐसी चीज न हो जाये जिसमें कि हम लोग आपस में भिड़ जाएं। इसको न कीजिए और हमने तो यहां तक एहतियात बरती कि पाकिस्तान की जो हॉट लाइन है उसके जरिये से मिलिटरी ने कहा कि न कीजिये जब यह देखा कि वहां असाधारण स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए लापरवाही का कोई प्रश्न नही है।

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी : प्रथम पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मंत्री ने कहा कि सियाचिन इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता है। परन्तु बाद में उन्होंने सियाचीन का जिक्र किया है। इसलिए मैं उनसे हाल ही में काठमांडू में हमारे प्रधान मन्त्री की पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत के बारे में इनके विचार जानना चाहता हूं।

स्पष्टतया ऐसी घटनायें नये सिरे से आरंभ हो जाती हैं। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों के प्रति पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने क्या प्रतिक्रिया जाहिर की ?

श्री कृष्ण चन्द पन्त : महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता कि इस प्रश्न के बारे में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने क्या उत्तर दिया। मैंने सियाचोन का उल्लेख किया है। मैंने सोचा कि जब माननीय सदस्य ने प्रश्न रखा तो उनके दिमाग में यह बात होगी। मैं जानता हूं कि जिस तरह से हमारी चौकियों पर आक्रमण किया गया है उस बारे में समस्त देश और यह सभा चिंतित हैं। हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े और हमलों का कड़ा जवाब दिया गया। मुझे पक्का विश्वास है कि बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों को अगर मैं मुबारक बाद देता हूं तो यह सभा की भावनाओं की अभिव्यक्त ही होगी।

जैसाकि मैं बता रहा था इन आक्रमणों की जिम्मेवारी पूर्णतया पाकिस्तान पर आती है क्यों कि हमारे अपने माध्यमों से सैनिक स्तर पर दोनों देशों के बीच हाटलाईन से संपर्क बना रहता है।

जब हमने देखा कि वहां पर असाधारण ढंग से सेनाओं का जमाव हो रहा है, और अधिक सेनाएं आ रही हैं और हमारे सेना कमांडर की सूचना के आधार पर हमने पाकिस्तान के रक्षा प्राधिकारियों से संपर्क कायम किया कि यह हमारे लिए चिंता का विषय है और कृपया स्थिति को उग्र न होने दें। इसके बावजूद स्थिति दो स्थानों पर उग्र हो गयी। एक बार उन्होंने सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में और एक बार अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में आक्रमण किया। इस प्रकार हमने उनको यह बताने की कि स्थिति को उग्र न होने दें, सावधानी बरतने का जो कि असाधारण प्रयास किया है। इस तरह की संभावना को टालने के लिए हमने यह कदम उठाया। ऐसी बात नहीं है कि किसी चेतावनी की की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा जान बूझकर किया गया और इसलिए हमें जवाब में कार्यवाही कमी करनी पड़ी।

श्री जी० जी० स्वैंल : मेरे विचार में यह कहते हुये मंत्री महोदय चालबाजी खेल रहे थे कि वह सीमा पर गोलियां चलने और सियाचीन की घटना को जोड़ना नहीं चाहते मेरे विचार में यह उनकी जिम्मेवारी है कि वह सभा को इस बारे में जानकारी दें मैं चाहूंगा कि वह पाकिस्तान से 14000 फीट ऊंचाई पर बेकार पड़े इस बर्फ से ढके स्थान के सामरिक महत्व के बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए जिसके लिए वह अपने सैकड़ों लोगों की जान गंवाने के लिए तैयार है। हमारे जवान बहादुरी से लड़े। हम उन्हें बधाई देते हैं। इसके लिए हमें प्रसन्नता है। हमने ऐसा कहा है।

मैं समझता हूं कि मंत्री को मकरान, बाडबेर, मोरीपुर, ग्वारड़ा, तुरबत, पासनी ज्वानी और पंजगौड़ के बारे मैं तो सुना ही होगा। क्या उनके लिए इन सभी स्थानों का सैनिक महत्व है और इन स्थानों का सैनिक दृष्टि से क्या महत्व है ?

प्रो० मधु दंडवते : गुप्त बातें नहीं बतायी जा सकती।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : मैं नहीं ,जानता कि इस मामले पर इस तरह से सभा में चर्चा की जाये। अगर प्रो० स्वैंल इस मामले पर चर्चा करना चाहते तो मैं इसके लिए तैयार हूं।

श्री जी० जी० स्वैंल : मैंने सभा में प्रश्न पूछा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं नहीं जानता कि एक विशेष क्षेत्र के सैनिक महत्व के बारे में इस सभा में हमें खुले रूप से चर्चा करनी चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : आप उन्हें अपने कक्ष में बुला लें।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : मैं निश्चित तौर पर उन्हें इस बारे में बताऊंगा। किसी भी सदस्य को बताने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। जो कुछ भी यहां पर कहा जाता है वह बाहर जाता है और इसलिए शायद वह मुझसे सहमत होंगे कि अच्छा है कि इस मामले पर आमने-सामने बैठकर चर्चा की जाये।

श्री पी० नामग्याल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में सियाचीन में हमारी चौकियों पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने कितने प्रयास किये और हमारे तथा पाकिस्तानी फौज के कितने व्यक्ति मारे गये तथा साथ ही पाकिस्तान द्वारा वहां पर लगाए गये आधुनिकतम हथियारों की संख्या कितनी है एवं कितने ऐसे हथियार हमारे सैनिकों ने पकड़े। सियाचीन क्षेत्र अर्थात लद्दाख में हमारे सैनिकों ने क्या किसी पाकिस्तानी सैनिकों को गश्त के दौरान पकड़ा यदि हां तो मुझे उस बारे में ब्यौरा दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसके लिए भी आप उनसे ही बात कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 6 श्री जगन्नाथ पटनायक उपस्थित नहीं हैं। अगला प्रश्न—श्री तुलसी राम।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

*7. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, से 30 जून, 1987 तक की अवधि में वस्तुओं के मूल्यों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में घोषणा किए जाने के बावजूद कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का नकद भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने सम्बन्धी प्रक्रिया में परिवर्तन कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कब तक की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) 31 दिसम्बर, 1986 को 12 महीने का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 661.08 था और 30 जून, 1987 को यह 687.50 था। इस प्रकार 1.1.1986 की स्थिति के अनुसार 12 महीने के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 को आधार मानकर, 1.1.1987 को वस्तुओं के मूल्य में 8.73% की वृद्धि हुई थी और 30.6.1987 को यह वृद्धि 13.07% की थी जिसके परिणाम स्वरूप 1 जनवरी से 30 जून, 1987 के दौरान 4.34% की वृद्धि हुई।

(ख) से (घ) देश में सूखे की गम्भीर स्थिति और समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी पक्ष से अनुरोध किया गया है कि वे 1.7.1987 से देय मंहगाई भत्ते को अपने सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा करने के लिए सहमत हो जाएं। बातचीत अभी चल रही है और आशा की जाती है कि अन्तिम निर्णय शीघ्र ले लिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : अध्यक्ष जी, यह अच्छी बात है कि माननीय मंत्री जी ने यह तो एक्सैप्ट किया कि मूल्यों में वृद्धि हुई है, अन्यथा मुझे डाउट था कि वे इस सत्य से मुकर जाएंगे कि मूल्य बढ़े हैं।

श्री बी० के० बढ़वी : हम तो सच्ची बात कहते हैं।

श्री बी० तुलसीराम : अच्छी बात है कि आप सच्ची बात कहते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जितने कर्मचारी हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है जो बहुत कम वेतन लेते हैं और आज महंगाई के कारण उनके सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गयी है, वे परेशान

हैं। मंत्री जी का यह कहना ठीक है कि देश में सूखे की भीषण स्थिति है और इसका सामना करने के लिए आप ठीक दिशा में सोच रहे हैं, आपको सोचना भी चाहिए, लेकिन यह बात भी सत्य है कि भारत सरकार के छोटे कर्मचारियों पर भी सूखे और मूल्य-वृद्धि का भारी प्रभाव पड़ा है। यदि आप उनको शीघ्र ही महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं करेंगे तो उनके सामने एक-दो विकल्प ही रह जाएंगे; या तो वे रिश्वत ले, या कोई गलत काम करें अथवा चोरी करें। इस तरह सरकार उनको चोरी करना सिखायेगी। यदि आप इन छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों को, गरीब आदमियों को राहत नहीं पहुंचायेंगे तो वे अपना निर्वाह किस प्रकार कर पायेंगे। आजकल महंगाई के जमाने में उनके सामने कई तरह के कष्ट, कई तरह की कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं। वैसे ही अभी यहां एक माननीय सदस्य पाकिस्तान बोर्डर की बात कर रहे थे, वे कहीं और न घुस जाएं, इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा।

श्री बी० के० गढ़वी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वैसे तो काफी अनुभवी हैं और वे जानते हैं···

अध्यक्ष महोदय : कौन-से काम में अनुभवी हैं।

श्री बी० के० गढ़वी : माननीय सदस्य जानते हैं कि भारत सरकार के "बी", "सी" और "डी" श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग 95 प्रतिशत है। आप यह भी जानते हैं कि जब बाजार में ज्यादा पैसा चला जाएगा तो उसके कारण और ज्यादा मूल्य-वृद्धि हो सकती है। महंगाई भत्ते का भुगतान करना हमारा दायित्व है, जिसे हमने माना है और हम देने वाले हैं मगर अभी हमारे उनके साथ नेगोसिएशन्स चल रहे हैं कि आप यह कबूल कर लें कि आपको जो पैसा मिलेगा उसे आप अपने प्रोविडेन्ट फण्ड में जमा कर देंगे तो हमें भी मूल्य-वृद्धि को कन्ट्रोल करने में सहूलियत रहेगी और ड्राउट सिचुएशन का भी हम फाइनेन्श्यली अच्छी तरह मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए अभी हमारा उनके साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

श्री बी० तुलसीराम : अध्यक्ष जी, आप एरियर को उनके प्रोविडेन्ट फण्ड में जमा करवाइये, बातचीत करके, हमें उसमें कुछ ऐतराज नहीं है, मगर जो चालू है, उसे तो आप कम से कम उन्हें दीजिए ताकि उनको किसी तरह की कठिनाई न रहे क्योंकि महंगाई के कारण उनकी स्थिति खराब हो गयी है। आप कोई ऐसा रास्ता निकालिये ताकि जल्दी से जल्दी बातचीत सैटल हो जाए और उनके सामने जो कठिनाई हैं वे दूर हो सकें। पुराने एरियर को आप भले ही सूखे के कारण प्रोविडेन्ट फण्ड में जमा करवायें परन्तु महंगाई के वर्तमान स्तर के अनुसार उनको डी० ए० का भुगतान तो कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप शीघ्र कुछ सैटल करेंगे।

———

[अनुवाद]

झींगा मछली का निर्यात

*3. **श्री टी. बाल गौड़** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1987-88 के लिए झींगा मछली के निर्यात संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में झींगा मछली के निर्यात के लिए मात्रा के संदर्भ में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या इस वर्ष मात्रा की दृष्टि से इसके निर्यात में भारी गिरावट आने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो क्षीण हो रहे समुद्री संसाधनों का और विदोहन करने के लिए विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए एम्पीडा द्वारा श्रिम्प के निर्यात का अनुमान 50,000 मे० टन लगाया गया और वर्ष 1987-88 के लिए 51,500 मे० टन हैं।

(ग) और (घ) मौजूदा संकेतों के अनुसार इस वर्ष समुद्री मछली पकड़ने में भारी गिरावट आने की संभावना नहीं है। तथापि, सरकार ने गहरे समुद्र में संसाधनों का पूरा उपयोग करने तथा हमारे निर्यातों को बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यमों 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास करने के लिए कदम उठाए हैं।

सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा सूखा प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता

*6. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों ने देश में सूखा प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों के नाम सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों को दूसरा बुआई अर्थात वैकल्पिक फसल, अल्पावधिक फसल, चारा आदि उगाने, अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने, बीजों के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान करने, (यदि फसल काफी नष्ट हो गई हो तो उस हालात में निवेश ऋण का पुनर्निर्धारण करने) लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए शीघ्रता से ऋण मंजूर करने तथा छोटे और सीमांतिक किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों को 500 रुपए तक के उपभोग ऋण देने और उचित दर की दुकानें शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देने के संबंध में विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए हैं।

3 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों में बैंकों से 2 वर्ष के लिए या अगले सामान्य वर्ष तक, यदि वह पहले हो, देय रकमों की वसूली स्थगित करने के लिए कहा गया है। बैंकों को इन मामलों में दण्डात्मक ब्याज वसूल न करने तथा स्थगित देय राशियों के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में न बदलने के लिए भी अनुदेश दिए गए हैं। बैंक 3 या उससे अधिक बार

लगातार सूखे से पीड़ित किसानों के मामले में और उन किसानों के मामलों में जिनके ऋणों को परिवर्तित/पुनर्धारित कर दिया गया है, 5000 रुपए तक के अल्पावधिक सावधि ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज लेंगे।

सेन्ट्रल बैंक ने सूचित किया है कि उपलब्ध सूचना के अनुसार, उसने 8.34 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है और 7.88 करोड़ रुपए के बकाया ऋणों के संबंध में अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने, सावधि ऋणों की किस्तों का पुनर्निर्धारण करने की सुविधाएं दी हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन

*8. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के बैंक विदेशी मुद्रा के अनिवासी भारतीयों के खातों में जमा प्राप्त करने के मामले में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का व्यापक उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सहकारी क्षेत्र के ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सम्भवत: यह प्रश्न दिनांक 19 सितम्बर, 1987 के "फाइनेंशियल एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचार के आधार पर किया गया है। जांच से पता चला है कि जैसाकि समाचार में कहा गया है, किसी केन्द्रीय अभिकरण ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सूचित किया है कि उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम/भारतीय रिजर्व बैंक विनियमों के बैंको द्वारा उल्लंघन के मामले जैसाकि आरोप लगाया गया है उसके नोटिस में नहीं आये हैं। मामले की और आगे जांच करने के लिए रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है।

निर्यात संवर्धन परिषदों को विशिष्ट क्षेत्र निर्यात योजनायें

*9. **डा० वी० वेंकटेश :**

श्री भद्रेश्वर तांती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में निर्यात संवर्धन परिषदों को विशिष्ट क्षेत्रों और बाजारों के लिये उपयुक्त व्यापक निर्यात योजनायें तैयार करने के लिये कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात संवर्धन परिषदों ने निर्यात योजनायें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) कुछेक निर्यात संवर्धन परिषदों ने निर्यात के लिए कार्य योजनाएं प्रस्तुत कर दी हैं।

(ग) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, चमड़ा निर्यात परिषद तथा ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद ने निर्यातों के लिए पहले ही कार्य योजनाएं प्रस्तुत कर दी है।

विदेशों में भारतीय मेले

*10. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में अब तक भारतीय मेलों का आयोजन किया गया है;

(ख) इन मेलों से निर्यात बढ़ाने के लिए किस हद तक सहायता मिली है; और

(ग) विदेशों में और अधिक भारतीय मेलों/भारतीय व्यापारी मेलों का आयोजन करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) तथा (ख) उन देशों के नाम जहां पिछले 5 वर्षों और 1987-88 (अक्तूबर, 1987 तक) के दौरान भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट भारतीय प्रदर्शनियां आयोजित की गयीं, अनुबंध-I में निर्विष्ट हैं। विदेश में प्रदर्शनियां आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य भारत की औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षमताओं को प्रक्षिप्त करना, कारोबार के अवसरों तथा व्यापार संवर्धन के लिए पारस्परिक सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाना है। भारत के विदेश व्यापार में मेलों और प्रदर्शनियों के अंशदान की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि मेले और प्रदर्शनियां व्यापार संवर्धन के अनेक माध्यमों में से एक मात्र माध्यम हैं। तथापि विदेश में आयोजित की गयीं भारतीय प्रदर्शनियों की सफलता का परिचय इन प्रदर्शनियों में बुक किए गए कारोबार के आंकड़ों से मिल जाता है जोकि संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

(ग) भारतीय प्रदर्शनियों के लिए स्थलों का चयन करते समय सर्वाधिक आशाजनक स्थानों की ओर उचित ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित तथ्यों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(1) केवल उन्हीं देशों का चयन किया जाता है जो भारतीय उत्पादों की अच्छी निर्यात संभाव्यता की पेशकश करते हैं।

(2) केवल उन्हीं देशों का चयन किया जाता है जहां महत्वपूर्ण सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेले आयोजित नहीं होते।

(3) ऐसे देशों के चयन में ध्यान रखा जाता है जहां विविध क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों तथा क्षमताओं को पर्याप्त रूप से प्रक्षिप्त किया जाना हो, तथा

(4) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक क्षेत्र/उप-क्षेत्र में कम से कम एक भारतीय प्रदर्शनी आयोजित करने के भी प्रयास किए जाते हैं।

सरकार भी जहां कहीं आवश्यक व वांछनीय होगा भारतीय प्रदर्शनियां आयोजित करती रहेंगी।

विवरण

क्रमांक	उन देशों के नाम जहां भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट भारतीय प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं	वर्ष जिनमें प्रदर्शनियां आयोजित की गयीं तथा भाग लेने वाले देशों द्वारा उनमें किये गये कारोबार का ब्यौरा					
		1982-83	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88 (अक्तूबर, 1987 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मलेशिया	28.48	—	—	—	—	—
2.	ब्रिटेन	28.00	—	—	—	—	—
3.	कुवैत	2140.00	—	—	—	—	—
4.	वेनजुएला	50.89	—	—	—	—	—
5.	सेशल्स	—	0.60	—	—	—	—
6.	सऊदी अरब	—	1150.00	—	—	—	—
7.	आइवरी कोस्ट	—	44.10	—	—	—	—
8.	वियतनाम	—	2.89	—	—	—	—
9.	मारीशस	—	—	74.97	—	85.50	—
10.	नेपाल	—	—	36.00	—	—	—
11.	सोवियत संघ	—	—	9844.00	—	4000.00	—
12.	फ्रांस	—	—	—	106.14	—	—
13.	कातार	—	—	—	23 00	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	केन्या	—	—	—	70.27	—	—
15.	कनाडा	—	—	—	180.55	—	100.00
16.	ओमान	—	—	—	—	930.00	—
17.	बंगला देश	—	—	—	—	2410.00	—
18.	बर्मा	—	—	—	—	1200.00	—
19.	सिंगापुर	—	—	—	—	—	2699.56
20.	अफगानिस्तान	—	—	—	—	—	461.45

प्रति व्यापार

*11. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति व्यापार योजना शुरू करने का निर्णय लेने के कारण क्या हैं;

(ख) प्रति व्यापार योजना शुरू करने से कौन-कौन से नये बाजारों की खोज की गई हैं; और

(ग) प्रति व्यापार द्वारा अन्य कौन-कौन से लाभ अर्जित किये गये हैं ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार ने विदेशी मुद्रा आय उपार्जनों को बढ़ाने, नये बाजारों में भारतीय उत्पादों व विनिर्माणों को प्रवेश दिलाने तथा नये विपणन चैनल का विकास करने के उद्देश्य से पूंजीगत माल के आयातों और बल्क आयातों के साथ निर्यात संबंध बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। चूंकि यह नीति अभी हाल ही में प्रभावशाली ढंग से प्रचालन में आई है, इसलिए इसके प्रचालन की अड़चनों का मूल्यांकन करना कुछ जल्दी होगा।

कोंकण के जिलों में पावरलूम कारखाने

*12. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में कपड़ा उद्योग में लंबी हड़ताल के बाद काफी संख्या में विस्थापित कपड़ा मजदूर महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिन्धुदुर्ग और रत्नगिरि जिलों में चले गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार वहां पर गये मजदूरों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ग) क्या बम्बई से आये कपड़ा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोंकण क्षेत्र के इन जिलों में केन्द्रीय सरकार की सहायता से पावरलूम कारखाने स्थापित करने के बारे में कोई प्रयास किये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) ऐसा सूचित किया गया है कि बम्बई में गत लम्बी अवधि की हड़ताल के दौरान अनेक वस्त्र कामगार महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र सहित अपने जन्म स्थानों को लौट गये हैं। तथापि, ऐसे विस्थापित वस्त्र कामगारों की संख्या के सही अनुमान की सूचना देना संभव नहीं है जो कोंकण क्षेत्र में लौट गये हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार को ऐसे विद्युतकरघा एककों को स्थापित करने में सहायता देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

काली सूची में शामिल कंपनियों के मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए समिति का गठन

*13. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली सूची में शामिल करीब 20 कम्पनियों के मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो काली सूची में दर्ज इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके नाम काली सूची में रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मामलों की पुनरीक्षा करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) जो कम्पनियां जानबूझकर तथा निरन्तर करों की पर्याप्त राशि की अदायगी करने में चूक करती है वे ऐसी चूक के आधार पर कम तरजीही व्यवहार प्राप्त करती हैं। सचिवों की एक समिति द्वारा इस सूची की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। इस सूची में प्रायः परिवर्तन होते रहते हैं क्योंकि कतिपय कम्पनियां जो देय राशियों की अदायगी कर देती हैं उनके नाम सूची से हटा दिए जाते हैं जबकि कुछेक अन्य कम्पनियों के नाम, जिनकी संचय-बकाया राशियां 5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा पार कर जाती हैं अथवा जिन्होंने संबंधित अवधि के लिए कर के 5 प्रतिशत की अदायगी कर दी हो, दोनों में से जो भी अधिक हो, इस सूची में दर्ज कर लिये जाते है।

लीड बैंक योजना के संबंध में कार्यदल की रिपोर्ट

*14. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री लीड बैंक योजना संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के बारे में 25 फरवरी, 1987 के अतारांकित प्रश्न सं० 450 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीड बैंक योजना संबंधी कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसे सरकार को प्रस्तुत कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या-क्या प्रमुख सिफारिशें की गयी हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है,

(ग) इस निर्णय को किस तारिख तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा यह रिपोर्ट किस तारीख तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) कार्यकारी दल ने क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन करना और स्थानीय स्तर पर मुद्दों पर विचार-विमर्श करना आवश्यक समझा। इसमें कुछ समय लग गया। दल ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है और निकट भविष्य में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश किए जाने को प्रोत्साहन

*15. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश के लिए आकर्षित करने हेतु अधिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार सभी चालू योजनाओं की यह पता लगाने के लिए पुनरीक्षा कर रही है कि उनमें क्या-क्या सुधार किये जा सकते हैं ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ग) अनिवासी भारतीय निवेश योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है उपयुक्त संशोधन कर दिए जाते हैं ।

कर्नाटक में सूखा पीड़ित व्यक्तियों को सहायता के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों की योजनाएं

*16. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कुछ योजनाएं तैयार की गयी हैं और उन्हें लागू किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की गयी है कि उन्होंने सूखा/बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को किस प्रकार की सहायता दी है, और कितनी सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन रिपोर्टों के मूल्यांकन के क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक सहित सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों को दूसरा बुआई अथवा वैकल्पिक फसलें, अल्पावधिक फसल, चारा आदि उगाने अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदलने, बीजों के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान करने, यदि फसल काफी नष्ट हो गई हो तो उस हालत में निवेश ऋण का पुनर्निर्धारण करने, लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए शीघ्रता से ऋण मंजूर करने तथा छोटे और सीमांतिक किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों को 500 रुपए तक के उपभोग ऋण देने और उचित दर की दुकानें शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के नाम विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए हैं ।

3 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों में बैंकों से 2 वर्ष के लिए या अगले सामान्य वर्ष तक, यदि वह पहले हो, देय रकमों की वसूली स्थगित करने के लिए कहा गया है । बैंकों को इन मामलों में दण्डात्मक ब्याज वसूल न करने तथा देय ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में न बदलने के लिए भी अनुदेश दिए गए हैं । बैंक 3 या उससे अधिक बार लगातार सूखे से पीड़ित किसानों के मामले में और उन किसानों के मामलों में जिनके ऋणों को परिवर्तित/पुनर्निर्धारण कर दिया गया है, 5000 रुपये तक के अल्पावधिक सावधि ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज लेंगे ।

समूचे देश के लिए अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 299094 हिताधिकारियों को 206.77 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है । इसके अलावा, 177845 ऋण खातों के मामले में 102.21 करोड़ रुपये के अल्पावधिक ऋण मध्यावधिक ऋणों में बदल दिए गए हैं और ऋण परिशोधन का पुनर्निर्धारण किया गया है ।

रक्षा सामग्री के उत्पादन कार्य का गैर-सरकारीकरण

*17. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा सामग्री के उत्पादन कार्य का पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप से गैर-सरकारीकरण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या रक्षा सामग्री के उत्पादन के क्षेत्र में गैर-सरकारीकरण के लिए कोई कदम उठाये गये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी गैर-सरकारी उद्यम द्वारा बनाए गये तोप के गोलों का परीक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो इन परीक्षणों के क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी नहीं। किसी रक्षा उत्पादन यूनिट का गैर-सरकारीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आयुध निर्माणियों द्वारा अपने संसाधनों का अत्याधुनिक और उच्च प्रौद्योगिकी रक्षा उपस्करों के उत्पादन में अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए कम प्रौद्योगिकी और कम महत्व वाली मदों का उत्पादन देश में उपलब्ध क्षमता के अनुसार सिविल क्षेत्र (सरकारी तथा निजी) को सौंपा जा रहा है।

(ग) और (घ) 105 मिलीमीटर तोप के गोलों के लिए शेल-फोर्जिंग निजी क्षेत्र के तीन स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। इन तीन फर्मों द्वारा शेल-फिर्जिगो के प्रस्तुत प्रथम नमूनों का सभी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण किया गया और उन्हें स्वीकार करने योग्य पाये जाने पर ही उनका थोक उत्पादन करने के लिए मंजूरी दी गई।

जापान से रियायती ऋण

*18. **श्री महेन्द्र सिंह :**

श्री पी० एम० सईद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भारत में व्यापक सूखे की स्थिति को देखते हुए भारत के भुगतान संतुलन पर बोझ कम करने के लिए अब तक 29.5 अरब येन (270 करोड़ रुपये) का रियायती ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की राशि का किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जायेगा; और

(ग) यह ऋण किस योजना के अन्तर्गत मंजूर किया गया है और वे विशेष वस्तुएं कौन-कौन सी हैं जिन्हें भारत का आयात करने का विचार है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (नारायण दत्त तिवारी) (क) जापान सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह भारत को सूखे की स्थिति में किए जाने वाले राहत कार्यों और आर्थिक पुनरूद्धार के लिए सहायता पहुंचाने के विचार से 29.5 अरब जापानी येन (लगभग 270 करोड़ रुपये) ऋण देने के लिए सहमत हो जाएगी।

(ख) और (ग) : इस ऋण को ऐसी वस्तुओं के आयात से संबंधित अदायगियों की पूर्ति किए जाने के लिए उपबन्ध किया जायेगा, जो कि दोनों देशों के बीच सहमति से तय की जाएगी। ऋण करार के संबंध में अभी बातचीत होनी बाकी है और इस निष्पन्न किया जाना शेष है। इस ऋण का प्रस्ताव जापान की समुद्रपारीय आर्थिक सहयोग निधि की मार्फत किया गया है।

लौह-अयस्क उद्योग को निर्यात प्रधान एकक का दर्जा

*19. **श्री हरिहर सोरन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क निर्यातकों ने लौह अयस्क उद्योग को शत-प्रतिशत निर्यात प्रधान एकक का दर्जा दिये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (क) खनन एवं उद्योग में जो कि कतिपय क्षेत्रों में पूर्णतः निर्यात अभिमुख है, अधिक लागत को देखते हुए लौह अयस्क निर्यातकों, मुख्यतः गोवा के निर्यातकों ने लौह अयस्क उद्योग को 100% निर्यात अभिमुख एकक (ई०ओ०यू०) का दर्जा दिया जाने का अनुरोध किया है। सरकार ने खनन क्षेत्र के लिए 100% निर्यात अभिमुख एकक योजना संबंधी लाभ पहुंचाने का विनिश्चिय किया है। इसमें मौजूदा योजना के अधीन शर्तों पर लौह अयस्क भी शामिल हैं।

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा सोना जब्त किया जाना

*20. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने 79 लाख रुपये का सोना जब्त किया है, जैसकि 17 अक्तूबर, 1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स", में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) एक सूचना के अनुसरण में, 15 अक्तूबर, 1987 को राजस्व आसूचना निदेशालय, नई दिल्ली के अधिकारियों ने सर्वश्री सतपाल भण्डारी और उसके पुत्र रवीन्द्र कुमार भण्डारी के द्वारा डेरा वाला नगर स्थित आवासीय परिसर और 56, स्टेट बैंक कालोनी, जी० टी० रोड, दिल्ली स्थित एक अन्य परिसर की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान, हीरालाल नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, जो श्री सतपाल भण्डारी के बारे में पूछने के लिए अपनी मारूति कार से इस परिसर में आया था। श्री हीरालाल ने यह स्वीकार किया कि वह श्री सतपाल भण्डारी को डिलीवर करने के लिए सोना अपनी कार में लाया है। कार की जांच करने पर, कार में एक गुप्त खोल से लगभग 79 लाख रु० मूल्य के दस-दस तोले के विदेशी मार्के के 220 स्वर्ण बिस्कुट बरामद किये गये थे। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सोना और 85,000 मूल्य की मारूति कार का अभिग्रहण कर लिया गया था। भण्डारी के परिसर की तलाशी के परिणामतः 11 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई और उसका अभिग्रहण कर लिया गया। सर्वश्री सतपाल भण्डारी, रवीन्द्र कुमार और हीरा लाल को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को सुविधाएं

1. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों/अधिकारियों को मिलने वाले भत्ते/सुविधाएं एक समान हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो असमानताओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17 (1) के अनुसार आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों सहित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते आन्ध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों के समकक्ष श्रेणी के पदों के लिए उपलब्ध वेतन और भत्तों के अनुसार निर्धारित किये जाते है । वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से राज्यों में विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए जा रहे वेतन और भत्तों के बारे में सही सूचना प्राप्त नहीं होती है । अलबत्ता, जब कभी सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जानकारी में विसंगतियां लाई जाती हैं तो उनकी जांच की जाती हैं और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां उपचारात्मक कारवाई की जाती है ।

मूल्यों में वृद्धि

2. **श्री एस. एम. गुरड्डी** :

श्री हरीश रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों में वस्तुओं की कीमतों में समग्र रूप से असाधारण और नियमित वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि अगस्त-सितम्बर और अक्तूबर तक भी जारी रही;

(ग) मूल्य में इस अत्यधिक वृद्धि के मुख्य कारण क्या है; और

(घ) मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ।

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) (क) और (ख) अप्रैल के बाद से चालू वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष के दौरान समस्त वस्तुओं के अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1970-71=100) में मासिक घट-बढ़ संबंधी अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:—

मास/वर्ष	थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत घट-बढ़	
	1986	1987
अप्रैल	1.0	0.8
मई	1.5	2.4
जून	1·2	0.9
जुलाई	1.4	1.6
अगस्त	0.9	1.7
सितम्बर@	नगण्य	कोई परिवर्तन नहीं

सप्ताहों का औसत

@ नवीनतम उपलब्ध

(ग) और (घ) वर्ष में इस समय मूल्यों पर पड़ने वाला सामान्य मौसमी दबाव सूखे की स्थिति के कारण और बढ़ गया है।

सरकार की मुद्रा स्फीति निरोधी नीति में, सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को खाद्यान्न के अतिरिक्त भंडारों का आबंटन करना, चीनी, खाद्य तेलों, दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं की देशीय उपलब्धता में वृद्धि करना तथा प्रणाली से नकदी बाहुल्य को समेटने जैसे प्रभावी मांग और पूर्ति प्रबंध शामिल हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी है कि वे मुनाफाखोरी, जमाखोरी और काला-बाजारी में लगे व्यापारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें।

पारादीप पत्तन से निर्यात किया गया लौह अयस्क

3. **श्री चिन्तामणि जैन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उड़ीसा में पारादीप पत्तन से लौह अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ख) लौह अयस्क का निर्यात किस एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है;

(ग) क्या उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन ने लौह अयस्क का सीधा निर्यात करने की अनुमति दिये जाने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) पिछले 3 वर्ष के दौरान पारादीप पत्तन के रास्ते उड़ीसा से लोह अयस्क के निर्यात इस प्रकार रहे :—

(मात्रा मिलियन मे० टन में)

वर्ष	मात्रा
1984-85	1.607
1985-86	1.870
1986-87	2.079

(ख) गोवा मूल की लोह अयस्क को छोड़ कर, लोह अयस्क का निर्यात केवल भारतीय खनिज व्यापार निगम लि० द्वारा ही सारणीबद्ध है, जिसका निर्यात कतिपय स्वीकार्य गन्तव्यों को गोवा के निर्यातक सीधे रूप से किये जाने की अनुमति भी है। लोह अयस्क सान्द्र तथा पैलेट्स का निर्यात केवल कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० द्वारा ही सारणीबद्ध है।

(ग) तथा (घ) हाल ही में उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन ने केन्द्र सरकार के साथ लोह अयस्क के सीधे निर्यात की अनुमति के बारे में कोई बात चीत नहीं की है। तथापि, 1983 में उड़ीसा से प्राप्त लोह अयस्क के निर्यात के लिए उनके अनुरोध पर उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन को निर्यात के लिए सीधे आर्डर प्राप्त करने तथा इसके द्वारा उन्हें पूरा करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

पश्चिम बंगाल में करेंसी नोट छापने वाले मुद्रणालय की स्थिति

4. **श्री मानिक साल्याल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में करेंसी नोट छापने वाले प्रस्तावित मुद्रणालय की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ख) निवेश संबंधी निर्णय के अनुमोदन की तारीख से परियोजना को पूरा करने में लगभग 48 महीने लगेंगे।

'पोलिस्टर फाइबर' तथा 'फिलामेंट यार्न' का निर्यात

6. **श्री आर० एम० भोये** :

श्री परसराम भारद्वाज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पोलिस्टर फाइबर तथा तन्तु सूत के निर्यात के लिए मूल्य वर्द्धित सिद्धांत आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सरकार ने पोलिस्टर फाइबर और फिलामेंट यार्न के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है। 1985-88 की आयात-निर्यात नीति के परिशिष्ट 19 में निर्धारित अन्य शर्तों तथा मूल्य वर्धित मानदण्ड की पूर्ति के अधीन पोलिस्टर फाइबर। फिलामेंट निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस भी प्रदान किया जा सकता है।

सोवियत संघ द्वारा भारतीय उपकरणों की खरीद

7. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ अपने तेल क्षेत्र के लिए भारतीय उपकरणों तथा रसायनों को खरीदने के लिए तैयार हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) तथा (ख) अपने तेल क्षेत्र के लिए सोवियत संघ ने भारतीय उपस्कर तथा रसायन आदि की खरीद में अपनी इच्छा प्रकट की है। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए सितम्बर 1987 में एक भारतीय सरकार-सह-उद्योग प्रतिनिधि मण्डल ने सोवियत संघ का दौरा किया। इस दौरे के परिणामस्वरूप, भारतीय तथा सोवियत संगठनों के बीच व्यापारिक बातचीत प्रारम्भ हुई है तथा हम आशा कर सकते हैं कि इनके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।

पेंसलीन का आयात

8. **श्री दौलत सिंहजी जदेजा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंसलीन-जी और पेंसलीन-बी के आयात की अनुमति देने के संबंध में सरकार की अलग-अलग नीति क्या है;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान आयात लाइसेंस जारी करने संबंधी मार्ग-निदेशों का उल्लंघन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) आयात नीति 1985-88 के अन्तर्गत, अनिवार्यता तथा देशी क्लियरेंस के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत पूरक आयात लाइसेंस के तहत पैंसलीन-जी/बी के आयात की अनुमति है।

चूंकि पेंसलीन-जी देश में ही उपलब्ध है, इस लिए इसका आयात घरेलू उत्पादकों से वापस लेने से संबद्ध करने की आवश्यकता है।

इस समय पेंसलीन-बी का उत्पादन देश में नहीं होता है। परिणामस्वरूप इसके आयात की अनुमति दी जा रही है जिससे कि निर्माता पेंसलीन-बी का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर सकें न कि पेंसलीन-जी का। चूंकि पेंसलीन-जी देश में ही उपलब्ध है इस लिए कच्चे माल के रूप में पेंसलीन-जी के बदले पेंसलीन-बी को प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नई आर्थिक नीति की समीक्षा

9. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी नई आर्थिक नीति की कोई समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार-चढ़ाव की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और उभरती हुई प्रवृत्तियों के आलोक में आर्थिक नीति में यथा-आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। वर्तमान सूखे को ध्यान में रखते हुए, उदाहरण के लिए व्यय में बचत, प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत की व्यवस्था करने और मुद्रास्फति के नियंत्रण पर अधिक बल दिया जा रहा है।

उत्पाद शुल्क को युक्तिसंगत बनाना

10. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक वस्तुओं के संबंध में उत्पाद शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाया है; और

(ख) यदि हां, संशोधित दरों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न प्रभावित मदों की नई दरें इस प्रकार हैं :—

विवरण	दरें
(1) क्लॉक युक्त रेडियो (ट्रांजिस्टर सेटों सहित)	मूल्यानुसार बीस प्रतिशत
(2) 15 सेंटीमीटर से अनधिक आकार वाली स्क्रीन के ब्राडकास्ट टेलीविजन रिसीवर सेट (मोनो-सेट क्रोम)	प्रति सेट 200.00 रुपए
(3) निम्नोक्त संयोजन वाले 15 सें० मी० से अनधिक आकार वाली स्क्रीन के ब्राडकास्ट टेलीविजन रिसीवर सेट (मोनो-क्रोम)	
(I) क्लॉक	प्रति सेट 200.00 रुपए
(II) रेडियो, क्लॉक सहित अथवा क्लॉक के बिना	प्रति सेट 250.00 रुपए
(III) कैसेट रिकार्डर/प्लेयर, क्लॉक सहित अथवा बिना क्लॉक के।	प्रति सेट 300.00 रुपये
(IV) कैसेट रिकार्डर/प्लेयर और रेडियो, क्लॉक सहित अथवा बिना क्लॉक के।	प्रति सेट 350.00 रुपए

विवरण	दरें
(4) क्लॉक सहित अथवा उसके बिना रेडियो युक्त 15 सें० मी० से अधिक लेकिन 36 सें० मी० से अनधिक आकार वाली स्क्रीन के ब्राडकास्ट टेलीविजन रिसीवर सेट (मोनोक्रोम)	शून्य
(5) निम्नोक्त संयोजन वाले 36 सें० मी० से अधिक आकार वाली स्क्रीन ब्राडकास्ट टेलीविजन रिसीवर सेट (मोनोक्रोम)-	
(I) क्लॉक	प्रति सेट 300.00 रुपए
(II) रेडियो, क्लॉक सहित अथवा क्लॉक के बिना	प्रति सेट 350.00 रुपए

गुजरात में ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

11. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ग्रामीण बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि के ऋण दिए गए,

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात में व्यक्तियों, कृषकों और अन्यों को भी वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने में ग्रामीण बैंकों का बहुत असन्तोषजनक कार्य निष्पादन रहा है,

(ग) यदि हाँ, तो इन बैंकों की दक्षता में सुधार लाने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन बैंकों को जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पूछी गयी सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गयी है:—

तालिका

दिसम्बर को समाप्त वर्ष	ऋण खातों की संख्या	ऋणों की राशि (लाख रुपए)
1984	35780	762.87
1985	53549	1234.81
1986	81602	1977.83

(ख) से (घ) उपयुक्त ऋणों में दिसम्बर, 1984, 1985 और 1986 के अन्त में कृषि अग्रिमों की राशि क्रमशः 492 लाख रुपए, 839 लाख रुपए तथा 1419 लाख रुपए थी। गुजरात के 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में बकाया ऋणों तथा लाभार्थियों की संख्या में वार्षिक वृद्धि की दर अखिल भारत वृद्धि की तुलना में अधिक है। अलबत्ता, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तिमाही आधार पर अलग-अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रगति पर नजर रखता है तथा उनके कार्यकरण में पायी गयी त्रुटियों को दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कदम उठाने के वास्ते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपयुक्त सलाह देता है।

[हिन्दी]

आयकर सम्बन्धी छापे

12. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान आयकर अधिकारियों द्वारा देश में कितने स्थानों पर छापे मारे गये हैं;

(ख) इन छापों के परिणामस्वरूप पकड़ी गई सम्पत्तियों का ब्योरा क्या है और अब तक कितने व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मामले दायर किये गये हैं; और

(ग) शेष दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने 1.4.1987 से 30.9.1987 के दौरान 4267 तलाशियां लीं जिनके परिणाम स्वरूप प्रथतदृष्ट्या, नकदी, जवाहिरात आदि जैसी 49.89 करोड़ रुपये की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई।

पिछले छः महीनों के दौरान ली गई तलाशियों के परिणामतः अभियोजन कार्रवाई के लिए अभी तक अदालतों में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामान्यतः कर निर्धारण कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद और प्रथम अपील में उन पर निर्णय हो जाने के बाद मामले अभियोजन के लिए दायर किए जाते हैं। उन मामलों में भी अभियोजन कार्रवाई आरम्भ नहीं की जाती है जहां करदाता तलाशी के दौरान अपने बयान में लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियों का मूल्य कराधान के लिए स्वीकार कर लेता है। उपर्युक्त छः मास के दौरान इस प्रकार अभ्यर्पित राशि 32.61 करोड़ रुपए थी।

[अनुवाद]

मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाजों को कर से छूट

13. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाले विदेशी चार्टर्ड जहाजों की उनके मंत्रालय ने करों में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है;

(ख) मछली पकड़ने वाले चार्टर्ड जहाजों से वर्ष 1986-87 में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या मछली पकड़ने वाले भारतीय जहाजों को भी इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं। तथापि, आयकर अधिनियम के उपबंध भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों में मछली पकड़ने के कार्यों के संबंध में लागू नहीं होते है, इसलिए इन क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाले विदेशी चार्टर्ड जहाजों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कोई कर नहीं लगाया जा सकता हैं।

(ख) डालर 12,92,600

(ग) जी, नहीं।

(घ) भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय जहाजों से हुई आय पर उस अन्य आय के समान ही कर लगाया जाएगा जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत अन्यथा छूट प्राप्त नहीं है। आयकर अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत किसी भारतीय फर्म की सार्वत्रिक आय कराधेय है। तथापि, आयकर अधिनियम की धारा 80 जजम के अन्तर्गत निर्यात कारोबार से होने वाले लाभों के संबंध में भारतीय उद्यम कटौती के लिए हकदार होंगे।

वस्त्र निर्यात निगम

14. श्री मुरलीधर माने : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वस्त्रों का निर्यात करने के लिये किसी निगम की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की चिकित्सा बीमा योजना

15. श्री शांति धारीवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चिकित्सा बीमा के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की एक बीमा योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कंपनी की इस योजना के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) "मेडिक्लेम" नामक एक चिकित्सा बीमा योजना देश भर में 3-11-86 से पहले ही शुरू की जा चुकी है और इसे नेशनल

इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सहित भारतीय साधारण बीमा निगम की चार सहायक कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

परिपक्व पालिसियों के भुगतान में जीवन बीमा निगम द्वारा विलम्ब

17. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या परिपक्व पालिसियों का जीवन बीमा निगम द्वारा समय पर भुगतान न किए जाने के कारण पालिसीधारकों को असुविधा तथा अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो शीघ्र भुगतान करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में, बस्ती जिले में ऐसे विशिष्ट मामलों की संख्या कितनी है जिनमें भुगतान नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) जी, नहीं। जीवन बीमा निगम परिपक्वता दावों को परिपक्वता तारीखों पर या उनसे पूर्व निपटाने के लिए भरसक प्रयास करता है।

(ग) उत्तर प्रदेश और बस्ती जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान अदायगी के लिए बकाया पड़े परिपक्व दावों की संख्या निम्नानुसार है :—

निम्नलिखित तारीख को	उत्तर प्रदेश में	बस्ती जिले में
31-3-1985	5910	54
31-3-1986	5973	29
31-3-1986	5189	82

ये दावे निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से बकाया पड़े थे :—

I. पालिसीधारकों से बुनियादी अपेक्षाओं, अर्थात् मूल पालिसी कागजात, भरे हुए डिस्चार्ज वाऊचर, दावा प्रपत्र आदि का प्राप्त न होना।

II. रिकार्ड में दर्ज पते पर पालिसीधारकों का उपलब्ध न होना।

III. मूल पालिसी कागजात के गुम हो जाने पर क्षतिपूर्ति बांड के प्रस्तुतीकरण में देरी।

IV. पालिसी रकम के लिए कानूनी हकदारी प्रस्तुत करने में देरी।

V. जहां कहीं आवश्यक हो, विनियम नियंत्रण प्राधिकारियों से मंजूरी।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कपड़ा मिलों को अपने अधिकार में लेना

18. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा किन सूती कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया गया था;

(ख) तकलियों करघों के रूप में उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) कपड़ा उत्पादन तथा प्रमुख किस्म के कपड़ा मिलों के उत्पादन में इनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) किन शर्तों के अधीन इनके प्रबन्ध को हाथ में लिया गया है;

(ङ) क्या बाद में कोई अन्य मिलें बन्द हुई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (च) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान किसी भी कपड़ा मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं लिया है । राज्य सरकारों द्वारा प्रबन्ध के अधिग्रहण के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

फलों और सब्जियों का निर्यात

19. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकद प्रतिपूर्ति सहायता योजना अधिक मदों पर लागू की जायेगी;

(ख) क्या सरकार का विचार ताजे फलों, अनाज, सब्जियों और संसाधित तथा प्रशीतित खाद्य पदार्थों का देश में इनकी कमी और ऊंचे मूल्यों के बावजूद निर्यात जारी रखने का है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मदों का मद-वार कितना निर्यात किया गया और वर्ष-वार इनसे कितनी आय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) नकद मुआवजा सहायता उन सभी निर्यात मदों को दी जा सकती है जहां योजना के प्राचल के भीतर इस सुविधा की अनुमति के औचित्य के लिए पर्याप्य तथा प्रतिनिधिक लागत आंकड़े प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

(ख) ताजा फलों व सब्जियों तथा संसाधित खाद्यों के निर्यात के स्तर, घरेलू उत्पादन तथा खपत के चालू स्तरों की तुलना में कम होने को ध्यान में रखते हुए इन मदों के निर्यात पर मौजूदा नीति को जारी रखने का प्रस्ताव है । गेहूं और गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए अनुमति केवल सीमित उच्चतम सीमा तक ही दी गई है जो कि घरेलू उत्पादन की अपेक्षा मामूली मात्राओं का द्योतक है ।

(ग) इन मदों के निर्यात संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं ।

विवरण

मूल्य लाख रु० में

	1984-85	1985-86+	1986-87+
1. ताजा आम	1412	1637	1200
2. अन्य ताजा फल	867	793	1300
3. ताजा सब्जियां	2088	1651	1960
4. फलों का रस व डिब्बा बंद तथा बोतल में बंद फल	4495	4989	3934
5. डिब्बा बंद सब्जियां	115	158	172
6. निर्जलित सब्जियां	333	137	167
7. आचार व चटनी	544	544	620
8. गेहूं	1109	5549	7481
9. बासमती चावल	12168	17323	20678
10. गैर-बासमती चावल	शून्य	शून्य	132

+अनन्तिम

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक योजना समाप्त करना

20. श्री विजय कुमार यादव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक योजना समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिक्री कर की दरों का निर्धारण

21. चौधरी अख्तर हसन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में बिक्री कर की दरों के आकलन और निर्धारण के विषय पर मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना से इस समस्या को हल करने में मदद मिलेगी क्योंकि दिल्ली के आस-पास के कस्बे इसका अंग बन जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) संविधान के अनुसार बिक्री कर राज्य-कराधान का एक विषय है। विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भिन्न-भिन्न दरों पर बिक्री कर लगाने तथा इसके निर्धारण, उगाहने तथा संग्रहण के लिए भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएं अपनाने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक की बंगलौर शाखा के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

22. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक की बंगलौर शाखा के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कितने दिन हड़ताल पर रहे;

(ख) उनकी हड़ताल के क्या कारण थे;

(ग) क्या उनकी मांगों पर फैसला कर लिया गया है;

(घ) क्या इस लम्बी हड़ताल के कारण जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा है; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में जनता को परेशानी से बचाने के लिए इस संबंध में क्या कार्यवाही की है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) तीसरी श्रेणी के कुछ कर्मचारियों की अनुशासनहीनता और उनके अवज्ञाकारी बर्ताव की घटना के बाद तीसरी श्रेणी के तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया था और पुलिस अधिकारियों के पास रिपोर्ट दर्ज करवा दी गयी थी। निलम्बन को रद्द करने और पुलिस मामलों को वापस लेने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए और भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ की मांग के परिणाम स्वरूप तीसरी श्रेणी के कर्मचारी 21 अगस्त, 1987 से 30 सितम्बर, 1987 तक 41 दिन के लिए हड़ताल पर रहे। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने भी उनके समर्थन में 13 दिन तक की हड़ताल रखी।

(ग) से (च) मुख्य श्रम आयुक्त के हस्तक्षेप से बैंक प्रबंधक और अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ के बीच एक समझौता हो गया। जिसके अनुसार संघ ने हड़ताल वापस लेना मान लिया था और प्रबंधन ने संघ को यह आश्वासन दिया कि मात्र हड़ताल में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जायेगा। लेकिन प्रबंधन दोषी कर्मचारियों के निलम्बन को रद्द करने पर सहमत नहीं हुआ लेकिन सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जांच करने पर सहमत हो गया।

(छ) हड़ताल की अवधि के दौरान कुछ कर्मचारियों की सहायता से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बंगलौर में अनिवार्य सार्वजनिक सेवाएं बनाये रखी गयीं। समाशोधन गृहों में भी सामान्य रूप से काम होता रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि सभी सरकारी भुगतान किया गया और हड़ताल की अवधि के दौरान जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। भविष्य में भी सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का यह प्रयास रहेगा कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

23. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास बैंक ने पूंजीगत माल उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत आधुनिकीकरण के लिए संघटकों और उपकरणों के आयात हेतु सीमा शुल्क की रियायती दरों पर सहमति हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से पूंजीगत माल उद्योग ऐसी रियायती दरों के पात्र हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की प्रौद्योगिकी कोटि-उन्नयन स्कीम में अन्य बातों के साथ-सान चुनिन्दा पूंजीगत माल उद्योगों के प्रौद्योगिकी कोटि-उन्नयन के लिए पूंजी उपकरणों की विनिर्दिष्ट सूची में दिए गए उपकरणों के आयात के लिए शुल्क की रिआयती दर के जरिए राजस्व संबंधी राहत देना शामिल है।

(ख) दिनांक 17 सितम्बर, 1987 की अधिसूचना सं० 317/89 सीमा शुल्क के अनुसार जो पूंजीगत माल उद्योग 35% मूल्यानुसार की रिआयतीदर के लिए योग्य ठहरते हैं, वे निम्नानुसार हैं :—

(i) इलैक्ट्रिक-मशीनरी, जिसमें इलैक्ट्रिक मोटरें, ट्रांसफार्मर्ज, सर्किट ब्रेकर्ज और ए० सी० ड्राइवज शामिल हैं।

(ii) विद्युत उत्पादन उपकरण जिनमें बायलर, टर्बाइन, जनित्र और उनके सहायक जैसे संधारित्र, उष्मा विनयमक, कोयला मिल, स्थिर विद्युत अवक्षेवित्र, एक्साइटर और यंत्रीकरण तथा नियंत्रण प्रद्धतियां समाविष्ट है।

(iii) फैरयस कास्टिंग्ज और स्टील फोरजिंग्स।

(iv) मशीन टूल्ज

(v) निम्नलिखित चुनिन्दा औद्योगिक मशीनरी

(1) धातु कर्मीय मशीनरी

(2) खनन मशीनरी

(3) चुनिन्दा रासायनिक मशीनरी

(4) चीनी मिल मशीनरी

(5) रबर मशीनरी

(6) खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी।

स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन

24. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहरात और आभूषण के निर्यातकों ने आगामी तीन वर्षों में आभूषणों के निर्यात को दुगना करने के लिए स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में संशोधम करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) अगले तीन वर्षों में रत्न तथा जेवर-जवाहिरात के निर्यात को दुगना किए जाने के लिए स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में किसी भी प्रकार की ढील दिए जाने के बारे में रत्न तथा जेवर-जवाहिरात व्यापारियों से कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

अवैध मद्य निर्माणशालाओं का पता लगाना

25. **डा० गौरी शंकर राजहंस** :

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में देश के विभिन्न भागों में भारी संख्या में अवैध मद्य निर्माणशालाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों के दौरान मारे गये इस प्रकार के छापों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) : चूंकि इस प्रश्न की विषय-वस्तु राज्य सूची से सम्बन्धित है, इसलिए भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है।

उड़ीसा में रेशम कीट पालन परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव

26. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में रेशम कीट पालन परियोजना की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेशम कीट पालन परियोजना कहां स्थापित की जायेगी;

(ग) इस रेशम-कीट पालन परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी होगी; और

(घ) इस परियोजना के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) 1986-87 में उड़ीसा के गंजम जिले में 4.27 करोड़ रु० के परिव्यय से 4 वर्ष की अवधि के लिए एक गहन शहतूत रेशम विकास परियोजना क्रियान्वित करने की मंजूरी दे दी गई है, इसमें उड़ीसा सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वित्तीय संस्थाओं, नाबार्ड का वित्तीय सहयोग प्राप्त है। परियोजना में कार्यों का 1.8 लाख किग्रा बढ़ा हुआ उत्पादन की व्यवस्था है जिसके परिणाम स्वरूप कच्चे रेशम का 17 मे० टन का अधिक उत्पादन होगा।

बिहार में बैंकों की शाखाएं खोलना

27. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नयी शाखाएं खोलने के लिए एक लाइसेंस नीति निर्धारित की है;

(ख) क्या इस नीति में बैंक सुविधा रहित क्षेत्रों में बैंक सुविधाएं प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार का गया जिले (बिहार) के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति पूरे देश के लिए बनाई गई है। यह नीति बिहार राज्य समेत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में 17,000 की जनसंख्या के पीछे और प्रत्येक गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर कम से कम एक बैंक कार्यालय खोलकर स्थानिक दूरियों को कम करना है। संभावित विकास केन्द्रों का पता लगाने का काम अग्रणी बैंकों/राज्य सरकारों को सौंपा गया था। बिहार राज्य सरकार ने, गया जिले में बैंक शाखाएं खोलने के वास्ते, भारतीय रिजर्व बैंक को पता लगाये गये 49 केन्द्रों की सूची भेजी थी। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी सूचना अधूरी थी, अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने, बिहार सरकार को, नीति के मार्ग-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित सूचना तथा पता लगाये गये केन्द्रों की सूची भेजने के लिए कहा है। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पात्र केन्द्रों के आवंटन के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

वस्त्र निर्यात के लिए खुली निविदा प्रणाली

28. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई वस्त्र निर्यात नीति के अन्तर्गत वस्त्र कोटे के लिए एक खुली निविदा प्रणाली आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नीति अधिक सम्पन्न निर्यातकों के अनुकूल है तथा छोटे निर्यातकों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत भाग लेने के लिए छोटे निर्यातकों सहित सभी निर्यातक पात्र हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जनता कपड़े पर राज सहायता में वृद्धि करना

29. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जनता कपड़े पर राजसहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार ने जनता कपड़े पर उपदान बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल के तेल का आयात

30. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान बसायुक्त अम्लों के निर्यात के पुनः पूर्ति लाइसेंसों पर कुल कितने मूल्य का नारियल तेल का आयात किया गया;

(ख) सरकार आयातित नारियल के तेल के लिए क्या मूल्य दे रही है;

(ग) आयातित नारियल तेल का किन-किन प्रयोजनाओं के लिए उपयोग किया जाता है; और

(घ) देश में नारियल के घटते हुए मूल्यों के कारण निर्धन नारियल उत्पादकों की हो रही कठिनाइयों को देखते हुए क्या सरकार का नारियल के तेल के आयात पर रोक लगाने पर विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) फेटी ऐसिड्स के निर्यात पर जारी किये गये आर० ई० पी० लाइसेंसों के आधार पर नारियल के तेल के आयात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा 1987 के दौरान नारियल के तेल का कोई आयात नहीं किया गया है।

(घ) चूंकि नियात उत्पादन के लिए फेटी ऐसिड/फेटी एमाइन्स के निर्यात के आधार पर केवल सीमित मूल्य के नारियल के तेल के आयात की अनुमति दी जाती है इसलिए आर० ई० पी० लाइसेंसों के आधार पर नारियल के तेल के आयात के निषेध करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनता कपड़े के उत्पादन और वितरण के लिए लक्ष्य निर्धारित करना

31. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान जनता कपड़े के उत्पादन और वितरण के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और यह किस सीमा तक प्राप्त हुआ है; और

(ख) वर्ष 1987-88 के लिए कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1986-87 के दौरान जनता कपड़े के उत्पादन तथा वितरण संबंधी निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि क्रमशः 500 मिलियन वर्ग मीटर तथा 460.64 मिलियन वर्ग मीटर है।

(ख) 1987-88 के लिए जनता कपड़े का कुल लक्ष्य 525 मिलियन वर्ग मीटर निर्धारित है।

ऋणों की अदायगी पर कर में छूट

32. **श्री एस० जसपाल रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहायशी आवास के निर्माण अथवा खरीद पर निर्धारिती द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि पर आय कर अधिनियम की धारा 80 (ग) के अन्तर्गत मिलने वाली प्रस्तावित छूट ऋणों की अदायगी और किस्तों के भुगतान पर भी लागू होगी;

(ख) क्या कोई निर्धारिती अपने रहने के लिए अपने संसाधनों से किसी मकान का निर्माण अथवा खरीद करने पर इस धारा 80 (ग) के अन्तर्गत कटौती कराने का अधिकारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग से राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी हां, यह छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ग (2) (ब) (ii) में निर्दिष्ट मामलों में ऋणों की अदायगी और किस्तों के भुगतान पर भी लागू होगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूई और रूई के धागों के निर्यात पर प्रतिबन्ध

33. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की रूई और रूई के धागों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या हाल ही में रूई और रूई के धागों के निर्यात के लिए और अधिक छूट और सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) क्या सरकार देश में रूई और रूई के धागों की अत्यंत कमी और उसके फलस्वरूप मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि और कामगारों में उत्पन्न संकट को देखते हुए इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध/रोक लगाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित रूई तथा रूई यार्न की मात्रा के मूल्य निम्नोक्त है :—

मद	1984-85		1985-86		1986-87	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
*रूई	1.60	58.92	4.41	99.00	@13.81	247.81
**रूई यार्न	9.06	36.42	10.86	45.37	27.93	100.97

*मात्रा लाख रु० में तथा मूल्य करोड़ रु० में।

**मात्रा मिलियन कि० ग्रा० में तथा मूल्य करोड़ रु० में।

@इसमें 1986-87 में जहाज से भेजी गई 1985-86 की फसल की 9.71 लाख गांठों की शेष गांठें शामिल हैं।

(ख) हाल ही में रूई और रूई के धागों के निर्यात के लिए कोई छूट अथवा सुविधाएं नहीं दी गई है। रूई के धागों के निर्यात के संबंध में 60 एस की मात्रा की सीमा बढ़ाकर 75 मिलियन किग्रा० कर दी गई है। सरकार ने जुलाई, 1986 में सभी काउन्टरों के रूई के धागों के निर्यात के लिए 8% की नगद मुआवजा सहायता की घोषणा की।

(ग) तथा (घ) : रूई/रूई के धागों का उत्पादन, घरेलू आवश्यकताओं तथा घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित कीमतों के स्तर को ध्यान में रखते हुए रूई/रूई के धागों क निर्यात पर समय-समय पर निर्णय होगा।

संयुक्त राज्य अमरीका को काली मिर्च का निर्यात

34. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका को काली मिर्च के निर्यात में संकट आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) काली मिर्च के निर्यात में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को काली मिर्च की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका मे भारत से काली मिर्च के आयात को संयुक्त राज्य अमरीका के खाद्य व औषध प्रशासन द्वारा स्वचालित अवरोधन के अन्तर्गत रखा गया है। इसके फलस्वरूप अब भारत से प्रत्येक लदान का एफ० डी० ए० द्वारा उसको संयुक्त राज्य अमरीका के बाजारों में रिलीज करने से पहले निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे काली मिर्च के कुछ लदानों में कुछ असंगत सामग्री पाए जाने का कथित आरोप लगाया गया है।

(ग) काली मिर्च के निर्यात में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण प्रक्रिया सख्त बनाना, पैकरों और पोर्ट ट्रस्ट अथारिटी कोचीन की गोदाम सुविधाओं में सुधार लाना तथा काली मिर्च की बेहतर प्रोसेसिंग की आवश्यकता के संबंध में उपजकर्ताओं को शिक्षित करना।

(घ) मुख्य बाजारों में पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई काली मिर्च की मात्रा को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मात्रा/मै० टन

देश	1984-85 मात्रा	1985-86 मात्रा	1986-87 मात्रा
सोवियत संघ	14893	8256	9468
संयुक्त राज्य अमरीका	1152	14039	15091
चेकोस्लोवाकिया	1048	826	866
इटली	989	1153	2220
युगोस्लाविया	976	934	883
जर्मन लोकतंत्र गणराज्य	814	1349	343
पोलण्ड	844	1300	410
हंगरी	555	—	100
कनाडा	525	937	671
रूमानिया	500	306	50
जापान	329	373	520
बुलगारिया	160	361	150
ब्रिटेन	121	441	3589
सऊदी अरब	52	438	677
अन्य देश	2364	6307	4853
योग :	25322	37520	36660

स्रोत : मसाला बोर्ड, कोचीन 1986-87 आंकड़े अनन्तिम हैं। इन आंकड़ों में 209 मै० टन सफेद मिर्च अन्य मिर्च शामिल नहीं हैं।

लघु बचत प्राप्त राशियों में कमी

35. श्री कृष्ण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 में लघु बचतों से प्राप्त होने वाली प्रतिराशि में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 25.69 प्रतिशत की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों की लघु बचत की धनराशि का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और चालू वर्ष में इनसे कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) इसमें कमी होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) गैर-सरकारी कर्मचारी भविष्य निधियों द्वारा निवेश करने की पद्धति को 1-4-1986 से संशोधित किया गया था जिसके अनुसार इन निधियों की राशियों को डाकघर सावधि जमा में निवेश नहीं किया जा सका। डाकघर सावधि जमा में निवल संग्रहों को छोड़कर अल्प बचतों के अन्तर्गत निवल संग्रह तुलनात्मक दृष्टि से इस प्रकार थे :—

1985-86	3243 करोड़ रुपये
1986-87	3822 करोड़ रुपये (अनन्तिम)

चालू वर्ष के दौरान 4200 करोड़ रुपये एकत्र होने का अनुमान है।

व्यापार बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के संयुक्त उद्यम

36. **श्री एस० एम० गुड्डी :**

श्री जी० एस० बसवराजु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक परियोजनाओं में संयुक्त सहयोग के द्वारा व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल में समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) तथा (ख) परियोजनाओं में संयुक्त सहयोग द्वारा व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल की सरकारों के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं है। तथापि सितम्बर, 1987 में काठमाण्डु में हुई अन्तः सरकारी समिति की बैठक में संयुक्त उद्यमों के संवर्धन के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया।

योजनेत्तर व्यय में वृद्धि

37. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में (जनवरी 1987 से) योजनेत्तर व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो योजनेत्तर व्यय को रोकने और मूल्य में और वृद्धि न होने देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी

38. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी में वृद्धि करने के लिए उन्हें पिछले तीन वर्षों में दी गयी धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए अधिक धनराशि अर्जित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 और 1986-87 में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की चुकता पूंजी में हर साल 400-400 करोड़ रुपये का अभिदान किया था। बैंकों ने इस योजना के अनुसार उक्त राशि का सरकार को विशेष प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया। इसी प्रकार के उपयोग के लिए चालू वर्ष के बजट में 200 करोड़ रुपये की रकम रखी गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंक अपने वार्षिक लाभों से अपना प्रारक्षित निधियां बढ़ा रहे हैं। वार्षिक लाभों पर परिचालनों की बढ़ती हुई लागत, अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश, रियायती ब्याज दरों पर उधार दी जाने वाली राशि के अनुपात में वृद्धि आदि का प्रभाव पड़ता है। लेकिन वांछित पूंजी अनुपात प्राप्त करने के लिए प्रारक्षित निधियों की ये वृद्धियां इन बैंकों में जमा राशियों की वृद्धियों के अनुरूप नहीं हैं।

वस्त्र निधि निर्यात संबंधी नई नीति

39. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात सम्बन्धी नई-नीति तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस नीति के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार ने 15 अक्तूबर, 1987 को 1 जनवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1990 तक की अवधि के लिए परिधानों के लिए निर्यात हकदारी वितरण नीति घोषित की है। नीति के मुख्य उद्देश्य हैं :—

(1) वार्षिक सीमाओं का अधिकतम उपयोग।

(2) विदेशी मुद्रा की अनुकूलतम वसूली।

(3) उपरोक्त दोनों उद्देश्यों के अनुरूप निर्यात व्यापार का क्रमिक विकास।

फ्रांस से ऋण पैकेज

40. **डा. डी० एन० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने भारत को ऐसी तीन परियोजनाओं को विदेशी मुद्रा लागत की पूरा करने के लिए 3 अरब 50 करोड़ फ्रेंक अर्थात् लगभग 700 करोड रु० का ऋण देने की पेशकश की है जिनमें फ्रांसीसी फर्म सहयोग करेंगी; और

(ख) इन परियोजनाओं के नाम क्या है और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) फ्रांस ने जम्मू और काश्मीर स्थित दुलहस्ती पन बिजली परियोजना और बंगलौर स्थित दूर-संचार परियोजना के लिए कुल मिलाकर 3.8 अरब फ्रांक की राशि की सामुच्चायिक वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है। ये पेशकशें, फ्रांस के द्वारा अन्य सहमतिपूर्वक निर्धारित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए दिए गए सामान्य प्रोतोकोल ऋणों के अलावा है।

दुलहस्ती पन बिजलीपरियोजना के संबंध में संविदा निष्पन्न किए जाने के लिए राष्ट्रीय पन बिजली निगम और सी० जी० ई० एल्सथ्रेम की अध्यक्षता में गठित फ्रांसीसी सहायता संघ के बीच वार्तालाप चल रहा है। जहाँ तक बंगलौर की ई० एस० एस० II फैक्टरी का संबंध है, निर्णय अभी लिया जाना है।

विजया बैंक द्वारा मोती नगर, दिल्ली में लगाया गया ऋण शिविर

41. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजया बैंक की मोती नगर, दिल्ली शाखा ने हाल ही में एक ऋण शिविर आयोजित किया था,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस ऋण शिविर के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें इस सारे मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने की मांग की गयी हो, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विजया बैंक ने सूचित किया है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण देने में तेजी लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों और मार्गनिर्देशों का पालन करते हुए सरकारी अभिकरणों/भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण संवितरण करने के वास्ते उसने दिनांक 2 अगस्त 1987 को मोती नगर में एक ऋण शिविर आयोजित किया था।

(ख) और (ग) विजया बैंक ने आगे सूचित किया है कि उसे ऋणों की अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। बैंक द्वारा शिकायत की जांच की गई और यह पाया गया कि ऋणों के संवितरण में कोई अनियमितता नहीं है।

व्यापार घाटा

42. **श्री विष्णु मोदी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अक्तूबर, 1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्पीज 292 करोड़ फाल इन ट्रेड डेफिसिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अप्रैल, अगस्त, 1986 की तुलना में अप्रैल-अगस्त 1987 के दौरान आयात में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार को देश के आयात को इष्टतम न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) जी हां, उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत के आयात, अप्रैल-अगस्त, 1987 में 8463.26 करोड़ रु० मूल्य के हुए जबकि अप्रैल-अगस्त, 1986 में 7492.54 करोड़ रुपये के हुए थे जोकि 13.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं।

अप्रैल-जून, 1986 की तुलना में अप्रैल-जून, 1987 में जिन उत्पाद समूहों के संबंध में जिनके वस्तु-वार आंकड़े उपलब्ध है भारत के आयातों में वृद्धि हुई है उनमें शामिल हैं खाद्य तेल, चीनी, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, धातुमय अयस्क तथा धात्विक स्केप, मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान रत्न, इलैक्ट्रिक मशीने, परिवहन उपस्कर, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, कृत्रिम रेशिक्स प्लास्टिक का सामान, व्यवसायिक तथा वैज्ञानिक नियंत्रक उपकरण आदि। देश में आवश्यक मदों की खपत निवेश तथा उत्पादन के स्तरों को सहारा देने के लिए अधिक आयात किए गए हैं।

(घ) विशेषकर बल्क आयातों के क्षेत्र में खपत आयात प्रतिस्थापन के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। और आवश्यक मदों के आयातों को प्रतिग्रहन देने के लिए भी निर्णय लिया गया है।

इलायची की कीमतों में गिरावट

43. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से इलायची के मूल्य में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरुप उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है; और

(ग) इलायची के मूल्यों में गिरावट को रोकने तथा इलायची उत्पादकों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान नीलामियों में इलायची की कीमतें निम्नोक्त अनुसार रही है;

(रु० प्रति कि० ग्रा०)

वर्ष	अखिल भारतीय नीलामी कीमत
1984-85	199.91
1985-86	132.80
1986-87	118.82

(ग) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है :

1. मसाला व्यापार निगम ने कीमतें स्थिर करने के लिए खरीददारियां की हैं ऐसी आशा है कि मसाला व्यापार निगम की खरीददारियां उपभोक्ताओं को उचित कीमतें सुनिश्चित करेंगी।

2. मसाला बोर्ड उपजकर्ताओं के हित के संरक्षण के लिए बाजार प्रवृत्ति की कड़ी मानीटरी कर कर रहा है।

3. निर्यात के लिए प्रोत्साहन प्रदान किये गये हैं जैसे नकद मुआवजा सहायता और 7 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से हवाई भाड़ा उपदान।

[हिन्दी]

सेना द्वारा भूमि अधिग्रहीत करने के लिए पिथौरागढ़, उत्तर प्रदेश के लोगों को मुआवजा

44. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1962 में चीन द्वारा भारत पर हमले के दौरान सेना ने उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में लोगों की जमीन सामान्य मुआवजा देकर अधिगृहीत कर ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि इनमें से अधिकांश व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय आर्थिक सहायता के रुप में उन्हें कुछ और अधिक धनराशि देने पर विचार कर रहा है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय ने 1962 के दौरान धारचूला, जिला पिथौरागढ़ (उ०प्र०) में कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की थी। लेकिन 142.434 एकड़ भूमि 24.2.1973 को अधिगृहीत की गई थी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मूल्यांकित 10,03 260.35 रुपये का मुआवजा संबंधित व्यक्तियों को पहले ही दिया जा चुका है। कानून के अनुसार, अधिग्रहीत के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंधित मालिकों समेत सभी व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है और जिन की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनमें से किसी को भी और वित्तीय सहायता देना संभव नहीं है।

उद्योगपतियों और फिल्मी सितारों के घरों पर छापे

45. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 से 1987 के दौरान उत्पाद-शुल्क और आयकर अपवंचन के लिए जिन उद्योगपतियों और कम्पनियों के मालिकों पर छापे मारे गए उनकी संख्या कितनी है और आयकर अपवंचन के लिए जिन फिल्मी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के घरों पर छापे मारे गए उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) उनके विरुद्ध अभियोजन के कितने मामले लंबित पड़े हैं और कितने मामलों में निर्णय सरकार के पक्ष में दिया गया और कितने मामलों में निर्णय दोषी व्यक्तियों के पक्ष में दिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गड़वी) : (क) और (ख) संभव सीमा तक सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मूगा-रेशम उत्पादन

46. **श्रीमती मीरा कुमार :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूगा-रेशम का उत्पादन करने वाले प्रमुख केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, कितनी मूगा रेशम का उत्पादन हुआ; और

(ग) स्वदेशी मांग को पूरा करने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए मूगा-रेशम का और अधिक उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) मूगा रेशम उत्पादन के मुख्य केन्द्र हैं असम और मेघालय ।

(ख)	वर्ष	उत्पादन (एम० टनों में)
	1984-85	43
	1985-86	54
	1986-87	55

(ग) रेशम उद्योग के विकास के लिए 3.85 करोड़ रु० की लागत से एक मूगा बीज विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य है योजनाबद्ध उत्पादन के लिए अवस्थापना का निर्माण और वाणिज्यिक मूगा रेशमकीट बीजों की सप्लाई करना । मूगा कीटों के विपणन के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने शिवसागर में मूगा कच्चा माल बैंक और लोअर असम और मेघालय में उराडिपो स्थापित किये हैं । शिवसागर में मूगा-धागाकरण प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है । असम में एक क्षेत्रीय मूगा अनुसंधान केन्द्र कार्यशील है जिसके असम और मिजोरम में तीन विस्तार केन्द्र हैं ।

चूंकि वर्तमान उत्पादन कम है और घरेलू मांग अधिक है, अत: मूगा रेशमी कपड़ों का निर्यात बढ़ाने की संभावनाएं सीमित हैं ।

लघु बचत के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में राज्यों का हिस्सा

47. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** . क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु बचतों से जारी किये जाने वाले ऋणों में राज्य सरकारों का हिस्सा दो तिहाई से बढ़कर तीन चौथाई किया गया है; और

(ख) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के सम्बन्ध में इस धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) निवल अल्प बचत संग्रहों में 1.4.1987 से राज्यों का हिस्सा दो तिहाई से बढ़ाकर तीन चौथाई कर दिया गया है ।

(ख) 1986-87 तथा 1987-88 (अप्रैल से अक्तूबर, 1987) के दौरान अल्प बचत निवल संग्रहों में से स्वीकृत ऋण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

विभिन्न अल्प बचत संग्रहों में से 1986-87 और 1987-88 (अक्तूबर, 1987 तक) के दौरान राज्य सरकारों को स्वीकृत ऋण

(लाख रु०)

क्रम सं० राज्य का नाम	राशि	
	1986-87	1987-88
1. आन्ध्र प्रदेश	13200	7921
2. अरुणाचल प्रदेश	—	18
3. असम	5300	3638
4. बिहार	22444	8723
5. गोवा	7560	370
6. गुजरात	27319	19502
7. हरियाणा	7500	5926
8. हिमाचल प्रदेश	3005	2464
9. जम्मू और कश्मीर	2152	2057
10. कर्नाटक	17071	5143
11. केरल	5832	3705
12. मध्य प्रदेश	9567	6248
13. महाराष्ट्र	57200	31361
14. मणिपुर	96	50
15. मेघालय	353	269
16. मिजोरम	—	24
17. नागालैंड	38	81
18. उड़ीसा	4419	2225
19. पंजाब	13955	11077
20. राजस्थान	9540	5362
21. सिक्किम	6	33
22. तमिलनाडु	12100	5239
23. त्रिपुरा	400	328
24. उत्तर प्रदेश	33396	27836
25. पश्चिम बंगाल	35055	13136
जोड़	280000	162735

[हिन्दी]

सरसों का निर्यात

48. **श्री कम्मोदीलाल जाटव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी सरसों का किन-किन देशों को निर्यात किय गया है;

(ख) इससे सरकार को कितना लाभ हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में कौन से कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) निर्यात नीति के अनुसार सरसों/रेपसीड के निर्यात की सामान्यत: अनुमति है । पिछले 3 वर्षों के दौरान 1985-86 में सोवियत संघ को 768 रु० कीमत की 120 कि० ग्रा० सरसों का थोड़ी मात्रा में निर्यात किया गया ।

[अनुवाद]

फिल्म उद्योग में बकाया आय कर

49. **श्री शांताराम नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पहले दस फिल्म कलाकारों के नाम क्या हैं, जिन पर सबसे अधिक आय कर बकाया है और प्रत्येक पर कितना-कितना बकाया है;

(ख) फिल्म कलाकारों के अलावा फिल्म उद्योग के उन पहले दस आयकर दाताओं के नाम क्या है, जिन पर सबसे अधिक आयकर बकाया है और प्रत्येक की ओर आयकर की कितनी-कितनी धनराशि बकाया है;

(ग) क्या किसी मामले में मुकदमा चलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) शीर्ष के दस फिल्म कलाकारों के नाम और 30.9.1987 की स्थिति के अनुसार उन पर बकाया आयकर की मांग विवरण-I में दी गयी है ।

(ख) फिल्मी कलाकारों से भिन्न, फिल्म उद्योग से शीर्ष के 10 आयकर दाताओं के नाम और 30-9-1987 की स्थिति के अनुसार उन पर बकाया आयकर की मांगें विवरण-II में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) जिन फिल्म कलाकारों के नाम विवरण-पत्र-I में दिए गए है उनके सम्बन्ध में मुकदमों की स्थिति निम्नलिखित अनुसार है :—

अमजद खां	—	आय छिपाना
जयाप्रदा	—	-तदैव-
रेखा गणेशन	—	आय और धन छिपाना

फिल्म कलाकारों से भिन्न जिन आय-कर दताओं के नाम विवरण-II में दिए गए हैं उनके सम्बन्ध में कोई मुकदमें दायर नहीं किए गए हैं।

विवरण-I

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	फिल्म-कलाकार का नाम	30-9-1987 की स्थिति के अनुसार बकाया मांग
1	2	3
1.	रणबीर राज कपूर	152.54
2.	राजेश खन्ना	71.09
3.	जय प्रदा	63.24
4.	जीतेन्द्र कपूर	47.01
5.	रेखा गनेशन	42.57
6.	आर० रजनीकांत	39.02
7.	अमजद खां	34.42
8.	ए० श्रीदेवी	24.62
9.	शशी राजकपूर	24.39
10.	श्रीराम लागू	22.85

विवरण-II

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	कर निर्धारिती का नाम	30-9-1987 की स्थिति के अनुसार बकाया मांग
1	2	3
1.	सुजाता फिल्मस (प्रा०) लिमिटेड	380.40
2.	प्रकाश मेहरा	184.03
3.	सनलाईट फिल्मस	179.01
4.	अरुणा इंटरनेशनल	144.45
5.	अमर नाथ कपूर	106.69

1	2	3
6.	के० आर० फिल्मस	89.92
7.	केवल सुरी	88.02
8.	सुरेश देसाई एन्ड एसोसिएट्स	75.83
9.	अकबर अली खां	67.90
10.	ओ० पी० रल्हन	52.83

सिक्किम में बैंकों की शाखाएं खोलना

50. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या **वित्त मंत्री** सिक्किम में बैंकिंग उद्योग में विकास की दर के बारे में 19 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न सं० 3759 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में बैंक शाखाएं खोलने के लिए किन-किन बैंकों को सात केन्द्र आवंटित किए गए हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक बैंक की शाखा खोलने के मामले में 31 अक्तूबर, 1987 तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत, सिक्किम में जिन बैंकों को सात केन्द्र आबंटित किए गए हैं, उनके नाम नीचे दिए गए हैं। इन बैंकों को आवश्यक लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बैंकों ने अभी तक इन केन्द्रों में अपनी शाखाएं नहीं खोली हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने, इन बैंकों से वर्तमान नीति को शेष अवधि के दौरान, आबंटित केन्द्रों में विभिन्न चरणों में शाखाएं खोलने के लिए कहा है :

केन्द्र का नाम	जिले का नाम	आबंटिती बैंक का नाम
1. फोदोंग	नार्थ सिक्किम	भारतीय स्टेट बैंक
2. दिक्चू	तदैव	तदैव
3. मझितर	ईस्ट सिक्किम	तदैव
4. पाकयोंग	तदैव	तदैव
5. रेहनाक	तदैव	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
6. लेगचिप	वैस्ट सिक्किम	तदैव
7. मंगलबारे	तदैव	तदैव

कश्मीर में ऊनी कपड़े का संवर्धन

51. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर में ऊनी कपड़े के संवर्धन के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) जम्मू तथा कश्मीर में ऊनी वस्त्रों के संवर्धन के लिए 28,212 तकुओं तथा 32 विद्युतकरघों की क्षमता के 17 आवेदन पत्र अनुमोदित किए गए हैं। ऊनी धागे/फैब्रकों की प्रोसेसिंग के लिए पुलवामा में ऐ प्रोसेस ग्रह की स्थापना के लिए जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव भी 167.37 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर अनुमोदित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में बैंक अधिकारियों के कदाचार के मामले

52. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विभिन्न बैंकों में 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1987 तक की अवधि के दौरान रिश्वतखोरी और गोलमाल के मामलों में कितने अधिकारी शामिल पाए गए और उनमें से कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कुल कितनी धनराशि का गबन, गोलमाल किया गया है और उनसे बरामद हुई धनराशि का ब्यौरा क्या है,

(ख) भ्रष्टाचार/भ्रष्ठ आचरणों के दोषी पाये गये अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, जिनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है और 31 दिसम्बर, 1987 तक सरकार को कुल कितने मामलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक गबन आपराधिक विश्वास भंग, इनाम या रिश्वत लेकर ऋण सुविधाएं देने, धोखाधड़ी से चैकों आदि की भुनाई लेखा पुस्तकों में हेर-फेर या जाली खातों के माध्यम से धोखेबाजी, संपत्ति का रूपांतरण, लापरवाही, ठगी और जालसाजी विदेशी मुद्रा के लेन-देनों में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की अन्य गतिविधियों सहित धोखाधड़ी के सभी मामलों की सूचना देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि पहली जनवरी, 1987 से 30 जून, 1987 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई भारत में हुई धोखाधड़ियों के मामलों की कुल संख्या, घटना की तारीख चाहे कुछ भी हो, नीचे दी गई हैं :—

धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्गत राशि (करोड़ रुपये में)
951	14.58

(आंकड़े अनन्तिम)

भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि घोखाधड़ी के मामलों से संबंधित आंकड़ों का समेकन करने की वर्तमान प्रणाली से राज्य-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-87 से 30-6-87 तक की अवधि के दौरान दोषी कर्मचारियों की कुल संख्या, जिनके विरुद्ध घोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त होने पर कार्रवाई की गई है, नीचे दी गई है :—

(30-6-87 तक)

	धोखाधड़ी	भ्रष्टाचर
1. घोखाधड़ी/भ्रष्टाचार के आरोप में दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	46	—
2. बड़े/छोटे दण्ड प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	370	275
3. उपर्युक्त (2) में बरखास्त/सेवा-मुक्त/निकाले गए कर्मचारियों की संख्या	137	53
4. उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लम्बित है।	882	370
5. उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा लम्बित है।	2176	1731

(आंकड़े अनन्तिम)

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत-फ्रांस व्यापार वार्ता

53. **श्रीमती एन०पी० शांती लक्ष्मी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1987 से पेरिस में भारत-फ्रांस व्यापार वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता की मुख्य बातें क्या हैं और उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) जी हां,। भारत-फ्रांस संयुक्त समिति के अधिवेशन का छठा सत्र पेरिस में 26 से 29 अक्तूबर, 1987 को हुआ था।

(ख) इस अधिवेशन में विद्युत, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खनन, कृषि तथा परिवहन जैसे क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट परियोजनाओं में क्षेत्रीय सहयोग के अतिरिक्त मुख्यतः द्विपक्षीय व्यापार में असंतुलन को कम करने, दोनों देशों के बीच औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग बढ़ाने तथा संयुक्त अनुसंधान व विकास सहयोग बढ़ाने में सहायता देने के उपायों पर परिचर्चा हुई।

कार्यकारी पूंजी के लिए बैंक ऋण

54. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुविधा-विहीन वर्गों के लाभ के लिए उपकरणों की खरीद और कार्यकारी पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में कोई योजना है;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान केरल में इस योजना के अन्तर्तंत बैंकों के माध्यम से कुल कितनी धनराशि के ऋण वितरित किए गए; और

(ग) राज्य में इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने और शहरी गरीबों को स्वरोजगार देने आदि जैसी ऋणों से जुड़ी सभी योजनाओं में न केवल उपस्कर खरीदने के लिए बल्कि कार्यशील पूंजी के लिए भी ऋण देने की परिकल्पना की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1986-87 के दौरान केरल में इन योजनाओं के कार्य-निष्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

योजना	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	(लाख रुपये) राशि
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	143399	4189.60
शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना	11456	1867.23
शहरी गरीबों की स्वरोजगार योजना	10504	390.74

वाणिज्यिक बैंक संयुक्त ऋण भी प्रदान करते हैं, अर्थात् वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई संयुक्त ऋण योजना के अन्तर्गत उपस्करों की खरीद और कार्यशील पूंजी के वास्ते एक ही ऋण भी देते हैं। 1986-87 के दौरान, संयुक्त ऋण योजना के अन्तर्गत केरल में 460783 हिताधिकारियों को 2337.41 लाख रुपए का संवितरण किया गया।

मसालों से आय

55. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान विभिन्न मसालों के निर्यात से प्रत्येक मसाले से कितनी आय हुई;

(ख) क्या पिछले वर्षों में इन मसालों से होने वाली आय में लगातार कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इनका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) मसालों के कुल निर्यात का मूल्य कुछ वर्षों से बढ़ रहा है लेकिन 1986-87 में मध्य पूर्व में अवशेष स्टाक होने, कम मांग होने, उत्पादन में गिरावट आने तथा अधिक कीमतों के कारण इलायची के निर्यातों में मामूली गिरावट आई। सरकार मसालों के निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है जिनमें शामिल हैं, नकद मुआवजा सहायता देना, आयात प्रतिपूर्ति, इलायची पर हवाई भाड़े में सहायता तथा पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा में अन्य विपणन संवर्धन योजनाएं आदि।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1986-87 में भारत से मसालों का निर्यात

(मात्रा में० टन=मूल्य करोड़ रु०)

	1986-87	
वस्तुएं	मात्रा	मूल्य
काली मिर्च	36879	199.15
छोटी इलायची	1447	18.50
सूखी लाल मिर्च	4029	4.49
सोंठ	4742	5.55
हल्दी	18744	18.48
करी पाउडर	2575	3.91
अन्य मसाले	10933	12.45
तेल व मसालों के ओलियोरेसिन	437	14.75
	79786	277.28

*ये आंकड़े अभी अनन्तिम हैं।

निर्यात के लिए तैयार किये जाने वाले चाय के पैकेटों में मिलावट

56. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम एशिया को निर्यात किये जाने के लिए तैयार किये गये चाय के अनेक पैकेटों को खोलकर उनमें कलकत्ता से जहाज पर लादने से पूर्व भांडागार में मिलावट की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और निर्यात के लिए तैयार किए गए चाय के पैकेटों में मिलावट करने में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) मैसर्ज बालमेर एण्ड लारी कम्पनी लि० (भारत सरकार का उपक्रम) को सरकारी व्यापार निगम, ईरान को 1400 मी० टन चाय का निर्यात करता था। कम्पनी ने मैसर्ज मिलटन दी पैकेजिंग एण्ड कन्सेलटेन्टस प्रा० लि० कलकत्ता की सेवाएं प्राप्त की जोकि किराए के गोदाम से सेवाएं प्रदान कर रहा था। जबकि गनी रेपिंग और लदान से पहले निरिक्षित/अनुमोदित मूल चाय के वजन तोलने का कार्य प्रगति पर था, एक चाय चेस्ट अनजाने में नीचे गिर गई और खुलकर बिखर गई। उस समय मौके पर उपस्थित कम्पनी के पर्यवेक्षक ने यह पाया कि टूटी चेस्ट चाय मूल सेम्पल की चाय से बहुत घटिया थी। तब सभी अन्य चेस्टों की जिन्हें पहले अनुमोदित कर दिया गया था, खोला गया और प्रत्यक्षतः ऐसा लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ी की गई है।

(ग) और (घ) गार्डनरीच पुलिस स्टेशन में एक पुलिस मामला दर्ज किया गया है। मैसर्ज बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लि० ने उन सभी चाय के लदान को जोकि उपरोक्त ठेकेदार के गोदाम में पहले से अनुमोदित की गई थी, तथा जोकि डाक में जहाज से भेजी जाने वाली थी, वापस लौटाने और रोकने की कार्यवाही की गई है। कम्पनी ने उपरोक्त ठेकेदार के गोदाम में संसाधित सभी चाय की उसके निर्यात करने से पहले पुनः जांच करने का निर्णय लिया है। आयातक संगठन के स्थानीय प्रतिनिधि को स्थिति से अवगत करा दिया गया है और उसे आश्वासन दिया गया कि यदि मौजूदा लदान में से किसी भी चेस्ट में भरी चाय घटिया किस्म की पाई गई तो उसे निःशुल्क बदल दिया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को दिए जा रहे लाभ समाप्त करना

57. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को दिए जा रहे वर्तमान लाभों को समाप्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। अलबत्ता, अधिकारियों के मामले में कुछ लाभ समाप्त किए गए हैं क्योंकि राज्य सरकार में इस श्रेणी के पदधारियों को ये लाभ प्राप्त नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सुपरवाइजर

58. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में फील्ड सुपरवाइजर राज्य सरकार में किस संवर्ग के बराबर माने जाते हैं,

(ख) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने फील्ड सुपरवाइजरों के पद का दर्जा नहीं बढ़ाया है जबकि राज्य सरकार ने बिना अतिरिक्त कार्यभार के उसके बराबर के संवर्ग का दर्जा बढ़ा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विस्तार अधिकारी (सहकारिता)।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने क्षेत्रीय पर्यवेक्षक के पद का स्तर नहीं बढ़ाया है क्योंकि राज्य सरकार के विपरीत क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों को अतिरिक्त काम नहीं दिया गया।

फर्मों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन

59. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटिड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के विचार से सरकार से निर्यात व्यापार में लगी फर्मों को विशेष प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) एसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आफ इन्डिया ने 15 दिसंबर, 1987 को हुई "1990 तक निर्यात दुगुने करना" विषयक कार्यशाला के लिए अपने पृष्ठभूमि पत्र में भारत के निर्यातों को बढ़ाने के कुछ सुझाव दिए थे। इन सुझावों पर विधिवत विचार किया गया और ऐसा महसूस किया गया कि मौजूदा नीति ढांचा दी गई अधिकांश व्यावहारिक सुझावों पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त है।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा तस्करी के सामान का जब्त किया जाना

60. **श्री मोहनभाई पटेल** :

श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सामान का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि में कुल कितनी मात्रा में सोना जब्त किया गया;

(ग) क्या देश में काफी अधिक मात्रा में तस्करी से सोना लाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो हवाई अड्डों पर तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) जब्त किए गए सामान का निपटान किस प्रकार किया जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) वर्ष 1985, 1986 और 1987 (सितम्बर तक) के दौरान देश में अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अभिगृहीत माल के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वस्तुएं	1985	1986	1987 (सितम्बर तक)
सोना	24.53	23.67	19.80
घड़ियां	1.79	2.10	2.21
संश्लिष्ट फैब्रिक	1.02	1.22	0.53
खतरनाक औषधियां	4.71	1.50	1.98
भारतीय/विदेशी मुद्रा	2.96	2.99	2.74
अन्य	5.50	6.10	5.77
जोड़	40.51	37.58	33.03

(ख) वर्ष 1985, 1986 और 1987 (सितम्बर तक) के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित देशभर में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभिगृहीत सोने की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)
1985	2525
1986	2174
1987 (सितम्बर तक)	1497

(ग) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि सोना देश में तस्करी के आकर्षण की वस्तु बनी हुई है।

(घ) देशभर में तस्करी निवारण अभियान को तेज कर दिया गया है। देश में तस्करी को रोकने और उसका पता लगाने हेतु देश भर में, खासकर समुद्र तट क्षेत्रों भू-सीमा क्षेत्रों और हवाई अड्डों के सुगम्य क्षेत्रों में तस्करी निवारण तंत्र सतर्क रहता है। अत्याधुनिक तस्करी रोधी उपकरणों जैसे धातु खोजी, एक्सरे मशीनों का उपयोग यात्रियों के शरीर और उनके असबाब/कार्गो में छिपाए हुए सोने को रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। देश में तस्करी को रोकने और उसका पता लगाने में सभी संबंधित एजेन्सियों के साथ घनिष्ठ तालमेल रखा जाता है।

(ङ) निपटान के लिए तैयार जब्तशुदा माल की कतिपय श्रेणी के निपटान के तरीके निम्नलिखित हैं :—

(i) सोना और चांदी को टकसाल में और विदेशी मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करा दिया जाता है ;

(ii) तिजारती माल की बिक्री नीलामी/टैंडर से की जाती है;

(iii) उपभोक्ता माल की बिक्री एन० सी० सी० सैनिक/अर्द्ध सैनिक/ पुलिस कैंटीनों आदि सहित पंजीकृत सहकारी समितियों के महासंघों के जरिए जनता को की जाती है।

(iv) यात्रियों, डाक-पार्सलों, आदि से छोटे-छोटे ढेरों में अभिगृहीत अलग-अलग और विविध माल की खुदरा बिक्री सीमा शुल्क खुदरा दुकानों के माध्यम से जनता को की जाती है।

चाय बोर्ड का विज्ञापन पर खर्च

61. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चाय बोर्ड द्वारा विदेशों में टेलीविजन और समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया गया;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत से चाय का आयात कर रहे हैं और उन देशों को प्रति वर्ष कितने मूल्य की चाय का निर्यात किया जाता है; और

(ग) इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चाय को अन्य देशों में लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) चाय बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों में टी० वी० और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर किया गया व्यय निम्नोक्त अनुसार है :—

		(आंकड़े समतुल्य भारतीय रु० में)
	टीवी	समाचार पत्र विज्ञापन
1984-85	1,86,519	18,12,546
1985-86	2,21,730	14,81,706
1986-87	31,98,130*	14,45,577

* 1986-87 में मिस्र में भारतीय चाय अभियान शुरु करने से वृद्धि।

(ख) सामान्यतः लगभग 80 देश भारत से चाय का आयात कर रहे है। इन प्रमुख देशों के नाम है, यू० के० आयरिश गणराज्य, नीदरलैण्ड, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, माल्या, सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगरी, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया, यू० एस० ए०, कनाडा, कतार, यू० ए० ई०, ओमन, यमन, बहरीन, कुवैत, इरान, ईराक, जार्डन सऊदी अरब, सीरिया, ए०आर०ई०, लीबिया, सूडान, मोरोक्को, अफगानिस्तान, जापान, सिंगापुर, नेपाल, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान देशों को निर्यात की गई चाय का मूल्य निम्नोक्त अनुसार है :—

1984-85	771.39 करोड़ रु०
1985-86	647.98 करोड़ रु०
1986-87	619.23 करोड़ रु०*

*अनुमानित

(ग) चाय के हमारे निर्यातों को बढ़ाने के लिए हाल ही के वर्षों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नोक्त अनुसार हैं :—

(1) सभी चाय निर्यातों पर 50 पैसे प्रति कि० ग्रा० की उत्पाद शुल्क में छूट ।

(2) पैकेटों में जा रही चाय पर उत्पाद शुल्क में छूट के साथ-साथ चाय पैकेटों पर शुल्क ।

(3) पैकेट चाय, चाय थैलों तथा इन्सटांट चाय के लिए अधिक नकद मुआवजा सहायता ।

(4) चाय के थैलों में इस्तेमाल किए जाने वाले फिल्टर पेपर पर सीमा-शुल्क समाप्त करना ।

(5) चाय के थैलों पर उत्पाद शुल्क की छूट (जोकि मुख्यत: निर्यातों के लिए है)

(6) विदेश में विशिष्ट कम्पनियों द्वारा विज्ञापन और संवर्धन के लिए एफ० ओ० बी० के 10% तक की वसूली का प्रावधान करना (जून 1987)

(7) ब्राण्ड संवर्धन निधि योजना तथा गोदाम उपदान योजना के अन्तर्गत पैकेट चाय के निर्यातकों को सहायता ।

(8) देश में पैकेट चाय उत्पादन आधार को विस्तृत करने के लिए पैकेजिंग क्षमता बनाने के लिए नये पैकेट निर्माताओं को ऋण देने के लिए एक योजना शुरू करना ।

(9) चाय के निर्यात के लिए कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय प्रबंध ।

(10) मूल्य वर्धित रूप में निर्यात के लिए कच्चे माल का आयात के लिए आयात प्रतिपूर्ति ।

(11) चाय बोर्ड के संवर्धनात्मक कार्यकलापों में शामिल हैं :—

(क) चाय परिषदों द्वारा व्यापक संवर्धन कार्यक्रम भारत इस समय यू० के०, पश्चिम जर्मनी, यू०एस०ए०, कनाडा और आस्ट्रेलिया के चाय परिषदों का सदस्य है ।

(ख) मिस्र और सऊदी अरब में एक राष्ट्रीय अभियान तथा बोर्ड के विदेश अधिकारियों द्वारा अन्य एक राष्ट्रीय कार्यक्रम ।

(ग) भारतीय निर्यातकों को संवर्धनात्मक सहायता, प्रचार साहित्य, प्रतिनिधिमण्डल, स्टोर में प्रदर्शन के जरिए विदेश में भारतीय चायकी सेम्पलिंग, चलती-फिरती चाय वैन आदि, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना आदि ।

(घ) यू० के० के बाजार में दार्जिलिंग लोगों अभियान चालूकर भारतीय चाय की क्वालिटी की विशेषता बताना ।

कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य

62. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे पटसन का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समर्थन मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया गया;

(घ) क्या उत्पादक और अधिक मूल्य की मांग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। 1987-88 के मौसम के लिए कलकत्ता में (अन्य राज्यों से कलकत्ता में) डब्ल्यू-5 ग्रेड के कच्चे पटसन की कानूनी न्यूनतम कीमत 334.50 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है जबकि 1986-87 के मौसम में 308·50 रु० प्रति क्विंटल कीमत थी।

(ग) सरकार, कृषि लागत और कीमत आयोग (सी० ए० सी० पी०) की सिफारिशों, सम्बन्धित मंत्रालयों, योजना आयोग के विचारों आदि सहित सम्बद्ध कारणों को ध्यान में रखने के बाद कच्चे पटसन के विभिन्न ग्रेडों/किस्मों की कानूनी न्यूनतम कीमतें निर्धारित करती है। अपनी सिफारिशें प्रतिपादित करते समय सी०ए०सी०पी० विभिन्न संघटकों पर विचार करता है जिनमें शामिल हैं, उत्पादन की लागत, मांग और पूर्ति स्थिति, अन्तर-उपज कीमत समानता, ऊन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने तथा उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता शेष अर्थव्यवस्था पर कीमत नीति के संभावित प्रभाव आदि आदि।

(घ) और (ङ) जी हां, तथापि, यह नोट किया जा सकता है कि सी० ए० सी० पी० की सिफारिशों सहित सभी सम्बद्ध संघटकों आदि पर विचार करने के बाद सरकार कच्चे पटसन की कानूनी न्यूनतम कीमतें निर्धारित करती है।

एल्यूमिनियम का आयात

63. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, किस देश से और किस दर पर कितनी मात्रा में ऐल्यूमिनियम का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार खनिज और धातु व्यापार निगम को ऐल्यूमिनियम के आयात के लिए कोई राज सहायता देती है ताकि उत्पाद-शुल्क ढांचे में असंगतियों पर विचार किये बिना स्वदेशी धातु की तरह इसका विपणन किया जा सके; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) एम०एम०टी०सी० द्वारा 1985, 1986 तथा 1987 (अक्तूबर 1987 तक) के दौरान आयात किए गए एल्यूमिनियम की मात्रा तथा मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(कैलेन्डर वर्ष में) एल्युमिनियन इनगोटस की देशवार खरीदारियों को दर्शाने वाला विवरण।

मात्रा : मीट्रिक टन में

कीमत : करोड़ रु० में

	1985		1986		1987 (अक्तूबर)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अर्जेन्टीना	4782	7.15	660	1 05	—	—
ब्राजील	5170	6.08	13350	21.78	21000	41.22
बहरीन	4000	5.82	10136	15.95	4475	9.33
दुबई	1000	1.33	5250	8.26	2666	4.72
इन्डोनेशिया	—	—	11000	17.03	—	—
स्पेन	—	—	950	1.52	—	—
वेनेजुएला	—	—	2000	3.13	3000	6.33
इक्येयट	—	—	—	—	1000	1.88
चीन	—	—	—	—	649	1.32
हंगरी	—	—	—	—	352	0.72
नार्वे	—	—	—	—	11250	22.96
रूस	10000	14.70	10063	15.93	9967	21.40
रूमानिया	—	—	—	—	5008	9.55
योग	24952	35.80	43273	84.65	52366	119.43

रेशे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव

64. **श्री गुरूदास कामत :**

श्री मुरलीधर माने : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने सोवियत संघ के अलावा अन्य देशों को रेशे का निर्यात करना शुरू कर दिया है;

(ख) रेशे के बजाय कपड़ा तथा सिले सिलाये वस्त्रों जैसे वर्धित उत्पादों के निर्यात के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ग) विशेषकर सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों को कपड़ा और सिले सिलाये वस्त्रों का निर्यात करने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस दौरान रेशे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) स्पिंडल क्षमता की उपयोगिता में सुधार लाने तथा विदेशी मुद्रा अर्जन की दृष्टि से सूती यार्न के निर्यात की अनुमति दी जाती है। सूती यार्न का निर्यात इस लिए किया जाता है क्योंकि इसके लिए बाजार उपलब्ध है जैसे के कपड़े तथा सिले-सिलाये परिधानों के लिए बाजार उपलब्ध है।

(ग) भारत का सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के साथ वस्त्र व्यापार प्रति वर्ष निर्धारित किए गए उद्योग योजना प्रावधानों द्वारा संचालित होता है। व्यापार वार्ताओं के समय यह प्रयत्न किए जाते हैं कि अधिक प्रावधानों के लिए किए गए तथा इन देशों को प्रावधानों के अनुसार मात्रा उठाने के लिए मनाया जाए। इसके अतिरिक्त वस्त्र निर्यात संवर्धन कार्य करती है जैसे मेलो से भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना तथा इन देशों में विक्रेता-क्रेता बैठकों का आयोजन करता आदि।

(घ) इस समय सरकार के पास सूती यार्न के निर्यात पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यार्न और कपड़े का उत्पादन

65. **श्री गुरूदास कामत** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 की तुलना में वर्ष 1986-87 के दौरान गर्म कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान कपड़े से कुल कितनी आय हुई है;

(ग) वर्ष 19 6-87 के दौरान कपड़े के निर्यात से कुल कितनी आय हुई है; और

(घ) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए और अधिक मोटा कपड़ा देने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1984-85 के दौरान 1382 मिलियन कि० ग्रा० के मुकाबले 1986-87 में यार्न का कुल उत्पादन 1471 मिलियन कि० ग्रा०

रहा। कपड़े का उत्पादन 1984-85 में 12014 मिलियन मीटर के मुकाबले 1986-87 में 12777 मिलियन मीटर रहा।

(ख) 1986-87 के दौरान वस्त्र उद्योग से सूती तथा मानव निर्मित वस्त्र के उत्पादन से 535 करोड़ रुपये का कुल उत्पादन शुल्क इकट्ठा किया गया।

(ग) पटसन, कयर तथा हस्तशिल्प को छोड़कर 1986-87 के दौरान वस्त्र निर्यात से 2580 करोड़ रु० की कुल आय हुई।

(घ) इस वर्ष के उत्पादन लक्ष्य के अलावा नियमित तथा जनता कपड़े के उत्पादन के लिए अतिरिक्त मात्रा आबंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायकों की वरीयता का निर्धारण

66. **श्री वी० कृष्णन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय में सिविल सेवा के सहायक ग्रेड में विभागीय और सीध भर्ती वाले सहायकों की वरीयता के संबंध में विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 25 अप्रैल, 1985 को दिए गए फैसले से हल हो गया था;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा 17 फरवरी, 1987 को दिए गए इस निदेश की दृष्टि से कि वरीयता निरंतर स्थापना सेवा के आधार पर निर्धारित की जाएगी, इस मामले की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या इस सारे मामले की पुनरीक्षा के कारण सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों की पुनरीक्षित वरीयता सूची में भी विलम्ब हो रहा है और इस विलम्ब के कारण सेवानिवृत्त होने वाले कई अधिकारियों की पदोन्नति नहीं हो पा रही है; और

(घ) सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। इस निर्णय के बाद माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने इस मामले में अपना निर्णय 22 अगस्त 1986 को दिया। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी 17 फरवरी, 1987 और 10 अगस्त, 1987 को आदेश दिए।

(ख) उच्चतम न्यायालय के 25 अप्रैल, 1985 और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 22 अगस्त, 1986 के निर्णय के अनुसार जारी की गई सहायकों की वरीयता सूची में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 17 फरवरी, 1987 के आदेश के बाद पुनः संशोधन किया गया। इसे 8 मई, 1987 को जारी किया गया था।

(ग) जी, नहीं। न्यायालय के निर्णय पर आधारित सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों में से पदोन्नत होने वाले अधिकारियों की वरीयता निर्धारित की जा चुकी है और उसे 2 नवम्बर, 1987 की टिप्पणी सं० ए/05111/रिव्यू पैनल्स 77-78 से 86-87/सी० ए० ओ० (पी-1) के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है।

(घ) इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है :—

(I) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों की संशोधित वरीयता सूची 8 मई, 1987 को जारी की गई।

(II) वर्ष 1977-78 से 1986-87 तक विभागीय पदोन्नति समिति के लिए सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के ग्रेड में स्थानापन्न पदोन्नति के लिए सहायकों के पैनलों का पुनरीक्षण करके उन्हें प्रकाशित कर दिया गया है।

(III) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों में से पदोन्नत होने वाले अधिकारियों की पारस्परिक वरीयता निर्धारित की गई और उसे जारी किया गया।

(IV) जिन 37 सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारियों (सीधी भर्ती वाले सहायक) के नाम पुनरीक्षित पैनलों में नहीं है उन्हें अब सहायक के ग्रेड में पदावनत कर दिया गया है।

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा सोना भंडारण संबंधी नीति बनाना

67. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा सोने की बिक्री और इसके भण्डारण के संबंध में नई नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) एम एम टीसी के लिए 100% निर्यातोन्मुख स्वर्ण आभूषण काम्पलेक्सिज में स्वर्ण आभूषण निर्माता तथा निर्यातक एककों को स्वर्ण रिलीज करने और उसका स्टाक करने की एक योजना प्रस्तावित की गई है। योजना के अनुसार एक विदेशी सप्लाईकर्ता को एम० एम० टीसी० द्वारा स्टाक करने तथा इन एककों को बेचने के लिए स्वर्ण उपलब्ध कराना होगा। निर्यातों में प्रयुक्त स्वर्ण की मात्रा की प्रतिपूर्ति, विदेशी सप्लाईकर्ता से स्वर्ण की प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर स्वर्ण की खरीद से की जाएगी।

(ग) योजना जब कभी भी अनुमोदित की जाएगी उसे क्रियान्वित किया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस

68. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि राष्ट्रीय बैंक अपने बैंकों की उन नयी शाखाएं खोलने के लिए समुचित कदम उठाये जिनको खोलने के लिए वर्तमान शाखा लाइसेंस नीति के अन्तर्गत उन्हें लाइसेंस दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश राज्य में लाइसेंस मंजूर किए जाने के पश्चात प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा खोली गयी शाखाओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या ऐसे मामले भी प्रकाश में आए हैं जिनमें किसी बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश में कोई शाखा खोलने से इंकार किया गया हो अथवा अब तक कोई भी शाखा खोली न गयी हो; और

(ङ) यदि हां, तो इसके नाम क्या हैं एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के विरुद्ध और इन शाखाओं को जल्दी खोलना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लाइसेंस जारी करते समय बैंकों से उन स्थानों पर, जिनके लिए उन्हें लाइसेंस जारी किए गए हैं, शाखाएं खोलने के वास्ते कारगर कदम उठाने के लिए कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का बाकी अवधि के दौरान अलग-अलग चरणों में शाखाएं खोली जाएं और अवधि-वार शाखाएं खोलने की सूची अपने क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी जाएं जिसके अंतर्गत वह केन्द्र आता है। इसके अतिरिक्त, शाखाएं खोलने की प्रगति की निगरानी के वास्ते भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में कृतिक बल गठित किए गए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्तमान नीति के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में अब तक 8 शाखाएं खोली हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

केन्द्र का नाम	जिले का नाम	बैंक का नाम
दभोटा	सोलन	पंजाब नेशनल बैंक
मझवार	मंडी	तदैव
बनखंडी	कांगड़ा	तदैव
सुनही	तदैव	तदैव
राझून	कांगड़ा	तदैव
दारिनी	तदैव	तदैव
चामुंडा	तदैव	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया
करचम	किन्नौर	पंजाब नेशनल बैंक

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यूको बैंक को छोड़कर किसी भी बैंक ने हिमाचल प्रदेश में शाखाएं खोलने से इन्कार नहीं किया है। यूको बैंक ने वर्तमान नीति के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में उसे आबंटित किए गए 19 ग्रामीण एवं अर्ध शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने में इस आधार पर अपनी असमर्थता प्रकट की है कि भारत वर्ष में उसकी वर्तमान शाखाओं में 73 प्रतिशत शाखाएं पहले से ही ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं और इस प्रतिशतता को बढ़ाने में प्रशासनिक एवं अन्य समस्याएं पैदा हो जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश के इन 19 केन्द्रों को अन्य बैंकों को आवंटित कर दिया है।

मेथिलीन क्लोराइड के आयात पर प्रतिबंध

69. **श्री दौलतसिंह जी जडेजा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 17-8-87 की अधिसूचना संख्या 2080 आई० टी० सी० (पी० एन०)/85-88 के द्वारा मेथिलीन क्लोराइड के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का औषधि निर्माण करने वाली इकाइयों की किस प्रकार सहायता करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) जी हां।

(ख) मेथिलीन क्लोराइड को 17 अगस्त, 1987 से सीमित स्वीकार्य मदों की सूची में अन्तरित किया गया है। इस मद की स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, आयातों की आवश्यकता की पूर्ति, स्वदेशी उपलब्धता और अनिवार्यता का पता लगाने के बाद वास्तविक प्रयोक्ताओं को अनुपूरक लाइसेंस जारी करके की जाती है।

सोने के मूल्य में वृद्धि

70. **श्री बी० एल० शेलेश** :

श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में घरेलू बाजार में सोने के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय स्वर्ण भंडार में नई खानों से स्वर्ण प्राप्ति की मात्रा में प्रत्येक वर्ष गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने न केवल सोने के मूल्य मे भारी वृद्धि को रोकने बल्कि इसकी घरेलू खपत तथा असामाजिक तत्वों, कर अपवंचकों द्वारा जमाखोरी एवं खाड़ी से इसकी तस्करी और चोरी-छुपे आयत को रोकने के लिए भी कोई कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां।

(ख) सोने की सप्लाई में कमी, उसकी मौसमी मांग तथा तस्करी-निवारण उपाय मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हो सकते हैं।

(ग) अयस्क के ग्रेड में गिरावट आने के साथ-साथ मुख्य रूप से सोने के भंडारों के धीरे-धीरे समाप्त होने के कारण केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के सोने के उत्पादन में पिछले कुछ वर्षों से गिरावट आती जा रही है।

(घ) चूंकि सोना एक अनिवार्य जिन्स नहीं है, इसलिए सरकार ने सोने के मूल्यों में वृद्धि, अथवा इसकी खपत और जमाखोरी को रोकने के लिए कोई उपाय करना आवश्यक नहीं समझा है। सरकार ने देश-भर में, विशेष रूप से तस्करी के सुगम क्षेत्रों में तस्करी को रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए तस्करी-निवारण अभियान तेज कर दिया है। यात्रियों के पास और कामों में उनके असबाब में छुपाए गए सोने का पता लगाने के लिए धातु-संसूचक, एक्सरे मशीन जैसे आधुनिकतम

तस्करी-निवारण उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। देश में तस्करी को रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए केन्द्र और राज्यों की सभी संबंधित एजेन्सियों के साथ घनिष्ठ समन्वय रखा जाता है।

राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम के अध्यक्षों के रिक्त पद

71. **डा० बी० एल० शेलेश** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम के अध्यक्षों के पद इस समय रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब और कैसे भरा जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) जी हां।

(ख) पदों को यथा संभव शीघ्र भरने के लिए पहले से ही कदम उठाए गए हैं।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय का रेपसीड का प्रस्ताव

72. **डा० बी० एल० शेलेश** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों ने अधिमान्य ऋण के आधार पर भारत को रेपसीड का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा का प्रस्ताव किया गया है तथा इसका जहाज तक निशुल्क मूल्य कितना है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

आयकर छापे

74. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय कर विभाग द्वारा 1 जुलाई, 1987 से 30 सितम्बर, 1987 की तिमाही में राज्य-वार कितने व्यापारिक घरानों पर छापे मारे गए;

(ख) इस अवधि में कुल कितनी मात्रा में कर अपवंचन का पता चला; और

(ग) इस अवधि में आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किए गए ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वरिष्ठता और वेतन निर्धारण के लाभ दिया जाना

75. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए गए आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को वरिष्ठता और वेतन निर्धारण के लाभ प्रदान किए जाते हैं;

(ख) क्या इसी प्रकार के लाभ जीवन बीमा निगम जैसी वित्तीय संस्थाओं में भी आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किय जाने वाले आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को प्रदान किए जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार के कारण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भूतपूर्व आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पसेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 से 10 जनवरी, 1968 तक कमीशन प्राप्त हुआ था और जो उनके लिए आरक्षित पदों पर वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नियुक्त किए गए थे, वरिष्ठता और वेतन निर्धारण के लाभ प्रदान किये जाते हैं।

(ख) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पसेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को जो उनके लिए आरक्षित स्थानों पर भारतीय जीवन बीमा निगम में भर्ती किए गए हैं, सेना में उनकी मुक्ति के समय ऐसे अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली कुल परिलब्धियों की सुरक्षा प्रदान की जाती है लेकिन वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए, जीवन बीमा निगम द्वारा उनकी पिछली सेवा को कोई वेटेज नहीं दिया जाता।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थानों में इक्का-दुक्का पद होते हैं और विभिन्न स्तरों पर होते हैं। परिणामतः किसी एक संस्था में सेवा में प्रवेश का समय दूसरी संस्था से भिन्न होता है जो वे किसी पद के लिए अनुभव और अर्हता और आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पसेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की उपयोगिता पर निर्भर करता है। इसके अलावा, जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्तें (वरिष्ठता सहित) (स्टाफ) विनियमों द्वारा नियंत्रित होती है जिसे कानून की शक्ति प्राप्त है। जीवन बीमा निगम के वर्तमान स्टाफ के हितों के खिलाफ आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पसेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनकी पिछली सेवा के संबंध में वरिष्ठता का लाभ देना (स्टाफ) विनियमों का उल्लंघन होगा। इन कारणों को देखते हुए, जीवन बीमा निगम वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए, आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पसेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनकी पिछली सेवा का कोई वेटेज प्रदान नहीं करता।

स्वापक औषधियों का निपटान

76. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वापक अधिनियम के अन्तर्गत अत्याधिक मात्रा में औषधियां जब्त की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन औषधियों का पुनः प्रयोग न हो सके ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) वर्ष 1986 और 1987 के दौरान नशीले औषध-द्रव्यों, विशेषकर हेरोइन और हशीश (चरस) की पर्याप्त मात्रा पकड़ी गई जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :—

	1986	1987 (30-9-87 तक
	(मात्रा किलोग्राम में)	
1. हशीश	18,909	9553+7 हशीश तेल
2. हेरोइन	2,621	2260
3. मेन्ड्रक्स	1,485	1166

(वर्ष 1987 के लिए आंकड़े अनन्तिम है और निकटतम किलोग्राम तक पूर्णांकित किये गये हैं)

(ख) अपेक्षित कानूनी कार्यवाही के पश्चात् निपटान के लिए तैयार जब्त औषध-द्रव्यों को सरकारी कारखानों में जो भेजा जाता है। जबकि अफीम और मार्फिन को आगे संसाधित किया जाता है, अन्य नशीले औषध द्रव्यों को नष्ट कर दिया जाता है।

शत-प्रतिशत निर्यात करने वाले एककों

77. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत-प्रतिशत निर्यात करने वाले एककों द्वारा किए जाने वाले आयातों के लिए उदारतापूर्वक लाइसेंस दिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों की संख्या कितनी है तथा उन्हें वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा जारी की गई; और

(ग) क्या ऐसे एककों के प्रति बरती जाने वाली उदारता उनके द्वारा किए जाने वाले निर्यातों की दृष्टि से उचित है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजनदास मुंशी) : (क) से (ग) 100% निर्यातोन्मुख एकक योजना के अन्तर्गत अनुमोदित एककों का निर्यात अर्जन और विदेशी मुद्रा निर्गम को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मूल्यवर्धित स्तर को प्राप्त करना होता है। अनुमोदन की शर्तों के अन्तर्गत, योजना एकक द्वारा ओ जी एल के अन्तर्गत पूंजीगत माल तथा उत्पादन आवश्यकताओं का आयात करने की सुविधा प्रदान करती है। अतः इसके लिए 100% निर्यातोन्मुख एककों को विशेष आयात लाइसेंस तथा विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। 100% निर्यातोन्मुख एककों को दिये गए वैध अनुमोदनों की संख्या 623 है तथा प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर चालू एककों की संख्या 95 है। इस योजना के शुरू होने से निर्यातों में लगातार वृद्धि हुई है। सरकार ने हाल ही में इस योजना के प्रचालन को सुधारने तथा निर्यात योग्यता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाये हैं।

आन्ध्र प्रदेश में आयुध कारखाना

78. **श्री टी० बालागौड़ :**

डा० टी० कल्पना देवी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश के कोडूर तालुका में सिद्धवातम में एक आयुध कारखाना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों द्वारा ऋणों का माफ किया जाना

79. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों द्वारा ऋणों को माफ किये जाने की नीति की आलोचना की है;

(ख) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 12 अगस्त 1987 को जारी की गयी प्रेस-विज्ञप्ति में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि वाणिज्यिक बैंकों के अलावा, किसी भी अन्य प्राधिकारी को, बैंक ऋणों को बट्टे खाते डालने का अधिकार नहीं है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि केवल वे ही अग्रिमों/ऋणों की वसूली पर विचार कर सकते हैं और कोई भी अन्य प्राधिकारी बैंक की ओर से ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया है; अतः सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बैंकों को कोई और हिदायतें जारी नहीं की गयी हैं।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा मछुआरों को सहायता देना

80. **डा० टी० कल्पना देवी :**

चौधरी रामप्रकाश : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा हमारे मछुआरों के उत्पादों के लाभप्रद मूल्य दिलवाने के लिए कौन से कदम उठाये जायेंगे;

(ख) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में बरती जाने वाली अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि झींगा मछली के प्राथमिक उत्पादकों को निर्यातकों द्वारा शोषण न किया जाए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) निर्यातों से हमारे समुद्री उत्पादों के इकाई मूल्य वसूली में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, जो यह दर्शाता है कि हमारे मछुआरे अपने उत्पाद के लिए प्रतियोगी कीमतें वसूल कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) एम्पीडा से सम्बन्धित कुछ पत्र हमें प्राप्त हुए हैं। हाल ही में विजागु से श्रिम्प की लाभकारी कीमत से सम्बन्धित समस्या थी जिसे निर्यातकों, डालर स्वामियों और अन्य संबन्धित प्राधिकारियों के सहयोग से सुलझा दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में रेशम के कीड़ों के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

81. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से आंध्र प्रदेश में रेशम के कीड़े पालने सम्बन्धी सरकार का प्रस्ताव कृषि वित्त निगम के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में विलंब के क्या कारण हैं और इसे कब तक स्वीकृति मिल जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कृषि वित्त निगम ने सूचित किया है कि उसने आन्ध्र प्रदेश में रेशम कीट पालन विकास की एक रिपोर्ट तैयार की है और राज्य सरकार को पेश कर दी है। कृषि वित्त निगम ने आगे सूचित किया है कि उनकी ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने में कोई देरी नहीं हुई है। जहां तक कुल परियोजना लागत से सम्बन्धित आंकड़ों का सम्बन्ध है, इनके बारे में पूछताछ की जा रही है और ये आंकड़े सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

छोटी बचत योजनाओं से एकत्र हुई राशि

82. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्दिरा विकास पत्रों सहित छोटी बचत योजनाओं के अन्तर्गत जमा हुई राशि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं के प्रति जनता का उत्साह अधिक नहीं रहा;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) अल्प बचत योजनाओं में की जाने वाली जमाराशियों से संबधित सूचना से कुछ योजनाओं के अन्तर्गत जमाराशियों में कमी होने का पता चलता है। संग्रहों में वृद्धि करने के लिए 15-8-1987 को एक नई मासिक आय योजना

शुरू की गई थी। सरकार संग्रहों को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार कर रही है। इस संबंध में दिनांक 21.0.1987 से तीन महीने के लिए विशेष अभियान पहले ही शुरू किया जा चुका है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के दल द्वारा सोवियत संघ का दौरा

83. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का एक उच्चस्तरीय दल सोवियत संघ को कपड़े का निर्यात बढ़ाने के अर्थोपायों पर बातचीत करने के लिए सोवियत संघ का दौरा करेगा, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जून 1987 में सोवियत संघ के दौरे के परिणाम स्वरूप एन टी सी के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में इसके उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ एन टी सी का एक प्रतिनिधिमण्डल सितम्बर 1987 के अन्त में नई किस्मों से सम्बन्धित सौदे पर वार्ता के लिए मास्को का दौरा करेगा। यह दौरा अभी तक नहीं किया गया है।

अल्युमिनियम के निर्यातकों को प्रोत्साहन

84. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अल्युमिनियम का निर्यात बढ़ाने के लिये अल्युमिनियम निर्माताओं को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) इस समय भारत एल्युमिनियम का एक निवल आयातक है। इस कारण एल्यूमिनियम निर्यात के लिए किसी प्रकार के प्रोत्साहन देने का प्रश्न नहीं उठता।

सूखा और बाढ़ राहत के लिए बैंकों को निर्देश

85. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को सूखा और बाढ़ राहत उपाय कार्यान्वित करने और सूखा तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता करने हेतु अपनी कार्य प्रणाली को चुस्त करने के लिए कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बैंकों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार प्रचुर मात्रा में राज सहायता देकर ऋण प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूखे/बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों को दूसरी बुआई अर्थात वैकल्पिक फसल, अल्पावधिक फसल, चारा आदि उगाने के लिए बैंकों द्वारा ऋण समर्थन प्रदान किये जाने के वास्ते विस्तृत मार्ग निर्देश जारी किए हैं जहां खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है, इन मार्गनिर्देशों के अनुसार अल्पावधिक

ऋणों में बदल जाएगा, बीजों के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, यदि फसल काफी नष्ट हो गई हो तो उस हालत में निवेश ऋण का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए शीघ्रता से ऋण मंजूर किए जायेंगे तथा छोटे और सीमांतिक किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों को 500 रुपये तक के उपभोग ऋण दिए जाएंगे और उचित दर की दुकानें शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने भी केन्द्रीय सहकारी बैंकों/भूमि विकास बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की भांति विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किये हैं ताकि ये बैंक किसानों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को आवश्यक ऋण सहायता प्रदान कर सकें।

3 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार सूखा/बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्रों में बैंकों से 2 वर्ष के लिए या अगले सामान्य वर्ष तक, यदि वह पहले हो, देय रकमों की वसूली स्थगित करने के लिए कहा गया है। बैंकों को इन मामलों में दण्डात्मक ब्याज वसूल न करने तथा देय ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में न बदलने के लिए भी अनुदेश दिए गए हैं। बैंक, 3 या उससे अधिक वार लगातार सूखा/बाढ़ से पीड़ित किसानों के मामले में और उन किसानों के मामलों में जिनके ऋण को परिवर्तित/पुनर्निर्धारण कर दिया गया है, 5000 रुपये तक के अल्पावधिक सावधि ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चलता है कि उन्होंने सूखा और बाढ़ से प्रभावित किसानों और अन्य व्यक्तियों को ऋण समर्थन देना शुरू कर दिया है।

सूखा/बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सब्सिडी से जुड़ी कोई और ऋण योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

86. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमाराशि

87. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983, 1984, 1985 और 1986 और 30 जून, 1987 तक प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की जमाराशि कितनी-कितनी थी;

(ख) क्या अधिकतर राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो कितने बैंकों में यह जमा राशि कम हुई है और बैंक वार तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दिसम्बर 1983, 1984 1985, 1986 और जून 1987 के अन्तिम शुक्रवार को सरकार क्षेत्र के बैंकों को बैंक-वार कुल जमा राशियों का ब्यौरा (अन्तर बैंक जमाराशियों को छोड़कर) विवरण में दिया गया है। इस संपूर्ण अवधि के दौरान, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि रिकार्ड की गई (केवल केनरा बैंक और सिंडीकेट बैंक के मामले में इस वृद्धि में दिसम्बर 1986 के स्तर के मुकाबले जून 1987 में मामूली सी गिरावट आई है। वर्ष 1983 और 1986 के बीच सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल जमा राशियों की वार्षिक वृद्धि दर 17 और 19.6 प्रतिशत के बीच रही। यद्यपि जमाराशियों की वृद्धि की प्रवृत्ति संतोषजनक है, लेकिन अलग-अलग वर्षों और अलग-अलग बैंकों में विभिन्नता स्वाभाविक है और इस प्रकार इस विभिन्नता की जमाराशियों को समूची वृद्धि के सामान्य अंग माना जाता है।

विवरण

(राशि करोड़ रुपए में)

बैंक का नाम	दिसम्बर 1983	दिसम्बर 1984	दिसम्बर 1985	दिसम्बर 1986	जून 1987
1	2	3	4	5	6
1. स्टेट बैंक आफ इण्डिया	13627	16062	19776	22700	23529
2. स्टेट बैंक आफ बिकानेर एण्ड जयपुर	622	729	876	985	1090
3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	659	798	897	1094	1183
4. स्टेट बैंक आफ इन्दौर	274	321	398	492	567
5. स्टेट बैंक आफ मैसूर	487	598	655	735	816
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला	654	818	995	1190	1299
7. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	342	389	433	504	550
8. स्टेट बैंक आफ ट्रावणकोर	628	764	935	1114	1209
9. इलाहाबाद बैंक	1272	1502	1763	2187	2602
10. आन्ध्रा बैंक	1020	1222	1459	1796	1857
11. बैंक आफ बड़ौदा	3498	3824	4316	5314	5435
12. बैंक आफ इण्डिया	3324	3980	4937	6044	6223
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	1203	1327	1525	1757	1891
14. केनरा बैंक	3214	3830	5172	6287	6155

1	2	3	4	5	6
15. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	4051	4686	5495	6704	6802
16. कारपोरेशन बैंक	478	588	684	909	939
17. देना बैंक	1142	1280	1439	1590	1715
18. इण्डियन बैंक	1449	1837	2314	2943	3162
19. इण्डियन ओवरसीज बैंक	1971	2280	2517	3139	3348
20. न्यू बैंक आफ इण्डिया	720	832	977	1154	1233
21. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	582	715	936	1160	1319
22. पंजाब नेशनल बैंक	4081	4697	5610	7054	7864
23. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	849	982	1176	1383	1498
24. सिंडीकेट बैंक	2378	2769	3040	3556	3537
25. यूनियन बैंक आफ इण्डिया	2140	2571	3020	3604	3920
26. युनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	1822	2179	2367	2664	2838
27. यूको बैंक	2159	2307	2621	3129	3307
28. विजया बैंक	667	828	995	1293	1312

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम

राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय

88. **श्री टी० बाल गौड** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों का जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में विलय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय करने का प्रस्ताव है उनकी खराब स्थिति के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की शाखाओं में धोखाधड़ी के मामले

89. **श्री राम कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर की विभिन्न शाखाओं में वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान धोखाधड़ी के वर्षवार कितने मामले हुए हैं;

(ख) दोषी पाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रबन्धकों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) भविष्य में धोखाधड़ी की घटनाएं न होने देने के सम्बन्ध में प्रबंधकों ने कौन से निवारक कदम उठाये है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उनकी शाखाओं में वर्ष 1983 में धोखाधड़ी के 5 मामलों 1984 में 48 मामलों, 1985 में 10 मामलों का पता चला था। इन मामलों के सम्बन्ध में 52 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निम्नलिखित सजा दी गयी है :

(1) बैंक सेवा से पदच्युत	13
(2) बैंक सेवा से हटाये गये	1
(3) ग्रेड स्केल में कमी	3
(4) वेतन वृद्धियों का रोका जाना	8
(5) भर्त्सना	10
(6) सावधान/चेतावनी	17

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि स्टाफ सदस्यों के मार्गनिर्देशों के लिए उन्हें 'क्या करें तथा क्या न करें' बता दिया गया है। बैंक ने आगे चलकर यह कहा कि भविष्य मे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए इन मामलों की कार्यप्रणाली अनुदेशों के साथ परिचालित कर दी गयी है। प्रणालियों और प्रक्रियाओं की आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाती है और उनमें संशोधन किये जाते हैं।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के अधिकारियों द्वारा धन निकालना

90. **श्री राजकुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंदौर की कनाट सर्कस, नई दिल्ली स्थित शाखा के कुछ अधिकारियों ने अपने सम्बन्धियों के नाम पर ऋण के रूप में इस बैंक से गैर कानूनी रूप से धनराशि निकाली है और यदि हां, तो ऐसे ऋण की राशि कितनी थी;

(ख) कितने व्यक्तियों के नाम से यह धनराशि निकाली गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दोषी अधिकारियों को मात्र सामान्य चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार का इस मामले की फिर से जांच कराने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (घ) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि यह बात सच नहीं है कि उसकी कनाट सर्कस (नई दिल्ली) स्थिति शाखा के किसी भी अधिकारी ने बैंक से गैर-कानूनी ढंग से रकम निकाली है। अलबत्ता, बैंक की कनाट सर्कस शाखा द्वारा दो फर्मों को कुछ ऋण सुविधाएं मंजूर की गयी थीं जिनमें तत्कालीन शाखा प्रबंधक का एक संबंधी साझीदारी/मालिक था। बैंक ने आगे चलकर, यह भी बताया है कि संबंधित अधिकारी को आरोप पत्र दिया जा रहा है और जांच पूरी हो जाने के पश्चात् उसे यथोचित सजा दी जायेगी। बैंक ने यह भी बताया कि किसी भी संबंधित अधिकारी को मात्र चेतावनी देकर नहीं छोड़ा गया है।

आन्ध्र प्रदेश से सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात में हुई हानि

91. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश निर्यातक संघ ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान गत दो वर्षों के दौरान सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात के क्षेत्र में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की हुई हानि की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश से सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात में हुई हानि का ब्योरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यातकों को आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार परिधानों के निर्यात के संबंध में कोई राज्यवार आंकड़े नहीं रखती तथा न ही किसी राज्य विशेष को ध्यान में रखकर कदम उठाए हैं। परिधान क्षेत्र को प्रदत्त प्रोत्साहन देश में परिधान निर्यातकों को भी उपलब्ध है जिसमें आंध्र प्रदेश के निर्यातक भी सम्मिलित हैं।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

92. **श्री टी० तुलसीराम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की आन्ध्र प्रदेश में स्थित मिलों पर खर्च की गई धनराशि का मिलवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की उक्त राज्य में स्थित कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप इन मिलों की कार्य कुशलता और उत्पादन में किस सीमा तक सुधार हुआ है;

(ग) क्या आधुनिकीकरण से मोटे कपड़े की उत्पादन लागत में कमी आई है जिससे आम आदमी को फायदा हो; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम/सरकार द्वारा मोटे कपड़े की उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में स्थित एन० टी० सी० मिलों के संबंध में आधुनिकीकरण/नवीकरण आदि पर व्यय की गई मिलवार राशि निम्नोक्त अनुसार है :—

मिल का नाम	राशि लाख रु० में
अजाम जाही मिल	76.58
अदोनी काटन मिल	29.87
नटराज स्पि० वी०वि० मिल	30.76
नाथा स्पि० मिल	37.60
तिरूपति काटन मिल	12.86
अनन्तपुर काटन मिल	211.89
योग	399.56

(ख) से (घ) केवल अनन्तपुर काटन मिल्स के सम्बन्ध में जोकि स्पि० एकक हैं, उल्लेखनीय निवेश किया गया हैं। इस मिल में स्पिनिंग उपयोगिता 1977-78 में 61.4% से बढ़कर 986-87 में 66.5% हो गयी। अन्य मिलों में उत्पादकता में कोई सुधार नहीं हुआ है।

विश्व बैंक के साथ मिलकर संयुक्त वित्तपोषण

93. **डा० वी० वेंकटेश :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री भद्रेश्वर तांती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विश्व बैंक के साथ मिलकर संयुक्त वित्तपोषण की व्यवस्था के वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) : विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को तैयार करने, उनका मूल्यांकन और पर्यवेक्षक करने के संबंध में प्रचालन संबंधी अल्पावधिक जिम्मेदारी सौंपने के मामले में भारतीय परामर्शदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व बैंक के साथ मिलकर संयुक्त वित्तपोषण व्यवस्था करने की बात को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

रुग्ण और बंद कपड़ा मिलों की अर्थक्षमता

94. **डा० वी० वेंकटेश :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री भद्रेश्वर तांती : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ रुग्ण और बंद कपड़ा मिलों के मामले औद्योगिक और वित्तीय पुन: स्थापन के लिए हाल ही में उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड को भेजे गए हैं;

(ख) क्या यह सभी मिलें अर्थक्षम नहीं पाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नोडोय अभिकरण द्वारा गैर-अर्थक्षम पाई गई तथा बन्द मिलों की सूची-बोर्ड को औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्स्थापना के लिए भेजे गए मामले

राजस्थान

1. कृष्णा मिल्स लि०, ब्यावर।
2. सुदर्शन टेक्सटाईल्स, कोटा (राज०) (स्पि०)
   (महाराजा श्री उमेद मिल्स लि० का एकक)
3. जयपुर स्पि० मिल्स लि०, जयपुर (स्पि०)

गुजरात

4. गायकवाड़ मिल्स लि०, बिलमोरा।
5. नवजीवन मिल्स लि०, कलोल।
6. अर्योदय स्पि० एंड वीवि० मिल्स लि०, अहमदाबाद।
7. गुजरात स्पि० मिल्स लि०, अहमदाबाद (स्पि०)।
8. श्री कैलाश मिल्स प्रा० लि०, उमरगांव (स्पि०)।
9. श्री बंशीधरा स्पि० एण्ड वीवि० मिल्स लि०, अहमदाबाद।
10. कामशियल अहमदाबाद मिल्स कं० लि०।

11. महाराणा मिल्स लि०, पोरबन्दर ।

12. दि नवज्योत मिल्स लि०, कडी ।

13. प्रसाद मिल्स लि०, अहमदाबाद ।

14. पी० जी० टेक्सटाइल मिल्स लि०, बड़ौदा ।

15. अहमदाबाद श्री रामाकृष्ण मिल्स लि०, अहमदाबाद ।

मध्य प्रदेश

16. श्री सज्जन मिल्स लि०, रतलाम ।

17. होप टेक्सटाइल्स लि०, इन्दौर-दो एकक ।

महाराष्ट्र

18. माडर्न मिल्स लि०, बम्बई ।

19. मुकेश टेक्सटाइल्स लि०, बम्बई ।

20. खंनदेश स्पि० एण्ड वीवि० मिल्स लि०, जलगांव ।

21. श्रीनिवास मिल्स लि०, बम्बई ।

22. ब्रेडबरी मिल्स लि०, बम्बई ।

23. किरन स्पि० मिल्स (थाने) (स्पि०) ।

24. राजन टेक्सटाइल मिल्स लि०, बरसी (स्पि०) ।

तमिलनाडु

25. वसन्त मिल्स लि०, कोयम्बट्टूर ।

26. श्री जनार्दन मिल्स लि०, कोयम्बट्टूर (स्पि०) ।

27. मेत्तूर टेक्सटाइल मिल्स लि०, मेतुर ।

पश्चिम बंगाल

28. बंगोदय कॉटन मिल्स लि०, कलकत्ता ।

29. हनुमान कॉटन मिल्स, कलकत्ता (स्पि०) ।

30. इंडिया लिनोलियम लि०, कलकत्ता (स्पि०)

31. श्री दुर्गा कॉटन स्पि० एण्ड वीवि० मिल्स लि० कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) ।

उत्तर प्रदेश

32. मद इंडस्ट्रीज लि०, (स्पि०) ।

33. जे एण्ड के मैन्युफैक्चर्स लि०, कानपुर ।

हरियाणा

34. हिसार टेक्सटाइल मिल्स, हिसार (स्पि०)।

35. उषा स्पि० एण्ड वीवि० मिल्स, गुड़गांव (स्पि०)।

सियाचिन में पाकिस्तान द्वारा हमला

95. डा० बी० एल० शैलेश :

श्री कमला प्रसाद रावत :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

प्रो० नारायण चन्द पराशर :

श्री महेन्द्र सिंह :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

डा० चिन्ता मोहन :

श्री धर्म पाल सिंह मलिक :

श्रीमती जयन्ती पटनायक :

श्री कृष्ण सिंह :

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री काली प्रसाद पांडेय :

श्री मोहम्मद महफूज अली खां :

श्री आर० एम० मौर्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना ने सितम्बर और अक्तूबर, 1987 के दौरान सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में भारतीय सेना पर हमला किया और वहां घुसपैठ की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने लद्दाख क्षेत्र में भी अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में कौन से कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सितम्बर के अन्तिम सप्ताह के दौरान, पाकिस्तानी सेनाओं की एक बटालियन ने सियाचिन के सलतोरो रिज क्षेत्र में हमारी चौकियों पर हमला किया। इन हमलों से पूर्व भारी गोलाबारी की गई। पाकिस्तानी सेनाओं ने राकेट और मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया।

6-7 अक्तूबर की रात को पाकिस्तानी सेनाओं ने, जिनकी संख्या एक कम्पनी थी, उसी क्षेत्र में हमारी चौकियों पर दोबारा हमला किया।

इन दोनों अवसरों पर हमारी सेनाओं ने आक्रमण का सफलता पूर्वक जवाब दिया।

(ग) सरकार ने इस बारे में समाचार देखें है कि पाकिस्तान ने पाक-अधिकृत कश्मीर में लद्दाख के सामने अपनी सैन्य-शक्ति में वृद्धि की है।

(घ) सरकार सियाचिन ग्लैशियर क्षेत्र में सभी गति विधियों पर कड़ी नजर रखती है और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है।

कपास का निर्यात

96. **डा० वी० वेंकटेश :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री भद्रेश्वर तांती : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय कपास की आगामी दो फसलों में कपास का निर्यात न करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

97. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं और वे किन-किन स्थानों पर कार्य कर रही है;

(ख) क्या विदेशों में इस बैंक की और अधिक शाखाएं खोलने के बारे में व्यापक मांग है;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं, जहां अगले पांच वर्षों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं खोले जाने की संभावना है; और

(घ) विदेशों में बैंक की नई शाखा खोले जाने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय भारतीय स्टेट बैंक की विदेशों में 23 शाखाएं हैं। इन शाखाओं का देश-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

देश	शाखाओं की संख्या
1	2
यूनाइटेड किंगडम	5
संयुक्त राज्य अमेरिका	4
जापान	2
बंगला देश	1

1	2
बाहमास	1
बहरीन	1
सिंगापुर	1
हांगकांग	1
केमैन द्वीप समूह	1
पनामा	1
बेल्जियम	1
फ्रांस	1
श्रीलंका	1
माल्दीव द्वीप समूह	1
पश्चिम जर्मनी	1
कुल	23

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आगामी पांच वर्षों के दौरान विदेशों में शाखाएं खोलने के सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक ने कोई योजना प्रस्तुत नहीं की है।

(घ) विदेशों में शाखाएं खोलने के वास्ते भारतीय बैंकों को अनुमति देने में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई जा रही नीति चयनात्मक है। किसी भारतीय बैंक को विदेशों में शाखाएं खोलने की अनुमति देते समय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मोटे तौर पर आदान-प्रदान के सिद्धांत, आवेदक बैंक की वित्तीय और प्रबन्ध की क्षमता, अतिरिक्त कारबार की सम्भावनाओं, अतिरिक्त शाखाएं खोलने की आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किस्तें

98. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह :

राज वाडियर :

श्री वी० कृष्ण राव :

श्रीमती सुमति उमरांव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली महंगाई भत्ते की किस्तें देय हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस तारीख से;

(ग) इनके भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) ये कब तक जारी की जाएंगी; और

(ङ) उक्त भुगतान पर कितनी धन-राशि व्यय होगी ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) : महंगाई भत्ते के संशोधित फार्मूले के अनुसार, मूल्य वृद्धि प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार मंजूर की जाएगी जो मार्च तथा सितम्बर के वेतन के साथ देय होती है। औद्योगिक कामगारों (सामान्य) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 960=100) को 12 महीनें की औसत में पूर्णांकों में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 1-7-87 से देय महंगाई भत्ता जून 87 को समाप्त अवधि के लिए 608 के औसत सूचकांक से ऊपर 13% बैठता है। यह दिसम्बर 1986 को समाप्त अवधि के लिए हुई प्रतिशत वृद्धि से ऊपर 5% की वृद्धि दर्शाता है जिसके लिए महंगाई भत्ते का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। तदनुसार, 3500/- रु० तक मूल वेतन लेने वाले कर्मचारियों को 100% का निराकरण किया जाना है तथा 3501/- रुपये से 6000/-रुपये के बीच मूल वेतन लेने वाले कर्मचारियों के मामले में 75% का निराकरण किया जाना है और उन कर्मचारियों के लिए जो 6000/- रुपये से ऊपर मूल वेतन ले रहे हैं उनके मामले में 95% का निराकरण किया जाना है, और इसलिए वे क्रमशः 5% 3% तथा 5% की दर से अतिरिक्त महंगाई भत्ते के हकदार हैं।

(ग) और (घ) मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) 1-7-87 से 29-2-88 तक की अवधि के लिए देय अतिरिक्त महंगाई भत्ते से लगभग 230 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए अमरीका के साथ समझौता

99. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए अमरीका के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वित्तीय व्यय पहलुओं से संबंधित समझौते का ब्यौरा क्या है तथा समझौते पर कब से कार्य शुरू किया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए भारत सरकार और अमरीका की सरकार के बीच एक समझौता हुआ है।

(ख) अमरीका से सहयोग के लिए एक समझौते पर 28 अक्तूबर, 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें विभिन्न भारतीय एजेंसियों के लिए हल्के लड़ाकू विमान संबंधी अमरीकी सरकार और अमरीकी एयरोस्पेस उद्योग के साथ प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आपसी सहमति की रूप-रेखा है। दोनों देशों के बीच निर्धारित किए गए "मिशन एरिया" में हल्के लड़ाकू विमान के समयबद्ध कार्यक्रम के लिए अमरीकी सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी के संबंध में निर्यात की शीघ्र अनुमति प्रदान करने, विचार विमर्श की सेवाओं, बची हुई मदों (एण्ड आइटम) आदि की व्यवस्था है। इस कार्य के लिए एक "सिंगल विंडो" निर्धारित की गई है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के अधीन संबंधित वैमानिकी प्रयोगशालाओं और अमरीकी सरकार की संबंधित वैमानिकी प्रयोगशालाओं के बीच प्रयोगशाला से प्रयोगशाला तक सहयोग कार्यक्रम की सहमति हो गई है।

अमरीका से प्राप्त संबंधित वैमानिकी प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करने से हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए प्रणालियां और उप-प्रणालियां आदि उपलब्ध होने की आशा है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की शर्तें, वित्तीय विवक्षा, सुपुर्दगी कार्यक्रम आदि, तकनीकी-आर्थिक विचार और सामान्य वाणिज्यिक बातचीत तथा सरकारी विनियमों द्वारा शासित होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक के शिष्ट मंडल का स्विटजरलैण्ड का दौरा

100. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

श्री राम बहादुर सिंह :

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकारी अधिकारियों के एक दूसरे शिष्ट मंडल ने स्विटजरलैण्ड का दौरा किया;

(ख) क्या स्विस अधिकारियों ने वहां भारतीयों द्वारा खोले गए खातों के बारे में जानकारी देने के लिए सहमति व्यक्त की है;

(ग) समझौते की अन्य बातें क्या हैं; और

(घ) इन पर कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) जब तक भारत सरकार और स्विटजरलैण्ड सरकार के बीच आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता के संबंध में किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक इस विषय पर एक करार को स्वरूप (मोडेलिटी) देने के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए वित्त, विदेश, विधि मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिनिधियों के एक छः सदस्यीय दल ने सितम्बर, 1987 में बर्न (स्वटजरलैण्ड) की यात्रा की थी।

प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को अक्टूबर, 1987 के प्रथम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

संयुक्त राज्य अमरीका से भारत द्वारा खाद्यान्न की खरीद हेतु सहायता

101. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के कृषि विभाग और विश्व बैंक ने भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका से खाद्यान्न की खरीद के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राज्य अमरीका के अधिकारियों ने हाल ही में प्रधानमंत्री के अमरीका दौरे के दौरान इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। सूखे का सामना करने के लिए विश्व बैंक सहायता के संबंध में भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। इस प्रस्तावित सहायता का उपयोग विश्व बैंक के खरीद संबंधी सामान्य मार्ग-निर्देशकों के अनुसार

आयातों के लिए किया जाएगा और ये किसी स्रोत से संबंध नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से सहायता के प्रस्तावों पर अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्श चल रहा है।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारतीय स्टेट बैंक की पोंग डैम शाखा को संसारपुर टैरेस स्थानान्तरित करना

102. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को इसकी पोंग डैम शाखा को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के संसारपुर टैरेस में स्थानान्तरित करने के बाद फिर से खोलने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस शाखा को कौन-सी तारीख को खोला गया;

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) इसमें विलंब के क्या कारण हैं तथा पोंग डैम स्थित बैंक की शाखा को किस तारीख को बन्द किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे संसारपुर टैरेस में पुनः किस तारीख को खोलने की अनुमति दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उसे पोंग डैम शाखा को संसारपुर टैरेस स्थानान्तरित करने की अनुमति दिनांक 15 मार्च, 1983 को दी थी। उपयुक्त स्थान के उपलब्ध न होने और पोंग डैम की स्थानीय जनता के विरोध के कारण शाखा को संसारपुर टैरेस स्थानान्तरित नहीं किया जा सका। अलबत्ता, लगातार प्रयासों के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक को पोंग डैम शाखा को अब संसारपुर टैरेस स्थानान्तरित कर दिया गया है और दिनांक 29 अक्तूबर, 1987 से इस शाखा ने काम करना शुरू कर दिया है।

सूखा और बाढ़ राहत के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को दिशा-निर्देश

103. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में सूखे और बाढ़ से अत्यधिक रूप से प्रभावित किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों की सहायता के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा सहकारी बैंकों द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऋणों की अदायगी को स्थगित करने, दाण्डिक ब्याज दर को समाप्त करने तथा कम ब्याज दरों पर ऋण मंजूर करने सहित विभिन्न रियायतों के प्रावधान से सन्तुष्ट हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो किसानों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूखे/बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों को दूसरी बुआई अर्थात वैकल्पिक फसल, अल्पावधिक फसल, चारा आदि उगाने के लिए बैंकों द्वारा ऋण समर्थन प्रदान किए जाने के वास्ते विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए हैं जहां खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदला जाएगा, बीजों के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, यदि फसल काफी नष्ट हो गयी हो तो उस हालत में निवेश ऋण का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए शीघ्रता से ऋण मंजूर किए जायेंगे तथा छोटे और सीमांतिक किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों को 500 रुपये तक के उपभोग ऋण दिए जाएंगे और उचित दर की दुकानें शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने भी केन्द्रीय सहकारी बैंकों/भूमि विकास बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों की भांति विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किये हैं ताकि ये बैंक किसान तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को आवश्यक ऋण सहायता प्रदान कर सकें।

3 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार सूखा/बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्रों में बैंकों से 2 वर्ष के लिए या अगले सामान्य वर्ष तक, यदि वह पहले हो, देय रकमों की वसूली स्थगित करने के लिए कहा गया है। बैंकों को उन मामलों में दण्डात्मक ब्याज वसूल न करने तथा देय ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में न बदलने के लिए भी अनुदेश दिए गए हैं। बैंक, 3 या उससे अधिक बार लगातार सूखा/बाढ़ से पीड़ित किसानों के मामले में और उन किसानों के मामलों में जिनके ऋणों को परिवर्तित/पुनर्निर्धारित कर दिया गया है, 5000 रुपये तक के अल्पावधिक सावधि ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज लेंगे। ये उपाय केन्द्रीय सरकार के परामर्श से किये गये हैं।

शाखा विस्तार नीति

104. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की शाखा विस्तर नीति क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों अर्थात कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और केरल में अन्य राज्यों की तुलना में बैंक शाखाओं का अनुपात बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् धीरे-धीरे कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये है; और

(ङ) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय तथा इस समय बैंक शाखाओं की, राज्यवार, संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य, प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों की

प्रत्येक 17,000 की जनसंख्या के पीछे और प्रत्येक गांव से 10 किलोमीटर की दूरी के अन्दर कम से कम एक बैंक कार्यालय खोलकर स्थानिक दूरियों को कम करने का लक्ष्य प्राप्त करना है। शहरों, महानगरों और पत्तन नगरों में शाखा विस्तार चयनात्मक आधार पर किया जाता रहेगा और इन क्षेत्रों में नयी शाखाएं खोलने के लिए अनुमति, क्षेत्र की आवश्यकता और कारोबार की संभावना, प्रस्तावित शाखा की अर्थक्षमता आदि को ध्यान में रखकर ही दी जाती है।

(ख) से (ङ) : देश में बैंक कार्यालयों की संख्या (राज्यवार/संघ राज्य वार) और वर्ष 1969 में बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय और 31-3-87 की स्थिति के अनुसार प्रति बैंक कार्यालय के पीछे औसत जनसंख्या से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसे देखने से पता चलता है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा केरल जैसे राज्यों में बैंकिंग सुविधाएं देश में अन्य राज्यों की तुलना में ठीक ही हैं।

विवरण

राष्ट्रीयकरण के समय और 31-3-87 को बैंकों की शाखाओं का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीयकरण के समय शाखाओं की संख्या	प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या	31-3-87 को बैंक कार्यालयों की संख्या (हजारों में)	प्रति बैंक कार्यालय औसत जनसंख्या (हजारों में)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	571	74	4162	13
अरुणाचल प्रदेश	—	—	56	11
असम	74	202	981	20
बिहार	274	206	4232	16
गुजरात	758	34	3089	11
हरियाणा	174	56	1118	11
हिमाचल प्रदेश	41	85	565	8
जम्मू और कश्मीर	35	114	727	8
कर्नाटक	761	38	3958	9
केरल	605	35	2725	9
महाराष्ट्र	1125	44	4940	13
मध्य प्रदेश	344	116	3768	14

1	2	3	4	5
मणिपुर	2	497	67	21
मेघालय	7	144	132	10
मिजोरम	—	—	50	10
नागालैंड	3	139	66	12
उड़ीसा	100	212	1752	15
पंजाब	354	41	2013	8
राजस्थान	369	69	2694	13
सिक्किम	—	—	19	17
तमिलनाडु	1066	37	3935	12
त्रिपुरा	5	311	136	15
उत्तर प्रदेश	753	118	7408	15
पश्चिम बंगाल	505	87	3457	16
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	115	14	13
चण्डीगढ़	21	7	107	4
दिल्ली	274	10	1060	6
गोवा, दमन और दीव	87	8	260	4
दादरा और नगर हवेली	—	—	6	17
पांडिचेरी	12	31	63	10
लक्षद्वीप	—	—	5	8
कुल	8321	65	53565	13

"पाक एक्शन इन विन्टर फीयर्ड" शीर्षक से समाचार

105. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री सुभाष यादव :

श्री प्रकाश चन्द्र : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अक्तूबर, 1987 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पाक एक्शन इन विन्टर फीयर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह

बताया गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर में सर्दियों के प्रारम्भिक में सेना की गतिविधि से जिम्मेदार क्षेत्रों में यह शंका पैदा हो गई है कि पाकिस्तान इस महीने में किसी समय बर्फ ढकी चोटियो पर एक और सैनिक कार्रवाई कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों की रिपोर्ट देखी है लेकिन ऐसी कोई पक्की सूचना नहीं है जिससे यह पता चले कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी फौजों की कोई असामान्य गतिविधियां हैं या जमाव है ।

(ख) सरकार उन सभी गतिविधियों पर पूरी नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करती है ।

सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए नीलामी-कोटा

106. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या **वस्त्र मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अक्तूबर, 1987 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गारमेंट एक्सपोर्ट कोटा आक्सन अपोज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार ने 15 अक्तूबर, 1987 को परिधानों के लिए निर्यात हकदारी वितरण नीति की घोषणा की है जिसके अंतर्गत सुपरफास्ट श्रेणी भाग के लिए खुली निविदा प्रणाली का प्रावधान है । क्योंकि यह नीति अभी हाल ही में घोषित हुई है, अतः सरकार के पास इस समय किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव इस नीति के पुनरीक्षण के लिए विचाराधीन नहीं है ।

इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप पर राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा मारे गए छापे

108. **श्री एच० एन० मन्जे गौडा :**

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :

श्री यशवंत राय गडाख पाटिल :

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने सितम्बर, 1987 के दौरान, "इण्डियन एक्सप्रेस" ग्रुप के देश भर में स्थित दफ्तरों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो ये छापों के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस मामले में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने आयकर विभाग, प्रवर्त्तन निदेशालय के अधिकारियों के साथ और सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों की अधिकारियों की सहायता से दिनांक 1.9.87 को अहमदाबाद, बड़ौदा, बम्बई, बंगलौर हैदराबाद, विजयनगरम् तथा मद्रास और दिनांक 2.9.1987 को कोचीन स्थित मैसर्स इण्डियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर (बम्बेई) प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्बन्धित परिसरों की एक साथ तलाशी ली।

(ख) ये छापे विभिन्न सूत्रों से प्राप्त इस आशय की सूचना के अनुसरण में मारे गये थे कि मैसर्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड और इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप की अन्य सहयोगी कम्पनियां सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973, आयात और निर्यात व्यापार (नियत्रण) अधिनियम, 1947 और उसके तहत बनाए गए विनियमनों एवं नीति, आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य सम्बद्ध अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर रही हैं।

(ग) और (घ) छापे मारे जाने से यह पता चला कि निम्नलिखित तीन अलग-अलग आयात के मामलों के सम्बन्ध में मैसर्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड और इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप की अन्य सहयोगी कम्पनियों और उनके कुछेक निदेशकों तथा कर्मचारियों द्वारा ऊपर उल्लिखित अधिनियमों में से एक का अथवा एक से अधिक अधिनियमों का उल्लंन किया गया है :—

(1) मद्रास में आयातित वैब आफसैट प्रिंटिंग मशीनों के 14 यूनिट;

(2) बम्बई में आयातित फोटो कम्पोजिंग उपकरण;

(3) दिल्ली में आयातित इलैक्ट्रानिक रंगीन स्कैनर।

उक्त उल्लंघनों में अन्तर्ग्रस्त कम्पनियों और व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयो में अभियोजन की कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है।

परिक्रामी निधि में विश्व बैंक का अंशदान

109. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री जी० एस० बसवराजु : क्या **वित्त मंत्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विश्व बैंक से, नव गठित परिक्रामी निधि में अपने अंशदान की राशि बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि भारत में जिन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वचन दिया गया है उनके लिए शीघ्रता से धनराशि का वितरण सुनिश्चित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(ग) अंशदान की राशि में कुल कितनी वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे किन-किन परियोजनाओं को लाभ होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने विश्व बैंक से उस विशेष सुविधा का विस्तार करने का अनुरोध किया है जिसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए परिक्रामी निधि (रिवोल्विंग फण्ड) में अग्रिम संवितरण की व्यवस्था है।

(ख) से (घ) विश्व बैंक ने सिद्धांत रूप में इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। "परिक्रामी निधि" के अन्तर्गत शामिल की जाने वाली परियोजनाओं की सूची अभी तैयार की जानी है और इसलिए संभावित अन्शदान के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

सूखा राहत कार्यों के लिए विशेष ऋण के निर्धारण हेतु विश्व बैंक के दल का दौरा

110. **चौधरी अख्तर हुसन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के एक दल ने देश में व्याप्त भीषण सूखे को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से विशेष ब्याजमुक्त स्थायी ऋण (फ्री स्टैंडिग लोन) के स्वरूप और राशि का निर्धारण करने के लिए भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उस दौरे के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या प्राप्त ऋण के वितरण और इस संदर्भ में किए गए समझौते के अन्तर्गत तत्संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए, भारत को विश्व बैंक की सहायता की संभावना पर उसके साथ विचार-विमर्श चल रहा है तथा सहायता और उसके स्वरूप के बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है। इसलिए अभी कोई निश्चित विवरण देना संभव नहीं होगा।

कर्नाटक में रुग्ण कपड़ा मिलें

111. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में रुग्ण कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इन रुग्ण मिलों का प्रबन्ध राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा ग्रहण किए जाने के बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन मिलों को दोबारा खोलने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने हेतु कोई कदम उठाए हैं जिससे कि मजदूरों में असन्तोष न हो ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31 अगस्त, 1987 को कर्नाटक में 9 रुग्ण/बन्द सूती वस्त्र मिलें थीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार ने रुग्ण वस्त्र मिलों का अध्ययन करने के लिए एक नोडीय अभिकरण स्थापित किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे संभाव्यतः अर्थक्षम है अथवा नहीं। नोडीय अभिकरण उन मिलों के संबंध में पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करता है तथा उनकी व्यवस्था करता है जिन्हें वह संभाव्यतः अर्थक्षम पाता है। गैर-अर्थक्षम मिलों को स्थायी रूप से बन्द किया जा सकता है। उन गैर-अर्थक्षम मिलों के कामगार, जिन्हें 6 जून, 1985 से स्थायी रूप से बंद किया जा चुका है, वस्त्र कामगार पुनर्स्थापना निधि योजना से वित्तीय सहायता के हकदार होंगे।

राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम के लिए धारक कम्पनी

112. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात और निर्यात के क्षेत्र में बेहतर समन्वय के लिये राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम का उनकी सहयोगी कम्पनियों सहित एक धारक कंपनी में विलय किये जाने के सम्बन्ध में "एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज", हैदराबाद से कोई विशेषज्ञ सलाह प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) विदेश व्यापार प्रचालन में सरकारी उद्यम की उपयोगिता निर्धारित करने में नियंत्रक कम्पनी संगठनात्मक संरचना सम्बन्धी अध्ययन के लिए सरकार ने प्रशासनिक कालेज, हैदराबाद की सेवाएं प्राप्त की थीं। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इसकी एक मुख्य सिफारिश एस०टी०सी० और एम०एम०टी०सी० तथा उनके सहयोगियों, वैकल्पिक संगठनात्मक ढांचों में जहां तक सम्भव हो नियंत्रक कम्पनी स्थापना का तर्कावार विश्लेषण करता है। इसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा बांड जारी करना

113. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक सरकारी क्षेत्र की कितनी कम्पनियों को कुल कितनी राशि के बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है,

(ख) इन बांडों में जनता द्वारा लगाई गई राशि का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य क्षेत्र की किसी यूनिट द्वारा इन्हीं शर्तों पर बांड जारी करने की अनुमति मांगी है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : (क) 31 अक्तूबर, 1987 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के 10 उपक्रमों को 3217 करोड़ रुपए के बांड जारी करने की अनुमति दी गई है।

(ख) 31 अक्तूबर, 1987 तक की स्थिति के अनुसार 2350 करोड़ रुपये मूल्य के बांडों का निर्गम पूरा किया जा चुका है और इन बांडों के सम्बन्ध में प्राप्त अभिदान राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए)
(i) वित्तीय संस्थान	349.00
(ii) बैंक	1009.00
(iii) निगमित निकाय	567.00

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र 404.00

(v) अन्य 6.00

(ग) जी, हां।

पोलिस्टर फाइबर और पोलिस्टर निर्मित कपड़ों की तस्करी

115. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान बाढ़ी के देशों, पाकिस्तान, बंगलादेश, और नेपाल से पोलिस्टर फाइबर और पोलिस्टर निर्मित कपड़ों की तस्करी में भारी वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या भारतीय सिथेटिक फाइबर और बाड़ा भारी उत्पाद शुल्कों की वजह से आयातित कपड़ों की तुलना में कई गुना महंगा होता है और इन वस्तुओं की अधिक और अनियंत्रित तस्करी, इस भारी उत्पाद शुल्क का ही सीधा परिणाम है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा किये गये अभिग्रहणों से पता चलता है कि संश्लिष्ट वस्त्र/फाइबर देश में तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तु बनी हुई है। संश्लिष्ट वस्त्रों/फाइबर की देश में तस्करी का निश्चय अधिकतर अन्तराष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय मूल्यों के बीच घटती-बढ़ती लाभ की सीमा के द्वारा किया जाता है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क को छोड़कर भी स्वदेशी संश्लिष्ट फाइबर/वस्त्रों का मूल्य आयातित फाइबर/वस्त्रों के मूल्य से अधिक होता है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन से लागत में जो कमी आती है उसके अभाव, उच्च ऊर्जा लागत आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता देना

116. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को अपनी सहायता समन्वित रूप से प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या बाढ़ से प्रभावित विशेष रूप से बिहार में लोगों के लिए सहायता का कोई पैकेज कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारत सरकार ने दिनांक 12 सितम्बर, 1987 को नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों एवं प्रबंध निदेशकों की एक बैठक बुलायी थी जिसमें बैंकों के अन्य कार्यों के अलावा सूखे/बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए उनके द्वारा किये जाने वाले उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया था। बैंकों से बिहार सहित अन्य सभी राज्यों से अपने अग्रणी तंत्र को सक्रिय करने के लिए कहा गया था ताकि उचित और समय पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक जिले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा सके।

ऋण समर्थन प्रदान करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं ताकि प्रभावित व्यक्ति दूसरी बार बुआई कर सकें, वैकल्पिक फसल अल्पकालीन चारा आदि उगा सकें, अल्पावधिक ऋणों को मध्यावधिक ऋणों में बदला जाएगा, बीजों के उत्पादन के लिये सहायता प्रदान की जाएगी, लघु सिंचाई प्रयोजनों के लिए शीघ्रता से ऋण मंजूर किये जायेंगे तथा छोटे और सीमांतिक किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों को 500 रुपये तक के उपभोग ऋण दिए जायेंगे और उचित दर की दुकानें शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने भी केन्द्रीय सहकारी बैंकों/भूमि विकास बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की भांति विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए हैं ताकि ये बैंक किसानों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को आवश्यक ऋण सहायता प्रदान कर सकें।

3 वर्ष या उससे अधिक समय से लगातार सूखा/बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्रों में बैंकों से 2 वर्ष के लिए अगले सामान्य वर्ष तक, यदि वह पहले हो, देय रकमों की वसूली स्थगित करने के लिये कहा गया है। बैंकों को इन मामलों में दण्डात्मक ब्याज वसूल न करने तथा स्थगित देय राशियों की ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में न बदलने के लिए भी अनुदेश दिए गये हैं। बैंक, 3 या उससे अधिक बार लगातार सूखा/बाढ़ से पीड़ित किसानों के मामले में और इन किसानों के मामले में जिनके ऋणों को परिवर्तित/पुनर्निधारण कर दिया गया है, 5000 रुपये तक के अल्पावधिक सावधि ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज लेंगे।

समुद्री उत्पादों का उत्पादन और निर्यात

118. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री उत्पादों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए समुद्र के किनारे बसे राज्यों को क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) जी हां।

(ख) उत्पादन और समुद्री उत्पाद का निर्यात बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय ने फिशवाटर ऐक्वाकल्चर का विकास करने के लिए परंपरागत शिल्पों के आधुनिकीकरण तथा बीच लैंडिंग शिल्पों को शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इनके अतिरिक्त एम्पीडा प्रान खेतों को स्थापित करने, चीज बैंकों तथा प्रान हैचरियों की स्थापना के लिए सहायता दे रहा है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के अनुसार उत्पादन का मूल्य लक्ष्य 40.00 लाख मे० टन है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 1984-85 की कीमतों पर 446 करोड़ रु० के निर्यात करने का अनुमान लगाया है।

मछली पकड़ने के उद्योग पर संयुक्त उपक्रमों का प्रभाव

119. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय संयुक्त उपक्रमों और शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी समुद्री-उत्पाद उद्योगों का केन्द्रीय मंत्रालय है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में झींगा मछली पकड़ने की दर में निरन्तर गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो एक ही क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी सहयोग से प्रस्तावित संयुक्त उपक्रमों से इसके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों के बारे में पुनर्विचार करने का है जहां मछली पकड़ने की विदेशी नौकाओं का चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) जी हां।

(क) जबकि पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रिम्प कैच में उतार-चढ़ाव होता रहा है फिर भी कुल मिलाकर इसमें स्थिरता रही है।

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी संयुक्त उद्यम नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि निकटस्थ तमुद्रतटीय श्रिम्प संसाधन के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और स्वीडन के बीच व्यापार संतुलन

120. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्वीडन के बीच व्यापार संतुलन पिछले वर्षों से भारत के प्रतिकूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1986 में, होविट्जर्स के बारे में बोफर्स के साथ, समझौता होने के बाद भारत और स्वीडन इस व्यापार संतुलन को ठीक करने के लिए सहमत हो गये थे;

(घ) क्या फिर बाद में स्वीडन द्वारा भारतीय निर्यात की वस्तुओं की प्रति खरीद के बारे में समझौता किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन सी प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया गया अथवा उनके लिये करार किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) तथा (ख) भारत का स्वीडन के साथ गत तीन वर्षों के दौरान त्रिपक्षीय व्यापार निम्नलिखित रूप से रहा है :

	स्वीडन को निर्यात	स्वीडन से आयात	व्यापार
1984-85	39.75	125.23	—85.48
1985-86*	38.87	138.17	—99 30
1986-87*	55.59	353.26	—297.67

*अनन्तिम

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस, कलकत्ता

(ग) से (ङ) एस० टी० सी० ने मेसर्स बोफर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जिससे परवर्ती भारत से व्यापक वस्तुएं खरीदने पर सहमत हो गया है जिनमें शामिल हैं कृषि उत्पाद, अयस्क, धातु और खनिज, विनिर्मित और तैयार माल। भारत से आयत दस वर्ष की अवधि के दौरान किये जाएंगे और बोफर्स से की गई खरीदारियों के मूल्य के 50% से कम नहीं होंगे।

हथकरघा बुनकरों को राहत पहुंचाने के उपाय

121. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि धागे के मूल्य में भारी वृद्धि के कारण पूरे देश में हथकरघा बुनकरों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हैं जैसाकि दिनांक 7.9.1987 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या वर्ष 1972 में गठित रामसहाय आयोग की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गई हैं;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में हथकरघा बुनकरों को संरक्षण देने तथा उन्हे राहत पहुंचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राम सहाय आयोग की स्थापना 1972 में की गई थी तथा इसकी सिफारिशों का कार्यान्वन उस सरकार के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। तथापि, ऐसा समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राम सहाय आयोग की कई सिफारिशें कार्यान्वित की हैं।

(घ) एक **विवरण संलग्न** है।

विवरण

सरकार सामान्यत: हथकरघा क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों के जीवन में सुधार लाने के लिए कई विकासपरक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में उत्पादन, ऋण; विपणन आदि के क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, सरकार बुनकरों के लिए थ्रिफ्ट कोष योजना तथा कार्यशाला-सह-आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी चला रही है।

2. जहां तक यार्न की सप्लाई जोकि बुनकरों के लिए प्रमुख कच्चर माल है का संबंध है, सरकार ने उचित मूल्य पर यार्न की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए है :—

(i) हैंक यार्नदायित्व संबंधी योजना :—

केन्द्रीय सरकार ने सभी वस्त्र मिलों पर अपने विपणन योग्य यार्न के कम से कम 50% भाग हैंकों के रूप में पैक करने सम्बन्धी एक सांविधिक दायित्व लगा दिया है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि ऐसे यार्न 85% भाग 40 तथा इससे कम के काउन्टों में हो।

(ii) एन० सी० डी० सी० को ऋण सहायता :—

एन० सी० डी० सी० को नई बुनकर सहकारी कताई मिलें स्थापित करने और मौजूदा मिलों की क्षमता-विस्तार हेतु ऋण सहायता दी जाती है।

(iii) यार्न पूल :—

राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे राज्य हथकरघा अभिकरणों को उचित मूल्यों पर सप्लाई हेतु राज्य/सहकारी क्षेत्र की कताई मिलों द्वारा उत्पादित हैंक यार्न के पूल बनाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(iv) राज्यों में यार्न कीमत निर्धारक समिति :—

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आन्ध्र प्रदेश; और तमिलनाडु में जहांकि राज्य हथकरघा अभिकरणों को लेने जाने वाले यार्न की कीमत का निर्धारण करने के उद्देश्य से हथकरघा निदेशक के अधीन यार्न कीमत निर्धारण समिति की नियमित बैठकें होती हैं, विद्यमान प्रणाली का अनुसरण करें।

(v) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम :—

केन्द्रीय सरकार ने एन० एच० डी० सी० की स्थापना 1983 में की है। इसका मूल उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र को उचित मूल्यों पर यार्न की सप्लाई करना है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे हथकरघा बुनकरों को कच्चे माल की सप्लाई के लिए दीर्घावधि योजना तैयार करें और उस आधार पर राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के पास पुख्ता मांग-पत्र जमा करें।

तस्करी रोकने के लिए केन्द्रीय समिति

122. **श्री बनवारीलाल पुरोहित :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में तस्करी रोकने के लिये एक केन्द्रीय समिति स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समिति के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यह देश में तस्करी में सम्बन्धी गतिविधियों को रोकने के लिये किस प्रकार कार्य करेगी ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) माननीय सदस्य संभवतया तस्करी-रोधी कार्य से सम्बन्धित अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की उस एक केन्द्रीय समिति का गठन किए जाने का उल्लेख कर रहे हैं जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री ने दिल्ली में 17 सितम्बर, 1987 को हुए सीमा शुल्क एवं तस्करी-रोधी कार्य से संम्बन्धित समाहर्ताओं के सम्मेलन के दौरान निर्देश दिया था। वित्त मन्त्री महोदय के 21 अक्तूबर, 1987 के आदेशों के तहत राजस्व आसूचना निदेशालय, तट रक्षक, सीमा सुरक्षा बल तथा राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति का गठन कर दिया गया है। इससे सम्बन्धित एजेंसियाँ सूचना का आदान-प्रदान एवं समन्वित कार्यवाही कर सकेंगी ताकि समग्र तस्करी-रोधी प्रयास को सुदृढ़ किया जा सके।

रेशम का उत्पादन

123. **श्री बनवारीलाल पुरोहित :**

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशभर के वर्षा पर निर्भर रहने वाले क्षेत्रों में रेशम-कीट पालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों से रेशम उत्पादन के बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वर्तमान सूखे की स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार देश में रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड और भारत सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे किसानों को आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर वर्षायुक्त क्षेत्रों में रेशम उत्पादन का विकास करें। वास्तव में सातवीं योजना कार्यक्रम में वर्षायुक्त परिस्थितियों में शहतूत रोपण के 42,100 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र का विकास करने की व्यवस्था है।

(ग) तथा (घ) इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि शहतूत रोपण कम बारिश होने की परिस्थितियों का भी सामना कर सकता है और इसमें रोजगार की अत्यधिक संभावना है, इसका मौजूदा सूखे की परिस्थितियों में विशेष महत्व है, इसलिए सूखे से प्रभावित राज्यों की राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे अन्तर्निविष्टयों की सप्लाई के जरिए रेशम उत्पादों को राहत देने के लिये आवश्यक कदम उठाएं जैसे इम्दादी दरों पर शहतूत की कलमें देना, भूमि विकास और श्रम सृजनकारी सहायक अवस्थापनात्मक कार्य जैसे कीट पालन गृहों, अनाज गोदामों, चौकी कीट पालन केन्द्रों का निर्माण आदि।

बम्बई में ब्राउन शुगर की जब्ती

124. **श्री बनवारीलाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क समाहर्तालय, बम्बई ने हाल ही में करोड़ों रुपये मूल्य की ब्राउन शुगर जब्त की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ब्राउन शुगर जब्त की गई है और उसका कुल मूल्य कितना है;

(ग) क्या इस बारे में कोई सुराग मिला है कि किस प्रकार इतनी भारी मात्रा में ब्राउन शुगर को तस्करी द्वारा लाया गया; और

(घ) इन कार्यकलापों में संलग्न व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) अगस्त-सितम्बर, 1987 के महीने के दौरान सीमा शुल्क (निवारक) समाहर्तालय, बम्बई के अधिकारियों ने 5 बड़े मामलों में 462 किलोग्राम ब्राउन शुगर हेरोइन पकड़ी थी। पकड़े गए नशीले पदार्थों का सही-सही मूल्य नहीं आंका जा सकता है क्योंकि इनका अवैध बाजार मूल्य इनकी शुद्धता उद्गम स्थान आदि पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न स्थान पर भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) अभी तक की गई जांच-पड़तालों से पता चला है कि नशीले पदार्थों की तस्करी, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका में आगे तस्करी करने के लिए भारत-पाकिस्तान सीमा से की गई थी।

(घ) तस्करी-रोधी अभियान को पूरे देश में और तेज कर दिया गया है। नशीले पदार्थों सहित निषिद्ध माल की तस्करी रोकने और नियन्त्रण के लिए तस्करी-रोधी मशीनरी पूरे देश में विशेषकर समुद्री तटों, भू-सीमा क्षेत्रों के संवेदनशील क्षेत्रों में और हवाई अड्डों पर सतर्क रहती है। नशीले पदार्थों सहित निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए संबंधित एजेन्सियों के साथ बराबर समन्वय बनाए रखा जाता है।

माल की भरमार को रोकने के लिए शुल्क (एन्टी डम्पिंग ड्यूटी)

125. **श्री दौलतसिंह जी जडेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माल की भरमार को रोकने के लिए लगाये जाने वाले शुल्क को समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस मामले पर एसोशियेशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के साथ बात-चीत की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) माल की भरमार को रोकने के लिए टैक्सटाइल फाइबर अथवा यार्न पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। तथापि, पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न पर मूल सीमाशुल्क को दिनांक 18 जून, 1986 से 200% मूल्यानुसार +15 रु० प्रति किलोग्राम से घटाकर 200% मूल्यानुसार कर दिया गया था। शुल्क में यह कमी उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति दर्शाने वाले स्वदेशी पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न की कीमत पर हितकारी प्रभाव पैदा करने के लिए किया गया था।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त शुल्क-कमी पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न प्रयोक्ता उद्योग और संश्लिष्ट फाइबर उद्योग संघ से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखने के उपरांत की गई थी।

खाद्यान्न व्यापारियों के लिए न्यूनतम लाभ

126. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 19 अक्टूबर, से खाद्यान्न व्यापारियों के लिए न्यूनतम लाभ में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बाजार में आने वाली खरीफ की फसल को खरीदने हेतु व्यापारियों की कार्य-कुशलता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या यह किसानों के लिए लाभदायक होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने धान/चावल, दालों और "अन्य अनाज" (गेहूं को छोड़कर) के बदले बैंक अग्रिमों पर दिनांक 19 अक्टूबर, 1987 से न्यूनतम मार्जिन 15 प्रतिशतता बिन्दु बढ़ा दिया है। कई राज्यों में भयंकर सूखे और अन्य राज्यों में बाढ़ की स्थिति के कारण खरीफ की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। कीमतों में भी वृद्धि हुई है। न्यूनतम मार्जिन में वृद्धि सट्टेबाजी के लिए जमाखोरी को रोकने और कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए की गई है। इन उपायों से जनता के सभी वर्गों और विशेष रूप से उपभोक्ताओं और छोटे/सांमान्तिक किसानों को सहायता मिलेगी।

व्यापार प्रतिष्ठानों के लिए निर्यात पैकेज

127. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का व्यापार प्रतिष्ठानों को निर्यात अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उनके लिए अनेक उपाय करने का विचार है;

(ख) क्या उन्होंने इस बारे में अक्टूबर, 1987 में हुई एसोचाम (ए० एस० एस० ओ० सी० एच० ए० एम०) की कार्यशाला में ऐसी कोई घोषणा की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे उपायों का छोटे निर्यातकों विशेषकर उच्च तकनीक वाली मदों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) अप्रैल, 1988 में घोषित की जाने वाली नई आयात व निर्यात नीति से संबंधित कार्य पहले से शुरू कर दिया गया है तथा इस समय कोई ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उत्पादन-एककों के नियमों को उदार बनाना

128. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार का शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी उत्पादन एककों की निर्यात आवश्यकताओं से संबंधित नियमों को उदार बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस के पीछे क्या उद्देश्य है; और

(ग) इसका निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) सरकार ने निर्णय लिया है कि 100% निर्यातोन्मुख एकक अलग-अलग मामले के आधार पर तथा सरकार की पूर्व अनुमति से उचित शुल्कों का भुगतान करने की शर्त पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उत्पादन के 25% तक की बिक्री कर सकी है।

(ग) उपाय का उद्देश्य एककों की अर्थक्षमता में सुधार करना है।

पनडुब्बियों के निर्माण हेतु समझौता

129. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अत्यधिक आधुनिकी पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए किसी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है तथा यह समझौता किस देश के साथ किया गया; और

(ग) पनडुब्बी निर्माण एकक के किस स्थान पर स्थापित किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) (क) जी, हां।

(ख) समझौते की मुख्य-मुख्य शर्तों में शिपयार्ड द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए भारतीय कार्मिकों के प्रशिक्षण सहित पूर्ण तकनीकी सहायता एवं प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है। यह समझौता जर्मन संघीय गणराज्य की मैसर्स एच डी डब्ल्यू के साथ 11 दिसम्बर, 1981 को हस्ताक्षर किया गया था।

(ग) ये पनडुब्बियां मझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई में बनाई जा रही है।

कृषि उत्पादों के निर्यात पर सूखे का प्रभाव

130. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान कितने मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाएगा;

(ख) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात पर सूखे का प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) फिलहाल इतनी कृषि निर्यातों के मूल्य का और चालू वर्ष के दौरान कृषि निर्यातों पर सूखे के पूरे प्रभाव का सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मौजूदा संकटों के अनुसार, सूखे का प्रभाव काली मिर्च और एच० पी० एस० मूंगफलियों के निर्यातों पर महसूस किया जाएगा जिनके उत्पादन में काफी गिरावट आई है और तिलहन के उत्पादन में भी काफी कमी की वजह से आयतमील निस्सारण में भी गिरावट आई है। पहले से निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर गेहूं के निर्यात भी रोक दिए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू खपत के लिए गेहूं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। जबकि ताजे फलों और सब्जियों के निर्यातों पर सूखे के प्रभाव का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है, घरेलू कीमतों में वृद्धि होने से चालू वर्ष में निर्यातों पर असर पड़ सकता है।

वस्त्र निर्यात कोटा वितरण नीति

131. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र निर्यात कोटा वितरण नीति के अंतर्गत निर्यात एककों को कोटा देने का क्या मानदंड है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान नीति के फलस्वरूप बड़े निर्यातकों ने सम्पूर्ण वस्त्र निर्यात व्यवस्था पर एकाधिकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस बारे में सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1987 की परिधान कोटा वितरण नीति के अन्तर्गत कोटे निम्नलिखित आधार पर वितरित किये जाते हैं।

	वार्षिक स्तर का प्रतिशत
गत निष्पादन हकदारी प्रणाली	65
एफ सी एफ एस लघु आदेश प्रणाली	25
उत्पादक-निर्यातक प्रणाली	7
गैर-कोटा निर्यातक प्रणाली	1
केन्द्रीय/राज्य निगम प्रणाली	2

(ख) अन्य पात्रता की शर्तों के आधार पर केन्द्रीय/राज्य निगमों के लिए सुरक्षित को छोड़कर उपरोक्त सभी प्रणालियों के अन्तर्गत छोटे तथा बड़े दोनों ही प्रकार के निर्यातक कोटा प्राप्त करने के प्रतियोगी हो सकते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूखा राहत के लिए व्यय में कमी करने के आर्थिक उपाय

132. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** :

प्रो० के० वी० थामस :

श्री जी० एस० वसवराजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सूखा-राहत कार्यों के लिए संसाधन जुटाने के लिए व्यय में कमी करने हेतु क्या आर्थिक उपाय अपनाये हैं;

(ख) योजना व्यय और योजनेत्तर व्यय में की गई कटौती का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार सूखा-राहत के लिए कुल कितनी धनराशि जुटाई है।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) सरकार द्वारा किफायत करने के संबंध में किए गए उपायों में विदेशी-यात्रा और यात्रा व्यय, राजकीय भोज के आयोजन, फर्नीचर की खरीद, प्रचार कार्य, ईंधन की खपत पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण रखना और ऐसे उत्सवों, मेलों, प्रदर्शनियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को स्थगित करना शामिल है जिनके आयोजन के लिए पहले से कोई पक्की बचनबद्धता न की गई हो। मंत्रालयों/विभागों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ऐसी योजनाओं को आरंभ करने का कार्य स्थगित कर दें जो 1 अगस्त, 1987 तक शुरू न की गई हो। मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत बोनस और अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर होने वाले व्यय को अपने बजट से ही पूरा करें।

(ख) आयोजन-भिन्न बजटीय आबंटन में 250 करोड़ रुपए तक और आयोजना आबंटनों में 200 करोड़ रुपए तक की कमी की गई है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में किए गए उपायों से सूखा राहत के लिए 650 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने की आशा है।

मुद्रास्फीति की तुलना में व्यापार घाटा

131. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार घाटे के कारण देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति आई है;

(ख) यदि हां, तो देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) भारत के व्यापार-समझौते कुल कितने देशों के साथ हैं; और

(घ) सरकार द्वारा व्यापार घाटे और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने के लिए कौन-कौन से प्रयास किये गये हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के पहले 29 सप्ताहों के दौरान (अर्थात् 17-10-1987 तक) सभी वस्तुओं के थोक कीमत सूचकांक में पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7% की तुलना में 8% की वृद्धि हुई। चालू मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति मानसून के न आने, चारा और सूखे की परिस्थितियों के कारण है जिसके फलस्वरूप अनाज, दालों, खाद्य तेलों आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर अत्यधिक मौसमी प्रभाव पड़ा।

(ग) भारत के व्यापार समझौते 61 (इकसठ) देशों के साथ हैं।

(घ) व्यापार घाटे को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने निर्यात बढ़ाने तथा सफल आयात प्रतिस्थापन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने निर्यात संवर्धन के लिए जो उपाय किए हैं

उनमें शामिल हैं, निर्यात उत्पादन के लिए क्षमताएं पैदा करना, हमारे उत्पादों को लागत में प्रतियोगी और प्रौद्योगिकी में और निष्पादन में समान बनाना तथा निर्यात लाभप्रद बनाना, सरकार ने विशेषकर वल्क आयातों के आयात प्रतिस्थापन के संवर्धन के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। जहां तक मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों का संबंध है, सरकार की मुद्रास्फीति रोकने की नीति में शामिल हैं, प्रभावकारी भाग और पूर्ति प्रबंध, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, चीनी, खाद्य तेलों की नियमित रिलीज, विशेष योजनाओं के अंतर्गत कमजोर वर्गों को अनाज की सप्लाई तथा अत्यधिक मुद्रा द्रवता को दूर करना, मुनाफाखोरी, जमाखोरी तथा काले बाजार में लिप्त व्यापारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है।

अवैध खातों के बारे में स्विटजरलैण्ड के साथ समझौता

134. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अवैध तरीकों से धन प्राप्त करके स्विस बैंकों में खाता खोलने वाले कुछ विशिष्ट भारतीयों के मामले का पता लगाने के लिए स्विस अधिकारियों के साथ समझौता करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या है तथा किसी समझौते पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) भारत सरकार और स्विटजरलैण्ड सरकार के बीच आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता के संबंध में एक करार को स्वरूप (मीडेलिटी) देने के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए वित्त, विदेश, विधि मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिनिधियों के एक छः सदस्यीय दल ने सितम्बर, 1987 में बर्न (स्विटजरलैण्ड) की यात्रा की थी।

प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को अक्टूबर, 1987 के प्रथम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर विचार किया जा रहा है।

भारत-अमरीका व्यापार की स्थिति

135. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका में द्विपक्षीय व्यापार को सुधारने के संबंध में सहमत हो गये है;

(ख) यदि हां, तो किए गए समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) दोनों देशों के बीच 1987-88 में व्यापार में किस सीमा तक सुधार हुआ है; और

(घ) वर्ष 1986-87 में किए गए व्यापार से यह किस प्रकार तुलनीय है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : द्विपक्षीय व्यापार सुधारने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। तथापि

प्रधानमंत्री और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति रीगन के बीच 20 अक्तूबर, 1987 को हुई बैठक में सामान्य दृष्टिकोण व्यक्त किया गया कि द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के क्षेत्र में गति-विधियों के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया जा सकता है।

(ग) तथा (घ) उपलब्ध अद्यतन अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच का व्यापार अप्रैल-जून, 1986 की तुलना में 1987-88 की पहली तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून, 1987 में निम्नलिखित प्रकार से हैं :

(मूल्य: करोड़ रु०)

	अप्रैल-जून 1986	अप्रैल-जून 1987	पूर्ण परिवर्तन	%वृद्धि
निर्यात	551.78	647.89	+96.11	17.4
आयात	414.17	511.40	+97.23	23.4

सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए विश्व बैंक से सहायता

136. **श्रीमती वसुधराजेश्वरी :**

श्री एच० डी० पाटिल :

श्री कृष्ण सिंह :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने देश में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक ने विचार-विमर्श के बाद सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी और अब तक दी गई कितनी धनराशि का इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गड़वी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए, भारत को विश्व बैंक की सहायता की संभावना पर उसके साथ विचार-विमर्श चल रहा है तथा सहायता और उसके स्वरूप के बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि

137. **श्री एस० अप्पल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों से शारीरिक श्रम न करने वाले शहरी कर्मचारियों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1987 के अन्त में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था;

(ग) क्या इस वृद्धि से वार्षिक मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो 30 सितम्बर, 1987 को मुद्रास्फीति की स्थिति क्या थी ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) पिछले छः महीनों के दौरान शहरी-गैर-श्रमिक कर्मचारियों (आधार 1969=100) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मासिक घटबढ़ के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :

मास	शहरी-गैर-श्रमिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार1960=100)
मार्च, 1987	625
अप्रैल, 1987	630
मई, 1987	638
जून, 1987	645
जुलाई, 1987	658
अगस्त, 1987 (नवीनतम उपलब्ध)	670

(ग) और (घ) शहरी-गैर-श्रमिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी जनसंख्या के उस वर्ग के खुदरा मूल्यों में औसत परिवर्तन को दर्शाता है जो गैर-श्रमिक व्यवसायों पर आश्रित हैं और इसलिए यह सामान्य मुद्रास्फीति दर का सूचक नहीं है। इस सूचकांक के आधार पर अगस्त 1987 में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 9.30 प्रतिशत बैठती है।

अकुशल राष्ट्रीयकृत बैंकों को बंद करना

138. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय का कोई निर्णय लिया है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार और जनता की अपेक्षाओं की पूरा नहीं करते उन्हें बंद कर दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों को बंद करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसा कोई बैंक बंद किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का निरन्तर यह प्रयास रहता है कि वे जनता की उपेक्षाओं को पूरा करने के वास्ते अपने कार्यनिष्पादन में सुधार करें। सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा राशियां जुटाने, ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों और कमजोर वर्गों को ऋण देने, ग्राहक सेवा, लेखा संबंधी आन्तरिक कार्य और लाभप्रदता जैसे बैंकों के परिचालनों के ऐसे सभी पहलुओं पर इन बैंकों द्वारा की गई प्रगति पर निरन्तर नजर रखी जाती है जिसके लिए उन्होंने कार्य योजनाएं तैयार की हैं।

अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती

139. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी क्षेत्र में श्रेणी एक से श्रेणी चार के पदों के लिए अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण दक्षिण भारत के चार राज्यों में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितने पद रिक्त हैं;

(ख) यह पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) दक्षिणी राज्यों में कार्यरत बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में काफी मात्रा में उपलब्ध उपयुक्त शिक्षित बेरोजगार युवकों की भर्ती करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्रश्न में जिस प्रकार सूचना मांगी गई है, वह तत्काल उपलब्ध नहीं है। दक्षिण भारत के 4 राज्यों में प्रधान कार्यालय वाले 7 राष्ट्रीयकृत बैंकों के विभिन्न संवर्गों में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जनजातियों के वास्ते आरक्षित रिक्त पदों के संबंध में दिसम्बर 1986 के अन्त की स्थिति के अनुसार इन उम्मीदवारों को बकाया से संबंधित उपलब्ध अनन्तिम सूचना नीचे दी गई है :

अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी
185	858	227

(ग) सरकार ने सभी बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को विशेष रूप से बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, त्रिवेन्द्रम को, जिसके क्षेत्राधिकार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की लिपिक संवर्ग की भर्ती के प्रयोजन के लिए लक्षद्वीप समूह आता है सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नौकरियां पाने के लिए लक्षद्वीप समूह के अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पर्याप्त अवसर देने के लिए उपाय करने के वास्ते अनुदेश दिए हैं। उक्त बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड को द्वीपसमूह में परीक्षा केन्द्र खोलने और अपनी भर्ती प्रक्रिया का व्यापक प्रचार करने के लिए भी कहा गया है ताकि इन द्वीपों के निवासी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नौकरियां पा सकें।

मारुति कार के खरीददारों को नोटिस जारी करना

140. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आयकर विभाग मेरठ में सभी मारुति कार मालिकों को अपने वाहन खरीदने के संबंध में अपनी आय के स्रोतों की जानकारी देने के लिए नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ दलाल दोषी पाए गये हैं और यदि हां, तो उनकी कार्यप्रणाली क्या है;

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ङ) क्या आयकर विभाग का दिल्ली सहित अन्य बड़े शहरों में भी ऐसे ही नोटिस जारी करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां। मेरठ में मारुति कार के 303 मालिकों को निवेश का पता लगाने के लिए पूछ-ताछ के लिए पत्र भेजे गए थे।

(ख) पूछ-ताछ से लेखा-बाह्य निवेश के कुछ मामले उद्घाटित हुए हैं।

(ग) इसमें दलालों का शामिल होना नहीं माना गया है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) वाहनों की खरीद के संसाधनों का पता लगाने के लिए सभी स्थानों पर पूछ ताछ की जाती है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कपड़े का सोवियत संघ को निर्यात

141. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री जी० एस० बसवराजू : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का कपड़ा सोवियत संघ को निर्यात करने के संबंध में सोवियत संघ और राष्ट्रीय कपड़ा निगम के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी मात्रा में कपड़े का निर्यात किया जाएगा;

(ग) इस समझौते की अन्य शर्तें हैं; और

(ख) इससे स्थानीय उत्पादकों को कितना लाभ होगा ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सोवियत संघ को 2 मिलियन मीटर सूती वस्त्र की सप्लाई के लिए एन टी सी द्वारा सोवियत संघ के साथ एक संविदा की गई है। इन सूती वस्त्रों की सप्लाई के लिए समय अवधि सितम्बर से नवम्बर, 1987 है।

(घ) इन आर्डरों से एन टी सी की अपनी क्षमता उपयोगिता तथा प्रति यूनिट वसूली को सुधारने में मदद मिलेगी।

भुगतान सन्तुलन संबंधी स्थिति की संवीक्षा

142. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार में हुई कमी और सूखे के कारण कृषि मदों के आयात की प्रतिरिक्त आवश्यकता के संदर्भ में भुगतान सन्तुलन की स्थिति की संवीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बचत के कोई उपाय किए है; और

(ग) यदि हां, तो जून, 1987 के अन्त में विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति क्या थी और जून के पश्चात इसमें कितनी कमी हुई और इस समय भुगतान संतुलन की अद्यतन स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) सूखे के कारण आयात की अतिरिक्त आवश्यकता से उत्पन्न हुई स्थिति और विदेशी मुद्रा भंडार एवं भुगतान शेष पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जा रही है। सरकार ने सूखे की स्थिति को देखते हुए अनावश्यक आयात को रोकने और उसके साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं

को आसानी से उपलब्ध कराए जाने के लिए बहुत से कदम उठाए है। दिनांक 30 जून, 1987 और 30 अक्टूबर, 1987 तक की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भडार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) क्रमश: 7276.44 करोड़ रुपए और 6733.04 करोड़ रुपए का था।

वर्ष 1986 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का विस्तार

143. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के विस्तार की गति धीमी होती चली गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ख) क्या विदेशों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या 159 से घटकर 153 रह गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या वर्ष 1986 के दौरान भर्ती किये गये कर्मचारियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम थी, यदि हां, तो इसके कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1982-85 की शाखा लाइसेंसिंग नीति दिनांक 31 मार्च, 1985 को समाप्त हो गई थी। अलबत्ता, 1985-90 की नई शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित मानकों के अनुसार केन्द्रों का पता लगाए जाने का आबंटन किए जाने तक, बैंकों को अधिक से अधिक बैंक कार्यालय खोलने में मदद देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने इस नीति के अंतर्गत जारी लाइसेंसों की वैधता अवधि को समय-समय पर चयनात्मकता के आधार पर 30.6.86 तक बढ़ा दिया था। पूर्व नीति के अन्तर्गत जारी लाइसेंसों को जो 30.5.1986 तक लंबित थे, व्यपगत/रद्द मान लिया गया और नई नीति के अन्तर्गत संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त पता लगाये गये केन्द्रों की सूची के आधार पर केन्द्रों का आबंटन 1986 के अन्त से शुरू कर दिया गया। इस प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्तमान नीति के अन्तर्गत शाखाएं खोलने के वास्ते लाइसेंस 1986 के अन्त और 1987 के प्रारम्भ से जारी किए गये। इन परिस्थितियों में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा 1985 के दौरान खोली गई 1910 शाखाओं के मुकाबले 1986 के दौरान 129 शाखाएं खोली गई थी।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1986 के शुरू में सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों में से 12 बैंकों की विदेशों में 138 शाखाएं कार्य कर रही थी। 1986 के दौरान सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों की 6 विदेशी शाखाएं बन्द कर दी गई थी क्योंकि ये शाखाएं अलाभकर पाई गई थी।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों में 1985 में भर्ती किए गए 28,900 (लगभग) कर्मचारियों के मुकाबले 1986 के दौरान 21,450 (लगभग) कर्मचारी भर्ती किए गये। भर्ती में कमी इसलिये हुई क्योंकि खर्च में कटौती करने के सरकार सामान्य आदेश बैंकिंग उद्योग पर भी लागू कर दिये गये थे। परिणामतः भर्ती सीमित रही।

गैर-वर्गीकृत वन क्षेत्रों में चाय, काफी और रबड़ बागान लगाना

145. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैरवर्गीकृत वन क्षेत्रों में चाय, काफी और रबड़ के बागान लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में ऐसे क्षेत्रों को चुना गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हालांकि अवक्रमित वन क्षेत्रों में चाय, रबड़ और काफी उगाने के लिए कुछ बेशी क्षेत्र अभिज्ञात किए गये हैं फिर भी वानिकी फसलों के रूप में इन फसलों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिये वन विभाग के परामर्श से अभी इनका व्यापक सर्वेक्षण तथा तकनीकी जांच की जानी है।

हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद

146. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से हल्के लड़ाकू विमान खरीदने तथा तत्संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास करने पर समय व्यतीत करने के बजाए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को खरीदने के लिए नई नीति अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस नई नीति के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी०पाटिल) : (क) सरकार ने "विदेशों से हल्के लड़ाकू विमान की खरीद" के लिये नई नीति नहीं अपनाई है। सरकार की नीति रही है कि इस श्रेणी के विमानों का निर्माण करने के लिये जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस समय अपने देश में कुशलता और विशेषज्ञता अपर्याप्त है वहां विदेशी एयरो-स्पेस कम्पनियों से चुनी हुई सेवाओं का उपयोग करके हल्के लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार किया जाए, उसका विकास किया जाए और उत्पादन किया जाए। साथ ही, देश में आवश्यक प्रौद्योगिकी आधार को चुनी हुई प्रौद्योगिकियां प्राप्त करके सुदृढ़ बनाया जाएगा जिससे आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया जा सकेगा। विभिन्न संघटकों को तैयार करने या खरीदने के निर्णय सामान्य-प्रौद्योगिकीय-आर्थिक आधार पर शासित होंगे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऊपर (क) के अनुसार।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए बीमा योजना

147. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस वर्ष 15 अगस्त, को भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए एक बीमा योजना प्रारंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक यह योजना कौन-कौन से राज्यों में लागू की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम ने 15 अगस्त, 1987 से भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के लिए सामूहिक बीमा योजना को राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया है। यह योजना पूरे देश में सभी भूमिहीन खेतीहर

मजदूरों पर लागू होगी और इसे संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

कच्चे माल के अभाव में कपड़ा मिलों का बन्द होना

184. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी कपड़ा मिलें हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलें रुग्ण हैं या कितनी मिलों में तालाबन्दी है तथा इसके मिल-वार कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कपास, फाइबर आदि कच्चा माल कम दामों पर उपलब्ध न होने के कारण कुछ मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये मिलें कच्चे माल के अभाव में बन्द न होने पाए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1027 (744 कताई तथा 283 संयुक्त मिलें)।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) तथा (घ) सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग को रूई की ऊंची कीमतों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, सरकार द्वारा कच्चे माल की उपलब्धता सम्बंधी स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उद्योग को सहायता पहुंचाने के लिए यथोचित उपाय किए जाते हैं।

स्केन्डेनेवियन देशों को इलायची का निर्यात

149. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलायची बोर्ड ने इलायची का स्केन्डेनेविआई देशों को निर्यात करने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन देशों को कोई निर्यात किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 सितम्बर, तक स्केंडेवियन देशों को भारत का कुल इलायची निर्यात व्यवहारिक रूप से शुन्य है। मसाला बोर्ड (पहले इलायची बोर्ड) की ओर से इन देशों के लिए इलायची के लिए बाजार संवर्धन के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया है।

निर्यात संवर्धन परिषदों का मूल्यांकन

150. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्धन परिषदों का कार्य-निष्पादन क्या है?

(ख) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने और उनमें सुधार के उपाय सुझाने का कार्य किसी संगठन को सौंपा है;

(ग) यदि हां, तो प्राप्त सुझावों का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद को निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यकरण का अध्ययन करने तथा सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विभिन्न सिफारिशों पर विचार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

मुद्रा-स्फीति की दर

151. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में मुद्रा-स्फीति की दर में वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह कितनी है; और

(घ) मुद्रास्फीति की दर में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) नवीनतम अनन्तिम उपलब्ध सूचना के अनुसार, सभी वस्तुओं (आधार 1970-71 = 100) के लिए थोक मूल्य सूचकांक में 17 अक्टूबर, 1987 (नवीनतम उपलब्ध) को समाप्त हुए पिछले छः महीनों के दौरान 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि इसकी तुलना में एक वर्ष पूर्व की तदनुरूप अवधि में इसमें 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(घ) सरकार द्वारा अपनाई जा रही मुद्रास्फीति विरोधी नीति में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को खाद्यान्न के अतिरिक्त भण्डार का आवंटन करना, आवश्यक वस्तुओं जैसे कि चीनी, खाद्य तेलों, दालों की देशीय उपलब्धता को बढ़ाना और प्रणाली से नकदी बाहुल्य को समेटना जैसे मांग और पूर्ति के प्रभावी प्रबन्ध शामिल है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी है कि वे मुनाफाखोरी, जमाखोरी और काला-बाजारी के काम में लगे व्यापारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें।

केरल में सूखा से प्रभावित मसाले उत्पादकों को सहायता

152. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड ने केरल में सूखा से प्रभावित विभिन्न मसालों के उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) मसाला बोर्ड ने केरल में इलायची पर सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए एक पैकेज योजना क्रियान्वित की है। योजना की विशेषताएं निम्नोक्त अनुसार हैं :

(I) घास-पात से ढककर नमी बनाए रखने की तकनीक अपनाने के लिए इलायची उपज-कर्त्ताओं को तकनीकी जानकारी देना तथा फसल और पादपों पर सूखे के प्रभाव को

समाप्त करने के लिए इसी प्रकार कृषि कार्यक्रम चलाना ऐसा प्रमुख इलायची उपजाने वाले क्षेत्रों मे सेमीनारों, परिचर्चाओं के आयोजन, होर्डिंग स्लाइड्स के प्रदर्शन के जरिए पूरा किया गया है।

(II) एक आपातिक योजना क्रियान्वित की गई है जिसके अन्तर्गत सिंचाई उपरकर प्राप्त करने के लिए इलायची उपजकर्त्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा कृषि तालाबों, कुओं और छोटे नियंत्रण बांधों का निर्माण कर पानी के स्रोतों का विकास करना है ताकि फसल पर सूखे के नुकसान को कम करने के प्रयोजन से सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। प्रदत्त उपदानों का अनुपात सिंचाई उपस्करों की लागत का 33⅓% जो कि अम्प सेटों के लिए अधिकतम 5000 रु० तथा छिड़काव एककों के लिए 30,000 रु० है तथा निर्माण लागत का 50% अधिकतम 10,000 रु० प्रति कृषि तालाब/कुंए और 50,000 रु० प्रति नियंत्रण बांधे हैं।

[हिन्दी]

सूखा राहत कोष में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का अंशदान

153. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को जो उत्पादकता से संबंधित बोनस प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, कितने दिन का वेतन बोनस के रूप में दिया गया है;

(ख) क्या सरकार और गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से दो दिन के बोनस के बराबर धनराशि सूखा राहत कोष अथवा कर्मचारी भविष्य निधि में देने के लिए संयुक्त रूप से अपील की है; और

(ग) यदि हां, तो इस अपील पर कुल कितने प्रतिशत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अमल किया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग से राज्य मंत्री (श्री बी० के० छेत्री) : (क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को, जो किसी उत्पादकता से जुड़ी बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, लेखा वर्ष के 1986-87 के लिए 25 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस मंजूर किया गया है।

(ख) और (ग) वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों से बोनस की राशि भविष्य निधि में स्वेच्छा से जमा कराने की अपील की थी। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महासंघ के अध्यक्ष ने वित्त मंत्री की अपील का समर्थन किया था।

कितने कर्मचारियों ने अपील का अनुपालन किया है; इसके आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों से विकास के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन

154. **श्रीमती शीला कुमार** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विकास के लिए विशेष संघटन योजनाओं और 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन आशाओं के अनुकूल है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु कौन से उपाय सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 20 सूत्री कार्यक्रम सहित सरकार के विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में निरन्तर प्रगति दिखा रहे हैं। जनवरी, 1986 से दिसम्बर, 1986 तक इन बैंक ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभेदी ब्याज दर योजना तथा अन्य विशेष कार्यक्रमों के अधीन 1632974 ऋण खातों के अन्तर्गत 306.71 करोड़ रुपये के ऋण दिए जाने की सूचना दी है। जहां तक 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का संबंध है, बताया गया है कि जून, 1986 के अंत में 147 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 937918 लाभार्थियों को 95.58 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभेदी ब्याज दर योजना तथा अन्य विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को दिए गए ऋणों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि ये कार्यक्रम लक्षित समूहों के लिए बनाए गए हैं और मानकों के अनुसार, इन समूहों में अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के होने चाहिए। चूंकि जिन लक्षित समूहों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण दिए जाते हैं उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का बाहुल्य होता है, इसलिए सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अलावा दिए जाने वाले काफी ऋणों से भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को लाभ होता है।

रक्षा सेवाओं में भर्ती के संबंध में समाचार

155. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रक्षा सेवाओं में युवाओं की भर्ती में भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में कोई समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान विशेष रूप से सितम्बर, 1987 में केरल में कन्नानोर में रक्षा सेवाओं के लिए की गई भर्ती के दौरान भ्रष्टाचार/घूस लिए जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ग) इस प्रकार के भ्रष्ट कार्यों के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे किसी विशिष्ट मामले की सूचना नहीं मिली है। परन्तु समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ शिकायतें ध्यान में आई है जिनकी जांच की जा रही है।

(ग) सभी शिकायतों की विभागीय या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच-पड़ताल की जाती है और जो दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

जापान से विकास सहायता

156. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान भारत को विकास सहायता के रूप में 620 करोड़ रुपये का ऋण दे रहा है;

(ख) इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में श्री सैलम पन बिजली परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) आन्ध्र प्रदेश के लिए धन-राशि कब जारी की गई थी;

(ङ) क्या आन्ध्र प्रदेश में दूरसचार के विकास के लिए कोई धनराशि नियत की गई है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में नियत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) जापान ने वर्ष 1987-88 के लिए 68.477 अरब येन (625.87 करोड़ रुपये) की द्विपक्षीय ऋण सहायता देने का वचन दिया है। इस धनराशि का उपयोग निम्नलिखित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा :—

1. श्री सैलम वाम तट जल विद्युत स्टेशन परियोजना (I);
2. पुरूलिया पंप्ड स्टोरेज परियोजना (इंजीनियरी सेवाएं);
3. अनपारा "बी" तापीय विद्युत स्टेशन निर्माण परियोजना (II);
4. असम गैर विद्युत स्टेशन एवं ट्रांसमिशन लाइन निर्माण परियोजना (II);
5. तमिलनाडु लघु उद्योग उपक्रम विकास परियोजना;
6. दूरसंचार तंत्र प्रसार परियोजना (x);
7. गोरखपुर उर्वरक संयंत्र नवीकरण/पुनस्थापन परियोजना;
8. एफ० ए० सी० टी० कोलीन प्रभाग आबद्ध विद्युत संयंत्र परियोजना।

आन्ध्र प्रदेश में श्री सैलम वाम जल तट विद्युत स्टेशन परियोजना (I) के लिए 26.001 अरब येन (138.56 करोड़ रुपये) की अधिकतम राशि आबंटित की गई है। इस राशि का उपयोग परियोजना की कार्यान्वयन क्रम के अनुसार किया जाएगा।

(ङ) से (छ) 3.337 अरब येन (30.50 करोड़ रुपये) की राशि राष्ट्रीय दूर संचार तंत्र प्रसार परियोजना के लिए आवंटित की गई है। परियोजना में राज्य-वार आवंटनों की व्यवस्था नहीं है।

बैंक आफ इंडिया का ग्रामीण बैंकिंग कार्यक्रम

157. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इण्डिया ने अपने प्रवर्तित ग्रामीण बैंकिंग कार्यक्रम का विस्तार किया है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम में दुधारू पशुओं के लिए पशु-चिकित्सा कैम्प लगाना सम्मिलित है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कार्यक्रम किन-किन राज्यों में आरम्भ किया गया है; और

(घ) क्या ऐसे कार्यक्रम उड़ीसा में भी शुरू करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि उसने ग्रामीण गरीबों के लाभ के लिए हाल में, पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करने के वास्ते एक योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत गांवों और नजदीक के छोटे गांवों के दुधारू पशुओं का मुफ्त इलाज करने के लिए पशु चिकित्सकों की सप्ताह में एक बार शाखा में बुलाने की व्यवस्था करने के वास्ते ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं को निदेश दिए हैं। इस योजना में उड़ीसा राज्य की शाखाओं सहित बैंक की सभी ग्रामीण और शहरी शाखाओं को शामिल करने का परिकल्पना की गई है।

सोवियत संघ के सहयोग से पटसन मिलों का आधुनिकीकरण

158. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय कम्पनियों ने सोवियत संघ के सहयोग से अपनी पटसन मिलों के आधुनिकीकरण के लिये कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पटसन मिलों के नाम सहित, सोवियत संघ द्वारा उनके आधुनिकीकरण हेतु दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

हीरों का निर्यात

159. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1987-88 में हीरों के निर्यात के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) सितम्बर, 987 के अन्त तक हीरों के निर्यात में क्या वास्तविक उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ग) 1986 में इसी अवधि के नियत आंकड़ों की तुलना में इन निर्यात आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) 1987-88 में तराशे हुए और पालिश किये हुए हीरों का निर्यात लक्ष्य 1830 करोड़ रु० का है।

(ख) से (घ) रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 86 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 87 में तराशे हुए और पालिश किये हुए हीरों के निर्यात निम्नलिखित रूप से आंके गये है।

	(करोड़ रु०)
अप्रैल-सितम्बर, 87	1159
अप्रैल-सितम्बर, 86	908

इन्जीनियरी और चिकित्सा कालेजों द्वारा विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस तथा होस्टल फीस बहुत अधिक लिया जाना

160. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बहुत से इन्जीनियरी और चिकित्सा कालेजों द्वारा विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस और होस्टल फीस बहुत अधिक ली जा रही है; और

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुत्र/पुत्री की फीस/होस्टल प्रभार के रूप दी गयी राशि पर आय कर में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाती है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

व्यय विभाग में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) जिन इंजीनियरी कालेजों को कुछ राज्य सरकारों द्वारा बहुत अधिक ट्यूशन फीस और होस्टल फीस लेकर इंजीनियरी पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी गई है उन्हें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं समझा जा सकता है। जहां तक चिकित्सा कालेजों का सबंध है वे सरकार द्वारा अनुमोदित फीस ले रहे हैं।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों के संबंध में फीस अथवा होस्टल प्रभार के रूप में दी गई राशि पर कोई आयकर छूट नहीं दी जाती है। ये माता-पिता के व्यक्तिगत खर्च है जिनके लिए सामान्यतः कोई आयकर छूट नहीं दी जाती है। सरकार आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए आय से यथा संभव कटौतियां समाप्त करने पर विचार कर रही है और ऐसी छूट उसके अनुरूप नहीं होती। इसके अलावा, केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित रखे गए किसी भी लाभ को भेदभाव के रूप में चुनौती दी जा सकती है।

हवाई अड्डों पर निषिद्ध सामान का पकड़ा जाना

161. **श्री शांताराम नायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में देश में विभिन्न हवाई अड्डों से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निषिद्ध सामान पकड़ा गया;

(ख) क्या सरकार ने हवाई अड्डों मे निषिद्ध सामान के व्यापार को समाप्त करने के लिए अपने सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क तंत्र को कड़ा किया है;

(ग) यदि हां, तो इन उपायों का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या इन उपायों के वांछित परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गड़वी) : (क) अगस्त और सितम्बर, 1987 के मास के दौरान देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर पकड़े गए माल का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मूल्य : लाख रुपयों में)

पकड़ी गई वस्तुएं	
सोना	306
घड़ियां	11
सैन्थेटिक फैब्रिक्स	2
खतरनाक औषधियां	51
भारतीय/विदेशी मुद्रा	39
अन्य	143
कुल	552 (अनन्तिम)

(ख) और (ग) तस्करी-रोधी अधियान को पूरे देश में तेज कर दिया गया है। देश में तस्करी को रोकने और पता लगाने के लिए तस्करी-रोधी तन्त्र पूरे देश में, विशेषकर समुद्र तट क्षेत्रों, भू-सीमा क्षेत्रों तथा हवाई अड्डों के संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहता है। यात्रियों द्वारा अपने शरीर में और अपने असबाब/कार्गों में छुपाये गये सोने को रोकने और पता लगाने के लिए एक्स-रे मशीनों, धातु खोजी यंत्रों आदि जैसे अत्याधुनिक तस्करी-रोधी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। देश में तस्करी को रोकने और इसका पता लगाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ बराबर समन्वत बनाए रखा जाता है।

(घ) जी, हां।

हथकरघा समितियों को बहुत बढ़िया सूत की सप्लाई

162. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च कोटि के सूत के निर्यात को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इसका हथकरघा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो हथकरघा समितियों को सस्ती दरों पर ऊच्च कोटि का सूत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार सीमांत उच्चतम सीमा के भीतर काउंट ग्रुप 1 से 60 के सूती यार्न के निर्यात की अनुमति दे रही है। 60 काउंट से ऊपर के यार्न के निर्यातों की कोई सीमा नहीं है। तथापि अधिक काउंट के यार्न अर्थात् 60 काउंटों से ऊपर के यार्न का निर्यात उल्लेखनीय नहीं हैं। हाल ही में हथकरघा क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए 1 से 60 काउंट ग्रुप के हैंक यार्न के निर्यात की अनुमति न देने का निर्णय लिया है।

सोने की तस्करी

163. **श्री के० पी उन्नीकृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोने की तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(ख) भारत में 1985-86 में और अक्तूबर, 1987 तक कितनी मात्रा और (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) मूल्य का सोना जब्त किया गया;

(ग) किन-किन क्षेत्रों और प्रदेशों में इस तस्करी में वृद्धि हुई है;

(घ) वर्ष 1986 और 1987 में किन-किन हवाई अड्डों पर सबसे अधिक मात्रा में सोना जब्त किया गया; और

(ङ) सोने की तस्करी रोकने एवं तस्करी-रोधी उपायों में कमियों को दूर करने के लिए क्या निवारक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा किए गए अभिग्रहणों से पता चलता है कि सोना देश में तस्करी के लिए आकर्षण की मद बनी हुई है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों एवं किए गए अभिग्रहणों के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों की तस्करी हेतु सुगम्य क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है :—

1. पश्चिमी तट
2. पूर्वी तट
3. भारत-पाक सीमा
4. भारत-नेपाल सीमा
5. भारत-बंगलादेश सीमा
6. भारत-बर्मा सीमा
7. अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे।

(घ) वर्ष 1986 तथा 1987 (सितम्बर तक), के दौरान बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और त्रिवेन्द्रम स्थित हवाई अड्डों से पकड़े गए माल का मूल्य नीचे दिया गया है :—

(मूल्य : करोड़ रुपयों में)

हवाई अड्डा	1986	1987 (सितम्बर, तक)
बम्बई	20.21	18.87
कलकत्ता	1.72	1.49
दिल्ली	5.90	4.28
मद्रास	4.72	2.77
त्रिवेन्द्रम	3.83	2.29

(ङ) पूरे देश में तस्करी-रोधी अभियान तेज कर दिया गया है। देश मे तस्करी को रोकने तथा इसका पता लगाने के लिए तस्करी-रोधी तन्त्र संपूर्ण देश में विशेष रूप से समुद तट क्षेत्रों तथा भू-सीमा क्षेत्रों तथा हवाई अड्डों के संवेदनशील क्षेत्रो में सतर्क रहता है। यात्रियो द्वारा अपने शरीर और अपने असबाब/कार्गो में छिपाए गए सोने का पता लगाने तथा इसे रोकने के लिए धातु-खोजी, एक्स-रे मशीनों, क्लोज सर्किट टेलिविजनों जैसे अत्याधुनिक तस्करी-रोधी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। देश में तस्करी को रोकने एवं इसका पता लगाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जाता है।

(वर्ष 1987 के लिए आंकड़े अनन्तिम हैं)

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों का पूंजी निवेश ऋण जमा का अनुपात

164. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऋण-जमा तथा पूंजी निवेश ऋण जमा अनुपात में सुधार करने के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उठाए गए कदमों का भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का, राज्यवार संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

सशस्त्र सेना मुख्यालय और अन्तर सेवा संगठनों में सिविल कर्मचारियों का बर्खास्त किया जाना

165. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों में काम करने वाले सिविल कर्मचारियों को बड़ी संख्या में ड्यूटी में अवैध रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है/निकाला गया है;

(ख) क्या इसी अवधि के दौरान इसी प्रकार के कदाचार के लिए इतनी ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मामूली दंड देकर छोड़ दिया गया;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव तथा सभी मामलों में नियमों तथा विनियमों को समान रूप से लागू न करने के क्या कारण हैं;

(घ) इन सभी मामलों की पुनरीक्षा करने तथा भविष्य में नियमों और विनियमों को समान रूप से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) कितने मामलों में इस प्रकार भेदभाव बरता गया तथा पुनरीक्षा का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। सशक्त सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनो के 10 हजार से अधिक प्राधिकृत

कर्मचारियों में से केवल 35 कर्मचारियों को 1-11-1984 से 31-10-87 तक तीन वर्ष की अवधि के दौरान ड्यूटी से अवैध रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है/हटाया गया है।

(ख) इस अवधि के दौरान, ड्यूटी से अवैध रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में 43 कर्मचारियों को मामूली दण्ड (शास्ति) दिया गया है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में यह व्यवस्था है कि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाही में समुचित और पर्याप्त कारण के कदाचार का आरोप सिद्ध होने पर उसे सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उक्त नियमावली के नियम 11 में उल्लिखित किसी एक अथवा एक से अधिक दण्ड दिए जा सकते हैं। किसी कदाचार विशेष के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा विशेष दण्ड देने हेतु कोई मार्गदर्शन सिद्धान्त निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि प्रत्येक मामले में कदाचार की गंभीरता, सरकारी कर्मचारी के पिछले रिकार्ड तथा कदाचार की परिस्थितियों जैसी विभिन्न बातों पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है। उन सरकारी कर्मचारियों को ही सेवा से बर्खास्त करने/निकाले जाने पर दण्ड दिया गया है जो लम्बे समय तक अवैध रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे हैं अथवा जांच अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने में लापरवाही बरतते रहे हैं जिससे यह अनुमान लगता है कि कर्मचारी आगे सेवा में बने रहने के लिए इच्छुक नहीं है।

एडवांस्ड टर्बो प्रॉप एअरलाइनर के लिए "टेल" विमानों की सप्लाई के लिए ब्रिटिश एसोस्पेस और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के बीच समझौता

166. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन द्वारा बनाए जा रहे विकसित टर्बो प्रॉप रीजनल एअरलाइनर के लिए "टेल" विमान के 150 सेटों की सप्लाई हेतु ब्रिटिश एरोस्पेश और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में कोई समझौता हुआ है;

(ख) क्या समझौते के अन्तर्गत अन्य मदों का निर्माण आरंभ करने हेतु मार्ग प्रशस्त होने की संभावनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में समझौते का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) 14-5-1987 को मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) एवं मैसर्स ब्रिटिश एरोस्पेस (बी ई) के बीच हस्ताक्षर किए गए "आपसी समझौते के एक ज्ञापन" की शर्तों के अनुसार, ब्रिटिश एरोस्पेस, आपसी समझौते की शर्तों पर, उनके द्वारा निर्मित किए जा रहे उन्नत टर्बो एअरलाइनर के लिए विमान के कम से कम 150 एयरक्राफ्ट सेटों के टेल प्लेनों के लिए आर्डर देने पर सहमत हो गया है। इस आर्डर में पहले दिए गए 12 सेटों का आर्डर भी शामिल है। "आपसी समझौते के ज्ञापन" में ब्रिटिश एरोस्पेस की जरूरत के लिए अन्य मदों को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में निर्माण करने की संभावना भी शामिल है बशर्ते हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड इसके साथ-साथ प्रतियोगी बने।

क्रिकेट खिलाड़ियों की ओर बकाया आय-कर

167. **श्री शांताराम नायक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट दल के सदस्यों, जो रिलायंस विश्व कप में भाग ले रहे हैं, पर आय-कर विभाग का कोई बकाया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक खिलाड़ी का नाम क्या है और प्रत्येक पर कितनी धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) भारतीय क्रिकेट दल के जो सदस्य रिलायंस कप में भाग ले रहे हैं और जिन पर आयकर बकाया है उनके नाम (प्रत्येक पर बकाया मांग सहित) नीचे दिए जाते हैं :

नाम	बकाया आयकर मांग
	(रुपये)
सर्वश्री	
1. एस० एम० गावस्कर	1201
2. दिलीप बेंगसरकर	2323
3. रोजर बिन्नी	4949
4. मो० अजरूद्दीन	145
5. मनिन्दर सिंह	629

अन्य भाग लेने वालों के सम्बन्ध में आयकर की कोई मांग बकाया नहीं है।

भारत-सोवियत संघ व्यापार वार्ता

168. **डा० बी० एल० शंलेश :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले महीने नई दिल्ली में निर्यात और आयात मदों की सूची को अन्तिम रूप देने तथा आगामी तीन वर्षों में व्यापार में ढाई गुना वृद्धि करने के लिए भारत-सोवियत संघ की अधिकारी-स्तर की वार्ता आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता में अन्य किन बातों पर विचार-विमर्श किया गया; और

(ग) इस वार्ता के फलस्वरूप भारत-सोवियत संघ के बीच किए गए किन्हीं व्यापारिक समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) : भारत-सोवियत व्यापार और आर्थिक संबंधों से संबंधित विषयों पर एवं आगामी पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार कारोबार को 2.5 गुना बढ़ाने हेतु अर्थोपयों पर परिचर्चा करने के लिए एक सोवियत प्रतिनिधि मण्डल 17 से 26 अक्तूबर, 1987 तक भारत की यात्रा पर आया। इस परिचर्चा में व्यापक विषय शामिल थे जैसे कि व्यापार ढांचे का विधिकरण परिवहन, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, विद्युत,

कोयला, तेल, जल संसाधन आदि जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना, सहयोग के नये तरीकों को प्रोत्साहन देना जैसे संयुक्त उद्यम, सेवा क्षेत्र में सहयोग आदि और वित्तीय संस्थानों सहित दोनों देशों के विविध संगठनों के बीच सीधे संबंध बढ़ाना। इस प्रकार कोई व्यापार करार नहीं किया गया था।

राज्यों द्वारा सूखा राहत राशियों का अन्यत्र प्रयोग

169. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा सूखा राहत के लिए प्रदान की गई राशि का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) चालू वर्ष में सूखा राहत के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को दी गई निधियों का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने की अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गृह निर्माण कार्यों के लिए ऋण देने हेतु एक "सब्सीडियरी" स्थापित करने संबंधी केनरा बैंक का प्रस्ताव

170. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैनरा बैंक ने गृह निर्माण कार्यों के लिए ऋण देने हेतु एक "सब्सीडियरी" स्थापित करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे आवास वित्त कम्पनी बनाने के वास्ते केनरा बैंक से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस वित्त कम्पनी की प्राधिकृत इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव है और केनरा बैंक एवं अन्यों द्वारा 5 करोड़ रुपये का प्रारंभिक पूंजी का अभिदान निम्नलिखित अनुपात में किया जायेगा :

1. केनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि०	4 प्रतिशत
2. केनरा बैंक	30 प्रतिशत
3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट	15 प्रतिशत
4. हाऊसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लि०	11 प्रतिशत
5. सार्वजनिक निर्गम	40 प्रतिशत

प्रस्तावित आवास वित्त कम्पनी गृह निर्माण के वास्ते लोगों को सीधे वित्त प्रदान करेगी। यह कम्पनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम जैसे संगठनों को सामूहिक गृह

निर्माण योजनाओं के वास्ते भी वित्त प्रदान करेगा। ऋण की रकम 10,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक होगी जो उधारकर्ताओं की वापसी अदायगी की क्षमता पर निर्भर करेगी। वापसी अदायगी 5-20 वर्षों में समान मासिक किस्तों में की जाएगी। ब्याज की दर 12.5 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत वार्षिक होगी। यह कम्पनी निर्माताओं को गृह निर्माण परियोजनाओं को पूरा करने के वास्ते भी वित्त प्रदान करेगी।

इलायची का निर्यात

171. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के निर्यात में वर्ष 1985-86 और 1986-87 की तुलना में 1987-88 के दौरान कमी आई है;

(ख) भारत में 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में अक्तूबर, 1987 तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की इलायची का निर्यात किया गया;

(ग) क्या ग्वाटेमाला और अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण भारत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान खोता जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) 1987-88 के दौरान इलायची के निर्यात के आंकड़े अगले वित्तीय वर्ष के लिए दौरान उपलब्ध होंगे, निर्यात की गई इलायची (छोटी) की मात्रा व मूल्य निम्नोक्त अनुसार है :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (करोड़ रु०)
1985-86	3271	53.46
1986-87	1450	18.50
1987-88 (अगस्त तक)	122	1.41

अक्तूबर, 1987 तक की अवधि के लिए निर्यात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी हां।

(घ) उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं, पुनर्रोपण सिंचाई योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए इलायची की उत्पादकता बढ़ाना, अनुसंधान आदि तथा हमारे उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए बाजार संवर्धन योजनाएं शुरू करना।

झींगा मछली की कम कीमतें

172. **श्री गुरुदास कामत :**

चौधरी राम प्रकाश : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जापानी येन के मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद इस वर्ष पूरे देश में लाखों मछुआरों को झींगा मछली की कम कीमत मिलने के कारण नुकसान उठाना पड़ा है;

(ख) कुछ बेईमान समुद्री उत्पाद निर्यातकों द्वारा किये गये मूल्य गठबंधन का मुकाबला करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या लाखों मछुआरों के हित में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) जापान को हमारे अधिकांश श्रिम्प निर्यातों में मध्यम आकार की सिररहित श्रिम्प होती है। येन की स्थिरता के बावजूद अक्तूबर, 1987 के मध्य में जापानी बाजारों में ताइवान, चीन, वियतनाम आदि द्वारा अधिक मात्रा में ताजी संवर्धन श्रिम्प की सप्लाई के कारण कीमतों में काफी गिरावट आ गई थी। हालांकि अब जापान में वर्ष के अंत में ऋतु बिक्री आरंभ होने के कारण इस स्थिति में सुधार हुआ है।

हाल ही में विशाखापट्टनम में श्रिम्प की लाभकारी कीमत की समस्या सरकार के ध्यान में लाई गई है। यह अब विशाखापट्टनम में ट्रालर ओपरेटर्स, निर्यात की तथा अन्य अधिकारियों के सहयोग से सुलझा ली गई है। एम पी ई डी ए अपने वर्तमान रूप में मछुआरी के हित की रक्षा के लिए समक्षम है।

———

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : मैंने श्रीलंका के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं राजीव-जयवर्धने समझौते के संदर्भ में श्रीलंका की विस्फोटक स्थिति को संभालने में सरकार की असफलता के बारे में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। उन्होंने देश के नाम पर धब्बा लगाया है और हम गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में उपहास का विषय बन गए हैं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? क्या मैं कुछ कह सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आज श्रीलंका के मसले पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कृपया सरकार से वक्तव्य देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहूंगा। मुझे उन्होंने पक्का वायदा किया है। मैंने सभी विपक्षी नेताओं से बात की थी और मुझे स्वयं भी इस बात की चिंता थी कि हमें श्रीलंका की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए और हम इसके लिए सहमत हो गए थे।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आपकी बात गलत होने की संभावना है। हमने आपको बताया था हम स्थगन प्रस्ताव पर जोर देंगे। अतः कृपया आप हमारी बात ठीक से कहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मैं मानता हूं। मेरे पास लगभग 10-15 स्थगन प्रस्ताव हैं। मुझे सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे सोमवार को विस्तृत वक्तव्य देंगे क्योंकि उस समय तक उन्हें····

श्री पी० कुलनदईवेलु : आज क्यों नहीं ? आपने हमें वचन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुलनदईवेलु, आप वहां नहीं थे। आप बाद में वहा मौजूद नहीं थे, आप पहले थे, और सभी माननीय सदस्य वहां थे। हमने यह तय किया था कि कुछ कारणों से अन्तिम वक्तव्य, पूरा वक्तव्य सोमवार को होगा। इसीलिए मैंने बातचीत शुरू की थी और यह तय किया था कि हम इसके बाद मंगलवार को इस पर चर्चा करेंगे। सीधी सी बात है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने वक्तव्य के बारे में कहा था। किन्तु विस्फोटक स्थिति संभालने में सरकार की असफलता के बारे में हमारे प्रश्न का क्या हुआ ? उसमें आलोचन भी है। वह उनके द्वारा सोमवार को दिए जाने वाले वक्तव्य से भिन्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे टोकें नहीं; कृपया बीच में न टोकें। मैं कुछ कह रहा हूं। मुझे एक बात खत्म कर लेने दें। तब मैं आपकी बात सुनूंगा। हमने आपके द्वारा बनाई गई नियम पुस्तिका के आधार पर व्यवस्था की है। मैं ऐसे विषय पर चर्चा कराऊंगा जो कार्यसूची में शामिल नहीं है किंतु मैंने ऐसा सबकी सहमति से किया है। पूरा वक्तव्य सोमवार को होगा और हम मंगलवार को उस पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : इसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्राथमिकता समझता हूं, आवश्यकता समझता हूं। मैं ऐसा कर देता किंतु कुछ मजबूरियों एव संवैधानिक दायित्वों के कारण हमें पंजाब के मसले पर पहले विचार करना है ··

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप हमें बता सकते है कि श्रीलंका में विस्फोटक स्थिति को संभालने में असमर्थ होने के कारण सरकार की आलोचना करने का हमारे पास कोई रास्ता है ?

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले भी ऐसा किया है; हम बाद में भी कर सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : हम इसीलिए स्थगन प्रस्ताव पर जोर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं मानता। अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्यों को बोलने के लिए बुलाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। अब मैंने माननीय सदस्या को बुलाया है। मैंने आपको एक अवसर दिया है। अब मैं उन्हें बोलने का अवसर दे रहा हूं।

श्रीमती मीरा कुमार (बिजनौर) : इस सभा पर सती प्रथा को तत्काल समाप्त करने का जबरदस्त नैतिक दायित्व है। देवराला में एक किशोरी को जिंदा जला दिया गया है। इससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है और राष्ट्रीय पाप है। हमें मिलकर इसका प्रायश्चित करना चाहिए और इस पर चर्चा की जानी चाहिए और सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : हम उनकी मांग से पूर्णतया सहमत हैं कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए तथा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए केन्द्रीय विधान बनाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती मीरा कुमार : यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। इस पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मेरा कहना है कि न केवल मैं, विपक्ष के सदस्य, बल्कि पूरा सदन इस बात पर सहमत है। और हमने अपनी बैठक में पहले ही निर्णय ले लिया है कि इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे तथा सरकार से आग्रह करेंगे कि इस संबंध में कार्यवाही की जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधान बनाने के संबंध में क्या विचार है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, पूरा देश व्यथित था, इस बात को पूरे देश में जबरदस्त आलोचना तथा विरोध किया जा रहा था। मैंने विपक्षी नेताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने भी निदेश दिया कि इस संबंध में अधिनियम बनाया जाना चाहिए। ऐसा विधेयक पारित किया जाएगा। हम इसे संसद के समक्ष लाने से पूर्व समूचे विपक्ष और राष्ट्र से विचार विमर्श करेंगे। हमारे समाज से सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए यह राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक प्रयत्न तथा कड़ा कानून होगा।

अध्यक्ष महोदय : एक सुस्पष्ट कानून।

(व्यवधान)

12.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1987, वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1987 लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1987 और ओरोकिले (आयात उपबंध) संशोधन अध्यादेश 1987

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं श्री एच० के० एल भगत की ओर से संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

(1) राष्ट्रपति द्वारा 19 सितम्बर, 1987 को प्रख्यापित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का संख्या 5)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 4916/87]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 19 सितम्बर, 1987 को प्रख्यापित वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का संख्या 6)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 4917/87]

(3) राष्ट्रपति द्वारा 22 सितम्बर, 1987 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1987 (1987 का संख्या 7)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 4918/87]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 28 अक्तूबर, 1987 को प्रख्यापित ओरोविले (आपात उपबन्ध) संशोधन अध्यादेश, 1987 (1987 का संख्या 8)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 4919/87]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम 1987 आय कर (सातवां) संशोधन नियम 1987 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अधि सूचनाएं आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1987, जो 11 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 769 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 4920/87]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 1987 जो 8 अक्तूबर, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 894 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल०टी० 4921/87]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 725 (अ), जो 21 अगस्त, 1987 को भारत के राजस्व में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 14 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 151/82-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि आयातित माल को उतने सीमा शुल्क और उपसंगी शुल्क से छूट दी जा सके जितना अन्तर्देशीय आघान डिपो में वहन किए गए उठाई-धराई प्रभारों में उद्ग्रहणीय होता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 729 (अ), जो 25 अगस्त, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च 1986 की अधिसूचना संख्या 154/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उसमें दी गई दरों में अस्पष्टता को दूर किया जा सके और शुल्क की नियायती दर के क्षेत्र में से एक मशीन को निकालता है ताकि देश के उद्योग को संरक्षण मिल सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 745 (अ), जो 2 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विश्वविद्यालय या उच्च या विकसित तकनीकी शैक्षिक कार्यक्रमों से भरे हुए वीडियो केसेटों और वीडियो टेपों को जब उनका किसी विश्वविद्यालय या किसी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयात किया जाये, कतिपय शर्तों के अधीन मूल तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क से सम्पूर्ण छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 746 (अ), जो 2 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विश्वविद्यालय या उच्च या विकसित तकनीकी शैक्षिक कार्यक्रमों से भरे हुए वीडियो केसेटों और वीडियो टेपों, जब उनको अनुसंधान करने वाले छात्रों द्वारा आयात किया गया हो, को उन पर उद्ग्रहणीय मूल एवं अतिरिक्त सीमा शुल्क से सम्पूर्ण छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 747 (अ), जो 2 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 2 सितम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या 303/87-सी० शु० और 304/87-सी० शु० के अन्तर्गत आने वाले माल को उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के सम्पूर्ण उपसंगी शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० का० नि० 748 (अ), जो 3 सितम्बर, 1987 को भारत के राजस्व में प्रकाशित हुआ था तथा जो 24 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 262/86-सी० शु० के अन्तर्गत आने वाले माल को उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के संपूर्ण उपसंगी शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 758 (अ), जो 9 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय पेंटाएरिथ्रिटोल पर मूल सीमा-शुल्क को (80 प्रतिशत जमा 5 रुपये प्रति किलोग्राम) से बढ़ाकर (80 प्रतिशत जमा 21 रुपये प्रति किलोग्राम) करना है ताकि स्वदेशी उद्योग के हितों की रक्षा की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 760 (अ), जो 9 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 110-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि "विदेश संचार निगम लिमिटेड की संदेश पुन: पारेषण पद्धति मद्रास", को सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के शीर्ष संख्या 98.01 के अधीन एक परियोजना के रूप में शामिल किया जा सके और उक्त परियोजना के लिए आयातित सभी माल का वर्गीकरण उक्त टैरिफ मद के अन्तर्गत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० का० नि० 774 (अ), जो 14 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 29 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या 186/87-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर पैरीफिरेल्स पर मूल सीमा शुल्क की 60 प्रतिशत रियायती दर निर्धारित की जा सके और एक ऐसी किस्म और स्वरूप के माल, जिसका भारत में निर्माण नहीं होता है, के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षाओं को समाप्त किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० का० नि० 783 (अ), जो 15 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 1987 की अधिसूचना संख्या 88-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पोलिस्ट्रीन पर 30 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क, पेस्ट और बैटरी श्रेणी के पी० वी० सी० रेसिन पर 4000/—रुपये प्रति टन, सस्पेंशन ग्रेड के पी० वी० सी० रेसिन पर 2000/—रुपये प्रति टन और एल० डी० पी० ई० पर 3000/—रुपये प्रति टन निर्धारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 784 (अ), जो 15 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 22 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 227/76-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पोलिप्रोपिलीन और प्रोलिप्रोलीन के सेहबहुलक के संबंध में मूल्यानुसार 20 प्रतिशत समरूप मूल सीमा-शुल्क और एच० डी० पी० ई० के संबंध में 30 प्रतिशत मूल सीमा-शुल्क निर्धारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 785 (अ) जो 15 सितम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 मई, 1987 की अधिसूचना संख्या

206/87-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पी० वी० सी० रेसिन के संबंध में उपसंगी सीमा शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जा सके और पोलिस्ट्रीन के संबंध में उपसंगी सीमा शुल्क को 40 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 797 (अ), जो 17 सितम्बर, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 जनवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या 6/84-सी० शु० तथा 1 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या 210/84-सी शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि तकनीकी विकास महानिदेशालय में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित सूची के अंतर्गत आने वाले संघटकों को सीमाशुल्क की रियायत उपलब्ध हो सके और ऐसी सूची को उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० का० नि० 799 (अ), जो 17 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या 188/87-सी० शु० (जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक संघटकों के लिए सीमा-शुल्क की रियायती दर निर्धारित की गई है) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें चार अन्य प्रकार का मेमोरी आई सी को सम्मिलित किया जा सके और अधिकतम पहुंच समय (तकनीकी विनिर्देश) संबंधी निर्देश का लोप किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 800 (अ), और 801 (अ), जो 17 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो चुनिंदा पूंजीगत माल के उद्योग का प्रौद्योगिकीय विकास करने के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट मशीनरी पर मूल सीमा-शुल्क से मूल्यानुसार 35 प्रतिशत तथा अतिरिक्त और अनुषंगी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा० का० नि० 806 (अ), जो 19 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय अपरिष्कृत पैट्रोलियम को छोड़कर अन्य जहां कहीं भी उदग्रहणीय होगा उपसंग सीमा-शुल्क को 5 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) का० आ० 865 (अ) जो 28 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में विनिमय की दरें निर्धारित करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[पंचालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 4922/87]

(4) केन्द्रीय उत्पादक-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 727 (अ), जो 21 अगस्त, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 10 फरवरी 1986 को अधिसूचना संख्या 64/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि प्रारम्भिक रूप से पानी की व्यवस्था करने के लिए बनाये गये विनिर्दिष्ट शक्ति-चालित पम्पों के हिस्से-पुर्जों पर उत्पाद शुल्क की अदायगी से पूरी छूट दी जा सके जब ऐसे हिस्से पुर्जों का प्रयोग ऐसे शक्ति-चालित पम्पों के विनिर्माण में किया जाता हो।

(दो) सा० का० नि० 733 (अ) जो 27 अगस्त, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो फोरजिंग और गढ़े हुए उत्पादों को उन पर उद्ग्रहणी सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 734 (अ), जो 27 अगस्त, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो 4 अगस्त, 1987 की अधिसूचना संख्या 190/87-के० उ० शु० की वैधता को 1 अक्तूबर, 1987 तक बढ़ाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 736 (अ), जो 28 अगस्त, 1987 के भारत के राजस्व में प्रकाशित हुआ था जो केन्द्रीय सरकार के किसी भी विभाग द्वारा इस्तेमाल हेतु केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित कारखानों द्वारा विनिर्मित विनिर्दिष्ट माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 737 (अ), जो 28 अगस्त, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो किसी ग्रामोद्योग द्वारा विनिर्मित और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की सहायता से या उसके द्वारा विपणित विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० का० नि० 738 (अ), जो 28 अगस्त, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो किसी जेल में विनिर्मित सभी वस्तुओं को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 749 (अ), जो 3 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जून, 1987 की अधिसूचना संख्या 172/87 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि परिसज्जा कर्मकों, रंगाई को त्वरित करने या रंजक द्रव्यों के स्थायी करने के लिए रंजक वाहकों और अन्य उत्पादों तथा विनिर्मितियों को, जो इस

प्रकार की हो कि उनका टैक्सटाइल उद्योग में उपयोग किया जाता हो, और जब उनका टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तुओं के विनिर्माण में उत्पादन के कारखानों में ही प्रयोग किया जाता हो, उत्पादन शुल्क से छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 750 (अ) जो 3 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छपाई फर्मों को जब कपड़े की छपाई फैक्ट्री के भीतर हो उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 764 (अ) से 766 (अ) जो 9 सितम्बर 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1-10-1987 से बोतित जल (सोडा और शीतल पेय) के संबंध में माडवेट योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभ और अन्य संबंधित लाभों को समाप्त करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 767 (अ) जो 9 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतीय नौ सेना के पोत में उपभोग के लिए भंडार के रूप में सप्लाई की गई सिगरेटों पर अन्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बिक्री कर के बदले में मूल और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 786 (अ) जो 15 सितम्बर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 132/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि पोलिप्रोपिलिन और पोलिप्रोपिलिन के रूह बहुलक के संबंध में समरूप उत्पाद शुल्क को मूल्यानुसार 30% निर्धारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल०टी० 4923/87]

(5) अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम, 1986 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुसंधान तथा विकास उपकर नियम, 1987 जो 5 अक्तूबर, 1987 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 836 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल०टी० 4924/87]

(6) अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम, 1986 की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 879 (अ) जो 5 अक्तूबर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख 1 दिसम्बर 1987 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 880 (अ) जो 5 अक्तूबर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसमें प्रौद्योगिकी के आयात पर किये गये सभी भुगतानों पर देय उपकर की दर 5 प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(8) अनुसंधान तथा विकास उपकर अधिनियम, 1986 की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 881 (अ) जो 5 अक्तूबर, 1987 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा जिसके द्वारा 1 दिसम्बर, 1987 से एक निधि की जानी है जिसे उद्यम पूंजी निधि कहा जायेगा।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिये संख्या एल०टी० 4325/87]

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने सती पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ? क्या सरकार की निंदा करने का कोई उपाय नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इस पर नहीं।

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में 3 बाई इलैक्शन हो रहे हैं असेम्बली के। वहां बूथ-कैपचरिंग होगी, सरकार को वहां पर सी० आर० पी० एफ० को भेजना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये इलैक्शन कमीशन को लिखिये।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : हम सरकार की निंदा करना चाहते हैं क्योंकि वह श्रीलंका की स्थिति से निपटने में असफल रही है। लेकिन सरकार की निंदा करने की हमें स्वतंत्रता नहीं है इसलिये विरोध में हम सदन से बाहर जा रहे हैं।

12.08 म० प०

तत्पश्चात् प्रो० मधु दंडवते और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

12.08 म० प०

अध्यक्ष महोदय को न्यायालय में 9 नवम्बर 1987 को उपस्थित होने के लिए उच्चतम न्यायालय के नोटिस के बारे में उनके द्वारा घोषणा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि 20 अक्टूबर, 1987 को भारत के उच्चतम न्यायालय के असिस्टैंट रजिस्ट्रार से एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें मुझे कहा गया है कि मुझे उच्चतम न्यायालय के समक्ष 9 नवम्बर, 1987 को प्रातः 10-30 पर, ट्रांसफर याचिका (सिविल) नं० 461 जो कि 1987 की है और सिविल विविध याचिका नं० 20825—1987 के संबंध में है उपस्थित होना है। इस ट्रांसफर याचिका का उद्देश्य दिल्ली उच्च न्यायालय से सिविल याचिका संख्या 2470—1987 को जो कि श्री रामधन और श्री सतपाल मलिक, संसद सदस्यों ने केन्द्र सरकार तथा अन्य के विरुद्ध है भारत के उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करना है। इसमें संविधान (52वां) (संशोधन) अधिनियम, 1985 और इस अधिनियम के द्वारा संविधान के साथ जोड़ी गई दसवीं अनुसूची की वैधता तथा संविधान को चुनौती दी गई है।

लोक सभा की सुस्थापित प्रक्रिया तथा परम्परा के अनुसार मैंने नोटिस का उत्तर न देने का निर्णय किया है। मैंने संगत पत्र विधि तथा न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री को भेज दिये हैं ताकि वह सभा की सुस्थापित परम्परा और ठीक संवैधानिक स्थिति के बारे में न्यायालय को सूचित करने के लिये ऐसी कार्यवाही कर सके जिसे वह उपयुक्त समझें।

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : हरियाणा में राजनैतिक से प्रेरित हत्याएं और अत्याचार किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं राज्य के विषयों के बारे में यहां चर्चा नहीं कर सकता।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : अत्याचार किये जा रहे हैं। हम कहां जाएं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, मेरी बात सुनिये। मैं जानता हूं, सरकार जो होती है, वह कानून के तौर पर अंधी होनी चाहिये, उसको सबको बराबर बरतना चाहिये। जो आदमी ताकत में बैठकर बेईमान करता है, ताकत में बैठकर तुफरका करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, वह गलत करता है, और वेन्डिटा करता है, वह गलत करता है, लेकिन इलैक्शन कमीशन के हिसाब से आपको होम मिनिस्टर को लिखना चाहिये, इलैक्शन कमीशन को लिखना चाहिये।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : वहां जम्हूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है।

[अनुवाद]

प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है। मैं यहां राज्य के विषयों की चर्चा नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : वहां 8 तारीख को इलैक्शन है, कैंडिडेट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। हम कहां जायें ?

अध्यक्ष महोदय : आप इनके पास जाइये।

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : चुनावों को निष्पक्ष ढंग से होने दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश देना चाहिए कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को भेजा जाए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इलैक्शन कमीशन के पास जाइये, स्टेट इलैक्शन कमीशन से बात कीजिये। इलैक्शन कमीशन से कहिये।

[अनुवाद]

मैं कुछ नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष जी, जो मान्यवर सदस्य हरियाणा चुनाव के बारे में कह रहे थे **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बदले की भावना से काम करना बहुत गलत है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : आप एश्योरेंस दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : यहां नहीं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : जिन मान्यवर सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है, यह खाली एक तरफ से नहीं, विरोधी पक्ष से भी आया है। सी० पी० एम० के नेता ने भी मुझे टेलीफोन पर कहा और लिख कर भेजा है। वहां बहुत भयंकर किस्म का वातावरण पैदा हो चुका है और उनको इस बात का खतरा है कि फैयर इलैक्शन नहीं हो पायेंगे। हम तो यह कर सकते हैं कि अपनी जितनी सैंट्रल फोर्सिज हैं, उसे चीफ इलेक्शन कमीशनर के डिस्पोजल पर रखें और उनको डिप्लाएं करनी चाहिये क्योंकि उनको कोई विश्वास नहीं है वहां की स्थानीय सरकार पर।

[अनुवाद]

हम सारी सेनाएं चुनाव आयोग के सुपुर्द कर देंगे। वह अपनी इच्छा अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : अगर चुनाव आयोग ने सेनाओं को तैनात नहीं किया।

[हिन्दी]

हम कहां जायें ? वहां पोलिटीकल मर्डर किए जा रहे हैं। ऐसी हालत में बिल्कुल फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो चुका। मुझे बस इतना ही कहना है। अनुमति नहीं है।

12.12 म० प०

बोफ़ोर्स ठेके की जांच सम्बन्धी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोड़ी) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा बोफोर्स ठेके की जांच हेतु संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र 1988 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि यह सभा बोफोर्स ठेके की जांच हेतु संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र 1988 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (वडागरा) : यह नियम 277(1) के अन्तर्गत प्रस्ताव है। यह एक असामान्य प्रस्ताव है क्योंकि सदन को आश्वासन दिया गया था कि इस सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी। अब उन्होंने एक वक्तव्य भी दिया है—मैंने वक्तव्य को देखा है—जोकि एकदम असंतोषजनक है।

इस संबंध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि दुर्भाग्य से मैंने देखा है कि यह समिति इस सदन के दृष्टांतों का पालन नहीं कर रही है। पहला यह कि गवाहों के साथ फोटो खिचवाने की असामान्य प्रथा जोकि अत्यन्त अशोभनीय है। दो गवाहों का, जिनके साथ गवाहों की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, स्वागत सत्कार किया गया और उनकी फोटो खींच कर प्रेस को दी गई। उन्हें गवाहों का नहीं बल्कि अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों का दर्जा दिया गया। और इस देश के प्रधानमंत्री हर जगह जाकर यह कह रहे हैं कि जितने की उन्हें आशा थी उससे अधिक उन्हें दिया गया, जानकारी उन्होंने दी। दुर्भाग्य से वे यहां उपस्थित नहीं हैं वह सदन के नेता हैं। समिति के विचारों के बारे में बात करते हुए उन्हें अधिक जिम्मेदारी तथा सहनशीलता दिखानी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को जोकि सदस्य हैं, और जैसा कि आप जानते हैं, इस सदन के प्रक्रिया संबंधी नियमों के अन्तर्गत समिति के विचारों के बारे में उन्हें बोलना नहीं चाहिए। मालूम नहीं वह सरकार को

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दी गई सूचना के बारे में बोल रहे है या समिति को दी गई सूचना के बारे में। हम इस समिति के सदस्य नहीं है इसलिए हमें प्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

नियम 275(2) के अन्तर्गत केवल माननीय अध्यक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत गवाहों या रिकार्डों का निरीक्षण करने की अनुमति दे सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने साक्ष्य के सार के बारे में जो कहा है, वह कैसे कहा है। क्या समिति के माननीय सभापति ने या किसी अन्य सदस्य ने आपकी अनुमति के बिना उन्हें बताया है ? या यह आपकी अनुमति से किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : क्या बताया है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए दो गवाहों द्वारा बताए गए कंपनियों, व्यक्तियों, निगमों या जो कुछ भी हो, के नाम।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वे गवाह नहीं हैं, वे अपराधी हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यह बात मैंने तभी कह दी जब मैंने कहा था कि गवाहों के साथ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की तरह व्यवहार किया गया।

स्वीडन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस ने इस बात पर हैरानी व्यक्त की है कि उनसे इस प्रकार का व्यवहार किया गया जबकि उन्होंने कहा था कि उस देश में अथवा उस कांग्रेस में किसी ने बोफोर्स को कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया है। यह एक शर्म की बात है कि हमें नुकसान हुआ है और हमने ये प्रमाण-पत्र भी दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नियम 275(2) के अधीन आपने अथवा आपकी अनुपस्थिति में सभापति महोदय ने अनुमति दी थी अथवा जिस साक्ष्य की प्रधानमंत्री महोदय बात कर रहे हैं वह साक्ष्य क्या है। उनका इस साक्ष्य से कोई संबंध नहीं है और वह इसका जिक्र भी नहीं कर सकते जहां तक समिति का समय बढ़ाने की बात है वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो भी साक्ष्य दिया गया हैं जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं यदि वे लिखित दस्तावेज हैं अथवा जो भी वक्तव्य दिए गए हैं वे सभी आपके पास सुरक्षित हैं और नियम 283 के अन्तर्गत सभा और सचिवालय भी उनके लिये उत्तरदायी हैं। अतः आपका पद एक उत्तरदायित्वपूर्ण पद है और उस विश्वास का प्रतीक है जो हमने आप पर किया है। आप संविधान के एक तंत्र है और यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि प्रधानमंत्री महोदय किसी स्थान पर जाकर वक्तव्य जारी करे कि उन्होंने ऐसा कहा है। यह इस प्रकार नहीं होता। यह फिर एक अपमान की बात कि इस समिति में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में समाचार पत्रों में कहानियां प्रकाशित हो रही हैं। यह एक अभूतपूर्व बात है। यह बात बाहर कैसे निकली ? क्या यह समिति इसी प्रकार कार्य करेगी ? जब वे समय अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात आपने पहले ही कह दी है। श्री माधव जी।

प्रो० मधु दंडवते : हमारे संशोधनों का क्या हुआ ? उन्हें···

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हमारे संशोधनों का क्या हुआ ? हमने मूल प्रस्ताव के बारे में संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

अध्यक्ष महोदय : संशोधनों की अनुमति नहीं है।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यह नकारात्मक है और इसके कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। आप केवल इस समय अवधि को बढ़ाने का विरोध कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आपके और हमारे बीच मतभेद हो सकता है।

(व्यवधान)

उस कतिपय संशोधन में हमने रचनात्मक बात कही है जिसकी आप अनुमति दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इसका विरोध कर सकते हैं। आपको यह अधिकार है। इसमें संशोधन का कोई प्रश्न ही नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : संशोधन और विरोध दो अलग-अलग बातें हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जो नकारात्मक नहीं है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप केवल इसका विरोध कर सकते है। इसका कोई अन्य स्वरूप नहीं हो सकता। ऐसे प्रस्ताव के लिए कोई संशोधन अथवा वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

प्रो० मधु दंडवते : सर्वप्रथम यह न तो कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है और न ही कोई संशोधन। जो भी है मैं अपने भाषण में अपने मुद्दे को स्पष्ट करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका विरोध कर सकते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : मेरे विचार से इस समिति का समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह कार्य करने में असफल रही है और सरकार ने इस समिति को आवश्यक सहयोग नहीं दिया है। सरकार को उन कम्पनियों के नाम मालूम हैं जिन्होंने भुगतान प्राप्त किये हैं। परन्तु लगातार अनुरोध करने के बावजूद सरकार ने इस समिति को यह सूचना नहीं दी है। यह समिति क्या कार्य करेगी ? यदि इस समिति का कार्यकाल बढ़ा भी दिया जाए तो भी यह कुछ नहीं कर सकेगी और मेरे विचार से समिति का कार्यकाल बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सरकार के पास पर्याप्त सूचना है, अतः सरकार को उन कम्पनियों के नाम अवश्य बताने चाहिये जिन्होंने भुगतान प्राप्त किया है। जब सरकार के पास यह सूचना है तो इसे समिति को क्यों नहीं देती ?

जब यह समिति जानकारी लेने में असफल रही है तो प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि सी० बी० आई० की जांच के बाद जानकारी दी जायेगी। इसका अर्थ यह है कि सी० बी० आई० को समिति से अधिक महत्व दिया गया है। कंपनियों को किए गए भुगतान के बारे में सी०बी०आई० जांच की जानी चाहिये ? समिति को वास्तव में विश्वास में लेकर सूचना दी जानी चाहिये थी। जब पूरी जानकारी समिति को नहीं दी जा रही है तो मैं यह नहीं समझता कि इस समिति से कोई लाभ होगा मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं संशोधन की बात पर बाद में आऊंगा। निश्चित रूप से अन्तत: हमें आपका विनिर्णय मानना पड़ेगा। परन्तु मैं एक सकारात्मक बात कहने का प्रयास करूंगा जिससे संशोधन के बारे में आप अपने विनिर्णय पर पुन विचार कर सकें। **(व्यवधान)**

हमें अध्यक्ष महोदय से अपील करने का पूरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन विनिर्णयों को प्रस्तुत करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपसे अपील करूंगा परन्तु आप मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनिये।

सबसे पहले हम यह अनुभव करते हैं कि समिति को प्राप्त सीमित शक्तियों के कारण समय अवधि बढ़ाने के पश्चात् भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगी। यदि वे अब तक कुछ पता नहीं लगा सके तो इसका कारण यह है ···

अध्यक्ष महोदय : आप यह कैसे जानते है ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हम यह जानते हैं। यह एक सरल गणितीय अनुपात है। उन्होंने यह कहा है कि सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन रिपोर्ट और सिफारिशें दे दी जायेंगी। इस तथ्य से कि समिति ऐसा नहीं कर सकी है यह सिद्ध करता है कि यह अपने कार्य में असफल रही है। यह एक सरल निष्कर्ष है। (**व्यवधान**) जहां तक इस समिति का संबंध है, केवल कार्यकाल बढ़ाने और उसे वे शक्तियां, जिनकी हमने समिति में शामिल होने की मांग की थी न देने से, किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं उन्हें दोहराऊंगा।

आपके निर्णय पर छोड़कर हम इस समिति को चार महत्वपूर्ण शक्तियां देना चाहते थे क्योंकि हम यह समझते है कि पीठासीन अधिकारी को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है मैं इस बात से सहमत हूं।

प्रो० मधु दंडवते महोदय, कई बार, हमने आपको यह कहते हुए सुना है कि 'मुझे शामिल मत कीजिए' परन्तु अन्ततः उन्होंने आपको शामिल कर ही लिया है।

अध्यक्ष महोदय क्योंकि मैं इस सभा का सेवक हूं। मैं क्या कर सकता हूं ?

प्रो० मधु दंडवते : धन्यवाद महोदय, कम से कम हमें, जो कुछ हम अनुभव करते हैं उसकी व्याख्या करने की स्वतंत्रता तो दीजिये। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री महोदय ने बार-बार यह घोषणा की थी कि वर्ष 1980 में उन्होंने यह निर्णय लिया था कि सौदे में कोई बिचौलिया नहीं होगा और इसलिए बिचौलियों को कमीशन के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए हमने यह मांग की थी कि इस समिति को हथियार खरीदने और भण्डारण के बारे में सभी निर्णयों की जांच करने की शक्ति होनी चाहिये। उन्होंने कहा 'नहीं'।

दूसरे, हमने कहा था कि यदि इस समिति को अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है तो समिति को प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को बुलाने की शक्ति होनी चाहिये। उन्होंने कहा 'नहीं'। तीसरे हमने कहा था कि यदि सुरक्षा पहलू की जांच की जानी है तो बोफोर्स सामले की जांच के साथ-साथ जर्मन पनडुबियों का मामला भी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी भी जांच करने की शक्ति समिति को प्राप्त होनी चाहिए। इस बात से इन्कार कर दिया गया था।

अन्त में हमने यह कहा था कि चूंकि बोफोर्स एक विदेशी कम्पनी है इसमें बहुत से विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अतः समिति को विदेशियों की गवाही लेने का अधिकार भी होना चाहिए और उनके साक्ष्य को रिकार्ड किया जाना चाहिये। ऐसा नहीं किया गया और चूंकि समिति को ये

शक्तियां नहीं दी गई हैं इसलिए मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि यदि समिति के लिए समय बढ़ाया जाना है तो समिति की शक्तियों को भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि बढ़े हुए समय के अंतर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सुविधा हो। यह एक नकारात्मक बात नहीं है। और इसलिए मैंने यह सुझाव दिया था कि समय बढ़ाने की बात को उपयोगी बनाने के लिए यह शर्त होनी चाहिये कि इस समिति को ये शक्तियां दी जाएंगी ···

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने इस बात को नोट कर लिया है।

प्रो० मधु दंडवते : आपका अपना स्वतंत्र विचार है और हमारा अपना। परन्तु दुर्भाग्य से उनमें टकराव है।

अध्यक्ष महोदय : हर समय नहीं।

प्रो० मधु दंडवते परन्तु महोदय मैं केवल आपको मनाने का अनुरोध कर रहा हूं। मुझे आपकी समझ में पूर्णतः विश्वास है। यही कारण है कि मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मेरे अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन में केवल यह उल्लेख है कि अन्त में केवल यह जोड़िए "और बढ़े हुए समय के अन्तर्गत संयुक्त समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इस समिति की शक्तियों में उचित संशोधन किया जाए।"

दूसरे महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब आप उनकी समय अवधि को बढ़ा रहे हैं, यद्यपि सभा में बहुमत के कारण उनका कार्यकाल बढ़ जाएगा, तो भी उन्हें वह अनौचित्यपूर्ण कार्य न करने दीजिए जो वे कर रहे हैं। महोदय बोफोर्स के चेयरमैन यहां आए। उन्होंने रक्षा मंत्रालय में बातचीत की थी। सम्भवतः उन्होंने मंत्री महोदय से भी बातचीत की थी परन्तु इसके बाद कोई नहीं जानता····

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : उन्होंने मुझ से कोई बातचीत नहीं की।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने मंत्रालय में बातचीत की थी। इस बात को छोड़िए (व्यवधान) उन्होंने मंत्रालय में बातचीत की थी।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह एक अलग बात है।

प्रो० मधु दंडवते : 'इट' और 'ही' का अन्तर है। मैंने कहा है कि उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की थी (व्यवधान) ध्यान रहे कि मंत्रालय के मुखिया मंत्री जी हैं। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। (व्यवधान) बोफोर्स के चेयरमैन ने बातचीत की थी···(व्यवधान) हां, मैं रेल मंत्रालय का मुखिया था और मैं इसे भली प्रकार जानता हूं·· (व्यवधान) विगत की बात पर मत जाइये। (व्यवधान)

मुझे आपको यह बताना चाहिये कि यदि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की गई थी, यह कोई नहीं जानता कि बोफोर्स के चेयरमैन ने बाद में संयुक्त समिति से बातचीत की या नहीं परन्तु यदि उन्होंने पहले मंत्रालय से सूचना और विचारों का आदान-प्रदान किया और फिर संयुक्त समिति से बातचीत की तो यह विशेषाधिकार हनन का मामला है। महोदय मैंने आपको इस बारे में एक अलग नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन से मुझे एक नोटिस मिला है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय मैं पहले ही उसे दे चुका हूं। अतः उसके बारे में चर्चा की जायेगी। हम इसे अलग से लेंगे। इस प्रकार चूंकि अनुचित व्यवहार किया गया है इसलिये मुझे डर है कि बढ़ी हुई समय अवधि में भी वे यही कार्य करेंगे।

महोदय, इस मामले का एक अन्य पहलू है जिसके बारे में मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपकी चेतावनी के बावजूद।

प्रो० मधु दंडवते : हां, महोदय, सम्भवतः आप यह जानते हैं कि 'स्वीडन गोपनीयता अधिनियम' है कि यह प्रैस में प्रकाशित हुआ है, मैं इस अधिनियम के अध्याय 14 धारा 3 का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें लिखा है :

> "यदि यह स्पष्ट हो जाता है कि दी गई सूचना का हित उस हित पर हावी हो रहा है जिसकी सुरक्षा गोपनीयता द्वारा की जानी थी तो स्वीडन सरकार एक सार्वजनिक प्राधिकारी को एक गुप्त रिपोर्ट भेज सकती है।"

महोदय मेरा तर्क यह है कि···मैं यह नहीं जानता कि उन्हें स्वीडन के कानूनों के इन उपबन्धों की जानकारी है अथवा नहीं परन्तु उन्होंने इन उपबन्धों से कोई लाभ नहीं उठाया है। कम से कम हम इस बात को नहीं जानते कि क्या वे स्वीडन सरकार के पास गये थे और यह कहा था कि स्वीडन गोपनीयता अधिनियम के अध्याय 14 की धारा 3 के अन्तर्गत हमें राष्ट्रीय आर्डर ब्यूरो (मूल रिपोर्ट) प्राप्त करने का अधिकार है जिसमें नामों का उल्लेख है। उन नामों को मिटा दिया गया था और उसे भारत सरकार को दिया गया था। हमने भी एक प्रति प्राप्त की है और हमने यह देखा है कि उन्होंने कैसे नामों को मिटाया है। उससे भी आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां कौन से नाम हो सकते हैं। वह मिटाया हुआ अंश उसमें है उन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया है।

फिर, एक अन्य पहलू है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने सूचना प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया है क्योंकि समिति के पास वे शक्तियां नहीं थीं जिन्हें हम उसे देना चाहते थे। फिर भी इस बारे में भी एक सूचना मिली थी कि जब बोफोर्स के सभापति यहां आये तो उन्होंने यह कहा था कि मैं समिति के सभापति को मौखिक सूचना देने को तैयार हूं, लिखित नहीं और यह पता है कि मैं मौखिक नामों को स्वीकार नहीं करूंगा। महोदय सबसे अच्छी बात यह होती कि वे उन नामों को स्वीकार कर लेते और एक सभापति की हैसियत से बैठक बुलाकर यह कहते "एक सभापति की हैसियत से मैंने यह सूचना प्राप्त की है। मैं इसे सभा के समक्ष रख रहा हूं इसे समिति की कार्यवाही में शामिल किया जाना चाहिये ताकि यह औपचारिता सूचना बन सके।"

अध्यक्ष महोदय : महोदय, इसे समाप्त कीजिये।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, केवल दो मुद्दे बाकी हैं (व्यवधान)। उन्होंने बहुत भारी गलतियां की हैं, मुझे उन सब का उल्लेख करना है।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह एक भारी गलती की जा रही है (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय प्रधानमंत्री का वक्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : बस, बात खत्म हुई।

प्रो० मधु दंडवते : आप मेरी बात सुनिए। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम इनकी ओर ध्यान देंगे।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, पहली बात तो यह है कि बोफोर्स के चेयरमैन का अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसा आदर-सत्कार करना एक ऐसे व्यक्ति को आदर-सत्कार देना है जो कि दोषी है, जो कठघरे में खड़ा है। यहां तक कि स्वीडन की सोशल डैमोक्रेटिक पार्टी ने यह विचार व्यक्त किया है कि जो कुछ किया गया है उचित नहीं है। स्वीडन में सत्तारूढ़ पार्टी ने यह हैरानी व्यक्त की है कि यह कैसे हो गया कि नेशनल आडिट ब्यूरो में " श्री उन्नीकृष्णन की दलील को और मजबूत करने के लिए, महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं " नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि बोफोर्स ने माना किया है कि उनके कोई एजेंट है और उन्होने कोई कमीशन दी है और नेशनल आडिट ब्यूरो ने अपना निष्कर्ष देते समय यह कहा था कि हम बोफोर्स की धारणा को अस्वीकार करते हैं और जो सबूत मेरे पास उपलब्ध है उनके आधार पर बोफोर्स का कमीशन की अदायगी के बारे में के साथ समझोता हुआ था।" अतः उन्होंने बोफोर्स पर विश्वास नही किया है। ऐसे व्यक्ति को जिस पर विश्वास नहीं किया गया, जिसकी नेकनीयती को नेशनल आडिट ब्यूरो ने अस्वीकार कर दिया है, उन्हें हमारी सरकार द्वारा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसा आदर-सत्कार दिया गया है और उन्हें संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य के रूप मे उपस्थित होने के लिए नहीं कहा गया है।

अन्त में, मैं चाहता हूं कि समिति के सभापति इस तथ्य को ध्यान में रखे कि 27 अगस्त को जब बोफोर्स के संबंध में पिछली बार मैंने वाद-विवाद शुरू किया गया था तो मैंने कुछ सूचना दी थी। मंत्री जी कह रहे थे कि आपने कोई सूचना नहीं दी है। अतः मैं इस सदन में ग्रीवस कॉटन कम्पनी का मामला लाया हूं जिसके अध्यक्ष श्री यादव थे। मैंने कुछ लेन-देन का उल्लेख किया था। मैंने 43 उप ठेकों का उल्लेख किया था। मैंने उस वाहन तथा दो ट्रक्स का उल्लेख करने की कोशिश भी की जिस पर होविटजर बन्दूक फिट की गई है उसके लिए 100 करोड़ रुपए तक का अधिक अनुमान कैसे लगाया गया है। साब स्केनिया खातों में 100 करोड़ रुपये या अधिक अनुमान किस प्रकार लगाया गया है जो कि भारत से बाहर चला गया है। इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए और मैं चाहता हूं कि मंत्री उनका उत्तर दें। लेकिन उन्होंने कहा कि जो संयुक्त समिति हम स्थापित करेंगे यह सभी सूचना उनको दे दी जाएगी। मुझे मालूम नहीं कि क्या समिति ने उसकी ओर ध्यान दिया है अथवा नहीं। उन उपबन्धों के बावजूद जो कि उपलब्ध है, वे ऐसा नहीं कर पाए हैं। बिना कार्यक्षेत्र और शक्तियां दिये, जिनके लिए जोर दिया गया है, केवल उसकी समय अवधि बढ़ाए जाने से कोई मतलब हल नहीं होगा।

मुझे यकीन है, अगली बार यही सभापति इस सदन के समक्ष आएंगे और एक और संकल्प लाएंगे और उसमें कहा जाएगा कि उन्हें इसके लिए और समय दिया जाय और जब तक यह सदन भंग नहीं हो जाता इसी तरह समय बढ़ाया जाता रहेगा। अतः हम समय बढ़ाये जाने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यह सदन समिति को चार शक्तियां प्रदान करे और उनके हाथ मजबूत करें, वे अभी नहीं दी गई है। अतः इस शक्तिहीन और कर्महीन समिति को और समय दिया जाना कर्महीन है। इसकी हमने मांग की है और हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : अभी-अभी दिए गए उनके वक्तव्य में उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इस समिति ने भारी भूल की है, इस "भारी भूल" शब्द का मतलब विशेषाधिकार हनन है। या तो वह इस शब्द को वापस ले लें अथवा हम इसके लिए प्रस्ताव लाएंगे। यहां उन्होंने "भारी भूल" शब्द का प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री इन्द्रजीत गुप्त।

प्रो० मधु दंडवते : इस सदन में, समिति ही संसद है। जैसा कि हम संसद में कोई भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मंत्री ने "भारी भूल" की है। यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि संसद ने "भारी भूल" की है। (व्यवधान)

इसमें कोई गलती नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं क्योंकि यह मेरा विचार है कि इस समिति के कार्य के लिए और समय सीमा बढ़ाए जाने से न केवल समय नष्ट होगा बल्कि सार्वजनिक धन भी नष्ट होगा। इस समय समान्तर दो जांच चल रही हैं। एक तो समिति द्वारा जांच की जा रही है और दूसरा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। यह एक बहुत ही असाधारण मामला है कि दो प्रकार से जांच चल रही है। हम नहीं जानते कि कौन-सी जांच किससे श्रेष्ठ है और अन्ततः किसकी बात मानी जाएगी। पहली बात तो यह है कि यह एक बहुत ही असाधारण बात है।

दूसरा, जैसाकि श्री उन्नीकृष्णन ने पहले ही उल्लेख किया है कि यह एक असाधारण बात है। मैं नहीं जानता कि किस नियम अथवा संचालन के किसी प्रश्न अथवा किसी और नियम के अन्तर्गत यह अनुमति दी जा सकती है, जबकि जांच चल रही है, प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दे दिया है। यह समाचार पत्रों में छप चुका है इसका खण्डन नहीं किया गया है—कि उन्होंने कहा कि ये दो भद्रपुरुष जो यहां आए हैं, श्री मोर बर्ग, बोफोर्स के अध्यक्ष और श्री ओयालंन बोफोर्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य न्यायवादी ने सरकार को कुछ कम्पनियों के नाम दिए हैं जिन्हें रिश्वत दी गई थी। मैं नहीं जानता कि ये कम्पनियां विदेश में स्विटजरलैंड अथवा अन्य कहीं है। क्या यही तरीका है, जिस प्रकार समिति कार्य कर रही है, कि प्रधानमंत्री, जो कि समिति के सदस्य भी नहीं है, इस प्रकार का सार्वजनिक वक्तव्य दे रहे हैं कि सरकार को कुछ कम्पनियों के नाम दिए गए हैं मैं नहीं जानता कि ये नाम समिति को भी दिए गए हैं अथवा नहीं लेकिन यह नाम सरकार को अथवा प्रधानमंत्री को दिए गए हैं? इस समिति का समग्र केन्द्र, इस समिति का कार्य-क्षेत्र यह पता लगाना है कि रिश्वत किसने ली है। यह बात नहीं कि रिश्वत ली गई है अथवा नहीं। आडिट कमीशन रिपोर्ट में यह बात पहले ही प्रमाणित कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का पता हमें तब लगेगा जब समिति अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब मैं संतुष्ट हूं और मुझे आशा है कि आप भी संतुष्ट होंगे···

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान, मुझे अकेला छोड़ दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ··· कि जब तक बोफोर्स कम्पनी स्वयं उन व्यक्तियों के नाम नहीं बताती कि किसने रिश्वत ली है यदि वे सूचना देने से मना करते हैं—तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे श्री शंकरानन्द अथवा उनके कोई सहयोगी उसका पता लगा सके। ऐसा नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट है कि इन दो भद्रपुरुषों के दौरे के बाद और प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद कि उन्होंने सरकार को कुछ कम्पनियों के नाम दिए हैं वे इस मामले में और आगे कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। अतः इस प्रश्न के अलावा कि इन दो भद्रपुरुषों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है, जो कि उचित नहीं है और इससे समिति की निष्पक्षता और इन सभी बातों पर सन्देह होता है—मैं सोचता हूं कि अध्यक्ष को त्याग-पत्र दे देना चाहिए। यदि मैं अध्यक्ष होता तो त्याग-पत्र दे देता। मुझे यकीन है कि उनके सहयोगी इसके बारे में बहुत अधिक प्रसन्नता अनुभव नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपने ऐसा अनुभव किया होता तो आपने ऐसा न किया होता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमसे समय बढ़ाये जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है ? इसके बारे में हमें अवश्य स्पष्टीकरण दिया जाए। किस प्रयोजन के लिए ? या तो अध्यक्ष हमे बताए। अन्यथा, वह हमें सदन में बताए कि उन्हें कुछ सुराग अथवा कुछ सूचना मिलने वाली है जिसके बारे में वे अनुभव करते हैं कि उसके कुछ लाभप्रद परिणाम निकलेंगे। यहां ऐसी कोई बात नही है। साधारण सी बात यह है कि वे निश्चित समय सीमा में ब्याज समाप्त करने में असफल रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : प्रधानमंत्री वक्तव्य देते चले जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने की अनुमति क्यो दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे नोट कर लिया है।

प्रो० मधु दंडवते : जब प्रधानमंत्री की सरकार खतरे में है, वह ऐसा क्यो कह सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उन्होंने यह भी कहा है कि उनका परिवार और प्रत्येक व्यक्ति इससे मुक्त हो गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने इसे दोबारा भी दोहराया है। (व्यवधान) यह एकदम अनुचित हो रहा है (व्यवधान) इस जांच समिति की किन्ही भी परिस्थितियों मे कोई समय अवधि न बढ़ाई जाए।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : शुरू में, विपक्ष की ओर से, हमने ही संसदीय ····· (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम इसको चुनौती दिए बिना नहीं जाने देंगे। सरकार खतरे में नहीं हैं यह बात गलत है सरकार तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हमारे मित्रों ने इस समिति में शामिल न होकर हमारे साथ सहयोग नही किया है। अब यह विचार व्यक्त करने का कोई फायदा नही है। आप समिति में शामिल हुए होते और सभी बात जान लेते। हम चाहते थे कि आप भी इसमें शामिल हो।

प्रो० मधु दंडवते : आपकी राय भिन्न हो सकती है। लेकिन हमारा अधिकार है। देश में बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि सरकार खतरे में है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समय पर केवल अपना अधिकार मत जमाइये।

श्री अमल दत्त : यहां तक कि समिति गठन करने का विचार भी हमने अर्थात विपक्ष ने दिया। हम चाहते हैं कि समिति पूर्ण तथ्यों का पता लगाकर रिपोर्ट दे कि क्या रिश्वत दी गई है और यदि हां, तो रिश्वत किसको दी गई है। सरकार उस समय इसको टाल रही थी और जब स्वीडन की आर्डर ब्यूरो की रिपोर्ट आई, जिसमें यह बताया गया कि रिश्वत दी गई है तो सरकार ने उस समय समिति के गठन के लिये बहुत ही उत्साह दिखाया।

समापति महोदय : आप विरोध कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मैं इसका विरोध कर रहा हूं। हमारे सभी अनुरोधों और हमारी सभी अपीलों की उपेक्षा करते हुये, उन्होंने एक समिति का गठन किया, जिसके पास कम्पनी का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इन सभी पर चर्चा हो चुकी है। इसके बारे में नई बात क्या है ?

श्री अमल दत्त सरकार नामों को प्राप्त करने में अपने अधिकारों का प्रयोग करे। सरकार ने कुछ नहीं किया। समिति केवल आक्षम है, एक मुहरा है, जिसकी आड़ में सरकार आश्रय ले रही है, जिससे कि नाम न मिल सके (**व्यवधान**) इससे स्पष्ट है कि उच्च स्थानों पर स्वयं सरकार के ऐसे लोग फंसे हुये हैं और इससे केवल हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। समिति को सदा-सदा के लिये बने रहना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : वे किसी अन्य घोटाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इसी समिति को भेजा जा सके।

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : वास्तविकता यह है कि इस समिति के अध्यक्ष इसकी अवधि बढ़ाने के लिये प्रस्ताव ला ये हैं जो कुछ समाचार पत्रों में आया है, उन्होंने विपक्ष द्वारा लिये गये पक्ष का पूर्णतया: समर्थन किया है कि इस समिति को जो अधिकार दिये गये हैं उससे वह किसी सच्चाई का पता नहीं लगा सकेगी। मैं अन्य दलीलों को नहीं दोहराऊंगा लेकिन इससे पहले कि हमें उसके लिये मत देने के लिये कहा जाये मैं यह जानना चाहता हूं कि कम से कम हमें कुछ सूचना दी जानी चाहिये। पहली बात तो यह है कि इस समिति का गठन सरकार के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। जबकि सरकार के प्रस्ताव द्वारा उस समिति का गठन किया गया है इसी मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा समानान्तर जांच कैसे की जा सकती है ? **(व्यवधान)**

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष ने सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में लिखा है और उन्होंने समान्तर जांच स्थापित किये जाने का विरोध किया है। यदि नहीं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं ?

दूसरा मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार ने वक्तव्य दिया है कि तीन नामों को प्रकट किया गया है (**व्यवधान**) मैं इसको अलग परिपेक्ष्य में पूछ रहा हूं। ये नाम समिति को दिये गये होंगे। यदि समिति ने इन तीन नामों के बारे में सरकार को सूचित किया है तो यह सदन तीन नामों के बारे में जानने का हकदार है क्योंकि समिति किसी बाहरी एजेंसी को कुछ नहीं बता सकती। यदि समिति ने किसी अधिकारी को कुछ बताया है तो सदन उसे जानने का हकदार है। यदि समिति को नाम नहीं बताये गये हैं तो मैं सभा पति से यह जानना चाहता हूं कि उनका क्या

कार्यवाही करने का विचार है। वास्तव में ये नाम समिति को नहीं सरकार को बताये गये हैं। अतः इस समिति की अवधि बढ़ाये जाने के लिये वास्तविक प्रस्ताव पूर्णतया अनावश्यक है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उसके लिये अपना उत्तर देंगे। बिना उत्तर मिले हम इस प्रस्ताव के लिये मत नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1952 में जब प्रथम संसद की स्थापना की गई थी तब से लेकर आठवीं लोक सभा तक सैकड़ों समितियों की स्थापना की गई।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वडागरा) : क्या वह प्रस्ताव का विरोध कर रहे है ? (व्यवधान) क्या माननीय सदस्य समय बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे ? श्रीमान जी नहीं, प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत केवल उन्हीं सदस्यों को जो प्रस्ताव का विरोध करते हैं, इस प्रकार के प्रस्ताव के मामले में, बोलने की अनुमति दी जाती है। यह वाद-विवाद नहीं है" (व्यवधान) यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : नियमों के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव का कोई भी सदस्य समर्थन अथवा विरोध कर सकता है।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह मेरी अनुमति से बोल सकते है। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

श्री भगवत झा आजाद (भागलपुर) : इससे माननीय सदस्यों की अज्ञानता या जान बूझ कर ओढ़ी हुई अज्ञानता का ही पता चलता है कि कोई सदस्य किसी भी प्रस्ताव का समर्थन या विरोध या— ये दोनों बातें कर सकता है। कृपया नियम देखिये। लेकिन मुझे यह देखकर हैरानी हुई है कि इस विषय में उन्हें कैसी जानकारी है (व्यवधान) मैं कह रहा था कि 1952 से इस आठवीं लोक सभा तक इस सदन द्वारा बहुत सी समितियों का गठन किया गया है। बहुत सी समितियों ने इस सदन के समक्ष एक या दो बार नहीं बल्कि अनेक बार समय बढ़ाये जाने की अनुमति मांगी लेकिन सदन ने कभी अनिच्छा नहीं दिखाई। उनको समय बढ़ाने की अनुमति दी गई। मैं आपसे सहमत हू कि यह एक महत्वपूर्ण समिति है। यह महत्वपूर्ण समिति है इसलिये सभापति और समिति के सदस्यों को तथ्यों का पता लगाने के लिए इसे समय बढ़ाने का अवसर दिया जाना चाहिये। बहरहाल, हमें चाहने क्या है ? (व्यवधान) एक माननीय सदस्य ने कहा है कि चार शक्तियां दी ही जानी चाहिये। उन पर इस सदन में चर्चा हुई है और उनका पर्याप्त उत्तर दिया गया है उन्होंने समय बढ़ाने की बात नहीं की। उन्होंने मूल प्रस्ताव और इस बारे में बात की। पर इस सदन में 25 घंटे और 56 मिनट चर्चा हो चुकी है। परन्तु उसी बात को दोबारा उठाया गया है। इरादा यही है कि समिति को सत्य का पता न लगाने दिया जाए और इस सदन में समिति को डराया धमकाया जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं। महोदय, सदन के लिये यह बहुत असामान्य सी बात है कि समिति पर उसकी कार्यकरण की प्रक्रिया के दौरान बहुत से आरोप लगाये गये हैं। जैसा कि कहा गया है, संसदीय समिति को काम न करने देकर प्रो० मधु दंडवते ने एक और भारी भूल की है। वह तो समिति पर बड़े-बड़े आरोप लगा रहे हैं और उनका यही प्रयास है कि

समिति काम न करे। एक माननीय सदस्य के यह कहने का क्या अर्थ है कि प्रधानमंत्री जी लगातार वक्तव्य देते चले जा रहे हैं ? क्या वक्तव्य देने के लिये उन्हें माननीय सदस्यों से स्वीकृति लेनी होगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर उन्होंने कोई अनुचित बात कही होगी, तो मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

श्री भगवत झा आजाद : मैंने आज इस सदन में यह कहा है कि सब जानते हैं कि कुछ प्रतिनिधि आये तेवे मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से—मेरा मतलब है सरकारी अधिकारियो से—मिले। वे समिति से मिले। मालूम नहीं तथ्य है या होगे। वे बेहतर जानते है। कुछ तथ्य हो सकते हैं। उन तथ्यों की सरकार को ही जानकारी होगी। क्या सरकार यह नहीं कह सकती : "हमें जानकारी है" या वे उन्हें समिति के समक्ष रखें या अगर माननीय सदस्य चाहें तो उनकी जानकारी दी जा सकती है। यह हैरानी की बात है (व्यवधान) मैं तीन बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि इससे पहले संसदीय प्रजातंत्र में, तथ्यों का पता लगाने के लिये समय बढ़ाने का अनुरोध करने वाली समिति पर कभी भी यह आरोप नहीं लगाया गया कि "आप असमर्थ हैं, आप कुछ पता नहीं लगा सकते"। मैं कहता हू कि माननीय सदस्यों के लिये यह बेहतर होता कि वे समिति में शामिल होते और उन्होंने ये सब प्रश्न वहां रखे होते। तब वे जो गवाह आये थे उनसे जिरह करने की बेहतर स्थिति में होते। अब जबकि समिति में नहीं हैं तथा अन्तिम क्षणों में उन्होंने समिति में शामिल होने से मना कर दिया और समिति में सम्मिलित नहीं हुये। उन्होंने यह कहा कि यह··· (व्यवधान) ऐसा इसलिये है क्योंकि वे जानते हैं कि सरकार के खिलाफ जो आरोप वे लगा रहे हैं वे गलत हैं··· (व्यवधान) प्रो० मधु दंडवते, आप लगातार क्यों बोलते जा रहे हैं ? प्रीफेसर की तरह आप हमेशा हर तरह की भारी भूलें करते रहे है। इस सदन में आपका यही रिकार्ड है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हम यहां सत्य का पता लगाने के लिये हैं। इस समिति को सत्य, का पता लगाने दीजिये (व्यवधान) समिति सत्य का पता लगा रही है इस समय उनके लिये यह सब आरोप लगाना और कहना उचित नहीं है "आप असमर्थ हैं, आपमें क्षमता नहीं है, आप सत्य का पता नहीं लगा सकते, आपको त्यागपत्र दे देना चाहिये" उन्हें त्याग पत्र क्यों देना चाहिये उन्हें तो समिति से कहना चाहिये था 'हम सत्य का पता लगाने में आपकी सहायता करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं समय बढ़ाने के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि एक भूल ने दूसरी भूल को काट दिया और मामला सुलझ पाया है।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मैंने खुद कुछ नहीं कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा है मैंने केवल उसे दोहराया है। मेरे जो भी शब्द कहे गये हैं, उनके द्वारा बोले गये थे, मैंने तो केवल उन्हें दोहराया है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, भारी भूल को कार्यवाही वृतांत से मत निकालिये।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अब मैं उसे कार्यवाही वृतांत में बनाये रखूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : वे हमेशा भारी भूलें करते रहे।

अध्यक्ष महोदय : मैं समिति के सभापति से पूछता हू। क्या कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोडी) : माननीय सदस्यों ने जो कहा उस पर इस समय मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे जो कुछ कहना है वह रिपोर्ट में कहा जायेगा। ((व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी : उन्हें सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों का जवाब देना चाहिये (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, मैंने समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव रखा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव को स्वीकृत के लिये रखें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय दूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सदस्यों द्वारा कुछ मुद्दे उठाये गये है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने संशोधनों की अनुमति नहीं दी है क्योंकि नियमों के अन्तर्गत ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं उत्तम व्याख्यान और मुद्दों की बारीकियों से प्रभावित हुआ हूँ पर मै उसी स्थिति पर कायम हूं।

प्रो० मधु दंडवते : श्री भागवत झा आजाद जैसे निजी सदस्य से उत्तर दिया है। उन्हें कम से कम कुछ कहने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : उत्तर का सवाल नहीं उठता। बोलने का मुझे अधिकार है। यह मत भूलिये। मैंने उत्तर नहीं दिया है। मैं बोला हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है....

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आप हमें बाद में बता सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे सकते हैं। मैं उत्तर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : अध्यक्ष महोदय, समिति की कार्यवाही के बारे में इस स्तर पर बताना उचित नहीं होगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह उनके बारे में बाद में बताना चाहते हैं। उनका कहना है कि इस समय वह कुछ नहीं बता सकते। हम उनसे बाद में पूछ सकते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मेरा सदन से केवल यह निवेदन है कि समिति बहुत कारगर ढंग से काम कर रही है। अपने कार्यनिष्पादन के दौरान किसी बात की कमी को लेकर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इसे कोई कठिनाई महसूस नही हुई। हम बिल्कुल सही दिशा की ओर चल रहे है और समिति बहुत सही ढंग से काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा बोफोर्स ठेके की जांच हेतु संयुक्त समिति का प्रतिवेदन करने का समय बजट सत्र, 1988 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

12.52 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि श्री शंकरानंद जी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में समय बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। अब मैं उस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रख रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा बोफोर्स ठेके की जांच हेतु संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 1988 के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या] [12.56 म० प०

पक्ष में

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश
अब्दुल गफूर, श्री
अवस्थी श्री जगदीश
अहमद, श्री सरफराज
आजाद, श्री भागवत झा
उरांव, श्रीमती सुमति
एंथनी, श्री फ्रेंक
ओडेयरा, श्री भरत कुमार
ओडेयार, श्री चनैया
कमला कुमारी, कुमारी
काले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कामत, श्री गुरुदास
किदवई, श्रीमती मोहसिना
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द्र
कुन्जम्बु, श्री के०
कृष्ण सिंह, श्री
खां, श्री असलम शेर
खां, श्री मोहम्मद मसूद
गहलौत, श्री अशोक
गाडगिल, श्री वी० एन०
गावीत, श्री मानिकराव होडल्या
घोलप, श्री एस० जी०
घोरपडे, श्री एम० वाई०
घोष, श्री विमल कान्ति
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चन्द्रशेखर, श्रीमती एस०
चन्द्राकर, श्री चन्दू लाल
चव्हाण, श्री अशोक शंकर राव
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलताई
चार्ल्स, श्री ए०
चौधरी, श्री कमल
जगतरक्षकन, डा एस०
जनार्दनन, श्री कादम्बुर
जांगड़े, श्री खेलन राम
जाटव, श्री कमोदीलाल
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
जितेन्द्र सिंह, श्री

जोवार्थिनम, श्री आर०
जुझार सिंह, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जैनुल बशर, श्री
ठक्कर, श्रीमती ऊषा
ठाकुर, श्री सी० पी०
डिगाल, श्री राधाकांत
डेनिस, श्री एन०
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
तारिक अनवर, श्री
तिलकधारी सिंह, श्री
त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर
थामस, प्रो० के० वी०
दलवाई, श्री हुसैन
दलबीर सिंह, श्री
दाभी, श्री अजीत सिंह
दास मुंशी, श्री प्रिय रंजन
दास, श्री रेणुपद
दास, श्री सुदर्शन
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्रीमती शीला
दूबे, श्री भीष्म देव
देव, श्री सन्तोष मोहन
नटवर सिंह, श्री के०
नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती
नामग्याल, श्री पी०
नायक, श्री शांताराम
नायकर, श्री डी० के०
नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह
नेताम, श्री अरविन्द
पंत, श्री कृष्ण चन्द्र
फकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम०
पटेल, श्री अहमद एम०
पटेल, श्री यू० एच०
पटेल, श्री सी० डी०
पराशर, प्रो० नारायण चन्द
पांडे, श्री मनोज
पाइलट, श्री राजेश
पाटिल, श्री प्रकाश वी०
पाटिल, श्री विजय एन०
पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ
पारधी, श्री केशवराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तम, श्री बक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पुष्पा देवी, कुमारी
पेरुमान, डा० पी० वल्लल
पोतदुखे, श्री शांताराम
प्रधान, श्री के० एन०
बघेल, श्री प्रताप सिंह
बेलरामन, श्री एल०
बसवराजेश्वरी, श्रीमती
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बीरेन्द्र सिंह, श्री
बुटानिया, श्री नरेन्द्र
बुन्देला, श्री सुजान सिंह

बूटा सिंह, सरदार
बंठा, श्री डूमर लाल
बैरो, श्री ए० ई० टी०
भगत, श्री एच० के० एल०
भगत, श्री बी० आर०
भरत सिंह, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोई, डा० कृपा सिंधु
भोये, श्री एस० एस०
भोसले, श्री प्रतापराव बी०
मकवाना, श्री नरसिंह
मनोरमा सिंह, श्रीमती
महन्ती, श्री बृजमोहन
महाजन, श्री वाई० एस०
महावीर प्रसाद, श्री
माने, श्री मुरलीधर
मालवीय, श्री बापूलाल
मिश्र, श्री उमाकान्त
मिश्र, श्री जी० एस०
मिश्र, डा० प्रभात कुमार
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुरमू, श्री सिद्धलाल
मुशरान, श्री अजय
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मोतीलाल सिंह, श्री
मोदी, श्री विष्णु
यादव, श्री कैलाश
यादव, श्री डी० पी०
यादव, श्री बलराम सिंह
यादव, श्री राम सिंह
यादव, श्री श्याम लाल
योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद
रणवीर सिंह, श्री
रथ, श्री सोमनाथ
राउत, श्री भोला
राठौड़, श्री उत्तम
राम, श्री रामस्वरूप
राम अवध प्रसाद, श्री
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राय, श्री राज कुमार
राव, श्री जे० चोक्का
लाल डहोमा, श्री
वन, श्री दीप नारायण
वनकर, श्री पूनमचन्द मीठाभाई
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, श्री वी० एस०
वैराले, श्री मधुसूदन
व्यास, श्री गिरधारीलाल
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शैलेश, डा० बी० एल०
संकटा प्रसाद, डा०
संतोष कुमार सिंह, श्री

सईद, श्री पी० एम०
सत्येन्द्र चन्द्र, श्री
साठे, श्री बसंत
साहु, श्री शिव प्रसाद
सिंह, श्री कृष्ण प्रताप
सिंह, श्री चन्द्रप्रताप नारायण
सिंह सत्येन्द्र नारायण
सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद
सुन्दर सिंह, चौधरी
सुखवन्स कौर, श्रीमती
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
सेठी, श्री अनन्त प्रसाद
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोरेन, श्री हरिहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
स्वेल, श्री जी० जी०
षण्मुख, श्री ए० सी०
षण्मुख, श्री पी०

विपक्ष में

अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण
आचार्य, श्री वसुदेव
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
कुरूप, श्री सुरेश
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गोस्वामी, श्री दिनेश
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
चौधरी, श्री समर ब्रह्म
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जायनल अबेदिन, श्री
डोरा, श्री एच० ए०
तिरकी, श्री पीयूष
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
देव, श्री वी० किशोरचन्द्र एस०
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री एच० एम०
पाटिल, श्री एच० बी०
बर्मन, श्री पलास
बिश्वास, श्री अजय
भट्टम, श्री श्रीराम मूर्ति
भूपति, श्री जी०
मलिक, श्री पूर्णचन्द्र
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
महान्ता, श्री चित्त
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
यादव, श्री विजय कुमार
राजू, श्री विजय कुमार
राय, श्री डा० सुधीर
रामप्रधान, श्री अमर
राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर
राव, डा० जी० विजयरामा
राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर
राव, श्री श्रीहरि
रियान, श्री बाजूबन
रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र
रेड्डी, श्री बी० एन०
शुक्ल, श्री विद्याचरण
साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
हंसदा, श्री मति लाल

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा—

पक्ष में—177

विपक्ष में—41

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.55 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अगले मद पर अर्थात् नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा आरम्भ करेगी। श्री महन्ती.........

(एक) कटक और सम्बलपुर से कुछ कार्यक्रम तैयार कराकर दूरदर्शन और रेडियो पर उड़िया कार्यक्रमों के लिए अधिक समय प्रदान करने की आवश्यकता।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : कटक दूरदर्शन केन्द्र में एक 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाया गया है जो दिल्ली से कार्यक्रम रिले करता है। 40 मिनट के विशेष कार्यक्रम को छोड़कर कटक दूरदर्शन केन्द्र से उड़िया कार्यक्रम रिले नहीं किए जाते। यह सुझाव दिया जाता है कि अन्य उच्च शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटरों की तरह कटक से भी शाम को 6 बजे से 8 बजकर 40 मिनट तक उड़िया में कार्यक्रम दिखाए जायें और क्षेत्रीय समाचार सेवा के अन्तर्गत उड़िया शाम को 7.30 से 7.40 बजे तक समाचार प्रसारित किए जाने चाहिए।

भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि स्टूडियों बन जाने पर आकाशवाणी के सम्बलपुर केन्द्र में एक अलग समाचार एकक आरम्भ किया जायेगा परन्तु स्टूडियो का काम चालू हो जाने के बाद भी समाचार एकक की अनुमति नहीं दी गई। सरकार को अपने वायदे को पूरा करना चाहिए ताकि उस क्षेत्र के लोगों की काफी समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सके।

उड़ीसा आल इण्डिया रेडियो ने विज्ञापन प्रसारण के लिए कटक में 1 किलोवाट को रेडियो स्टेशन स्थापित किया था जिससे 20-25 किलोमीटर की परिधि में प्रसारण होता है। सम्बलपुर बरहामपुर, राउरकेला, अगुंल (नालको) दमनजोडी (नालको) सुनाबेडा (ए० ई० एफ०) आदि विस्तार केन्द्रों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को इन केन्द्रों के लिए अधिक विज्ञापन प्रसारण स्टेशन शुरू करने चाहिए।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :—

पक्ष में—सर्व श्री अर्जुन सिंह, सुभाष यादव, मानवेन्द्र सिंह, श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी, सर्व श्री के० जे० अम्बासी, श्री नवीन रावणी श्रीमती मनेम्मा अजैया, सर्व श्री किन्दर लाल, नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, डा० गौरी शंकर एस० राजहंस, श्री मानकूराम सोडी, श्री पी० कुलनदईवेलू और श्री तपेश्वर सिंह।

विपक्ष में—सर्व श्री सी० माधव रेड्डी, सैयद शाहबुद्दीन, डा० चिन्ता मोहन और श्री सी० सम्बु।

(दो) उत्तर बिहार में बाढ़ की विभीषिका को रोकने की आवश्यकता

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : उत्तरी बिहार में और विशेष रूप से मिथिला क्षेत्र में इस वर्ष जैसी अभूत पूर्व विनाशकारी बाढ़ आई है वैसी बाढ़ वहां गत 100 वर्षों में भी नहीं आई थी। कमला, कोसी बागमती, गाहुमा और अधवारा नदी समूहों ने क्षेत्र में तबाही मचा दी है। बाढ़ दो माह से अधिक समय तक रही। वहां के लोगों की दशा इतनी शोचनीय है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके मकान खड़ी फसलें कपड़े, बर्तन और सारे जीवन की बचत नष्ट हो चुकी है उनमें से 90% व्यक्ति कंगाल बन चुके है।

बिहार की अधिकतर नदियां नेपाल से निकलती है। जब तक उनके उद्गम स्थल पर बाढ़ रोकने की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उत्तरी बिहार में लगातार प्रतिवर्ष बाढ़ से तबाही जारी रहेगी और चाहे और कितने भी राहत कार्य की व्यवस्था की जाए उससे उजड़े हुए लोगों के पुनर्वास में कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए सरकार को नेपाल सरकार से शीघ्र वार्ता करके बांध और जलाशय बनाकर प्रतिवर्ष तबाही मचाने वाली बाढ़ को रोकना चाहिए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तरी बिहार एशिया का एक सबसे घनी आबादी वाली क्षेत्र है और वहां की सम्पूर्ण आबादी को किसी अन्य जगह पर ले जाकर बसाना संभव नहीं है।

साथ ही केन्द्रीय सरकार को वहां केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों का एक दल भेजना चाहिए जो तटबंधों में दरार आने के कारणों का पता लगाए।

12.57 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.07 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर सात मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

(तीन) लोन्डा से वास्कोडिगामा तक मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : यद्यपि 19 दिसम्बर 1961 में गोआ की आजादी के बाद से वहां गोआ में आने-जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए सड़क, वायु मार्ग और समुद्र मार्ग से यातायात में बहुत सुधार हुआ है, परन्तु फिर भी वहां रेल परिवहन का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है।

गोआ भारत के पश्चिम तट पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है जहां अनेक स्वदेशी और

विदेशी पर्यटक आते हैं। पास ही कारवार में नौसेना की भी एक परियोजना चल रही है। राज्य की नई औद्योगिक इकाइयों के सामान को लाने और ले जाने के लिए न केवल गोआ के लोगों की अपितु सम्पूर्ण देश के लोगों की काफी लम्बे समय से की जा रही लोन्डा से वास्कोडिगामा तक बड़ी रेल लाईन की व्यवस्था करने की मांग से रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

दो वर्ष पहले जब प्रधान मंत्री गोआ गए थे तो उन्हें मामले के महत्व को समझते हुए इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था और उससे गोआ के लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। उसके बाद कुछ कार्य भी किया गया है परन्तु रेलवे मंत्रालय के संकुचित दृष्टिकोण के कारक वह आश्वासन कागजों पर रह गया। यह आशंका है कि लोगों की यह आशा पूरी नहीं होगी।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि लोन्डा से वास्कोडिगामा तक मीटर गेज लाइन की बड़ी रेल लाइन में बदला जाए।

(चार) औषधियों के मूल्यों में कमी करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को न मानने के कारणों की जांच करने के लिए संसद सदस्यों की एक सीमित नियुक्त करने की आवश्यकता

श्री राजकुमार राय (घोसी) : महोदय उच्चतम न्यायालय ने 10 अप्रैल, 1987 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में सम्बन्धित औषधि निर्माता कम्पनियों के अभ्यावेदनों को निपटाने के लिए और अन्तिम आदेश देने के लिए रसायन विभाग को दो महीने चौदह दिन का समय दिया था। किन्तु 25 जून, 1987 तक निधारित समय अवधि के दौरान कोई कार्यवाही नहीं की गई।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद रसायन विभाग ने सम्बन्धित औषधियों के मूल्य कम नहीं किए है। मुकद्मेबाजी के कारण सात वर्षों तक उपभोक्ताओं को मूल्य नियन्त्रण का लाभ नहीं मिला और अब निर्णय के बाद भी उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल किया जा रहा है। मूल्य निर्धारित करने और उन्हें कार्यान्वित करने के अलावा औषध मूल्य समीकरण लेखा में वसूली की बात भी शामिल है। इन मामलों में ही लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना करने और उपभोक्ताओं को हुई कठिनाई के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया है। अतः में अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच करने और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाए।

(पांच) पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली रक्ताल्पता को रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली लौह आधारित कतिपय औषधियों की कीमतों के विनियन्त्रण के प्रश्न की जांच करने के लिए संसद के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की मांग

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, गरीब, गर्भवती महिलाओं बालकों और शिशुओं में खुराक की कमी से होने वाली रक्ताल्पता को रोकने के लिए लौह पर आधारित औषधियों का प्रोफाइलेक्सेस रूप में प्रयोग किया जाता है।

लौह पर आधारित औषधियों का उत्पादन कुछ औषध कम्पनियों के एकाधिकार में है। अब लगभग ऐसे सभी उत्पादों के मूल्यों के मामले में नियन्त्रण समाप्त कर दिया गया है और उन्हें विभिन्न ब्रान्डों के अन्तर्गत बेचा जा रहा है जिनका कुल कारबार एक करोड़ रुपये से लेकर 12 करोड़ रुपये तक है। लौह पर आधारित दवाइयों के मूल्य में नियन्त्रण समाप्त करने के बाद इन उत्पादों के मूल्य में

काफी वृद्धि की संभावना है। यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जब ब्रांड पर आधारित दवाइयों का प्रयोग देश की गरीब रोगी, गरीब गर्भवती महिलाएं और शिशु तथा बच्चे कर रहे है तो उनके मूल्य से नियन्त्रण को क्यों समाप्त किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि देश के गरीब रोगियों की कीमत पर औषधी उद्योग के हितों की रक्षा की जा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की जांच की जाए और जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाए।

(छह) झारसुगुडा (उड़ीसा) में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की मांग

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय झारसुगुडा रेलवे जंक्शन तथा पश्चिमी उड़ीसा का द्वार होने के कारण राज्य के रेलवे मानचित्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पर एक रेलवे कालोनी है जहां पर बहुत से रेल कर्मचारी रहते है। इन कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करने के लिए शीघ्र ही वहां पर एक केन्द्रिय विद्यालय खोलने की आवश्यकता है।

(सात) कोट्टायम जिले (केरल) में इन्तुमनूर में एक इलेक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र लगाने की आवश्यकता।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय केरल के जिला कोट्टायम में वर्ष 1948 में 360 लाइनों की क्षमता वाले इन्तुमनूर टेलीफोन केन्द्र की स्थापना की गई थी। इसमें से 358 कनैक्शन पहले ही किए जा चुके हैं। यह एक सीमित क्षमता वालाहस्तचलित केन्द्र है इसलिए टेलीफोन कनेक्शन के लिए नए आवेदकों को बहुत कठिनाई होती है। इन्तुमनूर कोट्टायम जिला मुख्यालय से केवल 10 किलो मीटर दूर है। इन्तुमनूर मन्दिर के कारण यह केरल का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। गांधी जी विश्वविद्यालय का कार्यालय इस स्थान से केवल 2 किलो मीटर दूर है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। प्रतीक्षासूची में बहुत से आवेदकों का नाम है। वहां टेलीफोन केन्द्र की हस्तचलित प्रणाली अपर्याप्त है। अब टेलीफोन केन्द्र एक किराए के भवन में चल रहा है और विभाग को किराए के रूप में 6,500 रुपए प्रतिमाह की अदायगी करनी पड़ती है। एक नए टेलीफोन केन्द्र की स्थापना के लिए वहां पर्याप्त जमीन उपलब्ध हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन्तुमनूर में एक इलैक्ट्रानिक केन्द्र खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए।

(आठ) देश में अच्छी फसल को देखते हुए रुई और विस्कोस स्टेपल रेशे के आयात सम्बन्धी निर्णय को लागू न करने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, काटन मिल्स एशोशियसन के अनुरोध पर कपास की दस लाख गांठों और एक लाख बीस हजार किलो विस्कोस स्टेपल फाइबर का आयात करने में सरकार के कथित निर्णय से कपास उत्पादकों में चिन्ता व्याप्त है। कपास के कम-कम उत्पादन की भविष्यवाणी वास्तविकता से कोसों दूर है। हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार इस वर्ष कुल उत्पादन सौ लाख गांठों तक होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में पिछले माह 32 लाख गांठों के उत्पादन की अपेक्षा 35 से 40 लाख गांठें होने की आशा है। यह पता चला है। कि 12% अधिक भूमि में कपास उगाया गया है। महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में 27 से 30 लाख गांठों का उत्पादन होने की सम्भावना है। इस वर्ष गुजरात में 12 लाख गांठों आन्ध्रप्रदेश

में 15 से 16 लाख गांठों कर्नाटक में 7·5 लाख गांठों और तमिलनाडु में एक लाख गांठें शीतकालीन फसल में और 4 लाख गांठें ग्रीष्मकालीन फसल में होने की आशा है।

अत: इन परिस्थितियों में कपास के आयात से कपास उत्पादकों के हितों पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जबकि दूसरी ओर मिल मालिकों को अपना लाभ बढ़ाने के लिए बहुत कम कीमत पर फसल का सारा माल खरीदने में सहायता मिलेगी। सरकार को कुछ वर्ष पहले के कटु अनुभव को याद करना चाहिए जब सरकार ने बहुत सा धन खर्च करके कपास का आयात किया था परन्तु मिल मालिकों ने यह कहते हुए खरीदने से इंकार कर दिया था कि कीमत बहुत अधिक है जिसके कारण सरकार उस कपास को दोबारा निर्यात करने के लिए मजबूर हुई थी जिससे राजकोष को बहुत अधिक हानि हुई थी।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकार दस लाख कपास की गांठों और एक लाख बीस हजार किलो विस्कोस स्टेपल फाइबर को विदेशों से आयात करने के अपने निर्णय को त्याग दे।

2·15 म० प०

पंजाब के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को अगले छह मास तक लागू रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

"कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेदन 356 के अन्तर्गत 11 मई, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1987 से अगले छह मास तक लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसा कि सभा अवगत है, पंजाब में विद्यमान तत्कालीन स्थिति को देखते हुए संविधान के अनुच्छेदन 356 के अन्तर्गत पंजाब राज्य के संबंध में इस उद्घोषणा को राज्यपाल की सिफारिश पर 11 मई, 1987 को जारी किया गया था और राज्य विधान सभा को आस्थगित रखा गया।

अनुच्छेदन 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करने के लिए लोक सभा एवं राज्य सभा की स्वीकृति 12-5-1987 को ले ली गयी थी। अब छह महीने अवधि समाप्त होने पर 10-11-1987 को यह उद्घोषणा अब लागू नहीं रहेगी।

पंजाब के राज्यपाल का जायजा यह है कि जब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो राज्य प्रशासन को दो तरह की खतरनाक प्रवृत्तियों का सामना करना पड़ रहा था :

(क) सभी विनाशकारी और राष्ट्र विरोधी रूपों में विद्यमान रूढ़िवधि आतंकवाद;

(ख) साधारण आतंकवाद जिसका स्वरूप खतरनाक और राष्ट्र-विरोधी दोनों था।

प्रथम बुराई से राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद तुरन्त सफलतापूर्वक ढंग से निपटा गया।

[सरदार बूटा सिंह]

धार्मिक आतंकवाद वास्तव में समाप्त हो गया है। मांस, शराब और सिगरेट की दुकानें जिनको धार्मिक आतंकवादियों द्वारा जबरदस्ती बन्द करवाया जा रहा था; ये सभी दुबारा खुल गयी हैं। भाईयों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। हिंसक लोगों ने शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों से यह मांग करनी बन्द कर दी है कि वे अपने विद्यार्थियों को एक भिन्न प्रकार अथवा रंग की वेशभूषा पहनने का आदेश दें। विवाह-शादियां फिर से शान्तिपूर्ण ढंग से होने लगी हैं।

हालांकि, आतंकवाद अब भी चल रहा है। राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थिति अभी ठीक नहीं है। 12 मई, 1987 से लेकर 21 अक्तूबर, 1987 के बीच सुरक्षा बलों ने 1935 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और 197 को मुठभेड़ों में मारा। इसी अवधि के दौरान आतंकवादियों ने भी 446 नागरिकों और 49 पुलिस कर्मियों को मार डाला। हालांकि, पुलिस का मनोबल ऊंचा है और उनमें आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने तथा उस पर विजय पाने की इच्छा है। वर्तमान में विभिन्न आतंकवादी ग्रुप पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों के तीव्र दबाव में हैं और इनको काफी आघात पहुंचा है। यद्यपि हत्यायें रुकी नहीं हैं तथापि आतंकवादी छुपे हुए हैं तथा भाग रहे हैं।

कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक न होने के बावजूद अच्छी स्थिति होने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। लोगों में विश्वास की भावना पनपी है। हाल ही में दिल्ली से 125 प्रवासी परिवार लौटे हैं और जल्दी ही और अधिक परिवारों के लौटने की आशा है। आतंकवाद, राष्ट्र-विरोधी ताकतों और निर्दोष लोगों की हत्याओं के विरुद्ध आजकल हर समुदाय का विरोध तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक उत्साहजनक बात यह है कि काफी बड़ी संख्या में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ग्रामीण आगे आ रहे हैं।

राज्यपाल का विचार है कि यदि में लोक प्रिय सरकार स्थापित की गई तो इतनी कड़ाई नहीं हो पाएगी और लोगों की जानमाल का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई दल नहीं है जो स्थिरता और दृढ़ संकल्प के साथ सरकार बना सके।

इस परिस्थिति में राज्यपाल ने सिफारिश की है कि 11 मई, 1987 को की गयी उद्घोषणा की अवधि को छह महीने तक और बढ़ा दिया जाए तथा राज्य विधान सभा को आस्थगित रखा जाए।

राज्य में वर्तमान स्थिति और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव है कि 11-11-1987 से राज्य में राष्ट्रपति शासन को छह महीने और बढ़ा दिया जाए। अगर ऐसी स्वीकृति मिल जाती है और राष्ट्रपति शासन को पहले समाप्त नहीं किया जाता है तो यह 10-5-1988 तक लागू रहेगा।

मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। आरम्भ में मैंने जिस संकल्प का उल्लेख किया था। उसके लिए माननीय सभा की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय। निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 11 मई, 1987 को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को 11 नवम्बर, 1987 से अगले छह मास तक लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

श्री माधव रेड्डी।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, राष्ट्रपति शासन को छह महीने बढ़ाने के संकल्प का मैं विरोध करता हूं। अभी-अभी माननीय गृह मंत्री ने कुछ घटनाओं के बारे में बताया है और पंजाब में राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाये जाने को उचित ठहराते हुए राज्यपाल की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। लेकिन हमें वह रिपोर्ट पढ़ने का अवसर नहीं मिला। जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तब गवर्नर की रिपोर्ट की एक प्रति हमें दी गयी थी। परन्तु अब, जब और अधिक अवधि के लिए बढ़ाये जाने की मांग की गयी है तो, हमें रिपोर्ट नहीं दी गयी है। तो भी, कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में गृह मंत्री ने कुछ तथ्य बताये हैं और कहा है कि अगर इस स्थिति में लोकप्रिय सरकार स्थापित की जाती है तो आतंकवादियों के साथ सरकार जिस दृढ़ता से निपट रही है वह समाप्त हो जायेगी। जो कुछ तथ्य उन्होंने बताये हैं तथ्य उससे वास्तव में भिन्न हैं।

उनके स्वयं के वक्तव्य के अनुसार पिछले छह महीनों के दौरान लगभग 444 निर्दोष व्यक्ति मारे गये हैं। अगर आप इन आंकड़ों की तुलना लोकप्रिय शासन के दौरान इतने ही समय में मारे गये लोगों के आंकड़ों के साथ करें तो मेरे विचार से पहले वाले आंकड़े अधिक हैं।

राज्यपाल की रिपोर्ट जैसी कि अखबारों में हुई है उससे पता लगता है कि राज्यपाल लोकप्रिय सरकार बनाने के लिए वार्ता करना चाहते हैं लेकिन यह पता नहीं लगता है कि वार्ता किससे की जाए। वह वार्ता करना चाहते हैं परन्तु वार्ता करने के लिए कोई भी नहीं है आपने किसी को भी इस के लिए मैदान में नहीं छोड़ा है। क्या यह एक शर्मनाक बात नहीं है? आज, हम किसी से भी बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं। आप किससे बातें करने जा रहे हैं? श्री बरनाला सत्ता से बाहर हैं। श्री बादल जेल में है। जहां तक आतंकवादियों का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि आप उनसे बात करना चाहते भी है या नहीं। हालांकि प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि हिंसा रुक जाए और हत्यायें बन्द हो जायें तो वह किसी से भी वार्ता करने को तैयार हैं। इसका अर्थ यह है कि यहां तक कि वह आतंकवादियों से भी बात करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं जानता कि वास्तव में ऐसी ही स्थिति है परन्तु इससे लोगों को यह पता चल जाता है कि यह सरकार आतंकवादियों से भी बातचीत करने के लिए तैयार है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप आतंकवादियों से बात करना चाहते हैं और मामले को सुलझाना चाहते हैं। परन्तु इन महीनों में आप क्या करते रहे हैं? इस तथ्य के बावजूद कि मांग अनुसार हम वहां पर सुरक्षा बल भेजते रहे हैं। सरकार और पुलिस की क्या सफलता रही है? जब श्री रिबेरो को अधिक सुरक्षा बलों की आवश्यकता पड़ी तो इन्हें वहां पर भेजा गया। उस स्तर पर तो उनकी कोई भी शिकायत नहीं है यद्यपि वे कहते हैं कि जिन आसूचना कर्मियों की आवश्कता थी उनको नहीं भेजा गया। वहां पर एक प्रकार से आसूचना सम्बन्धी असफलता है जिसका अर्थ है कि उनको इस बात का पता नहीं है कि आतंकवादी कब और कहां से आते हैं, कैसे वे गोली चलाते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं। यही आतंकवाद का नमूना है चाहे यह दिल्ली में हो अथवा पंजाब के किसी भाग में हो आज स्थिति यह है कि आतंकवादी आते है और अपना स्वयं का समय चुनते हैं। वे इस बारे में हमें नहीं बताते। वे निर्धारित स्थानों पर व्यक्तियों को मार कर चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ऐसी एक भी घटना नहीं हुई है जबकि आतंकवादियों को लोगों को मारते समय अथवा भागते हुए, मौके पर पकड़ा गया हो। आपने कुछ लोगों को पकड़ा है। परन्तु हम नहीं जानते कि क्या वे वास्तविक आतंकवादी हैं अथवा निर्दोष लोग हैं। परन्तु ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जब

[श्री सी० माधव रेड्डी]

उनको या तो लोगों को मारते हुए अथवा मारने के बाद भागते हुए पकड़ा गया है। इससे सरकार की असफलता का पता चलता है। इससे इस सरकार को मिलने वाले लोकप्रिय समर्थन का पता चलता है जिसका आप दावा कर रहे हैं और जो असलियत में है नहीं। वहां पर हत्याएं जारी हैं। उनकी लोगों के प्रति सहानुभूति भी नहीं है। वे किसी के भी घर में घुस जाते हैं और वहां पर शरण ले लेते हैं। यह उनके लिए इतना अधिक आसान है।

दुर्भाग्य की बात है कि हत्याएं जारी हैं। हम इन हत्याओं की भर्त्सना करते हैं। हम अत्याचारों पंजाब में आतंकवादियों के कार्यों की निन्दा करते हैं हम उन गैर जिम्मेवार व्यक्तियों द्वारा किये गए सभी कार्यों और घोषणाओं की निन्दा करते हैं जिन्होंने आजकल खालिस्तान के लिए प्रचार छेड़ रखा है अथवा सिख कौम के बारे में और इसी तरह की बातें करते हैं। सिख कौम जैसी कोई चीज नहीं है। यहां पर सिर्फ एक कौम है और वह भारतीय कौम है भारतीय कौम से अलग कोई सिख कौम नहीं हो सकती। कौम का अर्थ है राष्ट्रवार। यह एक राष्ट्र है। जहां हम पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों की निन्दा करते हैं बल्कि हम यह महसूस किये बिना नहीं रह सकते कि आज जनता तथा सरकार के बीच कोई भी मध्यस्थ नहीं है। जनता और सरकार के मध्य ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जो पंजाब में पुन: शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी ले सके। सरकार के अलावा कोई नहीं है जो पंजाब में शांति स्थापित करे। आज आप लोकप्रिय शासन नहीं चाहते क्योंकि लगता आपको इससे घृणा है क्योंकि इसमें कोई दृढ़ता नहीं होगी। सरकार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकेगी। मैं इससे सहमत नहीं हूं। स्थिति यह है कि पंजाब में कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब निर्बाध हत्याएं न हुई हों। मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि पंजाब में कल का दिन शांतिपूर्ण रहा। ऐसा गुरु नानक का दिन होने की वजह से हो सकता है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। परन्तु आज फिर से समाचार हैं कि कुछ घटनायें हुई हैं। परन्तु इन छ: महीनों के दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब हत्यायें न हुई हों। इसके बावजूद भी हम दावा करते हैं कि हमने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। क्या वास्तव में हमने स्थिति पर काबू पा लिया है? क्या वास्तव में पंजाब में आतंकवादियों की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है? क्या आप कह सकते हैं कि पंजाब में शांति लौट आई है? आपने कहा कि पंजाब में धार्मिक समारोह शांति से हो रहे हैं। शादियां शांतिपूर्ण ढंग से हो रही हैं। शायद ऐसा उन स्थानों पर होता है कि शादियां हो रही हैं क्योंकि वहां पर आतंकवादियों की गतिविधियां नहीं होती हैं। पहले वहां पर धर्मान्धता थी। जो मांस अथवा सिगरेट की दुकानें पहले बन्द कर दी गई थी, अब खुल गई हैं। कितनी थोथी सांत्वना है। अगर मांस की दुकानें खुल सकती हैं तो क्या आप सोचते हैं कि शांति लौट आई है?

पिछले छह महीनों के दौरान हम सभा में पंजाब के बारे में चर्चा करते आये हैं। इस मामले पर चर्चा करने के लिए कई अवसर आये। ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन एक अन्तरिम व्यवस्था है। अन्तत: आपने वहां पर लोकप्रिय शासन स्थापित करना है चाहे आप इसे किसी भी रूप में करें। अगर आपके साथ बात करने के लिए कोई भी नहीं है, तो आप चुनाव करायें। अगर आप कहते हैं कि स्थिति शांति पूर्ण है, तो निश्चित तौर पर चुनाव करवाये जाने चाहिए। इसमें गलत क्या है? ऐसे माहौल में पहले भी तो चुनाव करवाये गए हैं।

मैं इस राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाए जाने का विरोध करता हूं क्योंकि सिद्धान्त रूप में

15 कार्तिक, 1909 (शक)

पंजाब के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को अगले छह मास तक लागू रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

स्थिति लोकप्रिय शासन के समय की तुलना में और खराब हुई है और पंजाब में राष्ट्रपति शासन का कोई भी औचित्य नहीं है। इस शासन का अंत होना चाहिए। मैं फिर से मांग करता हूं कि पंजाब में लोकप्रिय शासन को पुनः बहाल करने के लिए एक प्रयास किया जाना चाहिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मेरे मित्र श्री माधव रेड्डी ने कुछ मुद्दे उठाये हैं और वह चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन की अवधि को न बढ़ाया जाए। उन्होंने यह तर्क दिया है कि उनके पास राज्यपाल की सिफारिश की प्रति नहीं है। मेरे ख्याल से माधव रेड्डी जी विपक्ष के एक बड़े नेता हैं। वह हर रोज अखबार पढ़ते होंगे। उन्हें पता लगता रहता होगा कि राज्यपाल के शासन से पूर्व जो स्थिति थी उसमें सुधार हुआ है या नहीं। मुझसे जो कोई मिला है सत्र के लिये लोग यहां आए हैं। बहुत से लोग मुझसे केन्द्रीय कक्ष में और लाबी में मिले हैं, प्रत्येक ने यह सन्तोष जाहिर की है कि अब पंजाब में स्थिति बेहतर प्रतीत होती है।

श्री सी० माधव रेड्डी (महबूब नगर) : वे कौन लोग हैं ?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिय : संसद सदस्य हैं, मेरे दल के ही नहीं बल्कि अन्य दलों के भी। उनका कहना है कि स्थिति में सुधार हुआ है।

सरदार बूटा सिंह : जो पंजाब को जानते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीर हाट) : वे कभी पंजाब नहीं जाते। पंजाब के निकट भी नहीं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मौके पर पकड़ा नहीं जाता। इसका मतलब है कि उन्हें पता नहीं है कि पंजाब में क्या हो रहा है। आतंकवादियों ने लक्ष्य निर्धारित किए होते हैं, वे उसके लिए प्रतीक्षा करते हैं। अपना काम करके वे चलते बनते हैं। इसलिए पुलिस को पता नहीं चलता कि उनका लक्ष्य क्या है। वे आते है, और एक ऐसे क्षेत्र में अपनी कार्यवाही करते हैं जो अधिक सुरक्षित होता है। अपना काम करके वे चलते बनते हैं। इसीलिए आतंकवादी पकड़े नहीं जाते। लेकिन हाल ही में उन्हें पता चला होगा कि मुठभेड़ के बाद बहुत से आतंकवादियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने पीछा करके उन्हें गिरफ्तार किया। उनकी सूचना के लिए बता दूं कि पंजाब में अब तक 1700 आतंकवादियों को पकड़ा जा चुका है।

उन्होंने यह भी कहा कि लोगों और सरकार के बीच कोई माध्यम नहीं है अथवा उनके शब्दों में कोई बफर नहीं है मेरे ख्याल से अगर मैंने उन्हें ठीक समझा है तो इससे उनका शायद आशय है कि वहां लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए। क्या इससे पहले वहां लोकप्रिय सरकार नहीं थी ?, क्या हुआ था ? उस समय वहां बहुत से लोगों की हत्याएं हुई। उस दौरान एक बहुत बुरी बात हुई, यह बात आपको समझनी चाहिए तथा इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं। पहली बार, लोगों ने वहां से दूसरी जगहों पर जाना शुरू कर दिया। काफी संख्या में लोग दिल्ली आए। बहुत से लोग विपक्षी नेताओं से भी मिले। इन कारणों से हमें लोकप्रिय सरकार को समाप्त करके कानून का शासन स्थापित करना पड़ा।

उन्होंने चुनाव कराने के बारे में भी कहा है। हमें चुनाव क्यों कराने चाहिए ? विधान सभा को स्थापित कर दिया गया है। अब स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे गृह मंत्री ने आपको आंकड़े दिए है। उन्होंने सही स्थिति का उल्लेख किया है. मैं पंजाब का हूं और विशेष रूप से अमृतसर का

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

हूं। मैं इस बात की गारण्टी देता हूं कि अब स्थिति बेहतर है। अब स्थिति में सुधार हो रहा है। हमें आशा है कि अगले छह एक महीनों में स्थिति में निश्चिय ही सुधार होगा और उसके बाद लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जा सकती है। मैं उनसे सहमत हूं कि विधान सभा को बुलाया जाना चाहिए पर यह कानून और व्यवस्था में सुधार होने के बाद ही हो सकता है।

29 सितम्बर, 1985 को आकालियों की लोकप्रिय सरकार बनी थी। उस शासन के दौरान 3294 घटनाएं घटीं और 800 से अधिक लोगों की हत्याएं की गईं। आशा की गई थी कि इस लोकप्रिय शासन के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा क्योंकि पंजाब की जनता ने आकालियों में अपना विश्वास व्यक्त किया था। आकालियों को कांग्रेस सहित इस सदन के सभी वर्गों का सभी दलों का सहयोग मिला था। कांग्रेस दल ने उन्हें आश्वासन तथा सहयोग दिया था ताकि वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हों। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। हुआ यह कि चुने जाने के एकदम बाद उन्होंने घोषणा की कि उनकी सरकार पंथ की सरकार है। उन्होने धर्म निरपेक्ष संविधान के अन्तर्गत शपथ ली थी लेकिन चुने जाने के एकदम बाद उन्होंने कहा कि उसकी सरकार पंथ की सरकार है। इससे पंजाबियों में आश्वास पैदा हो गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वह हम सबको मालूम है। उस शासन के अन्तर्गत अल्प सरकारों के साथ कैसा व्यवहार किया गया ? यही नहीं, समाज सुधार के नाम पर नाईयों को अपनी दुकानें बन्द करने के लिए कहा गया। शराब की दुकानें लूट ली गई। मांस मछली बेचने वालों से कहा गया कि वह यह काम करना बन्द कर दें। सबसे बुरी बात यह हुई कि स्वर्ण मन्दिर से लोगों को इस आशय के धमकी भरे पत्र जारी किए गए कि इतना-इतना पैसा दे दो वरना मार डाले जाओगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह तो अभी भी हो रहा है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर हाल ही में स्वर्ण मन्दिर और गुरु नानक निवास के बीच के क्षेत्र उनके द्वारा ले लिए जाने के कारण यह बात एकदम समाप्त हो गई है। जब भी मैं अमृतसर जाता काफी संख्या में लोग मेरे पास आते हैं और मुझे धमकी भरे पत्र दिखाते। बहुत से लोगों ने तो चुपचाप पैसा भी दे दिया। अनुमान है कि हर रोज न केवल अल्पसंख्यकों से बल्कि प्रत्येक से, उद्योगपतियों, व्यवसायियों से 5-6 लाख रुपए जमा किए जाते थे उन्होंने लोगों के झगड़े निपटाने का काम भी शुरू कर दिया। बहुत से किराएदारों से कहा गया कि वे 24 या 48 घंटे में मकान खाली कर दें अन्यथा उन्वे मार डाला जाएगा। बहुत से लोगों ने मकान खाली कर दिए। इस स्थिति में अगर वे पंजाब में समानान्तर सरकार बनाते हैं तो आप कैसे सहन कर सकते हैं ? बरनाला सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं था। हमें बरनाला सरकार से काफी आशाएं थीं। साफ कहूं तो मुझे आशा थी क्योंकि मैं उन लोगों में था जो चाहते थे कि चुनी हुई सरकार अपनी भूमिका निभाए। अबर वे चाहते तो क्या उन गुमराह लड़के को रोक नहीं सकते थे ? क्या वे उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं दे सकते थे। क्या वे उन्हें राजनैतिक क्षेत्र में खपा नहीं सकते थे। अगर वे यह सब नहीं कर सकते थे तो एक सीधी सी बात यह कर सकते थे कि जत्थेदार अकाल तख्त से कहते कि वह हुक्मनामा जारी करे कि निर्दोष व्यक्तियों की हत्या न की जाए। बरनाला जी स्वर्ण मन्दिर में अपने नियन्त्रणाधीन उस ताकत को हुक्मनामा जारी करने के लिए कहकर यह सीधा सा काम करा सकते थे ताकि निर्दोष लोग न मारे जाएं। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं किया गया।

15 कार्तिक, 1909 (शक)

पंजाब के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को अगले छह मास तक लागू रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

उसके बाद 11 मई 1987 को, जैसा कि सरदार बूटा सिंह ने स्पष्ट किया, हमें मजबूरन राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। राष्ट्रपति के शासन के दौरान बहुत सी बातें हुई क्योंकि जैसाकि मैंने कहा है स्थिति में सुधार हुआ है। लोगों का अन्यत्र जाना रुक गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय उन लड़कों से उन गुमराह लड़कों से मैं उन्हें यही नाम दूंगा, हर कोई डरता था यहां तक कि पत्नी को भी विश्वास नहीं था कि उसका पति कार्यालय से समय से लौट आएगा। गांवों में लोग अपने दरवाजे 5 बजे बन्द कर लेते थे और अगर कोई दरवाजा खट खटाता था तो वे सोचते थे कि आतंकवादी आ गए हैं। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा मैं गांवों की बात कर रहा हूं। यह केवल हिन्दुओं का सवाल नहीं था। मैं आपको बता हूं कि यह हिन्दू और सिख दोनों का सवाल है। लोग धमकियों के बीच इस तरह जी रहे थे। अब राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत सरकार की सत्ता स्थापित हो गई है। समानान्तर सरकार समाप्त हो गई है। अब लोगों को वर्तमान सरकार में यह विश्वास है कि वह उनकी नियति को सुधारेगें। श्री राय और श्री रिबेरो का चयन बहुत उत्तम रहा है क्योंकि वे सेना में विश्वास पैदा करने में सफल हुए हैं। पंजाब में जब स्थिति खराब थी तो उसका सबसे अधिक शिकार प्रशासन था। अधिकारी कार्यवाही नहीं करते थे। वे भी भयभीत थे। उनमें से बहुतों को धमकी भरे पत्र मिल रहे थे। वे कार्यवाही नहीं कर रहे थे। बहुत से न्यायाधीश काम नहीं कर रहे थे ? आतंकवादियों के मामलों की सुनवाए करने वाले न्यायाधीशों को गोली से उड़ा दिया गया। मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, और अधिकारी अपनी भूमिका नहीं निभा रहे थे। पंजाब में एक अजीब स्थिति हो गई थी। जो कुछ हो रहा था अब वह धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब प्रशासन सहयोग दे रहा है। वे पूरी तरह काम कर रहें हैं। लोगों से काफी संख्या से हथियार मिले हैं और सबसे अच्छी बात गुप्तचर सेवाओं के साथ हुई है। पहले गुप्तचर सेवाएं अपनी भूमिका नहीं निभा रही थी। मालूम नहीं क्यों। लेकिन अब वे आगे आ रही है और सूचना दे रही हैं जिसके आधार पर बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादियों को पकड़ा गया है और हथियार तथा गोला-बारूद बरामद हुआ है। राष्ट्रपति शासन से पंजाब में यह फायदा हुआ है।

भारत सरकार ने भी कुछ उपाय किए हैं। जिस क्षेत्र के लिए भी पंजाब सरकार चाहती है उसके लिए उसे अर्धसैन्य बल उपलब्ध कराया जाते हैं। पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को भी गंभीरता से लिया गया है। पिछले सत्र में मांग की गई थी और मैं भी प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब सीमा से 5 मील आगे तक सीमा होनी चाहिए ताकि हथियार गोला बारूद और पैसा न आ सके। लेकिन यह कठिन बात है क्योंकि सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने इसका विरोध किया है क्योंकि पंजाब में सीमा से लगने वाले खेत में भी खेती की जाती है और वह जमीन उपजाऊ है। इसलिए लोगों ने विरोध किया अब बूटासिंह जी, ने सीमा पर कड़ी व्यवस्था कर दी है और अब स्थिति में सुधार हो रहा है।

तीसरे, प्रतिबन्धित क्षेत्र, अधिनियम के अन्तर्गत पंजाब को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। चौथे, आतंकवादी गतिविधियां निवारक अधिनियम बनाया गया है। इन सभी उपायों से स्थिति को सुधारने में सहायता मिली है। काम शुरू हो गया है और जो उपाय किए गए हैं, उनके परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं।

जैसा कि मैंने बताया बहुत से आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ मारे गए हैं। लेकिन हम यह नहीं कहते कि स्थिति में पूरी तरह सुधार हुआ है। सुधार के लिए अभी गुंजाइश

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

है। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि स्थिति बेहतर है और पंजाब के लोगों को आशा है कि स्थिति में सुधार हो रहा है इसलिए एक दिन कानून और व्यवस्था की स्थिति समान्य हो जाएगी।

मैं जानता हूं कि सरकार के समक्ष क्या कठिनाईयां हैं। हम चाहते हैं कि स्थिति सामान्य होने के बाद कुछ समझौता होना चाहिए और इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होते ही हम बातचीत करना चाहेंगे। पर हमारी कठिनाई यह है, जैसा कि माधव रेड्डी जी ने स्वयं कहा, कि हम बात करें तो किससे? अकाली दल में तीन खेमे हैं। पहला यह कि वे संविधान के अन्तर्गत सरकार, वर्तमान संविधान के अन्तर्गत शक्ति चाहते हैं। दूसरे यह कि वे आनन्दपुर साहब संकल्प को लागू करने की मांग करते हैं। जैसा कि आप जानते है कि आनन्दपुर साहिब के संकल्प की बहुत सी परिभाषाएं हैं। हमें यह स्पष्ट नहीं है। रामूवालिया जी एक परिभाषा देते हैं। तो दूसरे मित्र दूसरी परिभाषा देते हैं। बहुत सी परिभाषाएं है। वे स्पष्ट नहीं है। तीसरे जो लोग स्वतन्त्रता की झलक चाहते हैं जोकि एक ओर अस्पष्ट शब्द है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : स्वतंत्रता की लौ।

[हिन्दी]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : वह तो मैं कह रहा हूं—आजादी की लौ।

[अनुवाद]

क्या बंगाल के लोगों में स्वतन्त्रता की लौ नहीं है? क्या केरल में लोगों में स्वतन्त्रता की लौ नहीं है? वे स्वतन्त्रता की किस तरह की लौ चाहते हैं? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। किसी ने भी अभी तक परिभाषित नहीं किया है। मेरे कहने का यह मतलब है कि अकाली स्वयं स्पष्ट नहीं है। वे बहुसंख्यक दल है। आखिर बात तो उनके साथ होगा ही। जब वे स्पष्ट नहीं है कि वे क्या चाहते हैं तो बूटा जी क्या कर सकते हैं? किससे और क्या बात करें? समस्या यह है। तो सरकार के समक्ष ये कठिनाइयां हैं। आशा है तो रास्ता निकालेंगे। बूटा सिंह जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे निश्चिय ही कुछ रास्ता खोज निकालेंगे। लेकिन उससे पूर्व स्थिति सामान्य अवश्य होनी चाहिए।

महोदय, आपको पंजाब की स्थिति की जानकारी है। ये धर्म निरपेक्ष ताकतों और कट्टरपंथी ताकतों के बीच लड़ाई है और विदेशी इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। हमारे यह कहने पर कि इसके पीछे विदेशी है, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, विपक्ष के हमारे बहुत से साथी हम पर हंसना शुरू कर देते हैं। इस संबंध में संसद में जब भी चर्चा हुई है बहुत से साथियों ने अतीत में इस के बारे में संदेह व्यक्त किए हैं। मेरे ख्याल से अब स्थिति बहुत स्पष्ट है। आतंकवादियों द्वारा दिया गया वक्तव्य आंखें खोलने वाला है। उन्हें किस तरह विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया, किस तरह उन्हें पैसा मिला। और किस तरह उन्हें हथियार मिले।

जब हम यह देखते हैं कि विदेशी शक्तियां इससे लाभ उठा रही हैं तो सभी वर्गों को सीमा पार के खतरे का मुकाबला करने के लिए सहयोग करना चाहिए। हम एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। कांग्रेसी अकालियों को और अकाली कांग्रेसियों को दोषी ठहरा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिन्दू सिखों के विरुद्ध नहीं हैं। गांवों में जाने के मौजूदा कार्यक्रम के अन्तर्गत मैं पिछले पांच दिनों से अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर था और आज ही लौटा हूं, मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि

एक भी बहुसंख्यक व्यक्ति ने अल्प-संख्यक को नहीं मारा है। अतः विदेशी ताकतों जिस प्रकार फूट चाहती हैं वह पैदा नहीं हो रही हैं। हिन्दू और सिख भाइयों की तरह रह रहे हैं। विदेशी ताकतों का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। हमें आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिज्ञ एक दूसरे से सहयोग करें और हाल ढूंढें।

केवल यही एक तरीका है जिससे हम पंजाब में सामान्य हालात ला सकते हैं।

हम पंजाबियों को इतिहास ने एक कर्त्तव्य सौपा है। सभी विदेशी उत्तर से आये और पंजाब के लोगों को इसका मार सहना पड़ा। हम अपनी लाशों पर लड़ते रहे। आप जानते हैं—दुश्मन दिल्ली जा पाया। अब विदेशी शक्तियों, विदेशी दुश्मनों द्वारा, जो कि अप्रत्यक्ष है, यही तीसरा प्रयास है। वह 65 या 71 की भांति सामने नहीं आ रहा है। वह छिपा हुआ है। वह हमारे ही कुछ अपने लोगों को लेकर, उन्हें बहकाकर, उन्हें पैसा देता है, प्रशिक्षण देता है हथियार देता है और वह अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहा है। इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और मैं पंजाब की ओर से आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रत्येक पंजाबी इन शक्तियों से लड़ेगा और तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि हम पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल न कर लें और उन शक्तियों को खतम न कर लें जो कि इस आन्दोलन के पीछे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं श्री बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं अपने सभी मित्रों से इसका समर्थन करने का अनुरोध करता हूं। एक पंजाबी होने के नाते मैं आपको आश्वस्त करता हूं। कि वहाँ की स्थिति में सुधार हुआ है और लोग संतुष्ट हैं तथा वर्तमान व्यवस्था में खुश हैं। यदि छह माह का अवसर और दिया जाये तो मुझे विश्वास है कि वहां काफी सुधार आयेगा और आप सब को इससे सन्तोष होगा। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को पारित करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : गृह मंत्री श्री बूटा सिंह द्वारा दिये गये वक्तव्य से पता चलता है कि सरकार पंजाब में समस्या को नहीं समझ पायी है तथा यह अभी तक इस समस्या को नहीं समझ पायी है तथा यह अभी तक इस समस्या को कानून और व्यवस्था की समस्या समझ रही है। पंजाब समस्या एक राजनीतिक समस्या है और इस समस्या का समाधान भी राजनीतिक ही होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए खेद है कि उस संयुक्त अभियान को जारी रखने की आवश्यकता के लिए एक भी शब्द या वाक्य नहीं कहा गया है जोकि जनवरी माह में विपक्ष के सभी नेताओं द्वारा आरंभ किया गया था। हमने यह प्रस्ताव तब किया था जब प्रधानमंत्री हमें 16 जनवरी को मिले थे। फिर कार्यक्रम बनाया गया था और तदनुसार चंडीगढ़ में एक सभा के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया था। तत्पश्चात् सभी राजनैतिक पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा तीन या चार संयुक्त सभाओं को सम्बोधित किया गया था। परन्तु अचानक इसे केन्द्र सरकार की अलोकतान्त्रिक कार्यवाही के कारण बन्द कर दिया गया। ऐसा समय राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए चुना गया जब मुख्य मन्त्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला अकाल तख्त के आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे, राज्य के मामलों में धार्मिक प्रमुखों के हस्तक्षेप का विरोध कर रहे थे। यही हम काफी समय से मांग कर रहे थे कि धर्म राजनीति से अलग किया जाना चाहिए और धर्म का स्थान केवल मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में ही है। धार्मिक-प्रमुख राज्य के मामलों में दस्तक्षेप क्यों करें ?

[श्री बसुदेव आचार्य]

माननीय मन्त्री के साथ-साथ श्री भाटिया ने दावा किया है कि स्थिति सुधरी है। मैं तो कहूंगा कि यह आत्म संतोष की बात है। और यह आत्म-संतोष खतरनाक है। इसी वजह से आप अभी तक समझ रहे हैं कि पंजाब की समस्या रिबेरियो और सिद्धार्थ शंकर—पुलिस प्रमुख और राज्यपाल द्वारा सुलझाई जा सकती है न कि उस राजनैतिक कार्यवाही या राजनैतिक अभियान द्वारा जिससे इन उग्रवादियों को अलग-थलग किया जा सके। वह कहते है कि अब ग्रामीण आगे आ रहे हैं। जब ग्रामीण आगे आ रहे हैं तो क्यों न हम इस अवसर का लाभ उठायें? क्यों नहीं सभी राजनीतिक पार्टियां, जो कि हमारे देश की एकता और अखण्डता के लिए लड़ रही हैं, एक संयुक्त अभियान चलाएं? मैं कह सकता हूं कि मेरी पार्टी, भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय साम्यवादी पार्टी और स्वयं मैंने चंडीगढ़ में एक पद यात्रा का शुभारम्भ किया था। मैंने वहां लोगों को इसमें समर्थन देते देखा। एक हजार से ज्यादा लोगों ने चण्डीगढ़ से अमृतसर की पदयात्रा आरम्भ की। इसलिए हमें इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव बहुत पहले किया गया था। गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में मुझे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिलता हैं जिसमें राजनैतिक पार्टियों द्वारा लोगों को मिलने, उग्रवादियों को अलग-थलग करने के लिए संयुक्त अभियान छेड़ने की बात हो। जब स्थिति सुधरी है, जब ग्रामीण लोग जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है आगे आ रहे हैं तो हमें इस स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। सरकार यह दावा कर सकती है कि सुधार हुआ है लेकिन स्थिति अवश्य बदली है। अब इन उग्रवादी ताकतों ने जबरदस्ती पंजाब के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पिछले छह महीनों में पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्याओं में बढ़ोत्तरी हुई है। फिर इस राष्ट्रपति शासन की क्या आवश्यकता है? किस बात के लिए? इन उग्रवादियों और आतंकवादियों ने लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति सहित जोकि गुरुद्वारों की प्रबन्धक व्यवस्था सम्बन्धी मामलों को देखती है सभी अकाली संगठनों को असंगत घोषित किया है पंथ समिति ने सिखों के मामलों को निपटाने सम्बन्धी सभी अधिकार हथिया लिए हैं तथा उनका उद्देश्य खालिस्तान को प्राप्त करना है। यह पंजाब के हालात में एक नयी बात है और हमें इसको समझना चाहिए।

जब बजट सत्र के अन्तिम दिन राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो हम सबने इसका विरोध किया था। लेकिन हमने इसका किस आधार पर विरोध किया था? हमने इसका विरोध इस आधार पर किया था कि राष्ट्रपति शासन हरियाणा में चुनावों के अवसर पर लगाया गया और सरकार की वह कार्यवाही राष्ट्रपति एकता और राष्ट्रीय अखण्डता की दृष्टि से ओतप्रोत नहीं थी अपितु हरियाना के मतदाताओं को फुसलाने के नजदिये से की गयी थी। परन्तु आप इसमें पूरी तरह से बुरी तरह असफल रहे हैं। बल्कि सरकार की इस अलोकतांत्रिक कार्यवाही ने पंजाब में आतंकवादी और उग्रवादी तत्वों को सहायता दी है, बढ़ावा दिया है। क्यों? दो महीने पहिले आपने बरनाला की बहुत बढ़ाई की यहां तक कि अप्रैल के मध्य में प्रधान मन्त्री ने बरनाला की रणजीत सिंह से तुलना की····· (व्यवधान) श्री नरसिंह राव ने भी एक सभा में कहा था कि केन्द्र सरकार बरनाला के पीछे एक दीवार की तरह खड़ी है—

[हिन्दी]

भारत सरकार बरनाला के पीछे दीवार की तरह खड़ी हुई है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह दीवार उन पर ही ढह गई।

एक माननीय सदस्य : लेकिन एक महीने के अन्दर ही वह दीवार ढह गई।

श्री वसुदेव आचार्य : एक महीने में नहीं बल्कि 15 दिनों में ही ढह गई।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : दीवार केवल उन पर ही ढही है।

श्री वसुदेव आचार्य : फिर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित एक सरकार को हटा कर और विधान सभा को स्थगन कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता थी।

2·59 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए।)

इसलिए महोदय, हम सरकार से पुनः मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री उत्तर देते हुए पुनः इस बात को स्पष्ट करें कि ऐसी क्या अत्यावश्यकता थी और इसके लिए ऐसा समय क्यों चुना गया जबकि सुरजीत सिंह बरनाला अकाल तख्त के आदेश का उल्लंघन कर रहे थे जबकि वह उग्रवादियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। यदि उनके मंत्रिमण्डल के सदस्यों की कोई गलती थी तो भी यह बात नहीं बताई गई और उनकी सरकार को हटा दिया गया।

3.00 म० प०

जब वह लड़ रहे थे तो उन्हें उग्रवादियों से लड़ने के लिए सहायता दिए बगैर आपने उन्हें हटा दिया। इस कार्यवाही से पंजाब में उग्रवादियों और आतंकवादियों को सहायता मिली।

इस सभा में हमने बार-बार यह मांग की है कि पंजाब समझौता, जो कि एक समयबद्ध समझौता है, क्रियान्वित किया जाये। चण्डीगढ़ 26-1-1986 को हस्तांतरित किया जाना चाहिए था इस तारीख को इस विवाद का समाधान हो जाना चाहिए था। हरियाणा को उसका क्षेत्र मिल जाना चाहिए था, जैसे कि किसी आयोग ने सिफारिश की थी, यह 45000 एकड़ था या 78000 एकड़। पंजाब समझौते को क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि सबने इसका स्वागत किया है? यह एक विलम्बित कार्यवाही थी; लेकिन हमारी पार्टी ने सुझाव दिया था और जब प्रधानमंत्री हमें मिले थे तो हमने सुझाव दिया था कि केवल यही एकमात्र रास्ता है जिससे पंजाब समझौते का हल किया जा सकता है। पंजाब समस्या एक राजनीतिक समस्या है और इसका हल भी एक राजनीतिक हल है। परन्तु फिर पंजाब समझौते को क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया? चण्डीगढ़ का हस्तांतरण क्यों नहीं किया गया? अब पंजाब में राष्ट्रपति शासन है। आप निर्णय ले सकते हैं; चाहे 45000 एकड़ भूमि हो या 78000 एकड़ भूमि; यदि हरियाणा को यह क्षेत्र मिलना है तो यह भी फैसला कर सकते हैं। आप तीन राज्यों के बीच के इस जल विवाद को क्यों नहीं हल कर रहे हैं?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : वह स्वयं कहते हैं कि एक नई बात घटी है और वह यह है कि वे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। क्या यह सब बातें अब संगत हैं?

श्री वसुदेव आचार्य : क्यों नहीं?

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : अब आपको ताजा स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह हाल में की गई मांग नहीं है।

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : ये गांव या तो खालिस्तान को जा सकते थे या केवल हरियाणा को।

श्री बसुदेव आचार्य : पंजाब समझौते को क्रियान्वित न करने से, इस कार्यवाही ने इन आतंकवादियों को उन नरम ग्रन्थियों के विरुद्ध अभियान चलाने में प्रोत्साहित किया जो पंजाब में शांति चाहते हैं और जो उन शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे थे तथा जो हमारे देश की एकता और अखंडता चाहते हैं।

सरकार इस बात के लिए शाबाशी का दावा कर सकती है कि उन्होंने 22 अक्टूबर, 1987 को स्वर्ण मंदिर परिसर में सरबत खालसा करने की अनुमति नहीं दी। परन्तु इस पंथ समिति को यह घोषणा करने का दुःसाहस था कि वह सरबत खालसा कहीं और स्थान में करेगी और अपना संकल्प उस को देगी।

इस संकल्प की क्या मुख्य बातें हैं ? इसमें अकाल तख्त के कार्यकारी जत्थेदार दर्शनसिंह रागी को हटाने की और गुरूचरण सिंह मोनोचहल को, जो कि एक घोषित अपराधी है, की नियुक्ति की बात है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मूलतः यह ग्यारह पृष्ठों का संकल्प है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसमें तीन कार्यकारी मुख्य ग्रन्थियों की नियुक्ति की भी बात है क्योंकि उनके स्थान पर होंगे जिन्हें सरकार ने गिरफ्तार किया है। इसमें आगे जी० एस० तोहड़ा, प्रकाशसिंह बादल और काबूलसिंह को, जो कि बरनाला गुट के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष थे को तनखैया घोषित करने की बात कही गई है; ये सब सरकार के साथ गुप्त रूप से सहयोग कर रहे थे।

प्रश्न यह नहीं है कि सरबत खालसा हुआ या नहीं अपितु यह है कि उग्रवाद और कट्टरतावाद किस हद तक जा सकता है। यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उग्रवादी विदेशी शक्तियों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं। इसी वजह से हम भी मांग कर रहे हैं कि सरकार को पंजाब में विदेशी हस्तक्षेप पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।

ये उग्रवादी विदेशी शक्तियों के इशारे पर कार्य कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया गया है; उन्हें हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराया जा रहा है। उनके मन में धार्मिक स्थानों/संस्थाओं के लिए कोई आदर भाव नहीं है। उनके मन में स्वयं अपनी धार्मिक संस्थाओं जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के लिए भी आदर नहीं है जो कि अकाली आन्दोलन के दौरान असंख्य कुर्बानियों के फलस्वरूप वजूद में आई है। उनके मन में स्वयं अपनी संस्था के लिए आदर भाव नहीं है। उन पांच व्यक्तियों ने जिनके हाथ निर्दोष लोगों के खून से रंगे हैं सभी ग्रन्थियों और मुख्य ग्रन्थियों को हटाने या नियुक्त करने के अधिकार की बात की है। ये अचानक पैदा हुए हालात नहीं हैं।

भिन्डरानवाले के मार्ग का भी उपयोग किया गया। 1975 में उसकी पहचान कांग्रेस पार्टी द्वारा कराई गई थी। (व्यवधान)

आप अभी तक उसी लकीर पर चल रहे हैं, संकुचित राजनीतिक खेल, खेल रहे हैं। 1979 में आपने भारत के लोगों से भिंडरावाले का परिचय कराया था। उन्हें कौन जानता था ? यह परंपरा उस

वक्त प्रयोग की गई थी और अकाली मोर्चा के दौरान भी उपयोग में लाई गई थी, ताकि केन्द्र सरकार पर अकाली मांग मान लेने के लिए दबाव डाला जा सके। न केवल आपने बल्कि अन्य लोगों ने भी भिंडरा वाले की परंपरा का अनुसरण किया। बाद में, आपरेशन ब्लू स्टार में उग्रवादियों ने अकाली पार्टी में ही लड़ाई की और ऐतिहासिक गुरुद्वारे को एक अभ्यारण के रूप में और लड़ाई संचालन हेतु एक ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया। उन्हें स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के पश्चात क्या यह जी० एस० तोहड़ा ही नहीं थे जिन्होंने जनवरी, 1986 में सरबत खालसा की अनुमति दी और अकाल तख्त की कार सेवा उन्हें सौंप दी ? क्या यह वही तोहड़ा और उनके साथी नहीं थे जिन्होंने अप्रैल, 1986 में एक अन्य सरबत खालसा करने की अनुमति दी थी जब खालिस्तान की मांग उठाई गई थी ? क्या यह वही तोहड़ा और प्रकाशसिंह बादल नहीं थे जिन्होंने श्री सुरजीतसिंह बरनाला को तनखैया घोषित करने का प्रश्न उठाया था क्योंकि उन्होंने अकाल तख्त के सामने राज्य के मामलों में झुकने तथा भारतीय संविधान के विरुद्ध कार्य करने से इनकार कर दिया था ? क्या यह वही बादल और तोहड़ा नहीं थे जिन्होंने अकाल तख्त की परंपरा की अवहेलना की जोकि सभी स्तरों पर, निर्वाचित निकायों के साथ एक राजनैतिक पार्टी के रूप में 60 वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रही है तथा जिन्होंने अकाल तख्त के जत्थेदार को अकाली संगठन को विघटित करने का और धार्मिक प्राधिकार की मोहर का उपयोग करके नई नियुक्ति का अधिकार दिया। स्थिति की विडम्बना यह है कि तोहड़ा और बादल ···(व्यवधान) उन्हें बहिष्कृत किया गया है।

श्री अब्दुल गफूर (सीवन) : सभी राजनैतिक दलों द्वारा सभा का बहिष्कार किया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : अतः पंजाब की स्थिति से किसी राजनैतिक दल को कोई लाभ नहीं हुआ है। अब हमें यह समझना चाहिए कि पंजाब की समस्या का समाधान एक राजनैतिक समाधान है। हमारा दल इसके समाधान के लिए संघर्ष कर रहा है और हम पंजाब में जत्थे और मोर्चे संगठित कर रहे हैं। अतः अब इस राजनैतिक आन्दोलन को फिर से चालू करने का समय आ गया है। आपने यह दावा किया है कि पंजाब में स्थिति में सुधार हुआ है। अब पंजाब से गए लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस लौट रहे हैं। अब लोगों में विश्वास लौट आया है। अतः जब वहां स्थिति में सुधार हो चुका है तो आप वहां लोकप्रिय सरकार बहाल क्यों नहीं करते ? वहां लोकप्रिय सरकार होगी तो वह उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ सकेगी। यदि वहां स्थिति में सुधार हुआ है तो आपको वहां लोकप्रिय सरकार बहाल करने के बारे में सोचना चाहिए। वहां की विधानसभा को निलम्बित रखा गया है। आपको राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : आप किस सरकार की सिफारिश कर रहे हैं बादल सरकार की अथवा बरनाला सरकार की ?

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : यह जो लिखा हुआ पढ़ा है तो मुख्यमंत्री का नाम भी पढ़ दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : बरनाला सरकार की। वे अब भी बहुमत में है। जो भी व्यक्ति बहुमत में हो उसे सरकार बनानी चाहिए। विधानसभा को निलम्बित रखा गया है। आप वहां सरकार की स्थापना क्यों नहीं करते ? आप वहां एक लोकप्रिय सरकार क्यों नहीं बहाल कर सकते ?

[श्री बसुदेव आचार्य]

एक लोकप्रिय सरकार बनाकर आप आतंकवादी शक्तियों से लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने से पहले वे वहां लड़ रहे थे। अत: पंजाब समस्या केवल पंजाब की ही समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। आपको इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए और मैं वहां राष्ट्रपति शासन की अवधि छह माह के लिए बढ़ाने का विरोध करता हूं। मैं एक दिन के लिए भी अवधि बढ़ाने का विरोध करता हूं। मैं यह मांग करता हूं कि पंजाब में एक लोकप्रिय सरकार बहाल की जानी चाहिए और ऐसे करके आप वहां आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ सकते हैं। हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए संघर्ष करने वाले सभी राजनैतिक दलों के सहयोग से आप एक राजनैतिक आन्दोलन आरम्भ कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : सभापति महोदय मैं सुझाव देता हूं कि हमें काम की बात करनी चाहिए इससे हमें ठीक रास्ता अपनाने में सहायता मिलेगी। मैं हाल ही में पंजाब के विभिन्न जिलों, शहरों और कस्बों में गया हूं। मैं कल रात ही वहां से वापस आया हूं और मैंने व्यावहारिक तौर पर इस बात का मूल्यांकन किया है कि हमारी स्थिति कैसी है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि माननीय गृह मंत्री ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। इसका एक कारण है। हम ऐसी अनुकूल स्थिति में आ रहे हैं कि यदि हम इसी ढंग से स्थिति को संभालते रहे जिस ढंग से सब के लाभ के लिए हम अब संभाल रहे हैं तो हमें यह आशा है कि देश के और प्रत्येक व्यक्ति के लाभ के लिए यह सिलसिला कुछ ही समय और जारी रखना होगा।

ध्यान रखिए यह मेरी एक विनम्र राय है जो तथ्यहीन नहीं अपितु ठोस है। महोदय आप गांव में जाइए वहां आपको हिन्दु-मुस्लिम, सिख, हरिजन, ईसाई, सभी लोग पहले से बेहतर स्थिति में रह रहे हैं और अधिक स्वतंत्रता से आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और अपनी छुट्टियों का भी एक साथ मिलकर आनन्द उठाते हैं। अत: एक बार ऐसी स्थिति में आ जाने पर कि आपको वहां अब केवल आतंकवादियों द्वारा यदाकदा की छुटपुट मारामारी का ही सामना करना है। क्या आप इसे समाप्त करना चाहते हैं अथवा पुन: पहले जैसी स्थिति मे पहुंचना चाहते हैं। माननीय सदन से मेरा यह प्रश्न है। यदि नहीं तो स्थिति को देखते हुए हमें राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का यह सिलसिला जारी रखना होगा जो कुछ हुआ हैं उसे बार-बार दोहराने में कोई लाभ नहीं है। कई लोगों द्वारा कई गलतियां की गई होंगी हो सकता है ये विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा की गई हो, हो सकता है पंजाब के कुछ स्थानीय राजनैतिक संगठनों द्वारा की गई हों अथवा अन्य किसी बाह्य व्यक्ति द्वारा की गई हों और न जाने किस-किस के द्वारा की गई हों। मामले को दोबारा भड़काने और उलझाने से कोई लाभ नहीं हैं।

अब आतंकवाद के बारे में। मुझे इसका बहुत दु:ख है। वे जो कुछ कार्य करते आ रहे हैं उनके प्रत्येक मामले का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरे गुरुओं ने इस प्रकार का जीवन जीने की शिक्षा नहीं दी है। मेरे दसवें गुरू 'सभी कला सम्पूर्ण' गुरू गोविन्द सिंह जो ने संघर्ष करने अथवा लड़ने का जो उपदेश दिया है, वह एक भिन्न स्थिति के लिए है।

महोदय जब राजनीति का प्रश्न था तो उन्होंने मुस्लिम शासकों से और अन्यों से संघर्ष किया। और कभी-कभी उन्हें सुदृढ़ स्थिति वाले शासक के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। इस प्रकार यह एक अलग बात है; परन्तु हर बात को धर्म से जोड़ना और वह भी झूठे तौर पर एक आतंकवादी

जीवन शैली से जोड़ना मैं समझता हूं कि बिल्कुल अनुचित है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती और मैं इस बारे में एक दो बात कहना चाहूंगा।

अब जहां तक पंजाब समझौते का सम्बन्ध है, प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जानता है। मैं यह नहीं कहूंगा कि इसका आपका कहने का अर्थ यह है कि इसे आज तक पूरा नहीं किया गया है—हरियाणा या किसी अन्य चुनाव से कोई सम्बन्ध है। नहीं, वह प्रश्न ही नहीं उठा। यह विभिन्न दलों और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक प्रश्न था—और अब आप इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि यह समझौता सफल क्यों नहीं हुआ। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम आगे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हम इस बारे में निश्चय ही आगे कार्यवाही करेंगे। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि पंजाबी लोगों को इससे सन्तोष हो जैसा कि हम भारत के अन्य राज्य के अन्य लोगों के बारे में भी चाहते हैं। इस सम्बन्ध में यह जरूरी है कि यह एक राष्ट्र तथा धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त के आधार पर होना चाहिए। इसको न मानने वालों को अलगाववादी ही कहा जायेगा। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। जिस व्यक्ति की भी ऐसी इच्छा है मैं उसे सलाह देना चाहूंगा—मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि भारत में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होंगे—फिर भी अगर किसी की ऐसी इच्छा है तो मैं उसे यह सलाह देना चाहूंगा कि वह स्वयं को समझाये कि वह एक महान राष्ट्र से अलग होकर अपना गुजारा कैसे करेगा। यह संभव नहीं है। आप विश्व के 4 प्रमुख राष्ट्रों में से एक हैं। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के 103 देश आपका अनुसरण करने के लिए तैयार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारी सरकार इस मुद्दे को भली प्रकार आगे बढ़ा रही है।

काफी हद तक इससे भारत को लाभ हुआ है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सीमा पार के कुछ लोग किसी अन्य दबाव के कारण हमें अलग विघटित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है, क्योंकि यदि आप आतंकवादियों को मिलने वाले हथियारों और उनके स्रोतों का अध्ययन करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। जैसा कि मेरे मित्र ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमें अस्थिर करने के लिए प्रतिदिन 5 लाख रुपये की कीमत का माल भारत में भेजा जाता है। अत: हमें इसके विरुद्ध संघर्ष करना है।

जहां तक पंजाब समस्या का कोई राजनैतिक हल निकालने का सम्बन्ध है, राजनैतिक हल क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? हां ऐसा होना चाहिए। इस बारे में कोई व्यक्ति असहमत नहीं है। परन्तु आज की परिस्थितियों में बड़ा प्रश्न यह है कि इस बारे में बातचीत किसके साथ की जाए। आपको कुछ दिन और इन्तजार करनी होगी। हो सकता है कि इस बीच अकाली दल तथा कांग्रेस पार्टी आपस में मिलकर कोई उचित हल निकाल लें या फिर अकाली दल ही आपस में कोई समझौता कर लें। उग्रवादियों को पीछे धकेला जा रहा है और हो सकता है अन्य लोग एक दूसरे के निकट आ जाएं। हम सुरक्षित तौर पर बुद्धिमतापूर्वक किसी कारगर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इस बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि हमें सम्पूर्ण भारत का निर्माण करना है।

जहां तक सिखों का सम्बन्ध है मेरे गुरुओं का सम्बन्ध है हम सम्पूर्ण भारत से सम्बन्ध रखते हैं केवल पंजाब से ही नहीं। हर जगह यही बात है। मेरे 10वें गुरु पटना साहिब में पैदा हुए थे और वहां पर काफी समय तक रहे थे। हमारे पुराने गुरुद्वारे कर्नाटक और उससे आगे तक हैं। बिहार में भी हमारा एक गुरुद्वारा है। जगन्नाथपुरी, द्वारका हेमकुंठ में भी हमारा एक-एक गुरुद्वारा है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां गुरुद्वारा न हो। प्रत्येक दृष्टिकोण हमारी सभ्यता विगत से लेकर आज

[श्री आर० एस० स्पैरो]

तक मिली-जुली सभ्यता रही है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। हमने एक साथ लड़ाइयां लड़ी हैं। मेरे नियन्त्रण में अन्य लोगों के अलावा मुस्लिम लोगों की एक पूरी बटालियन थी। उस समय हमारी लड़ाई पाकिस्तान के विरुद्ध थी। हमारी मुस्लिम सिपाही शहीद हो गये परन्तु उनमें से एक भी युद्ध-भूमि से पीछे नहीं हटा। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हरिजन सभी एक जुट होकर 'भारत माता' के लिए लड़ रहे थे। यही नारा था और यह नारा आगे भी चलना चाहिए। हमें इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। यह एक वर्ग, एक समाज अथवा दल की बात नहीं है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस सम्बन्ध में हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और किसी प्रकार का कोई राजनीतिक पक्ष-पात नहीं होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

अन्त में, मैं सिफारिश करना चाहूंगा, जैसा कि मेरे मित्र श्री रघुनन्दनलाल भाटिया ने सिफारिश की है कि सरदार श्री बूटासिंह सीमा को बन्द करने का भरसक प्रयास करें। सारे झगड़े की जड़ सीमा पर उपद्रव होना है। इससे हमें लाभ मिला है। वहां पर प्रतिदिन घुसपैठियों को मारा जाता है। अब हमने अपनी कार्य प्रणाली और तकनीक को और कुशल बना दिया है। हां, यह सब सुधार श्री रिबोरो के संरक्षण में हुआ है। पुलिस तथा खुफिया विभाग के काम में बहुत ज्यादा सुधार आया है। मुझे अन्य विभागों के बारे में पता नहीं है। परन्तु उन्हें भी बहुत अच्छे ढंग से संभाला जा रहा है। इन विभागों का यथासंभव अधिकाधिक सहायता दी जानी चाहिए और हमें भाइयों की तरह एक साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। जातीय ऐतिहासिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण से श्री भाटिया मुझ में और यहां बैठे हमारे मित्रों में कोई अन्तर नहीं है सभी पंजाबी एक जैसे हैं। आप भेद क्यों करते हैं? एक भारतीय के नाते आप कन्याकुमारी से हिमालय तक भारत के स्वामी हैं और अन्य राष्ट्र आपको गर्व और प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। दक्षिण एशिया में आपने प्रशंसनीय ढंग से स्थिति को संभाला है। यहां तक की पाकिस्तान भी हमारे साथ बातचीत करना चाहता है। क्यों न हो? इसमें कोई बुराई नहीं है। इस बारे में हमारा दृष्टिकोण व्यापक है और इसी दृष्टिकोण के साथ हमें आगे बढ़ना है ताकि हम सभी बातों को सहज ढंग से ले सकें और इस मामले को भारतीय संविधान के अनुसार देख सकें। आगे सुधार के लिए सदैव हमारे पास समय है। हमें अपना मिशन इस महत्वा-कांक्षी ढंग से जारी रखना चाहिए। हमें एक दूसरे पर दोषारोपण न करके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे यह कहना है कि अब तक जिस ढंग से पंजाब समस्या को संभाला गया है वह प्रशंसनीय है। और इसका श्रेय इस सरकार को जाना चाहिए। कोई अन्य हिम्मत हार जाता और स्थिति बिगड़ जाती। परन्तु मुझे खुशी है कि यह सब उचित ढंग से हुआ। हमारा भविष्य बेहतर है। इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा। मैं सोमवार तक अपना भाषण जारी रखूंगा।

सभापति महोदय, मैंने गृह मंत्री के भाषण को पूरे ध्यान से सुना है और विशेष रूप से श्री भाटिया के भाषण को ध्यान से सुना है। इस सदन में पंजाब के प्रश्न पर किसी प्रकार की उग्रता नहीं लाना चाहता हूं क्योंकि इस समस्या के समाधान में सहायता नहीं मिलेगी। परन्तु इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि जहां तक पंजाब की स्थिति का संबंध है, सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों को इस बारे में कुछ विचार करना चाहिए और वे इस तरह का रवैया और रुख अपनाये जो कि न सिर्फ पंजाब में हिंसा

को खत्म करने में ही सहायक हो बल्कि यह अलगाववाद की भावना जो किन्हीं कारणों से पैदा हो गई है उसे भी समाप्त करें। पंजाब में सामान्य स्थिति आये। मैं नहीं कहता कि हिंसा खतम होते ही पंजाब में शान्ति आ जायेगी। यह तभी होगा जब सम्पूर्ण पंजाब के लोगो की मनःस्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक पंजाब में वास्तविक शांति नहीं आ सकती मैं चाहूँगा कि सदन में पंजाब से सम्बन्धित सभी समस्याओं पर चर्चा हो।

क्या मैं अगली बार इस पर बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : आप अगली बार बोल सकते हैं। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को लेंगे।

3.30 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 54 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री वी० एस० अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

पासपोर्ट (संशोधन) विधेयक*
(धारा 10 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पासपोर्ट अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 6-11-1987 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : श्री के० राममूर्ति—अनुपस्थित ।

श्री के० एस० राव - अनुपस्थित ।

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव ।

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक *

(धारा 2 में संशोधन आदि)

[अनुवाद]

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

— — — —

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक

(धारा 8 में संशोधन आदि)

[अनुवाद]

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री वी० शोभानाद्रीश्वर राव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

— — — —

3.32 म० प०

श्री पीयूष तिरकी का

संविधान (संशोधन) विधेयक

[जारी]

धारा 244 में संशोधन आदि)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगली मद यह है : **श्री पीयूष तिरकी** द्वारा 28 अगस्त, 1987 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात :

* दिनांक 6-11-87 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित ।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा अपना भाषण जारी रखेंगी···वह उपस्थित नहीं हैं, डा० गौरी शंकर राजहंस।

[हिन्दी]

डाक्टर गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति, महोदय पीयूष तिरके मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनके बिल को बहुत गौर से देखा और उनसे अलग से बात भी की। उन्होंने बड़ी होशियारी से यह बिल बनाया है उनको सीधे-सादे तरीके से बिल लाना चाहिए था कि देश में झारखण्ड स्टेट बनाई जाये। इनके कहने का मकसद वही है, लेकिन इन्होंने घुमाकर कहा है। उसमें भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो लोग झारखण्ड आन्दोलन का समर्थन करते हैं, कहते हैं कि वैस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक झारखण्ड स्टेट बना दी जाये। फिर उन्हें मनमानी करने दी जाये। लेकिन पीयूष तिरके साहब की यह हिम्मत नहीं हुई कि अपनी सरकार, वैस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ कोई कदम उठायें। इसीलिए उन्होंने धीरे से इसमें से वैस्ट बंगाल को निकाल दिया। जबकि बिहार में ट्राइबल्स वैस्ट बंगाल से कम हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसी कौन-सी दिक्कत आ गई थी कि उन्होंने कहा बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ओटोनोमस रीजन बनाया जाये। इतना अच्छा ठीक-ठाक चल रहा है। बिहार की तुलना यदि हम मेघालय, त्रिपुरा और असम से करें जो प्रिडोमीनेंटली ट्राइबल एरिया है तो यह ठीक-ठाक है। ऐसे ही कहने के लिए बात बहुत साधारण है कि आदिवासियों की भलाई के लिए हम चाहते हैं ओटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, आटोनोमस रिजन बनाया जाये, लेकिन इसके पीछे इशारा बहुत खतरनाक है। इनकी सरकार भुगत रही है जी० एन० एल० एफ० को, अब क्यों और अपनी सरकार को मुसीबत में डालना चाहते हैं। आपने तीन राज्यों का नाम लिया हम वैस्ट बंगाल को भी डाल देंगे।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब देश में मुसीबतें वैसे ही कम नहीं हैं तो हमें और मुसीबतें नहीं बढ़ानी चाहिए। हम सब इस विषय में एकमत हैं कि देश में ट्राइबल्स का वैलफेयर हो, उनके कल्याण की योजनायें चलाई जायें और सरकार की ओर से इस दिशा में जितना कार्य किया जा रहा है, उससे ज्यादा करना चाहिए और यह भी सही है कि आदिवासियों के लिए हमारे देश में जितना कुछ किया जा रहा है, उसका लाभ उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। हमें उसके कारण जाने चाहिए। उसमें हम सभी का दोष है। उसका कारण यह है कि ट्राइबल लोग बड़े सीधे-सादे होते है परन्तु उनके लीडर्स ने उनका शोषण करने में कोई कमी नहीं बरती। हमेशा उनको गलत मार्ग दिखाते रहे और गलत बातें सिखाते रहे। कुछ लोगों ने तो ट्राइबल्स को यहां तक सिखा दिया कि इन जंगलों को बर्बाद कर दो, तभी तुम्हारा कल्याण है और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश में जितना जंगलों का सफाया हुआ है, उसका कहीं उदाहरण नहीं मिलता। मैं यह भी नहीं कहता कि केवल ट्राइबल्स के कारण ही जंगलों का सफाया हुआ परन्तु उन्हें हथियार बनाकर कुछ वेस्टेड इन्टररेस्ट के स्वार्थी लोगों ने, निहित स्वार्थ के लोगों ने जंगलों को बर्बाद किया। उसी के परिणामस्वरूप आज हम इस दशा में पहुंच गए हैं कि देश में कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं अतिवृष्टि होती है। उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि जंगलों को बेरहमी से काटा गया और इस देश का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान बनता जा रहा है और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। आज जंगलों की कितनी दर्दनाक हालत है, उसके कारण हमारा सारा इकोलोजिकल बैलेंस बिगड़ गया है।

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

जंगल कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन में लगाये जा सके। अफ्रीका का उदाहरण हमारे सामने है, उसको देखकर तो हमें सबक लेना चाहिए। अफ्रीका के बारे में कभी कहा जाता था कि यह "डार्क कोन्टीनेंट" है या जंगलों से भरा हुआ महाद्वीप है लेकिन वहां जिस बेरहमी से लोगों ने जंगलों को काटा, उसके कारण आज वह पुरानी स्थिति से बिल्कुल बदल गया है। इथियोपिया में आज लोग क्यों भूखों मर रहे हैं, उसका सीधा-सादा एक ही जवाब है कि वहां लोगों ने जंगलों को बड़ी बेरहमी से काट दिया। जो कुछ इथियोपिया में हुआ, अब वह हमारे देश में भी होने जा रहा है। यदि हमने जंगलों को काटने से नहीं रोका तो स्थिति दिनों-दिन खराब होती जाएगी। जंगलों को काटने से रोकने के लिए हमें इस तरह प्रचार पर पाबन्दी लगानी होगी। हम लोगों की भावनाओं को न उभारें। जंगलों को काटने से या जन-सम्पदा को समाप्त करके कोई कल्चर आगे नहीं बढ़ सकती, कोई ट्रैडीशन नहीं बढ़ती, सिर्फ नुकसान ही होता है। इससे गरीबी बढ़ती है भुखमरी बढ़ती है, और लाचारी बढ़ती है। इसलिए मेरा कहना है कि हमें ऐसी बातों को जो आपस में मतभेद पैदा करें, हमारे बीच डिफरेंस पैदा करें परेशानियां पैदा करें, बढ़ावा नहीं देना चाहिए, प्रश्रय ही नहीं देना चाहिए। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हर स्टेट में ट्राइबल्स की वैल्फेयर हो। मैं स्वयं संथाल परगना से आता हूं जहां से कभी इस बिल के प्रस्तावक महोदय आते थे और मैं कहता हूं कि संथालियों के लिए पिछले सालों में बिहार सरकार ने जितना काम किया है, उससे अधिक क्या किया जा सकता था। आज यदि उसमें कुछ कमी है तो वह निहित स्वार्थ के लोगों के कारण है। उनके कारण है जो अपने आप को ट्राइबल्स का लीडर कहते हैं। आज यह सर्वविदित है कि छोटा नागपुर के लोगों की भावनाओं को उभारा जा रहा है। हम अखबारों में देखते हैं कि रोजाना वहां झारखण्ड प्रान्त बनाए जाने की मांग उठायी जाती है, झारखण्ड आन्दोलन को तेज करने की बातें की जाती हैं।

उसके पीछे कौन लोग हैं? और यदि हम ऐसी भावना को प्रश्रय देंगे, तो जी०एन०एल०एफ० की तरह हर स्टेट में समस्या आ जाएगी। इस प्रकार से तो सभी स्टेट्स में लोग गोरखालेंड मांगने लगेंगे और इन समस्याओं का कहीं अन्त नहीं होगा। इसलिए मैं संक्षेप में यही कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातें इस अवसर पर, जंक्चर पर लाना ठीक नहीं है। जितना कुछ ट्राइबल्स के लिए हो रहा है, हमें प्रयास करना चाहिए कि उससे अधिक उनके लिए हो, लेकिन कांस्टीट्यूशनल फ्रेम-वर्क के अन्दर हो। अभी जो प्रॉविजन्स उसके अन्दर हों, उनसे हटकर कुछ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

*श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को पूरा समर्थन देता हूं। इस विधेयक में उन सभी राज्यों को जिला परिषदों की स्थापना करके छठी अनुसूची की सीमा के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। जिसमें आजकल पांचवीं अनुसूची लागू है और पांचवीं अनुसूची के अधीन क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। क्योंकि परिषदें आदिवासियों की बेहतरी और उन्नति के लिए कार्यकुशलता से कार्य नहीं कर रही है। मैं इस प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

महोदय, उन राज्यों में जहां छठी अनुसूची लागू है और जिला परिषदें उनके अधीन बनाई गई है, सिर्फ मेघालय और मिजोरम में अनुसूचित जनजाति बहुसंख्यक हैं अन्य दो राज्यों में अर्थात त्रिपुरा और आसाम में आदिवासी अल्पसंख्या में है। मेरी राय में, इस छठी अनुसूची को उन राज्यों में लागू किया जाना चाहिए जहां आदिवासी अल्पसंख्यक है। आठ राज्यों में जैसे उड़ीसा बिहार,

* मूलत: बंगला में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

राजस्थान आदि में पांचवी अनुसूची लागू है वहां क्षेत्रीय परिषदें बनायी गयी है, क्षेत्रीय परिषदें अच्छी तरह कार्य नहीं कर रही है। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक वर्ष में दो बार होनी चाहिए। हमारा अनुभव यह है कि वे कभी भी वर्ष में दो बार बैठक नहीं करती। हमारे पास उसकी रिपोर्ट है। वे वर्ष में दो बार बैठक करना आवश्यक नहीं समझती। इसलिए यह इसी तरह हैं कि इन क्षेत्रीय परिषदों का अस्तित्व हो या न हो। ये परिषदें वहां इसलिए हैं क्योंकि वे भारतीय संविधान के तहत स्थापित की गई है। लेकिन वास्तव में ये क्षेत्रीय परिषदें आदिवासियों के विकास और उन्नति के मामले में उपयोगी सिद्ध नहीं हो रही हैं। जब हम परामर्शदात्री समिति की बैठकों में बैठते हैं तो सत्ताधारी दल के भी कई सदस्य इस बात से सहमत हो जाते हैं कि विभिन्न राज्यों में पांचवी अनुसूची प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो रही है। यह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है और अगर इन राज्यों में छठी अनुसूची लागू कर दी जाती तो बहुत अच्छा होता। त्रिपुरा राज्य में छठी अनुसूची लागू करवाने के लिए हमें लम्बा संघर्ष करना पड़ा। परन्तु दो वर्ष पहले ही वामपंथी मोर्चे की सरकार आने के बाद संविधान में संशोधन करके त्रिपुरा राज्य में छठी अनुसूची लागू की गयी और जिला परिषद बनायी गयी। इन दो वर्षों में जिला परिषद् को जनजातीय विकास के लिए प्राइमरी शिक्षा से लेकर सभी तरह के कार्य सौंपे गये। जिला परिषद् ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं। मैं सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों को अपने राज्य का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं और वे अपने आप देखें कि छठी अनुसूची के अन्तर्गत जिला परिषद किस प्रकार कार्य कर रही है। हालांकि मैं इस बारे में नहीं बता सकता कि असम, मेघालय और मिजोरम में छठी अनुसूची का कार्य कैसे चल रहा है। परन्तु त्रिपुरा राज्य में छठी अनुसूची से बाहर के क्षेत्र में रहने वाले जन जातीय तथा गैर जनजातीय लोग इसके अधीन आने के इच्छुक है। वे इसके लिए मांग कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि छठी अनुसूची जन जातीय लोगों की आवश्यकतानुसार कार्य कर रही है। मैं यहां पर यह कहता हूं कि त्रिपुरा मे छठी अनुसूची कार्य कर रही है तथा पूरी तरह राज्य सरकार के वित्तीय संशाधनों पर निर्भरता है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता कि त्रिपुरा सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाए ताकि जनजातीय विकास के लिए छठी अनुसूची और अधिक प्रभावकारी ढंग से कार्य कर सके। महोदय, मेरा अनुभव बताता है कि त्रिपुरा में वर्तमान विरोधी दल अर्थात कांग्रेस दल ने जो 1977 तक सत्ता में था, आरम्भ से छठी अनुसूची को लागू करने का विरोध किया था। उनका दावा यह था कि छटी अनुसूची के लिए की जाने वाली मांग एक अलगांववारी मांग है। मैं इससे बहुत हैरान हूं। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य और श्रीमती फूलरेणु गुहा ने भी इस बात पर जोर दिया है कि छठी अनुसूची को लागू करने की मांग अलगांववारी मांग के अन्तर्गत आती है। यह बड़ी हैरानी की बात है। मैं इसे नहीं समझ सकता। अगर यह मांग एक अलगाववादी मांग है। तो आप इसे संविधान से ही हटा दें। हमारे संविधान में पांचवीं और छठी अनुसूचियों का प्रावधाहै जनजातीय विकास और उत्थान के लिए किया गया है। जब तक ये अनुसूचियां संविधान में रहेंगी तब तक इस मांग को उठाया जाता रहेगा और आन्दोलन जारी रहेगा।

यह एक संवैधानिक उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने गोरखा लैंड की मांग के मुद्दे का उल्लेख किया है। यह एक बेतुकापन है। इसका इस मामले से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। जैसा कि हमारे संविधान में दिया गया है जो गौरखालैंड की मांग कर रहे हैं वे अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं हैं। यह मामला सिर्फ उन अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित है जो देश में बहुत अधिक पिछड़ी हुई हैं। सत्ताधारी दल के लोगों ने भी इस बात को माना है। ऐसा कहा गया है कि

[श्री बाजू बन रियान]

जनजातीय लोगों की भाषा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था आदि का संरक्षण करने की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार की है। परन्तु हमारा अनुभव बताता है कि उनकी भाषा लुप्त होती जा रही है। उनकी आर्थिक हालत पहले से भी खराब है। उनकी संस्कृति भी लगभग लुप्त होने जा रही है। अगर यह सरकार और लम्बे समय तक सत्ता में रही तो शायद हम जनजातीयों की भाषा, संस्कृति आदि के बारे में सिर्फ संग्रहालयों से ही जान सकेंगे। संग्रहालयों को छोड़कर और कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा।

मैं जानता हूं कि जब तक हमारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट दल सत्ता में नहीं आ जाते तब तक जनजातीय समस्याओं का समाधान करना सम्भव नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक यह आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों में छठी अनुसूची को अस्थायी रक्षोपाय के रूप में लागू किया जाये। जब तक कांग्रेस मेरे राज्य में सत्ता में थी। तो इसने वहा पर छठी अनुसूची को लागू नहीं किया। यहां तक कि अब भी कांग्रेस दल इसका विरोध कर रहा है। वे जोर देते हैं कि छठी अनुसुची को लागू करवाने के लिए छेड़ा गया आन्दोलन एक अलगाववादी आन्दोलन है।

परन्तु ऐसी बात कतई नहीं है। अगर आप गहरायी से विचार करें तो आप महसूस करें में कि उनके आर्थिक विकास की रक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक है। अगर आप वास्तव में जनजातीय लोगों का विकास चाहते हैं तो जहां-जहां पर पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत प्रादेशिक परिषदें कार्यरत हैं उनको तुरन्त छठी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। जनजातीय लोग अपने बारे में सब कुछ भूल गए हैं। कुछ भी शेष नहीं बचा है। जब तक सरकार के रवैये और दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता हैं तब तक कुछ भी शेष नहीं रहेगा। जहां तक मेरे समझने का संबंध है मेरे से पहले वाले वक्ता यह कह रहे थे कि जनजातीय लोगों की बजह से हमारे जंगलों का विनाश हो गया है। यह ठीक बात है कि हमारे जनजातीय लोग जंगलों में रहते हैं परन्तु ये लोग जंगलों का विनाश नहीं करते हैं। इन लोगों के पास बड़े पेड़ों को काटने, तख्ते बनाने अथवा हाथियों की मदद से इन पेड़ों को बाहर बेचने के लिए ले जाने के वास्ते साधन नहीं हैं। ये लोग जंगलों का इस्तेमाल अपने उपयोग और आवश्यकताओं के लिए छोटे रूप में करते हैं। ये जंगलों का संरक्षण भी करते हैं। परन्तु हमारे जंगल समाप्त हो रहे हैं।

यह एक सच्चाई है। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा हमारे देश के धनी पूंजीपतियों द्वारा अपने लाभ और धन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वे बड़े-बड़े औजारों द्वारा जंगलों को काटते हैं और कीमती लकड़ी को ले जाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल करते हैं। वन विभाग भी इसमें शामिल रहता है। ठेकेदारों के माध्यम से ये जंगलों को समाप्त कर रहे हैं। हमारे वनों के विनाश का यही मुख्य कारण है। गरीब जनजातीय लोग इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं है। परन्तु हम देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जनजातीय लोगों पर दोष लगता है कि झूम खेती आदि द्वारा जंगलों का विनाश कर रहे हैं। परन्तु जनजातीय लोगों को झूम खेती करने के लिए बाध्य क्यों किया जाता है? यह इसलिए क्योंकि इनके पास आजीविका कमाने के लिए और कोई विकल्प नहीं होता। अगर इनको आजीविका कमाने का और साधन उपलब्ध कर दिया जाता तो उन्हें झूम खेती करने की जरूरत नहीं है। मेरे राज्य में, जब तक जनजातीय लोगों को आजीविका कमाने का कोई विकल्प प्रदान नहीं किया जाता है तब तक वामपंथी मोर्चा सरकार ने झूम खेती करने की अनुमति दे सकती है।

मेरे विचार में दूसरे राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। जब तक यह कांग्रेस दल की सरकार सत्ता में रहती है, वे झूम खेती को रोक नहीं सकेंगे। यह देश के सबसे गरीब लोगों को आजीविकापार्जन सुविधायें प्रदान करने की उनकी इच्छा नहीं है। जनजातीय लोगों की भूमि का संरक्षण करने और सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। हमारा अनुभव यह है कि वामपंथी मोर्चे की सरकार वाले राज्यों को छोड़कर देश के और किसी भी राज्य में जनजातीय लोगों की भूमि की सुरक्षा नहीं की जाती। यद्यपि यहां पर ऐसा कानून है कि अगर जनजातीय लोगों की भूमि को गैर कानूनी ढंग से हस्तांतरित कर दिया जाता है तो वह भूमि उसको पुनः लौटा दी जाएगी इसके अतिरिक्त एक कानून और भी है जिसके तहत अगर किसी गैर जनजातीय व्यक्ति को जनजातीय भूमि बेची अथवा हस्तांतरित की जाती है तो सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा। ये सभी कानून और शर्तें इस सम्बन्ध में हैं। परन्तु इनको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। सिर्फ त्रिपुरा में जनजातीय लोग अपनी भूमि को बिना बेचे गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि वामपंथी मोर्चा सरकार ने उनको जीविकोपार्जन के लिए वैकल्पिक साधन प्रदान कर रखे हैं। जब तक ऐसे वैकल्पिक साधन प्रदान नहीं किए जाते हैं तो जनजातीय भूमि को बचाना सम्भव नहीं होगा। वहां पर कुछ शोषण करने वाले लोग भी हैं। उदाहरण के तौर पर त्रिपुरा में 'लस्कर' पुकारे जाना वाला एक समुदाय है। भाषा, प्रथा, संस्कृति आदि के हिसाब से वे किसी भी दूसरे बंगाली समुदाय जैसे हैं। परन्तु त्रिपुरा में कांग्रेस दल के शासन के दौरान इन 'लस्करों' को जनजातीय माना जाता था, भगवान जाने किस कानून के अन्तर्गत अथवा किस आधार पर कांग्रेस के शासन के दौरान इनको जनजातीय माना जाता था और सरकार से प्रमाण पत्र प्राप्त करने पश्चात, ये जनजातीय लोगों के रूप में जनजातीय लोगों की भूमि खरीद रहे हैं। परन्तु ये बंगालियों को गैर जनजातीय बंगालियों के रूप में इसे बेच रहे हैं क्योंकि हमारे भूमि सुधार कानून के अनुसार अगर कोई जनजातीय व्यक्ति एक बंगाली को भूमि बेचता है तो उसे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस प्रकार वे इस कानून से बच रहे हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस शासन के दौरान इस तरह से काफी भूमि जनजातीय लोगों के हाथों से निकल गयी। इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार पूर्णतया उत्तरदायी है। वहां पर वाम मोर्चा सरकार आने के बाद इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। इसी प्रकार रोजगार के सम्बन्ध में भी ये 'लस्कर' लोग फायदा उठा रहे हैं, हालांकि असलियत में ये जनजातीय नहीं हैं। मेरे विचार में कई दूसरे राज्यों में भी ऐसी व्यवस्था विद्यमान है। गैर जनजातीय लोग भूमि और रोजगार के मामलों में ऐसे लाभ उठाते हैं और इस तरह जनजातीय लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित करते हैं। इस लिए, मैं मांग करता हूं कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न अनुसूचित जातियों और जनजातियों की राष्ट्रपति द्वारा सूची बनाने के कार्यक्रम में संशोधन किया जाए। अनावश्यक समझे जाने वाले सभी नामों को हटा दिया जाए और आवश्यक समझे जाने वाले नए नामों को जोड़ दिया जाए। सभी अनुसूचियों को नए सिरे से तैयार किया जाए। महोदय एक बात और है, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में 'संथाल' नामक समुदाय को अनुसूची में सम्मिलित किया गया है और विभिन्न राज्यों में उनको अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो गयी है। यहां तक कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी उनकी बेहतर हालात थी। मैं यह नहीं कहता कि ब्रिटिश शासन के दौरान ये संपन्न थे। परन्तु आज इनकी हालात और भी खराब है। मूलतः ये 'संथाल परगना' में रहते थे। परन्तु आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन होने के कारण इनका क्षेत्र विभिन्न राज्यों बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में विभाजित कर दिया गया। इस प्रक्रिया में इनका मूल निवास बंट गया और गड़बड़ी हो गयी। इसके परिणामस्वरूप अब इन्हें मूल सुरक्षा प्राप्त नहीं रह गयी है।

[श्री बाजू बन रियान]

सरकार इनके ही क्षेत्र में इनको जीविकोपार्जन के लिए सुविधायें प्रदान नहीं कर रही है। इस प्रकार, आजकल ये सभी राज्यों में फैले हुये हैं। या तो इन्हें त्रिपुरा में ईंटों के भट्टों पर काम करते देखा गया है अथवा दूसरी जगहों पर सड़क निर्माण कार्य में देखा गया है। पंजाब में ये खेतों पर किसानों के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार संथाल परगना के मूल निवासियों से सारे देश में बहुत कम मजदूरी पर कार्य लिया जा रहा है। इनका शोषण किया जा रहा है। अगर सरकार इनको इनके स्थान पर जीविकोपार्जन के साधन प्रदान कर देती तो इनको समूचे देश में कार्य की खोज में भटकने की आवश्यकता नहीं होती। यह बड़ी हैरानी की बात है कि दूसरे राज्यों में इन लोगों को जनजातीय नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पर असम के चाय बागानों में कार्य करने वाले 'संथालों' को जिनको 'शाबर' 'मुडा' आदि विभिन्न जातीय नामों से पुकारा जाता है, वहां पर जनजातीय नहीं माना जाता। इसलिए मैं मांग करता हूं कि समूचे देश के स्तर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों लोगों की एक सूची होनी चाहिए। वर्तमान में यह विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है और इससे इन लोगों को बड़ी कठिनाई और परेशानी हुई है। जो व्यक्ति एक राज्य में जनजातीय है, दूसरे राज्य में उसे ऐसा नहीं माना जाता। उदाहरण के तौर पर, त्रिपुरा में जनजातीय हूं परन्तु यदि मैं दिल्ली अथवा पंजाब में स्थायी रूप से रहने लग जाता हूं तो मुझे एक जनजातीय व्यक्ति नहीं माना जायेगा। इसलिए जहां तक जनजातीय लोगों का संबंध है, संविधान के उपबन्धों को सही मायनों में लागू नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सम्बन्ध में अगर एक विस्तृत अखिल भारतीय अनुसूची बनायी जाये तो इस रुकावट को दूर किया जा सकता है।

अन्त में, यह कहता हूं कि पांचवीं अनुसूची की क्षेत्रीय परिषद् अप्रभावी और पुरानी हो गयी है। इनको प्रतिस्थापित करने के लिए जिला परिषदों को स्थापित करने में आपकी कोई रुचि नहीं है। आपका इसके प्रति कोई रूझान नहीं है और इसके लिए बजट में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान में संशोधन करने के पश्चात् त्रिपुरा में हमने छठी अनुसूची लागू की। सभी दूसरे राज्यों के सम्बन्ध में भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। जहां कहीं भी जनजातीय जनसंख्या का काफी घनत्व है वहां पर घनत्व इनके विकास के लिए जिला परिषदों की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार जन जातीय लोगों को जीवित रहने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। जब तक इस देश में समाजवाद की स्थापना नहीं होती है, तब तक जनजातीय लोगों का अस्तित्व बनाये रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का): महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। हालांकि यह साधारण मालूम पड़ता है, परन्तु इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। इस बात को सभी जानते हैं कि इस झारखण्ड आंदोलन के पीछे कौन है। और क्या इसमें कोई विदेशी एजेन्सी मदद कर रही है। यह विधेयक विघटन और गड़बड़ी के बीज बोता है।

जैसाकि प्रस्तावक ने बताया है विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का कथन इस प्रकार है :

"प्रस्तावित संशोधन से इन क्षेत्रों के सांस्कृतिक, भाषायी और सामान्य कानूनों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।"

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यद्यपि माननीय सदस्य ने उड़ीसा के सम्बन्ध में यह

विधेयक प्रस्तुत किया है परन्तु वह यह नहीं जानते कि उड़ीसा के कौन से जिलों में जनजातीय लोग रहते हैं और उड़ीसा के जिलों के क्या-क्या नाम हैं। में आप का ध्यान विधेयक के पृष्ठ 4, भाग 4, की ओर दिलाता हूं जहां यह लिखा गया है कि वहां पर दो जिले हैं, एक तो गन्धपुर और दूसरा क्योंझर जबकि उड़ीसा में गंधपुर नाम का कोई भी जिला नहीं है।

4.00 म० प०

इससे आप यह अच्छी तरह सोच सकते हैं कि अगर इस विधेयक को एक अधिनियम बना दिया जाये तो यह कहां पर लागू होगा ?

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुर द्वार) : मैं मानता हूं कि कोई गलती हो गयी होगी, परन्तु मैंने उड़ीसा में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में भी कहा है।

श्री सोमनाथ रथ : मैं माननीय सदस्य पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं परन्तु में यह कह रहा हूं कि विधेयक को पेश करने से पहले उड़ीसा की समस्याओं. जन जातीय जिलों के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए थी और विधेयक की रूपरेखा ध्यानपूर्वक तैयार हो जानी चाहिए थी।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस प्रकार कहा गया है :

"प्रस्तावित संशोधन मे इन क्षेत्रों के सांस्कृतिक, भाषायी और सामान्य कानूनों को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।"

जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध है, इसकी संस्कृति जगन्नाथ धर्म अथवा जगन्नाथ भक्ति-सम्प्रदाय है; यह सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं है, परन्तु यह अन्तर्राष्ट्रीय है। भगवान जगन्नाथ जनजातीय लोगों के देवता थे। उनकी पूजा समस्त भारत और बाहर भी की जाती रही है। इस विधेयक को लागू करते हुए माननीय सदस्य उड़ीसा में कौन-सी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहते हैं ?

जहां तक भाषा का सम्बन्ध है, उड़ीसा में सिर्फ एक उड़िया भाषा बोली जाती है, और कोई कोई भी दूसरी भाषा नहीं बोली जाती है। क्या माननीय सदस्य कोई दूसरी भाषा लागू करवाना चाहते हैं ?

जहां तक सामान्य कानूनों का सम्बन्ध है, उड़ीसा में शान्ति है और फिर से रोजगार की रक्षा की बात आती है केवल आदिवासियों के लिए ही नौकरी की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, बल्कि हरिजनों के लिए भी है प्रतिशतता निर्धारित है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन है कि आदिवासियों, जनजातियों और हरिजनों को प्रवृत्त अधिनियम के अनुसार रोजगार दिया जाता है। यदि किसी वर्ष विशेष में आदिवासियों, हरिजनों आदि के लिए निर्धारित कोटा पूरा नहीं होता है और नौकरी के लिए पर्याप्त उम्मीदवार आवेदन नहीं देते हैं तो यह रिक्त स्थान अगले वर्ष के लिए आगे ले जाये जाते हैं। आदिवासियों और हरिजनों के लिए आरक्षित पदों पर किसी अन्य की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इसके लिए एक दण्डात्मक धारा भी है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो उसको दण्ड दिया जाता है।

और फिर आती है, भूमि सुधार की बात। उड़ीसा में जनजातीय व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वह हरिजन ही क्यों न हो जब तक अनुमति न दे दी गयी हो किसी दूसरे जनजातीय की भूमि नहीं खरीद सकता है।

गरीबी हटाओ योजनाओं का जहां तक सम्बन्ध है, उड़ीसा में आदिवासियों और हरिजनों की

[श्री सोमनाथ रथ]

ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। इन क्षेत्रों में गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों, एम० ए० डी० ए० आदि को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त धन दिया है।

खाद्यान्न, चावल आदि इन क्षेत्रों को रियायती दरों पर दिए जाते हैं। माननीय सदस्य उड़ीसा में इस समय विद्यमान कानूनों तथा दिए जा रहे संरक्षण के अतिरिक्त अब और कौन से सामान्य कानून लागू करना चाहते हैं।

इस विधेयक के लाने से, असंतोष का बीज न केवल उड़ीसा में फैल जाएगा बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और इस पर जोर न दें।

महोदय, जो माननीय सदस्य अभी बोले हैं उन्होंने यह कहा कि यह विधेयक उन राज्यों के लिए आवश्यक है जहां जनजातीय अल्पसंख्या में हैं। यदि ऐसा है तो क्या माननीय सदस्य को क्योंझर जिले की जनसंख्या का कोई अनुमान है ? फिर क्योंझर जिला इस में क्यों सम्मिलित किया गया ? अतः मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्य को प्रत्येक राज्य की स्थिति को सावधानी से अध्ययन करना चाहिए और फिर यह विधेयक लाना चाहिए।

महोदय, यह सच है कि उड़ीसा में आदिवासी वनों को किसी लाभ के उद्देश्य से नहीं परन्तु फसल उगाने के लिए जलाकर नष्ट कर रहे हैं। राख को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। वनों को जलाने में उन का कोई बुरा इरादा नहीं है। वह किसी आर्थिक प्रयोजन से वनों को काट कर नहीं बेचते हैं। वे लाल चना जैसी कोई फसल उगाने के लिए वनों को जलाते हैं। यह देखने के लिए प्रयास किए गए हैं कि झूम खेती अथवा पोडू खेती को बन्द कर दिया जाये और उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें पहाड़ों की चोटियों पर नहीं अपितु मैदानों में बसाया जाना चाहिए। खेती के लिए उन्हे समुचित भूमि, खाद और हर प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए।

इन परिस्थितियों में, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि समग्र भारत की अखंडता के हित में विधेयक को वापस ले लें।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, जब कभी मैंने स्वायत्तशासी जिलों तथा स्वायत्तशासी क्षेत्रों के निर्माण से सम्बन्धित उपबन्धों का अध्ययन किया है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और कुछ कहने से पूर्व, मैं इस सभा में उस निष्कर्ष के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा जो मैंने इस विधेयक के उपबन्धों का अध्ययन करने के बाद निकाला है। निष्कर्ष यह है कि "संविधान में स्वायत्तशासी जिलों और क्षेत्रों से सम्बन्धित उपबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है।"

सभापति महोदय, समस्त देश को राज्यों में और आगे जिलों में बांटा गया है और फिर हमने उन्हें प्रशासनिक रूप से ब्लाकों आदि में विभाजित किया है। हम किसी क्षेत्र विशेष को कोई रियायत, कोई सहायता अथवा कोई वित्तीय छूट दे सकते हैं किन्तु संविधान में इस प्रावधान को जोड़ने अपने आपमें एक ऐसी ही बात है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। महोदय, मेरे यह कहने का स्पष्ट कारण है।

जो स्वायत्तशासी जिले और स्वायत्तशासी क्षेत्र बनाये गये हैं उन्हें कानून बनाने की भी शक्ति

होगी; राज्य सरकारों का भी निस्संदेह उन कानूनों पर नियन्त्रण होगा। यदि कोई कानून क्षेत्रीय परिषद् अथवा जिला परिषद द्वारा उसी विषय पर बनाया जाता है जिस पर राज्य सरकार भी कोई कानून बना रही है, तब तो राज्य सरकार को कानून की ही प्रधानता होगी। अत: यदि आप उन्हें एक बार कानून बनाने का अधिकार दे रहे हैं और साथ ही कानून बनाने की शक्ति वापस ले रहे हैं तो उससे स्वत: ही परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। अत: जिला परिषद् का निर्माण करना तथा उसको कानून बनाने का अधिकार देना देश के हित में नहीं है। हमने उन्हें विवाह तथा तलाक जैसे मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया है। हमने उन्हें अन्य सामाजिक प्रथाओं पर कानून बनाने का अधिकार भी दिया है। यदि ऐसा प्रत्येक जिला अथवा क्षेत्रीय परिषद सामाजिक प्रथाओं, विवाह तथा तलाक तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाती है, तो देश का क्या होगा ? हम जानते हैं कि हमारे सुदूर ग्रामों में किस तरह की बुरी प्रथाएं चल रही हैं। क्या हम इन सभी बुरी प्रथाओं की अनुमति दे रहे हैं ? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि "सती" जैसी घटनायें हमारे देश में आज भी हो रही हैं। और मैं "सती प्रथा" का उदाहरण दे रहा हूं। आजकल हमारे समस्त ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में अनेक बुरी प्रथायें तथा परम्पराएं हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जनजातीय तथा अन्य पिछड़े लोगों को इन बुरी प्रथाओं के हानिकारक प्रभावों से अवगत करायें। मैं राज्यों को कोई हानि पहुंचाए बिना उनकी स्थिति में सुधारने के लिए राज्य स्तर पर कानून बनाने के हित में हूं। इसके विपरीत यदि हम इन सभी को इन नाजुक मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देकर हम "सती" जैसी सामाजिक बुराइयों का समर्थन ही करेंगे। यही कारण है कि मैं कह रहा हूं कि हमें जिला परिषदों को पूरी तरह से समाप्त ही कर देना चाहिए।

हम उन्हें झूम खेती, सम्पत्ति के उत्तराधिकार आदि जैसे मामलों में शक्तियां भी देते हैं। मेरा विचार यह है कि "झूम खेती" आदि के सम्बन्ध में जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह की जानी चाहिए। यह जनजातीय लोग सैकड़ों वर्ष से जंगलों में रहते हैं और उन्हें जंगलों के सम्बन्ध में अपने परम्परागत अधिकार मिलने चाहिएं। इसके बदले, यदि हम प्रत्येक जिला अथवा क्षेत्रीय परिषद् को कानूनी अधिकार देकर इन मामलों पर निर्णय देने का अधिकार दें, मुझे आश्चर्य है कि फिर क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है ? यदि हम इन जिलों अथवा क्षेत्रीय परिषदों को ऐसे कानूनी अधिकार दें तो मुझे शका है कि वह सभी स्वायत्तशासी, पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जाएंगे और वह राज्य का दर्जा देने की मांग भी कर सकते हैं। अत: राज्य सरकार आवश्यकता पड़ने पर विशेष कानून बनाकर जनजातियों के हितों की सुरक्षा कर सकती हैं किन्तु केवल राज्य स्तर पर।

इस समय, हमारे संविधान की छठी अनुसूची उन्हें सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में अधिकार आदि देती है। यदि यह स्वायत्तशासी जिले अथवा क्षेत्री परिषद इन पहलुओं पर कानून बनाते हैं तो क्या होगा ? इन सभी पहलुओं को हमारी राष्ट्रीय वन नीति की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। निस्संदेह वह आरक्षित वनों का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। किन्तु जहां तक कुछ वन क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उन्हें अधिकार है और यदि वह इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में कानून बनाएं जो हमारी समस्त वन नीति के विरुद्ध हो, तब क्या होगा ? अत: यह नाजुक मामले स्वायत्तशासी जिलों अथवा क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार में नहीं दिए जाने चाहिए। ऐसे मामलों में केवल राज्यों को ही कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए।

मैं यहां एक और बात कहना चाहूंगा। यद्यपि हम जिला परिषदों, जिलों की चर्चा करते हैं जो

[श्री शान्ताराम नायक]

हमारे विकास का आधार हैं जिनके माध्यम से हम सभी विकास कार्यों के लिए धन का विनियोजन करते हैं, अभी तक संविधान द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। यद्यपि संविधान में "राज्य" को एक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है, किन्तु जिले को मान्यता प्राप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में नम्रता-पूर्वक निवेदन करूंगा कि हमें जिले को सम्माननीय स्तर प्रदान करने के लिए अपने संविधान में एक नया अध्याय जोड़ना पड़ेगा। जिले का हमारे संविधान में एक इकाई के रूप में विशेष उल्लेख होना चाहिए। जिले का विस्तार, जिला कब बनाया जाना चाहिए, इसका क्षेत्र कितना और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, इन सभी पहलुओं के सम्बन्ध में संविधान में उल्लेख होना चाहिए। आजकल किस प्रकार जिले बनाए जाते हैं ? इस समय राज्य सरकार के भू-राजस्व संहिता द्वारा जिलों का निर्माण किया जाता है। जिले जो हमारे प्रशासन का आधार हैं संविधान के अनुच्छेदों के अन्तर्गत नहीं बनाए जाते हैं। यह भू-राजस्व संहिता जैसे छोटे कानूनों से बनाए जाते हैं। मेरी यह राय है कि जिलों का उल्लेख हमारे संविधान में होना चाहिए। दूसरा, हमारे संविधान में जिलों के सम्बन्ध में छोड़े जाने वाले अध्याय में जिलों के निर्वाचित निकायों जैसे महाराष्ट्र के जिला परिषद् का उल्लेख होना चाहिए। सांविधिक तौर पर, संवैधानिक उपबंधों द्वारा जिले में जिला परिषद् अथवा किसी अन्य नाम वाले ऐसे ही निर्वाचित निकाय होने चाहिएं और प्रत्येक पांच अथवा चार वर्षों में निर्वाचन किए जाने चाहिएं। निर्वाचन निर्वाचन आयोग द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जिलों को संविधान में और देश में एक आदरनीय स्थान प्रदान कर सकते हैं।

आज केवल कुछ जनजातीय क्षेत्रों ने एक प्रकार की परिषद् बनाया है जिसके पास विधायी शक्तियां होंगी। इस समय मैं जिलों की बात कर रहा हूं। उन जिलों की जिला परिषदों को विधायी अधिकार नहीं होंगे। यह केवल प्रशासन और विकास के प्रयोग के लिए है। यह केवल कुछ ही क्षेत्रों में स्थापित नहीं होने चाहिए। अपितु समस्त देश में होने चाहिएं। हमारे राज्यों को संविधान के उपबंधों के आधार पर जिलों में विभाजित किया जाना चाहिए। इनमें जिला परिषद् अथवा ऐसे निर्वाचित निकायों की व्यवस्था होनी चाहिए जो समय-समय पर चयन आयोग की प्रणाली द्वारा निर्वाचित हो। और राज्य सरकारों में भी वित्त आयोग जैसा आयोग होना चाहिए जो जिलों की राशि का आबंटन करे। आज वित्त आयोग राज्यों को राशि का आबंटन करता है, इसी प्रकार राज्य स्तर पर वित्त आयोग होना चाहिए जो जिलों को बराबर राशि आबंटित करे अथवा कुछ इस प्रकार से जैसाकि उचित समझा जाए।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जो पिछड़े हुए हैं। अत: उन्हें अधिक धन आबंटित किया जाना चाहिए। लेकिन उस आयोग को यह निर्णय करना चाहिए कि प्रत्येक जिले को कैसे धन आबंटित किया जाए। आज राज्य सरकारें बराबर और न्यायोचित ढंग से धन आबंटित नहीं कर रही हैं। अत: यह काम वित्त आयोग को सौंपा जाना चाहिए।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह हमारे संविधान में जिलों को उपयुक्त महत्व देने के लिए एक नया संविधान विधेयक रखे ताकि हमारे जिलों को भी महत्व मिले। आज हम विधान से जिलों का निर्माण कर रहे हैं, कल हम संविधान के निर्माता हो सकते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मुझे सचमुच यह नहीं पता है कि इसका समर्थन करना चाहिए या नहीं।

इस विधेयक से हमें बहुत आशाएं हैं। मेरे विचार से यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन जैसा कि डा० राजहंस ने कहा इस विधेयक का कुछ उद्देश्य है। मेरा मुद्दा यह है कि इस विधेयक से वह उद्देश्य पूरा नहीं होता। यह केवल सही दिशा में उठाया गया कदम है किन्तु इसमें आज की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है।

सभापति महोदय, पूरा देश असंतोष की ज्वाला में धधक रहा है। हमारे देश के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग तक असंतोष फैला है, आदिवासी क्षेत्रों में भी असंतोष है। इस विधेयक में जो उपाय किया गया है, कि वस्तुत: पांचवीं अनुसूची को समाप्त किया जाए और सभी संभव जनजातिय जिलों को 6वीं अनुसूची की योजना के अंतर्गत लाया जाए, मैं नहीं जानता कि इस उपाय से वास्तविक उद्देश्य पूरा हो पाएगा या नहीं। मैं समझता हूं कि इस अर्थ में यह विधेयक अपर्याप्त है। यह विधेयक बड़ी देर से रखा गया है। हम जानते हैं कि स्वायत्त जिला और स्वायत्त क्षेत्र बनाने के विचार में सफलता नहीं मिली है। बिहार में हम क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का प्रयोग कर रहे हैं। किन्तु इससे असंतोष दूर नहीं हुआ है और इससे आदिम जाति के लोगों की वैध आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है।

अत: हमें इसे एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना है। हम किस ओर जा रहे हैं? मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो संघ राज्यों की संख्या और न ही उनकी वर्तमान सीमाओं के बारे में ही कोई दैवी फरमान नहीं है। ये मानव द्वारा बनाई गई हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण, उनकी वैध आकांक्षाओं को पूरा करना, शांतिपूर्ण सहयोग से रहना, सभ्य और सांविधानिक अस्तित्व में उनके विकास के लिए कार्य करना. और ये सब बातें हैं। ये ईश्वर की बनाई हुई नहीं हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। अत: मैं समझता हू कि हमें आज की स्थिति को ध्यान में रखना होगा और समस्या पर गहराई से विचार करना होगा आज भारतीय के आदिवासी आज शस्त्र क्यों उठाए हुए हैं? वे विद्रोह क्यों कर रहे हैं?

गृह मंत्री जी अभी ही झारखंड के दौरे से लौटे हैं। यह भारत के गृह मंत्री का झारखण्ड का पहला दौरा था। इससे स्थिति की गंभीरता का पता चलता है, जो कि धीरे-धीरे राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और संभवत: स्थिति उनकी समझ से बाहर हो रही है कि इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। अत: श्री बूटा सिंह को वहां जाना पड़ा और कुछ सलाह देनी पड़ी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए जो मैं समझता हूं कि आग में घी का काम करेंगे। इस तरह के दौरों से तथा इस तरह के अधिकार पूर्वक की गई उदघोषणाओं से, जिनमें लोगों की देशभक्ति को चुनौती दी गई हो, तथा उन लोगों पर आरोप लगाने से, जो भारत में अपने रहने के लिए वैध स्थान चाहते हैं, असंतोष कम नहीं होगा।

इस समय भारत में आदिवासी लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं। यदि वे अपने वनों की कटाई करते हैं, उन वनों की जो शताब्दियों से उनका निवास रहे हैं, जिनकी वे पूजा करते हैं, वे वन, जहां से उन्हें जीवन मिला, संस्कृति मिली, लोकाचार मिला। हमें यह समझना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम अपने आपको प्रश्न पूछने से रोक नहीं सकते। उत्तर यह है कि वह निराश है। वह यह महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय विकास में उन्हें अनदेखा किया गया है। वह यह समझते हैं कि उन्हें विकास का लाभ उचित रूप से नहीं मिल रहा है। वह यह समझते है कि उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अपने ही देश के प्रशासन में वह कुछ नहीं कह सकते। वह समझते हैं कि रोजगार के मामलों में उनके साथ धोखा किया जा रहा है। सामाजिक दृष्टि से उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। राजनैतिक दृष्टि से उनका कोई स्थान नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टि से उन्हें दबाया जाता है और उनकी भाषा के साथ भेदभाव किया जाता है। उनकी ये शिकायतें काफी पुरानी है और सम्बन्धित राज्य सरकारों ने, जिन्हें वे लोग चलाते हैं जो आदिवासियों के विरोधी हैं, जिनका नियन्त्रण वे निहित स्वार्थ करते हैं, जो कि आदिवासियों का शोषण करते हैं, उन लोगों की निराशा दूर करने के लिए कुछ नहीं किया है। और इसीलिए हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे विद्वान सहयोगी श्री तिरकी द्वारा

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

प्रस्तुत इस विधेयक में अच्छे उद्देश्य से जो संकल्प रखा गया है, उससे भी बात नहीं बन रही है। मुझे यही डर है और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं नहीं जानता कि इस विधेयक का समर्थन करूं या विरोध।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत में जहां कहीं भी आदिवासी अधिक संख्या में रहते हैं वे अपने लिए पृथक राज्य की मांग कर रहे है; और यह भी सच है कि पृथक राज्य की मांग करने की प्रेरणा भी हम लोगों ने ही उन्हें दी हैं क्योंकि हमने देश में अनेक छोटे-छोटे राज्य बना दिए हैं। संभवत: हम उसे रोक नहीं सकते थे। यह केवल भारत में ही नहीं हुआ। यह विश्वव्यापी है। संयुक्त राष्ट्र को देखिए। आप देखेंगे कि कुछ पदस्यों को लाखों लोगों को देखना पड़ता है और ऐसे भी सदस्य हैं जिनके राज्य की कुल जनसंख्या ही दस हजार है। इसी तरह भारत में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी है जिसकी जनसंख्या करीब 1200 लाख है—और ऐसे भी राज्य हैं जिनकी जनसंख्या लाखों में ही है। और हर रोज हम दबाव डाल रहे हैं। अत: यदि इस विधेयक के प्रस्तावक का वास्तविक उद्देश्य यही है : जैसा कि डा० राजहंस ने सुझाव दिया, कि झारखंड जैसे क्षेत्र को राज्य का दर्जा देने से इंकार करने का क्या औचित्य है। और मैं समझता हूं कि यह ठीक है। केवल इस कारण से झारखंड को राज्य सरकार का दर्जा न देने का क्या औचित्य है कि श्री तिरकी ने विधेयक में शामिल जिलों के नाम सही उल्लेख नहीं किए। वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना है वहां क्या हो रहा है। पिछले 40 वर्षों के दौरान हमने जो कुछ किया उसके बाद हमें क्या उपलब्धि हुई है। निचले स्तर पर क्या हो रहा है ? क्या कारण हैं कि अच्छे उद्देश्य से बनाई गई जल विद्युत विकास योजनाओं खनन विकास योजनाओं या औद्योगिक विकास योजनाओं का भी उस क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं ? जब तक हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हमें इस असन्तोष का सही उत्तर नहीं मिल सकता। उसका विरोध किया जा रहा है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनके क्षेत्र का और दोहन किया जाएगा जो कि उनके हित में न होकर किसी अन्य के हित में होगा। बाहर से लोग आएंगे, ठेकेदार आएगा, इंजीनियर और सरकारी अधिकारी आएगें और वे उनका शोषण करेंगे। यह सब हो रहा है। अत: यदि वे देश के संविधान के अन्तर्गत अपनी मातृभूमि पर स्वतन्त्र प्रशासन करना चाहते हैं तो हम उन पर यह आरोप क्यों लगाते हैं कि वे राष्ट्र-विरोधी है ? हमें उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि वे अलगाववादी प्रवृत्ति अपना रहे हैं ? वे झारखंड को किस देश में ले जाएंगे ? झारखंड कहां जाएगा, क्या बंगाल की खाड़ी के उस पार ? यह जहां है वहीं रहेगा, जैसाकि मैंने कहा उस क्षेत्र के लोग जो शताब्दियों से अपने अधिकारों से वंचित हैं, जिनका आज भी शोषण किया जा रहा है, जिन्हें आज भी उनके हक से वंचित रखा जा रहा है, यहां भारत में उन्हें उपयुक्त महत्व देगा। अत: हमें निःसंकोच होकर बात कहनी चाहिए। यदि श्री तिरकी विधेयक को समझौता के रूप में लेते हैं, तो मैं उनके लिए कामना करता हूं उन्होंने अपने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों को शामिल न करने में सावधानी बरती है··· (व्यवधान) यह उनकी और उनकी पार्टी के बीच की बात है। लेकिन मुझे खुशी है कि यदि उपयुक्त रूप से इन जनजातियों जिलों को भाग 6 के अन्तर्गत लाने से हम एक और प्रयत्न कर सकते है कि उन्हें वास्तव में अधिकार देने चाहिए, उनके लिए संस्थागत परिवर्तन करने चाहिए, उन्हें रोजगार के अवसर देने चाहिए जिससे उनका विकास संसाधन पर नियन्त्रण हो सके। हो सकता है कि हम ईमानदारी से प्रयत्न करें लेकिन सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि उसके लिए भी समय निकल रहा है। अत: हमें स्पष्ट बताना होगा कि लोगों का एक दल, आदिवासी लोग अलग राज्य की मांग करते हैं तो उस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। राज्य की व्याख्या क्या की जा सकती है ?

मैं समझता हूं कि इसकी तस्वीर हमारे सामने है। राज्य उसे कहा जा सकता है जहां लोगों में आपस में सामाजिक सांस्कृतिक एकरूपता हो तभी वह राज्य आगे बढ़ेगा; तभी उसका कुछ प्रभाव होगा। हमने ऐसा छोटा राज्य भी देखा है, जिसका विकास बहुत तेजी से हुआ है क्योंकि उस राज्य के सभी लोग राज्य को आगे बढ़ाने के प्रयास करते है। यह हमारा राज्य है और हमें इसका विकास करना है, इसे आगे बढ़ाना है। जनता में एक बार यह भावना पैदा हो जाने पर उन्हें कोई रोक नहीं सकता और उससे हमारे देश को कोई नुकसान नहीं होगा। उस पर हमारे देश को गर्व होगा, इससे हमारे देश की प्रगति और विकास को और प्रोत्साहन मिलेगा।

लेकिन मुझे कुछ संदेह है। अतिराष्ट्रीयता से अतिराष्ट्रीयता पैदा होती है; सांम्प्रदायवाद से से सांप्रदायवाद पैदा होता है। मुझे भय है कि कहीं हमारे आदिवासी भाई भी उन गैर आदिवासी लोगों को घुसपैठिया या विदेशी न समझना शुरू कर दें जो वर्षों से उनके पड़ोसी हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यदि आदिवासी अपने अलग राज्य की मांग करते हैं, उन्हें या तो विदेशियों से प्रोत्साहन मिला है या वे विदेशियों के एजेंट हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे आदिवासी भी हैं, जो वहां रह रहे गैर आदिवासियों को कहते हैं कि एक बार हमें अलग राज्य मिलने दो; फिर आपको यहां से जाना पड़ेगा। मेरे विचार से यदि आदिवासी चाहते हैं। कि उनका आंदोलन सफल हो। उनकी अलग पहचान, संविधान के अंतर्गत उनका अलग राज्य की मांग को देश की जनता से सहानुभूति मिले तो उन्हें कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे उन लोगों का भय और आशंकाएं दूर हो।

कोई भी, कैसी भी परिस्थितियों में वहां गया हो और वहां का अधिकारी रहा है यदि कभी जनजाति क्षेत्र अस्तित्व में आए तो उसे जनजातीय राज्य के निवासी के सामने माना जाए,। उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए। उसको यह आश्वासन दिया जाना चाहिए। क्योंकि यह हम सबका देश है और हम सभी भारतीय लोग है। एक भाग को दूसरे भाग से पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। इस मामले में हम वास्तव में प्रतिद्वन्दी राज्यों के विभाजन की ओर जा रहे हैं और उसे अवश्य रोका जाना चाहिए। हम सभी को प्रतिद्वन्दी राज्यों के विभाजन के विरुद्ध कार्य करना होगा लेकिन हम ऐतिहासिक प्रक्रिया, उसे मैं अपनी पहचान कि प्रक्रिया कहता हूँ, के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। इस आन्दोलन का कौन विरोध कर रहा है ? आओ हम उन्हें देखें। उस राज्य विशेष में हमेशा बहुमत संख्या के लोग ऐसा करते हैं। क्यों ? क्योंकि वे लाभ उठा रहे हैं। अत: मुख्य रूप से यह यथास्थिति और यथा-स्थिति न चाहने वाली शक्तियों के बीच संघर्ष है और ये यथास्थिति न चाहने वाली शक्तियां हैं जिनकी ओर से यह ऐतिहासिक आन्दोलन आया है। समय उनके पक्ष में है। चाहे हम उस क्षेत्र की ओर देखे अथवा न देखे, यह आन्दोलन तेज होगा क्योंकि पूंजीवादी समाज में इस आर्थिक प्रक्रिया के स्वरूप को देखते हुए उनके साथ भेदभाव जारी रहेगा चाहे हम इस सदन में कितनी ही पवित्र धारणा क्यों न व्यक्त करें, और यह आग बढ़ती जाएगी।

सभापति महोदय, अन्त में, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि झारखंड राज्य बनाने का विचार था, यहां तक कि इस आन्दोलन के समर्थकों को मैं जानता हूं कि आन्दोलन को फिर से संगठित किया जा रहा है, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है उन्हें प्रस्तावित झारखंड राज्य की प्राकृतिक सीमाओं की कुछ घोषणाएं करनी चाहिए। यह ऐतिहासिक सीमा नहीं हो सकती, यह किन्ही ऐतिहासिक दावों पर आधारित नहीं हो सकती। यह इस समय की जातीय परिस्थितियों और जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए उनका अर्थ है कि वे जनजाति बहुमत वाले जिले लेते हैं जोकि वे ले सकते हैं और वे कुछ

[श्री सैयद शाहबुद्दीन]

सिद्धांतों पर आधारित पड़ौसी जिलों से कुछ क्षेत्रों को जोड़ सकते हैं चाहे वह सिद्धांत समीप होने का हो, भाषायी सम्बन्ध का सिद्धांत हो अथवा भाषायी तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध हो, गांव को ईकाई मानने का सिद्धांत हो। लेकिन जनजाति लोगों के क्षेत्रों के समीपवर्ती सभी जिलों को नए राज्य में मिलाने अथवा नए राज्य का भाग बनाने के लिए लोगों की इच्छा के विरुद्ध उन पर जोर नहीं दिया जा सकता अत: ऐतिहासिक दावों को ध्यान में रखे बिना, गैर-जनजाति लोगों के जनजाति राज्य में रहने के अधिकारों का आदर करते हुए, हमें भारत का मानचित्र फिर से बनाने की सम्भावना की ओर राजनीतिक शक्तियों का ध्यान दिलाना चाहिए जिसके आधार पर श्री जय प्रकाश नारायण ने एक बार सामाजिक सांस्कृतिक एकरूपता की बात कही थी। उस आधार पर शायद हम अपने जनजाति भाईयों को न केवल झारखंड में अपितु अन्यत्र भी संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह संघर्ष झाड़खंड में ही समाप्त नहीं होगा, यह संघर्ष जारी रहेगा और हर जगह फैल जाएगा और हमें ठीक इसी समस्या का सामना करना पड़ेगा और तब हमें वही देना होगा जो वह चाहते हैं, अलहदगी नहीं, विभाजन नहीं, भारत से अलग राष्ट्र नहीं, बल्कि राज्य के दर्जे का अधिकार और उस स्थान के संसाधनों के लिए दावा जिसे वह अपना देश समझते हैं।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : आप विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। अथवा विरोध कर रहे हैं ?

श्री सैयद शाहबुद्दीन : जब यह मतदान के लिए आएगा तब आप जान जाएंगे।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : अपनी पार्टी की तरह आप भी चकराए हुए हैं।

सभापति महोदय : श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : आपको इस ओर से दो व्यक्तियों और दूसरी ओर से एक व्यक्ति को बुलाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं यही कर रहा हूं। इससे पहले कि माननीय सदस्य आगे बढ़े, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप समय बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि निर्धारित समय 4.40 बजे समाप्त हो जाएगा।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अगला विधेयक मेरा है।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : केवल आधा घंटा।

कुछ माननीय सदस्य : एक घंटा।

सभापति महोदय : हम एक घंटे का समय बढ़ाते हैं।

अब श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री तिरकी द्वारा रखे गए इस संविधान संशोधन विधेयक 1987 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

यह विधेयक संविधान में अर्थात् अनुच्छेद 244 और अनुसूची छ: में संशोधन के लिए है। मैंने अभी-अभी माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों, को ध्यानपूर्वक सुना है। हमारे विद्वान मित्र

श्री सैयद शाहबुद्दीन ने जनजातियों के लिए झाड़खंड, जो बिहार और उनके साथ लगने वाले क्षेत्र का हिस्सा है, के नाम से एक अलग राज्य, बनाए जाने की आवश्यकता पर वाक्पटुता से भाषण दिया।

इस विधेयक को लाने वाला अपने विधेयक के उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और उनका कहना है कि झाड़खंड नाम से एक अलग राज्य होना चाहिए और उन्होंने प्रस्तावित राज्य में लाए जाने क्षेत्रों की कम रेखा दी है और इनके साथ वह यह भी कहते हैं कि यदि ऐसा संभव नहीं है, तो कुछ स्वायत शासी जिले जिनकी अनुसूची छः में व्यवस्था है उनका सृजन किया जाना चाहिए। अतः स्वयं उनको इस पर यकीन नहीं है।

जब हम इस प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यह प्रश्न उठता है, क्या यह समय देश को अथवा संसद को, लोगों के प्रतिनिधियों को इस प्रकार की चर्चा में लगाने का है? क्या हमारे पास समस्याओं की कमी है? हमारे सामने ऐसी गम्भीर समस्याएं हैं जिनसे देश की अखण्डता और एकता को खतरा है। हम पंजाब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम देखते हैं वहां क्या हो रहा है। काफी समय बाद वहां स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। तमिल समस्या ने अलग मोड़ ले लिया है। तमिल उग्रवादियों का एक ग्रुप समझौते पर हस्ताक्षर करते समय अपने दिए गए शब्दों से हट गया है। गोरखालैंड की समस्या राज्य में पूरी तरह सक्रिय है, जहां से इस विधेयक को लाने वाले सदस्य स्वयं आये हैं। वह समस्या को जानते हैं। जैसाकि किसी माननीय सदस्य ने सोचा है कि श्री तिरकी ने जानबूझकर अपने राज्य को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखा है। अतः जब ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे देश की अखंडता को ही खतरा है, तो क्या हमें एक और समस्या जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए?

महोदय, झाड़खंड की अवधारणा एक राज्य का सृजन करने की मांग है जिनमें कुछ जनजाति बहुत क्षेत्रों को शामिल करना है। यह अभी हाल ही में की गई मांग नहीं है। यह मांग कई दशकों पहले की गई थी और इसे दबा दिया गया था।

जैसाकि आप जानते हैं, स्वर्गीय श्री जयपाल सिंह पहले व्यक्ति थे जिन्होने इस आन्दोलन को शुरू किया था। लेकिन बाद में, उन्होंने अपने विचार को बदल लिया। अतः यह अवधारणा विभिन्न स्तरों से गुजरी है। बाद में अन्य दल आगे आए और उन्होंने भी इस मांग पर जोर दिया।

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि जैसाकि सुझाव दिया गया है, एक राज्य का सृजन किया जाता है, तो क्या सभी समस्याएं, जनजातिय लोगों की तकलीफें रातों रात दूर हो जाएगी? निश्चित रूप से नहीं क्या जनजातिय लोग रातों रात स्वतंत्र हो जाएंगे निश्चित रूप से नहीं। इस क्षेत्र में जनजातियों के लोग भी संगठित नहीं है। उनके भी जाति मत और उप-जाति के आधार पर अपने विभाजन है। इस प्रकार उनकी भी एक समान भाषा और संस्कृति नहीं है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं और आगे इसके लिए जोर देता हूं कि राज्य का दर्जा दिए जाने अथवा स्वयत्तशासी जिला बनाने से अधिक महत्वपूर्ण बात उनकी आर्थिक समृद्धि और उनका आर्थिक विकास करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने जनजातिय लोगों की आर्थिक समृद्धि के लिए कई कदम उठाए हैं। लेकिन हम यह मानते हैं कि वे कदम पर्याप्त नहीं है, वे काफी नहीं है। अभी बहुत कुछ करना होगा। यही समय है कि हमें उसपर अपना ध्यान केन्द्रीत करना चाहिए और उनकी ओर अपना ध्यान देना चाहिए। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को यह स्पष्ट किया गया था कि योजना तंत्र और कई पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहें हैं और पद दलित,

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

जनजातियों और हरिजनों को उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितनी की आशा थी, इसके बाद जनजाति के लोगों के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए कार्यक्रम बनाए गए और उन्हें कार्यान्वित भी किया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में कुछ खामियां हैं। यदि जनजाति उप-योजना जैसे कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित किया जाए, तो स्वभाविक है कि उससे जनजातियों के लोगों को और अधिक लाभ मिलेंगे।

राज्य का दर्जा अथवा स्वायत जिले की मांग, एक समाप्त न होने वाली मांग है। मेरा यह सुझाव है जनजातिय लोगों और अन्य पद-दलित लोगों के लिए बनाए गए विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वियन के लिए संगठित प्रयास किये जाने चाहिए।

इस मांग के अन्य पहलू पर भी विचार करना होगा। अब सवर्ण लोगों अर्थात् सवर्ण हिन्दुओं को भी यह मांग की है कि आर्थिक स्थितियों के आधार पर विभाजन किया जाना चाहिए। सवर्ण हिन्दुओं में अनेक बहुत ही गरीब लोग हैं जोकि गरीबी में सड़ रहे हैं और उनके पास यहां तक एक दिन का पेट भर खाना नहीं है। लेकिन क्योंकि उनका ऊंची जाति से सम्बन्ध है, वे कोई लाभ नहीं ले पाते। मैं दोनों की बराबरी नहीं कर रहा हूं लेकिन समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। जनजातिय लोगों में 90 प्रतिशत बहुत ही गरीब है। हालांकि जनजातिय लोगों में कुछ जमीदार भी हैं। जनजातियों में राजा भी हैं। अतः स्वाभाविक है कि हम इस प्रकार की आम मांग नहीं कर सकते।

जनजातिय लोगों की समस्याओं को मस्तिष्क में रखते हुए, केन्द्र में अब एक अलग कल्याण मंत्रालय कार्य कर रहा है। विभिन्न राज्यों में भी, विशेषकर जहां पर जनजातियों के लोगों की काफी संख्या है, हमने जनजातिय लोगों के विकास के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग बनाए हैं। इसके अलावा विधान सभा समितियां हैं जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्य हैं जो जनजातियों के लोगों के लिए बनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करते हैं।

भूमि हस्तांतरण के बारे में उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में बहुत ही कठोर कानून हैं, और वहां भी जनजातियों के लोगों से सम्बन्धित भूमि का हस्तांतरण वर्जित है। अतः इसका भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

जहां तक वनों का सम्बन्ध है, जनजाति लोग वनों का एक भाग है। वे वन के अन्दर ही रहते हैं। हम जानते हैं कि वन ही उनका जीवन है। हाल ही में, क्षेत्रीय वन परमर्शदात्री ग्रूप के एक सदस्य के रूप में, मुझे छोटा नागपुर क्षेत्र सारन्दा वन प्रभाग में जाने का अवसर मिला था जहां यह झाडखंड आन्दोलन चल रहा है। यहां तक कि उसे झाडखंड आन्दोलन का मुख्यालय कहा जा सकता है। यह देखकर केवल रोना ही आता है कि वहां किस प्रकार संगठित होकर गैर कानूनी तरीके से पेड़ों को गिराया जा रहा है। स्वाभाविक है कि उस वन में रहने वाले जनजातिय लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्हें भड़काया जा रहा है, उन्हें राजी किया जा रहा है और यहां तक कि उन्हें पेड़ों को गिराए जाने के लिए धमकी भी दी जाती है। यहां तक कि कुछ नेताओं द्वारा उनसे धन की वसूली भी की जाती है। यह धन की वसूली उनसे बल प्रयोग करके की जाती है। वे कहते हैं "आपको इस जमीन पर हल चलाते रहना होगा और उनसे होने वाली आमदनी हमें देनी होगी।" उन्होंने आतंक कायम कर रखा है। यही कुछ हमने संसदीय समिति के सदस्यों के रूप में देखा है। जनजातिय लोग बहुत ही

साधारण है। जब बाहर के लोग उनके पास जीप आदि में जाते हैं, वे अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। यहां तक कि उनको उन लोगों के साथ बोलने का अवसर भी नहीं मिलता। वहां ऐसे कुछ लोग कुछ बिचौलिए हैं जो वास्तव में उनका शोषण कर रहे हैं। उनके लिए राज्य है अथवा नहीं, उनके लिए स्वायतशासी जिला हो अथवा नहीं, विभिन्न स्तरों पर जनजातिय लोगों का शोषण, चाहे वह किसी केद्वारा भी किया जा रहा हो, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। यह पहला कार्य है जो हमें करना होगा। शोषण को समाप्त करना होगा। हमें न केवल जनजातिय लोगों का शोषण समाप्त करना होगा बल्कि हमें जनजातिय लोगों के आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को भी सुनिश्चित करना होगा। हमें जनजातिय लोगों के लिए बनाए गए विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन और तेजी से कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करना होगा।

शिक्षा के बारे में, जनजातियों के लोगों के लिए उनकी काफी संभावना है। उड़ीसा में, भी अन्य स्थानों की तरह, उन्हें के० जी० से पी० जी० तक अर्थात प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उन्हें छात्रावासों में भी प्राथमिकता के आधार पर जगह दी जाती है क्योंकि यह उनके लिए बहुत जरुरी है और इस पर होने वाला खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाता है। हमें देखना चाहिए कि उन्हें शिक्षा दी जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए और सही परिप्रेक्ष्य में उचित तरीके से उनको आर्थिक लाभ भी मिलने चाहिए।

जिस प्रस्तावित राज्य या स्वायत्तता प्राप्त जिलों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उनमें उड़ीसा का कुछ हिस्सा भी शामिल है। श्री रथ ने पहले ही इसका उल्लेख किया है ये क्षेत्र पहले कभी भी एक प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत नहीं ये स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले के विभिन्न रजवाड़ों के अन्तर्गत थे। हम उन्हें "गजत" कहते हैं। उनमें तथा अन्य जनजातीय लोगों में कोई समानता नहीं है। उनकी एक अलग स्थिति है उनकी भाषा अलग है और उनकी बहुत-सी बातें अलग हैं। महोदय, हैरानी की बात यह है कि सभी प्रकार से भड़काने के बावजूद भी उड़ीसा के उन क्षेत्रों के मूल निवासियों ने कभी भी झारखण्ड राज्य बनाने की मांग नहीं की है। हमेशा उन क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों से घुसपैठ करके आने वाले लोगों ने शोर मचाया है। अतः वहां स्थानीय निवासियों और आदिवासियों की कोई मांग नहीं है और उनकी कानून और व्यवस्था की तथा अन्य समस्यायें नहीं हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत नहीं करता क्योंकि एक ऐसी स्थिति में प्रस्तुत किया गया है जब सम्पूर्ण राष्ट्र का ध्यान सभी जनजातीय लोगों की सम्पूर्ण प्रगति की ओर केन्द्रित होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : जैसा कि मेरे मित्र श्री सैयद शाहबुद्दीन ने उल्लेख किया है यह विधेयक बहुत देर से प्रस्तुत किया गया है। पांचवे अथवा छटे दशक के आरम्भ में इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए था तभी इससे कोई लाभ होता। परन्तु अब जैसा कि मेरे मित्र श्री बाजू बन रियान ने उल्लेख किया है राज्यों के आदिवासियों ने भी प्रगति कर ली हैं और उनमें से बहुत से आई० ए० एस० अधिकारी तथा व्यापारी लोग है अब वे देश की मुख्यधारा में है।

मेरे मित्र श्री राजहंस ने इस बात पर हैरानी व्यक्त की है कि श्री तिरकी ने प्रस्तावित संशोधन में त्रिपुरा और बिहार की बात की है परन्तु बंगाल को उसमें शामिल नहीं किया है। यह उनकी राजनैतिक कुशलता है और यही कारण है कि उनकी उस राज्य में रुचि नहीं है।

मेरे मित्र श्री रियान यह उल्लेख कर रहे थे कि वामपंथी सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए

[श्री विजय एन० पाटिल]

बहुत कुछ किया है और उन्हें अन्य लोगों द्वारा छीनी गई उनकी भूमि वापस दिला दी है। वे यह भूल चुके हैं कि प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वर्ष 1975-76 में संसद में एक नियम बनाया था कि सारे देश में अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई आदिवासी लोगों की भूमि उन्हें वापस दी गई। आदिवादियों को इसके बाद लाखों एकड़ भूमि वापिस दिलाई गई महाराष्ट्र में मैंने कानूनी तौर पर 38 एकड़ भूमि खरीदी थी परन्तु उस अधिनियम के कारण मुझे वह भूमि आदिवासी लोगों को वापस करनी पड़ी। प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस सरकार ने आरम्भ से ही इस देश में आदिवासी तथा कमजोर वर्ग के अन्य लोगों के लिए अच्छा कार्य किया है। परन्तु किसी भी सच्चे भारतीय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से झारखण्ड का प्रश्न उठाकर ऐसा संशोधन प्रस्तुत करना उचित नहीं लगता क्योंकि इस कारण जाति के आधार पर देश का विभाजन हो जायेगा। अब संथाल परगना में आदिवासियों की प्रधानता है महाराष्ट्र के 45 संसद सदस्यों में से 6 संसद सदस्य सतपुड़ा के चारों ओर मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में काफी प्रगति हुई। गुजरात में मेरे मित्र श्री दीनू भाई गामित की एक चीनी की फैक्टरी है। आदिवासी लोग इतने अधिक पढ़े-लिखे और बुद्धिमान हैं कि मेरे धुलिया जिले में एक आदिवासी सिविल सर्जन हैं जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। श्री वास्वे जोकि एक कलैक्टर हैं वे भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं। वहां डिप्टी रजिस्ट्रार भी एक जनजातीय व्यक्ति थे। मुख्य जिला अधिकारी भी जनजातीय हैं आदिवासी लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसरों और आरक्षण और प्रतिवादी नीति के कारण ही ऐसा हुआ है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि इन तीन जिलों में शामिल करने के लिए छटी अनुसूची में संशोधन किया जाए। छटी अनुसूची का क्या अभिप्राय है? यह अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न जातियों के अनुसार नए जिलों का निर्माण करने के लिए है हमारे राज्य में 'कोंकणी' और 'भील' जनजातियां हैं। यदि हम अपने क्षेत्र के निजी की जाति के अनुसार विभाजित करे तो इस प्रकार एक अलग जिला बन जायेगा। परन्तु एक बहुत छोटा जिला व्यवहारिक नहीं होगा। निःसंदेह रूप से वहां क्षेत्रीय परिषद है परन्तु वहां क्षेत्रीय परिषद की अवधारणा एक स्वशासी जिला परिषद के रूप में है और वहां जिला परिषद पहले से ही विद्यमान है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां कि जनजातीय लोगों की प्रधानता है जिला परिषदों में जनजातीय अध्यक्ष भी होते मैं यह सुझाव दूंगा कि यदि हम अधिकाधिक आदिवासियों और अनुसूचित जातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करे तो इससे उन्हें बहुत लाभ होगा। हमने महाराष्ट्र में एक अधिनियम बनाया है यदि इसी प्रकार से अधिनियम अन्य राज्यों में भी बनाए जाए तो इससे इन क्षेत्रों एवं इन लोगों के विकास में बड़ी सहायता मिलेगी। महाराष्ट्र में जिला स्तर की सहकारी समितियों में हमने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कम से कम दो स्थानों का आरक्षण किया है। सहकारी समितियों और पचायत समितियों में पहले ही आरक्षण है हमारे स्वशासी निकायों और स्थानीय निकायों में भी यह आरक्षण प्रणाली है ताकि हमारे कमजोर वर्ग के मित्र निर्णय लेने वाली संस्थाओं और प्रशासनिक निकायों में भाग ले सके। केवल यही नहीं महाराष्ट्र की प्रगतिशील चीनी सहकारी समितियों में भी महाराष्ट्र सरकार ने इनके लिए सदस्यता की सुविधा प्रदान की है। महाराष्ट्र सरकार इन व्यक्तियों के लिए शेयर खरीदने के लिए 900 रु० की अदायगी करती है और उन्हें केवल 100 रु० की अदायगी करनी पड़ती है जब कि अन्य व्यक्तियों को शेयर खरीदने के लिए 1000 रुपये की अदायगी करनी पड़ती है। स्थानीय सरकार, स्थानीय संस्थाओं की प्रशासनिक धारा में उन्हें लाने के लिए ये सुविधाएं दी जा रही है। अतः संविधान की छठी अनुसूची में इस प्रकार का संशोधन करना आवश्यक नहीं है।

मैं श्री तिरकी से अनुरोध करूंगा कि वे इस संशोधन को वापस ले लें क्योंकि इसे बहुत देर से प्रस्तुत किया गया है। देश ने अच्छी प्रगति की है और पिछली 40 वर्षों में संविधान हमारे देश को प्रगति के पथ पर लाया है थोड़े समय के लिए आई जनता सरकार के बाद जब हमारी दल बहुमत में आया तो हमने सेवा के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। यह बात भी सम्पूर्ण देश के आदिवासियों के लिए हमारे नेक इरादे हमारी मित्रता और सहानुभूति दर्शाती है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार सड़कें बना रही है और वहां अधिक उद्योग स्थापित कर रही है आदिवासी क्षेत्रों की विशेषकर संथाल परगना की जो भी मांगें होंगी सरकार उनकी जांच करेगी उन क्षेत्रों में खनिज और धातुओं पर आधारित उद्योगों में उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जायेंगे। और यही आपकी मांग होनी चाहिए।

5·00 म० प०

बाहर से लोगों को लाने के बजाय उन्हें नौकरियों में अधिक आरक्षण देना चाहिए। संथाल परगना में स्थित धातु तथा खनिजों पर आधारित निजी उद्योगों में भी उन्हें अधिक प्रगति के अवसर देने चाहिए। संविधान के इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अपेक्षा राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की यह मांग होनी चाहिए जिससे अधिक प्रगति होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, हमारे माननीय सदस्य तिरकी जी जो विधेयक लाए हैं, उसके समर्थन या विरोध की बात मैं नहीं करना चाहता लेकिन जो विधेयक ये लाए हैं, उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं।

सब से पहली बात यह है कि झारखण्ड पार्टी की तरफ से झारखण्ड राज्य की जो मांग उठाई गई है, वह क्यों? इस पर विचार करने की जरूरत है। हम लोग यहां पर बहस करते हैं, तो उस बहस में दलगत भावना से प्रेरित होते हैं और हम एक कोर्ट की तरह वकालत करते हैं कि हम दोषी नहीं हैं और वे दोषी हैं, हम अच्छे हैं और वे बुरे हैं। जो इस तरह की बात करते हैं, उनकी देश के प्रति श्रद्धा नहीं है और वे देश की एकता को कायम नहीं रखना चाहते। इस सदन में सही-सही बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखण्ड राज्य की मांग क्यों उठी। उसके लिए कौन दोषी है। आज सरदार बूटा सिंह को वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इतने दिनों से कोई गृह मन्त्री नहीं था? 40 वर्षों से आप ने एक पार्टी का राज्य कायम रखा है और 40 वर्षों तक आप का राज केन्द्र और राज्यों दोनों में रहा है। 40 वर्षों तक आपने उन लोगों के साथ जानवर की तरह व्यवहार किया और ऐसा व्यवहार अंग्रेजों के जमाने में भी उनके साथ नहीं होता था। जानवरों से बदतर उन्हें रखा और इसलिए इन 40 वर्षों में उनके अन्दर असन्तोष पैदा हुआ। अब उनके नौजवानों में जो दिमागी तौर पर विकास हुआ है, उसके कारण वे अलग झारखण्ड राज्य की मांग उठाते हैं और उनका यह मांग बाजिब है। बीसियों सालों तक मिजोरम के नागरिकों के साथ जो आपने व्यवहार किया, उसके लिए वे संघर्ष करते रहे और जो उनका नेता है, उसकी आपने बराबर कहा है कि वह राष्ट्रद्रोही है और राष्ट्रीय धारा से अलग चला गया है लेकिन वही राष्ट्रद्रोही नेता आज उस राज्य का मुख्यमंत्री बन कर बैठा हुआ है।

15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय महान पर्व है और 15 अगस्त, 1987 को झारखण्ड मुक्ति मोर्चे

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

नौजवानों को आवाहन किया कि वे इस स्वाधीनता दिवस में शरीक न हों और वहां के नौजवानों ने इसका वायकाट। वे कहते हैं कि यह राष्ट्र हमारा नहीं हैं। इसका कारण क्या है और इसके लिए कौन दोषी है। अभी तक आपने उन लोगों को आदमी नहीं बनाया और जहां तक हो सका, जानवरों से भी बदतर हालत में उन लोगों को रखा है। उनके धन और श्रम शक्ति का शोषण किया है और वहां पर बहुत से आफिसर्स, बड़े-बड़े पोलिटिसियन्स और विजनैस करने वाले लोग करोड़पति बन गये। इससे वहां के नौजवानों में असन्तोष क्यों न हो। वे सोचते हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है और वे कहते हैं कि यह देश हमारा नहीं है और किस काम के लिए यह देश है। न हमारा सामाजिक, न आर्थिक और न मानसिक विकास हुआ है। यह जो बिल आया है, यह ऐसी परिस्थिति में आया है, जबकि चारों तरफ आग लगी हुई है। ये आग लगाने वाले कौन हैं। ये कोई दूसरे नहीं हैं, ये आप हैं। कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि हम ने आदिवासियों का विकास किया है। जब ऐसी बात है, तो फिर 13 राज्यों से आपका राज्य क्यों खत्म हो गया।

5·05 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

आप गौर कीजिए कि अगर आप सही मायनों में काम किये होते तो क्या आज क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म होता ? उनका राज्य में राज कायम हो गया। यह सब किस वजह से हुआ ? आप राष्ट्रीय पार्टी का दावा करने वाले एक क्षेत्रीय पार्टी बन गये हैं। आज आप उस आदमी की पार्टी बन गये हैं जिसने जिंदगी में कभी राजनीति नहीं की थी। यह आप किस के बदौलत बने ? आपको ईमानदारी के साथ इस पर गौर करना चाहिए।

आपने दलगत राजनीति को मजबूत किया है, जातीयता को मजबूत किया है। यही कारण है कि झारखण्ड का नतीजा आज हमारे सामने है। आपने क्षेत्रीयता को मजबूत किया अगर आपने राष्ट्रीयता को मजबूत किया होता तो इस देश में चाहे आदिवासी हों, चाहे ब्राह्मण हों, जो भी हों, वे सब देश के नागरिक कहे जाते अगर आपने सभी का बराबर विकास किया होता तो इस तरह का सवाल हमारे सामने नहीं आता। इन सवालों को देखने की आपमें ईमानदारी होनी चाहिए जिसको आपने बिलकुल छोड़ दिया है। ईमानदारी से आप अलग हो गये हैं और दलगत राजनीति के चंगुल में आप फंसे हुए हैं। आप इसमें और भी फंसना चाहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश के 13 राज्यों में से आप हट चुके हैं। आने वाले दिनों में आपका हर जगह से हटना लाजमी हो जायेगा अगर आपने अपनी स्थिति में सुधार नहीं किया और इन आदिवासियों को आपने आदमी बनाने की कोशिश नहीं की तो। हम समझते हैं कि आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। इस पर आपको गौर करना है।

हमारे आदिवासी धर्म परिवर्तन किये। ईसाई धर्म को उन्होंने अपनाया। यह कहीं अच्छा है कि ईसाई धर्म उन्हें पढ़ा-लिखा कर बड़े-बड़े ओहदे पर तो ले आया। आप उन्हें अभी तक नहीं ला सके। इसलिए बहुत से आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया। मैं लोक सभा की एक समिति की ओर से उड़ीसा गया था। वहां मैं सम्बलपुर के इलाके में ठहर गया। वहां मेरे रिश्तेदार काम करते हैं। मैंने वहां जाकर देखा तो मेरी आंख से खून निकल आया। उस पहाड़ी एरिये में छोटे-छोटे बच्चे, बूढ़े-बूढ़ियां खुरपी से घास काट रहे थे और काट कर जड़ निकाल रहे थे। मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि उसको उबाल कर वे खाते हैं। अगर इस जड़ को उबाल कर बूटा सिंह के परिवार का या आपके परिवार का कोई सदस्य खाए तो यहां त्राहि-त्राहि हो जाए। उसको खाकर परिवार का कोई

भी नहीं बच सकता है। यह स्थिति उन आदिवासियों की है। वे रात-दिन मेहनत करके, पत्थर, पहाड़ तोड़ कर आपका कल्याण कर रहे हैं और वे जड़ी खाकर जिन्दा हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

आपको देखना चाहिए कि जो इलाके अविकसित हैं उनका कड़ाई के साथ विकास हो। जब इस देश में सभी का विकास होगा तभी हम इस देश की एकता कायम रख सकते हैं। वरना देश की एकता कायम नहीं रह सकती है। अगर आप को देश की एकता कायम रखनी है तो उसके लिए काम करें। अगर आप चाहते हैं कि यह जो विधेयक इस सदन में आया है यह न आये तो आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि इस तरह की आवाज राष्ट्र में निकले।

इसी बात को कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य तिरकी साहब जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उस पर यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी भी है। लेकिन यदि माननीय सदस्य अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से इस विधेयक का लाभ उठाने की सोचें तो मैं इसका विरोध करूंगा। क्योंकि आज देश में आदिवासियों के विकास की नीति चल रही है। जो आदिवासी दाहुल क्षेत्र है उन क्षेत्रों के विकास के लिए कई किस्म की योजनाएं बनायी गयी हैं। उन क्षेत्रों की शेड्युल एरिया घोषित किया गया है और इसको घोषित करने के बाद उसके लिए प्रावधान किया गया है प्रत्येक राज्य में आदिवासी विकास परिषद है जो एडवाइजरी कौंसिल के नाम से जानी जाती है।

यह जो विधान के अनुसार आदिवासी कौंसिल का गठन किया गया था, उसमें यह था कि इस क्षेत्र के लिए वह ठीक तरह से काम करेगी। त्रिपुरा, मध्यप्रदेश, बिहार और उड़ीसा में अगर इसके अनुसार काम किया जाता तो आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आज इस विधेयक की जरूरत इसलिए पड़ गयी क्योंकि यह परिषद ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। इस कौंसिल में यह प्रावधान था कि जिस क्षेत्र के लिये कायदा-कानून बनाया जा रहा है, अगर वह उस क्षेत्र की परम्परा, परिस्थिति और रहन-सहन के मुताबिक फिट नहीं है तो उसको देखे और अपनी सिफारिश उस राज्य के राज्यपाल को भेजे। राज्यपाल अपना मत देकर उसको राष्ट्रपति के पास भेजे और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उसकी सिफारिश उस क्षेत्र में लागू की जाए, उसके अलावा कोई कानून राज्य का या केन्द्र का वहां पर लागू न किया जाए। अगर इस पर ठीक तरह से अमल किया गया होता तो आज जो पिछड़े क्षेत्रों की बात की जा रही है उसकी जरूरत नहीं पड़ती।

अभी भी समय है कि हम इसमें सुधार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में शोसक लोगों के बारे में एक विधि बनाकर कौंसिल द्वारा भेजी गई थी और राज्यपाल से कहा गया था कि अगर किसी शोसक की जिला प्रशासन पहचान करती है तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा, राज्य शासन ने उसको राष्ट्रपति के पास भी भेजा, लेकिन उसके बाद उसका पता नहीं है, आज 8-10 साल हो गये हैं। इस बात से इस बात का आभास होता है कि इस क्षेत्र के लोगों की उन्नति के लिए सरकार क्या कर रही है। इस तरह से उन्नति की बात करने से बात नहीं बनती। अभी तक जितना भी ट्राइबल एरियाज में विकास हुआ है वह सड़क पर रहने वाले लोगों का ज्यादा हुआ है। सड़क पर जो पक्के मकान बने हुए हैं, वे लोग बाहर से आकर बसे हैं। ट्राइबल इलाके की योजना जो बनती है, उसका लाभ पहले वे ही लोग लेते हैं। ये लोग ही अपने घर बुलाकर अधिकारी को बिठा सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, क्योंकि

श्री मानकूराम सोडी]

उनके पास साधन हैं। जैसी उसकी राय होता है, उसी तरह से आदिवासियों को कहा जाता है कि इस तरह की स्कीम है, इसमें आप लोग लाभ उठाइए। इस बारे में मैं उदाहरण देता हूं कि कृषि विकास के लिए कुएं पर सबसिडी देने की योजना है कि 50—75 परसेंट सबसिडी आदिवासियों को सिंचाई के लिए दी जाएगी, ताकि वह उन्नति कर सके। कुआं खुदना शुरू नहीं होता कि उससे बिजली की लाइन का एग्रीमेंट करा लिया जाता है। पानी मिलता नहीं है और वह लोन पटा नहीं पाता। लोन नहीं पटा तो उसकी जमीन का आक्शन हो जाता है, जमीन बिक जाती है। लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि यदि किसी आदिवासी की भूमि पर आपकी नीयत खराब हो गई हो तो उसको इस स्कीम में डाल दो और जमीन हड़प लो।

इसलिए अगर कोई इस प्रकार की विधि बन रही है, जो कि वहां की परम्परा के विपरीत जाती है, उसको रोकने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं।

एक कानून बना कि जंगल रोको, अतिक्रमण हो रहा है, नियम बना कि सीमांकन किया जाए। सीमांकन करने के लिए फारेस्ट वालों ने लाइन बनाई और इस लाइन के अन्दर आदिवासी की बाप-दादा की पट्टे वाली जमीन भी आ गई और इससे उसको बहुत परेशानी हुई।

इसलिए जहां पर इस तरह के कानून बनें, जो वहां की परम्परा के विपरीत हों, उसको रोकने के लिए यह कौंसिल बनी थी कि वह वहां की परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रपति से आदेश ले लेगी।

जहां पर आदिवासी रहते हैं, वहीं पर आज हरा-भरा जंगल दिखाई देता है। बाहरी लोगों के घुसने से वह हरा-भरा जंगल आज बहुत तेजी से कट रहा है क्योंकि वे लोग आदिवासियों को रकम देकर जंगल कटवाते हैं और यह कहते हैं कि ये लोग ही जंगल काट रहे हैं। इस तरह आदिवासी ही बदनाम होते हैं। आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं और वहां पर जंगल काटे जा रहे हैं। उसमें वन विभाग की सांठ-गांठ दिखाई देती है। स्वयं उपयोग के लिए और आदिवासियों के तीज-त्यौहार के तत्कालीन लिए प्रधानमन्त्री ने शराब बनाने की छूट दी थी। उसमें उन्हें राहत मिली है क्योंकि पहले ठेकेदार आदिवासियों को किसी न किसी चंगुल में फंसाकर उनकी जमीन हड़प लेते थे और बिना वारंट के ही उनके घर में घुस जाते थे और इस प्रकार बहू-बेटियों की बेइज्जती करते थे। इस प्रकार के शोषण को रोका जाना बहुत जरूरी था। जो नियम बने हुए हैं, उनका उपयोग सही ढंग से हो तो आदिवासियों का भला हो सकेगा। ठीक उसी प्रकार छोटा झाड़ और बड़ा झाड़ का सन् 80 का वन अधिनियम किस रूप में हमारे सामने आया। एक गांव को दूसरे गांव से सड़क बनाकर जोड़ भी नहीं सकते। इसी प्रकार पीने के पानी के लिए जहां बोरिंग की आवश्यकता थी, वह फारेस्ट एरिया में आ गया तो डिपार्टमेंट ने पानी सप्लाई नहीं करने दिया। ब्लाक हैडक्वार्टर दन्तेवाडा का किस्सा है जिसमें राज्य शासन को हस्तक्षेप करके पानी का इन्तजाम करना पड़ा। बस्तर में स्कूल और कालेज का भवन भी नहीं हैं। किसी भी स्कूल का एक भी ग्राउन्ड नहीं है। कालेज बनाने के लिए फंड आता है और चला जाता है, भवन के लिए जगह नहीं मिल रही है क्योंकि नक्शे और खसरे में बड़े झाड़ का जंगल लिखा हुआ है। इसलिए ट्राइबल एरिया के लिए जो भी कायदे-कानून बनाये जायें, वह उनकी स्थिति और परम्परा के अनुसार ही बने। यह जो विधेयक यहां लाया गया है, इसका मकसद ठीक है। शोषक लोगों को घुसने से रोका जाए और जो भी विकास सहायता प्रदेश में या क्षेत्र में शासन की तरफ से जा रही है, उसका पूरा लाभ उनको मिले। उस दृष्टिकोण से इस संशोधन

विधेयक में यह जो स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ढंग से विचार किया जाए तो इस विधेयक की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इसको सपोर्ट करें या नहीं करें। ट्राइबल की परम्परा, संस्कृति और तरक्की का जो रास्ता है और शासन के द्वारा जो तैयार योजना है, उसमें यदि वह बाधक होता है तो उसको सरल रास्ता निकालना होता और विकास की गति को तेज करना होगा तभी हम देश के मेन धारा से जुड़ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

* **श्री हरिहर सोरन** (क्योंझर) : सभापति महोदय आरम्भ में ही मैं अपने मित्र श्री पीयूष तिरकी को यह संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इसे प्रस्तुत करते समय श्री तिरकी ने आदिवासियों की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। और साथ ही यह विधेयक प्रस्तुत करके आदिवासियों के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का हमें एक अवसर प्रदान किया है। श्री तिरकी ने अच्छी भावना से यह विधेयक प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस विधेयक के माध्यम से सामान्य जनता में आदिवासी लोगों के अधिकारों और उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति जागृति उत्पन्न की है।

परन्तु उन्होंने गैर-सरकारी विधेयक के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं इसलिए इसे स्वीकार करना सरकार के लिए संभव नहीं है। फिर भी श्री तिरकी ने सभा को आदिवासियों की दशा से अवगत कराया है और सरकार से इन लोगों के उत्थान के लिए तुरन्त कार्यवाही करने के लिए आग्रह किया है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभा को बताये कि इन पिछड़े लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि सरकार ने आदिवासी लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। उनके आर्थिक विकास के लिये बहुत सी केन्द्रीय योजनाओं को आरम्भ किया गया है। उनके शैक्षिक विकास पर ध्यान दिया गया है परन्तु इन लोगों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि ये अन्य समुदायों की अपेक्षा क्यों पिछड़े हुए हैं। जब इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ की गई तो मैं चुपचाप बैठा था क्योंकि मैं इस विधेयक के बारे में प्रत्येक सदस्य के विचार सुनना चाहता था। मैंने प्रत्येक व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक सुना है मुझे यह कहते हुए दुख है कि बहुत से माननीय सदस्यों को आदिवासी लोगों के जीवन स्तर के बारे में जानकारी नहीं है।

वे आदिवासी लोगों के साथ कभी नहीं रहे हैं। उन्हें केवल पुस्तकों और पत्रिकाओं के माध्यम से आदिवासी लोगों के बारे में जानकारी है। इसका अभिप्राय यह है उन्हें अनुसूचित जनजातियों के बारे में केवल कितनी जानकारी है। यही एक समस्या है। परन्तु अब हम अधिक देर तक चुप नहीं बैठ सकते। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा विभिन्न आदिवासी विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत इतनी अधिक धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद भी इन लोगों का अपेक्षित विकास क्यों नहीं हो पाया है ? सम्भवत: श्री तिरकी इसी वास्तविकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

* मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री हरिहर सोरन]

महोदय बहुत से माननीय सदस्यों ने आदिवासी लोगों की आदतों और स्वभाव को जाने बिना ही उन पर दोष लगाया है। उदाहरणत: हमारा पर्यावरण आज उचित है। वनों को लगातार काटा जा रहा है। बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटे जाने के समाचार आ रहे हैं। परन्तु इसके लिए कौन उत्तरदायी है। दुर्भाग्य से आदिवासी लोगों पर यह दोष आरोपित किया जा रहा है।

अब मैं उस झारखंड आन्दोलन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा जो छोटा नागपुर में जोर पकड़ता जा रहा है। झारखंड आन्दोलन के नेताओं को अलगाववादी कहा गया है। इस विधेयक में झारखंड राज्य का कहीं उल्लेख नहीं है। परन्तु मैं नहीं जानता कि फिर भी झारखंड आन्दोलन के बारे में कुछ लोगों ने चर्चा करने का प्रयास क्यों किया है। हमारे संविधान में आदिवासियों के सर्वांगीण न्यास के लिए उपलब्ध है। श्री तिरकी ने उनके शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर जोर दिया है। आदिवासियों का स्थानीय प्रशासकों और बाहर के लोगों द्वारा शोषण किया जा रहा है। उन्हें शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकारें पर्याप्त कार्यवाही नहीं कर रही हैं। फिर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए स्वायत्व शाशी जिले बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग में क्या बुराई है। क्या अपने उत्थान की मांग करना उन आदिवासियों का कर्त्तव्य नहीं है जिनकी पिछले 40 वर्षों मे उपेक्षा की गई है? फिर कुछ माननीय सदस्यों ने इतनी कटु आलोचना की है? जैसा कि मैंने ध्यान दिया है, राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सभा में भाषण दिए जा रहे हैं। ऐसे लोग आदिवासियों के उत्थान के बारे में नहीं सोचते। यदि वे लोग गम्भीतापूर्वक आदिवासियों के कल्याण के बारे मे सोच रहे हैं तो उन्हें इन लोगों का आर्थिक स्तर ऊँचा उठाकर उन्हें समाज के अन्य लोगों के समान लाने के लिए कुछ सुझाव देने चाहिए। मुझे यह कहते हुए दुख है कि ऐसा करने के बजाए वे मामले को राजनैतिक रूप दे रहे हैं। कृपया आदिवासियों को अलगाववादी मत कहिए। यदि कुछ आदिवासियों ने आवाज उठाई है एक अलग राज्य झारखंड की मांग की है तो इसमें क्या बुराई है? उन्हें विघटनकारी शक्तियां कैसे कहा जा सकता है। क्या वे भारतीय नहीं हैं। क्या भारत उनकी मातृभूमि नही है? आपकी जानकारी के लिए वे इस देश के मूल निवासी हैं। क्या इन निर्दोष तथा उपेक्षित लोगों को अपनी समस्याओं पर प्रकाश डालने का कोई अधिकार नहीं है यदि आदिवासियों के कल्याण के लिए कही गई किसी बात की गलत व्याख्या की जाती है तो उससे आदिवासी तथा गैर-आदिवासी लोगों के बीच नफरत उत्पन्न हो सकती है। यदि आदिवासी लोगों के प्रति आपका व्यवहार इसी प्रकार रहता है तो उससे राज्य का विघटन हो सकता है और उसके लिए केवल आप ही उत्तरदायी होंगे।

महोदय, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए स्थान आरक्षित किए गये हैं। उनके स्तर को उठाने के लिये सरकार प्रत्येक आदिवासी क्षेत्र में कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। आई. टी. डी. पी. क्षेत्रों में आरम्भ किए गये कार्यक्रम पूरे जोर पर हैं परन्तु कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइये कि क्या इन योजनाओं को वास्तव में प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाएगा? क्या वास्तव में आदिवासी लोगों को लाभ मिल रहा है? महोदय मुझे यह कहते हुए बहुत दुख है कि आदिवासियों के नाम पर धन खर्च किया जा रहा है परन्तु उन्हें वास्तव में लाभ नहीं मिल रहा है। बिचौलिए और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रभारी स्थानीय अधिकारी इस धन को अपनी जेबों में भर लेते हैं। जिला स्तर प्रशासन द्वारा आई. टी. डी. पी. कार्यक्रमों, माइक्रो परियोजनाओं तथा चालू विशेष परियोजनाओं को गम्भीरतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। वह वास्तविक क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाता। भ्रष्टाचार तथा धन के दुरुपयोग का अन्त

करने के लिये यह आवश्यक है कि आदिवासी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन का काम उन्हीं लोगों को सौंपा जाना चाहिये जिन्हें आदिवासी समस्याओं की वास्तव में जानकारी है।

महोदय, मैं आदिवासी संस्कृति के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। कृपया मुझे कुछ और समय दीजिये क्योंकि मैं एक आदिवासी परिवार से सम्बन्ध रखता हूँ। आप आदिवासियों तथा उनकी संस्कृति को उतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितनी अच्छी तरह मैं जानता हूँ। अपने भाषण में आपने कहा है कि आदिवासी संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति है। मैं इसका विरोध करता हूं। आपने अपनी बात का औचित्य सिद्ध करने के लिये आप विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं दे रहे हैं और उनकी संस्कृति को जगन्नाथ संस्कृति कह रहे हैं परन्तु यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रत्येक आदिवासी समुदाय के विभिन्न रिवाज और भिन्न संस्कृति है। जब एक आदिवासी परिवार में बच्चा पैदा होता है अथवा जब एक आदिवासी शादी करता है अथवा जब वह मरता है तो विभिन्न प्रकार के रीति-रिवाज किये जाते हैं। महोदय आपने आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के बारे में कहा है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आदिवासी संस्कृति का संरक्षण किया जाना चाहिए।

परन्तु अब हमें वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के बारे में चर्चा करनी चाहिए। उड़ीसा राज्य का ही उदाहरण लीजिए। राज्य में वर्तमान प्रशासनिक ढांचा पूरे राज्य में लागू होता है। परन्तु वर्तमान प्रशासन राज्य में रहने वाले आदिवासियों की समस्याओं को सुलझाने में असफल रहा है। इसी प्रकार के अन्य राज्यों में भी यही बात है अतः उन क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए जिनमें आदिवासी जन संख्या अधिक है। अदिवासी लोगों की समस्याओं का पता लगाया जाना चाहिये और उन्हें हल करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये। किन्तु राज्य सरकारें इनकी समस्याओं को हल करने में असफल रही हैं। वे अधिकाधिक गरीब होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अनुसूचित क्षेत्रों में स्वायत्तशासी जिले बनाना अभी बहुत जरूरी है। स्वायतशासी जिले बनाने में कोई बुराई नहीं है। स्वायत्तशासी जिले बनाने का झारखंड आन्दोलन का कोई वास्ता नहीं है। यह केवल कोई माननीय सदस्यों की गलत धारणा है। असम, मेघालय और त्रिपुरा के मामले को ही लीजिये। इन राज्यों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों ने स्वयत्तशासी जिलों के कारण ही कुछ प्रगति की है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में अपने राज्य को न लाने के लिये श्री तिरकी की आलोचना की है। मैं नहीं जानता कि उनकी इच्छा से इच्छा क्या है। परन्तु हमें यह नहीं कहना चाहिये कि इस विधेयक को राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया गया है। बिहार, उड़ीसा; मध्यप्रदेश और पश्चिमी बंगाल आदिवासियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए है। उनकी प्रगति की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महोदय मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि राज्यों में उन जिलों को स्वायत्तशासी घोषित करना चाहिये जिनमें आदिवासी लोगों को आजादी अधिक है। क्योंकि केवल स्वायत्तशासी जिले ही आदिवासी लोगों के उत्थान में सहायता कर सकते है। परन्तु श्री तिरकी द्वारा प्रस्तुत विधेयक मे बहुत सी कमियां हैं। इस संदर्भ में मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि उन विभिन्न आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों की एक सूची बनाई जाये जिन्हें देश में अभी तक क्रियान्वित किया गया है। उन कार्यक्रमों के अन्तर्गत की गई उपलब्धि की उचित समीक्षा की जानी चाहिए। विभिन्न योजनाओं की विफलता के कारणों को भी ढूंढा जाना चाहिये। यह निर्णय भी लिया जाना चाहिये कि आदिवासी विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये। यदि स्वायत्तशासी जिले आदिवासियों के विकास में सहायता ले कर सकते हैं तो उनका गठन किस प्रकार किया जाना चाहिये। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये न

[श्री हरिहर सोरन]

सरकार को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ताकि देश में रहने वाले आदिवासी लोगों को कुछ लाभ मिल सके और उन्हें देश के अन्य समुदायों के बराबर लाया जा सके। दूसरे, माननीय सदस्य (भारतीय साम्यवादी दल) ने आदिवासियों की भूमि की समस्या के बारे में कहा है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में वामपंथी सरकारें आदिशासी किसानों के हितों की रक्षा कर रही हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भू-सुधार उपायों को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। आदिवासी किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। यह सच नहीं है। न केवल कांग्रेस शासित राज्यों में अपितु साम्यवादी दल शासित राज्यों में भी अनियमितताएं विद्यमान हैं। आदिवासी किसानों को हर जगह परेशान किया जा रहा है। जिला स्तर के राजस्व अधिकारी किसी न किसी बहाने आदिशासी किसानों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि साम्यवादी दल के माननीय सदस्य राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित है अतः उन्होंने साम्यवादी सरकारों की प्रशंसा की है तथा कांग्रेसी राज्य सरकारों की आलोचना की है। मैं यह नहीं जानता कि वे वास्तविकताओ को क्यों नही कहना चाहते। क्या साम्यवादी सरकारो ने सफलतापूर्वक भूमि हदबन्दी नियमों को क्रियान्वित किया है? क्या उन्होंने भूमिहीन आदिवासियों में अतिरिक्त भूमि को वितरित किया है? क्या उनकी सरकारों ने आदिवासी लोगों को उनकी वह भूमि वापस दिला दी है जो जमींदारों ने उनसे बलपूर्वक छीनी थी। मैंने उन राज्यों का दौरा किया है। मेरे जानकार लोग उन राज्यों में रह रहे हैं। उन्हें आदिवासी लोगों की समस्याओं को राजनैतिक रंग नहीं देना चाहिए।

एक और बात मैं सरकार के प्लान में लाना चाहूंगा। उड़ीसा में कुछ आदिवासी अनुसूचित जनजाति से है। परन्तु उनके रिस्तेदार जो पश्चिमी बंगाल और असम में चले गये थे उन्हें आदिवासी नहीं समझा जाता। यदि बिहार अथवा उड़ीसा में एक समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति से है तो उन्हें असम, पश्चिमी बगाल अथवा त्रिपुरा आदि अन्य राज्यों मे भी अनुसूचित जनजाति से समझा जाना चाहिए। बहुत से लोग आदिवासी लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यद्यपि उन्हें आदिवासियों से पूरी सहानुभूति है परन्तु उन्होंने उनकी समस्याओं का अध्ययन नहीं किया है। अतः यदि उन्हें उन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा जाता है तो उन्हें आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान देना चाहिए। अतः श्री तिरकी ने यह ठीक ही कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों मे स्वायत्तशासी जिले बनाने चाहिए तथा उन जिलों के प्रशासन का कार्य उन्ही लोगों को सौंपा जाना चाहिए जिन्हें आदिवासी समस्याओं की जानकारी है।

महोदय मैंने अपने मित्र श्री शान्ताराम नायक का भाषण सुना है। अपने भाषण में श्री शान्ताराम नायक ने यह कहा है कि यदि एक विशेष सरकार आदिवासी लोगों को न्याय देने में असफल रही है तो उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्वायत्तशासी जिलो का निर्माण करने में कोई हानि नहीं है। जो भी है उन जिलों का सम्पूर्ण प्रशासन राज्य सरकारो के नियन्त्रण में होगा। अतः यदि हम पहले आदिवासियो के कल्याण के बारे मे सोचते हैं तो हमें अपने रवैये को बदलना होगा। महोदय यह एक दुख की बात है कि जो लोग आदिवासी उत्थान कार्यक्रम के प्रभारी हैं वही उनका शोषण कर रहे हैं। ऊँची जातियों के लोग और विशेष रूप से धन उधार देने वाले लोग आदिवासियों के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। यदि शोषणकर्त्ताओं को ही इन लोगो को संरक्षक बनाया जाता है तो हम कैसे उनकी उन्नति की आशा कर सकते हैं? यदि सरकारी अधिकारी आदिवासी लोगो के हितों की अपेक्षा अपने हितों की रक्षा करते हैं और केन्द्रीय आबंटन को अनुचित बनाते हैं तो कैसे हम आदिवासियों को लाभ

पहुंचाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्ली को मछलियों का बहुत शौक है। यदि बिल्ली से ही मछलियों की देखभाल के लिए कहा जाए तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि मछलियों का क्या हाल होगा। इसी प्रकार यदि भ्रष्ट अधिकारियों को आदिवासी विकास योजनाओं का प्रभारी बना दिया जाता है तो धन उनकी जेबों में जाएगा और आदिवासी लोग पिछड़े ही रहेंगे।

आदिवासी लोगों के रोजगार की बात को ही लीजिए। भारत सरकार ने आदिवासी प्रत्याशियों के लिए कुछ पद आरक्षित किए हैं। परन्तु कभी-कभी रोजगारदाता इस बहाने रिक्त स्थानों को नहीं भरते कि योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। अन्ततः आरक्षित पदों पर भी गैर-आदिवासी उम्मीदवार ही नियुक्त किए जाते हैं। यह वास्तव में बहुत ही अनुचित है। विगत में इस मामले पर कई बार सदन में चर्चा हुई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आदरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। अतः इन समस्याओं के निपटान के लिए एक स्वायत्तशासी निकाय का होना आवश्यक है। जो अधिकारी आदिवासियों को जानबूझकर रोजगार से वंचित करते हैं वे ऐसा करने का साहस नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें उस स्वायत्तशासी निकाय का सामना करना पड़ेगा जो उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। इसका झारखण्ड राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है। पृथकतावादी रवैये का इसमें कोई प्रश्न नहीं है। श्री शाहबुद्दीन ने कहा है कि यदि एक अलग झारखण्ड राज्य की स्थापना की जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं यह नहीं कहता की केवल आदिवासियों के लिए एक अलग झारखंड राज्य होना चाहिए। परन्तु असम, बिहार, उड़ीसा आदि की तरह विगत में कई राज्य बनाए गए हैं। हाल में ही हमने कुछ क्षेत्रों के लोगों को राज्य का दर्जा दिया है। यदि ऐसा अनुभव किया गया कि आदिवासियों के लिए झारखंड राज्य बनाने की आवश्यकता है तो एक नए राज्य का निर्माण करने में कोई समस्या नहीं है। उन क्षेत्रों के गैर-आदिवासी लोग भी उस नए राज्य में रह सकते हैं। अतः झारखंड राज्य के निर्माण के बारे में लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए।

अपने भाषण के आरम्भ में ही मैंने वन-सम्पत्ति के विनास का उल्लेख किया है। पेड़ों को बड़े पैमाने पर काटकर गिराया जा रहा है। वन अधिकारियों की मिली भगत से ठेकेदार पेड़ों को काट रहे हैं और भारी लाभ कमा रहे हैं। परन्तु आदिवासियों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है और तस्कर ठेकेदार तथा भ्रष्ट वन अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। मध्य प्रदेश से मेरे मित्र श्री सोढी ने यह ठीक ही उल्लेख किया है कि पेड़ों को काटने के लिए आदिवासियों को उत्तरदायी ठहराया जाता है जबकि वास्तविक अपराधी परदे के पीछे रहते हैं। आदिवासी लोग वनों में रहते हैं। वन उनका घर है। उन्हें अपना खाना, कपड़ा और ईंधन वनों से प्राप्त होता है। वनों से ही उन्हें पानी तथा दिन प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तुएं मिलती हैं। वनों में वे गाने गाते हैं। वे वन की नदियों, झरनों तथा पहाड़ों से प्यार करते हैं। उनकी आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु वहां उपलब्ध होती है। अतः वे वनों को नष्ट नहीं करेंगे। वनों के विनाश के लिए हमें आदिवासियों को दोष नहीं देना चाहिए। वन क्षेत्र में बाहर से आने वाले वन अधिकारी अथवा आस-पास के गांवों में रहने वाले लोग व्यापारिक उद्देश्यों से वनों को नष्ट करते हैं तथा वन-सम्पत्ति की तस्करी करते हैं। ये गैर-आदिवासी लोग कभी-कभी आदिवासी लोगों को वनों के विनाश में लगा लेते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वनों के विनाश के लिए आदिवासी लोग उत्तरदायी हैं वे पूर्णतः गलती पर हैं। यदि कहीं पर वन विद्यमान हैं तो वे केवल आदिवासी क्षेत्रों में ही हैं। आदिवासी क्षेत्रों में और गैर-आदिवासी क्षेत्रों में कुल वन क्षेत्र का आप एक

[श्री हरिहर सोरन]

व्यापक अध्ययन कीजिए। आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। अतः वनों के विनाश के लिए वन अधिकारी, ठेकेदार उड़ीसा के शिवीलीपी क्षेत्र के शिवीलीपी वन विकास निगम के अधिकारी उत्तरदायी हैं। आदिवासी लोग निर्दोष हैं यदि उन्हें झूठे मुकदमों में भी फंसाया जाता है तो भी वे विरोध नहीं करते। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उन पर दोषारोपण करेंगे।

अतः मैं सरकार से एक बार फिर यह अनुरोध करता हूं कि आदिवासी लोगों की समस्याओं और उन्हें लाभ पहुंचाने के बारे में विचार किया जाए। आपको यह जांच करनी चाहिए कि कैसे स्वायतशासी जिले आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक व्यापक विधेयक जल्दी ही प्रस्तुत करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिए निर्धारित समय पांच मिनट के बाद समाप्त होने जा रहा है। क्या सदन चर्चा का समय बढ़ाना चाहता है?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : सदन की सहमति से, हम इस विधेयक पर चर्चा के लिए एक घण्टे का समय बढ़ाते हैं। श्री समर ब्रह्म चौधरी अब बोल सकते हैं।

श्री समर ब्रह्म चौधरी (कोकराझार) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों को ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूं। चर्चा के दौरान कई माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किए हैं कि इस विधेयक को लाने वाला सदस्य इस विधेयक को लाकर जनजातियों के लोगों को देश की मुख्य धारा से अलग ले जाने का प्रयास कर रहा है। उन पर पृथकतावादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने का भी दोष लगाया गया है। कुछ सदस्यों ने तो यहां तक कि इसे देश की एकता और अखंडता पर एक प्रहार बताया है।

महोदय, मुझे हैरानी है कि देश की एकता और अखंडता की धारणा क्या है। यदि बंगाली भाषा के आधार पर राज्य लेते हैं, यदि गुजराती भाषा के आधार पर राज्य लेते हैं, यदि भारत भाषा के आधार पर हमने राज्यों का पुनर्गठन करना है, यदि बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों को समायोजित करने के लिए बिहार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बगाल को इस तर्क पर दे दिया जाए कि इस क्षेत्र में बंगाली भाषा बोलने वाले लोग सबसे अधिक हैं तो यह देश की एकता के लिए प्रहार नहीं होगा। यह देश की अखंडता के लिए खतरा नहीं होगा।

जब जनजाति के लोग संवैधानिक उपबंधों, जोकि भारत के संविधान में पहले से ही प्रतिष्ठित हैं, के फायदों की मांग करते हैं, तो उन्हें पृथकतावादियों का नाम दिया जाता है। उन्हें उन लोगों की तरह माना जाता है जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। मुझे देश की अखंडता के बारे में हैरानी होती है।

महोदय, इस विधेयक को लाने वाले सदस्य श्री तिरकी ने छठी अनुसूची के उपबंधों को, असम राज्य के अलावा, लागू करने के लिए कहा है। वास्तव में छठी अनुसूची में क्या है? यह सिद्ध हो चुका

है कि छठी अनुसूची भी जनजातियों के लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए अपर्याप्त है। कई अवसरों पर इस विचार को स्वयं सरकार और सत्ताधारी दल द्वारा स्वीकार किया गया है। इसी वजह से मेघालय का सृजन किया गया था, इसी वजह से मिजोरम का सृजन किया गया था, इसी वजह से नागालैंड का सृजन किया गया था। अतः नागा लोगों और मिजो लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए छठी अनुसूची के उपबंधों को अपर्याप्त पाया गया है। यही बात गेरो और खासी लोगों की है। अब जब सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि छठी अनुसूची के उपबंध जनजातियों के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त हैं तो पांचवीं अनुसूची के उपबंधों को जारी रखने का क्या कारण है? इसमें क्या व्यवस्था है? इसमें परामर्शदात्री परिषदों की व्यवस्था है और परामर्शदात्री परिषदों की व्यवस्था करके इसमें दावा किया गया है कि जनजातियों के लोगों से परामर्श किया जाता है, इसमें जनजातियों के लोगों को परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन वास्तव में जनजातियों के लोगों को पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत परामर्श करने का अधिकार नहीं दिया गया है क्योंकि संबंधित राज्य परामर्शदात्री परिषदों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि संबंधित सरकार परामर्शदात्री परिषदों की सलाह को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। अतः पांचवीं अनुसूची के अन्तर्गत परामर्श का अधिकार भी नहीं दिया गया है। बल्कि यह तो पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों के लोगों को लोकतन्त्र से वंचित करना हुआ। यदि ऐसा है तो उस अनुबंध को जारी रखने का क्या लाभ है? हमने यह स्वीकार कर लिया है कि छठी अनुसूची के उपबंध भी अपर्याप्त हैं तो पांचवीं अनुसूची के उपबंधों को जारी रखने का क्या कारण है? महोदय, जनजाति समस्या का मूल प्रश्न क्या है? मुद्दा यह है कि जनजाति के लोग भी अपनी जातीय पहचान को बनाये रखना चाहते हैं। वे अपने भौगोलिक क्षेत्रों का भी संरक्षण करना चाहते है. ऐसे क्षेत्र जहां वे अति प्राचीन काल से रह रहे थे, ऐसे क्षेत्र जो उनको पीढ़ियों दर पीढ़ियों अपने पूर्वजों द्वारा मिलते रहे थे। उन्हें उन क्षेत्रों का संरक्षण करने का हर अधिकार प्राप्त है और मैं अनुभव करता हूं कि जनजाति के लोगों का अपने क्षेत्रों, अपनी भूमि पर अधिकार है किसी और का नहीं है। इन्हें किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। उन्हें अपनी भूमि और क्षेत्रों का संरक्षण करने का हर अधिकार प्राप्त है। यद्यपि माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि इस विधेयक से पृथकतावादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें देश की एकता और अखंडता को धक्का लगेगा किन्तु किसी भी सदस्य ने जनजातियों के लोगों के विकास के लिये विशेष जिम्मेदारी देने से मना नहीं किया है ताकि वे जनजाति क्षेत्रों और अपनी भूमि में अपने हितों का संरक्षण कर सके। अब सबसे अधिक सद्भाव की बात यह होगी कि जनजातियों के लोगों के विकास और उनको क्षेत्रों के संरक्षण के लिये किसी अच्छी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। हम उसको वास्तविकता में कैसे प्रकट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं कि जनजातियों का संरक्षण किया जाना चाहिए और सरकार को जनजातिनों के लोगो के विकास तथा उनके हितों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब कोई उनको उनकी भूमि और क्षेत्रों की सुरक्षा का अधिकार देने का प्रश्न उठाता है और उसी समय हम इसमें विदेशी हाथ देखते हैं और हम पृथकतावादी प्रवृति का अनुभव करते हैं और हम एक प्रवृति का अनुभव करते हैं जो कि देश की एकता के लिए प्रहार है। जनजाति विकास का विचार प्रायः जनजातियों के लोगों को सब कुछ किया कराया देने का रहा है। उनके बारे में ऐसी ही अवधारणा रही है कि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता रहे क्योंकि वह स्वयं अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। क्यों? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जनजातियो के लोगों को अपने क्षेत्रों की सुरक्षा, अपने क्षेत्रों के

[समर ब्रह्म चौधरी]

गस के लोकतांत्रिक अधिकार क्यों नहीं दिए जाने चाहिए ? यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है प्राय: संबंधित राज्य का प्रमुख समाज जनजाति क्षेत्रों में निहित स्वार्थ पैदा कर लेता है। जब कोई जातियों के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की बात करता है तो ये निहित स्वार्थ बहुत ही हन्ने हो जाते हैं और वे पृथकतावादी प्रवृति की खोज करने की कोशिश करते हैं। जब प्रधान समाज लोग पृथकतावाद की प्रवृति, देश की एकता के लिए प्रहार, की खोज करते हैं, दूसरी ओर जनजाति गोग प्रधान समाज, प्रधान ग्रुप के सांस्कृतिक और भाषा साम्राज्यवाद उनके निहित स्वार्थों के र्धकरण की खोज करते हैं। सभापति महोदय, अविश्वास से अविश्वास पैदा होता है। यदि गैर-जाति के लोग जनजाति के लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे और इसके विपरीत यदि जनजाति के लोग -जनजाति के लोगों के बारे में आशंकित हो जायेंगे तो इससे हम कहां पहुंचेंगे ?

कुछ माननीय सदस्य झूम खेती के बारे में बोल रहे थे। वास्तव में, झूम खेती अच्छी नहीं है। से न केवल वनों को नुकसान होता है बल्कि जनजाति लोगों को भी नुकसान होता है। यह बदल-लकर खेती करना है, और यह जनजाति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं रही है। लेकिन क्या हमें श्वास करना चाहिए कि यदि जनजातियों के लोगों को भारतीय संविधान के ढांचे के अन्दर किसी कार की स्वायतत्ता दी जाती है, वे इस झूम खेती को जारी रखेंगे ? लालडेंगा ने मिजोरम का मुख्य त्री का पद संभाला। सत्ता संभालने के बाद, उनका प्रथम गम्भीर प्रयास झूम खेती को समाप्त करना । जहां तक हम जानते हैं, उन्होंने झूम खेती को समाप्त करने और स्थायी किस्म की खेती अथवा विन-यापन के लिए कुछ अन्य तरीके उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कदम उठाए हैं। यदि जन-तियों के लोगों को किसी प्रकार की स्वायत्तता दी जाती है, यदि उन्हें अपने कार्यों का स्वयं प्रबन्ध रने की अनुमति दी जाती है, क्या यह मानना उचित होगा कि वे हर बुरी बात को जारी रखेंगे। हमें ह मानकर नहीं चलना चाहिए कि जनजातियों के लोगों में प्रगतिशील विचारों अथवा बुद्धिमत्ता की मी है। देशभक्ति केवल कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं है। कुछ माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि नजाति के लोगों में कुछ आई. ए. एस. अधिकारी भी हैं और वे बहुत बुद्धिमान हैं। जनजाति समाज, गतिशील और बुद्धिमान लोग उत्पन्न कर सकता है। निश्चय ही वे समझ सकते हैं कि बुरा क्या है गैर अच्छा क्या है और हमें उस बात को नहीं भूलना चाहिए। इन सभी प्रतिकूल परिस्थितियों के ावजूद भी, जनजाति समाज हजारों-हजारों वर्षों से जीवित रहा है और आज भी वे जीवित हैं। जन-गाति के लोग किन्हीं अन्य लोगों की तुलना में कम देशभक्त नहीं हैं। यदि जनजातियों के लोगों को गारतीय संविधान के ढांचे के अन्तर्गत किसी प्रकार की स्वायत्तता दी जाती है, तो मैं नहीं समझता कि मैं यह मानना चाहिए कि वे पृथकतावादी हैं और वे देश की एकता पर प्रहार करेंगे। इस प्रकार की मनोवृत्ति और विचार जनजातियों के लोगों के विचारों को ठेस पहुंचायेंगे क्योंकि वे आशंकित और स्वयं को विश्वास के अयोग्य अनुभव करेंगे। सभापति महोदय, मेरे विचार में मुख्य धारा की धारणा ही देश की एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है। प्रत्येक नागरिक को समान दर्जा मिलना चाहिए। कुछ नागरिक मुख्य धारा में आते हैं और दूसरे लोग दूसरी धारा में आते हैं, यह धारणा लोकतंत्र की धारणा के साथ मेल नहीं खाती। हमें सभी नागरिको के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक भाषायी और जातीय समूह के साथ एक समान व्यवहार किए जाने की आवश्यकता है। सभी लोग एक समान देशभक्त हैं।

हमारे यहां भारत में बहुत सी विरोधी बातें हैं। हमने भाषा और क्षेत्रीय संस्कृति के आधार

पर राज्यों का पुनर्गठन किया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में हम भारतीय स्थिति का वर्णन करते हुए 'बॉयलिंग पॉट' का सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र, स्वदेशीय और जनजाति लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ मानक प्रदान करने के बारे में सोच रहे हैं। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में यह घोषणा की है कि "भारत में परिवर्तन हो रहा है और इसके लोग और संस्कृतियां एक दूसरे में मिल रही हैं।" लेकिन वास्तव में हमने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया है। हमने प्रत्येक राज्य के लिए एक भाषा को क्षेत्रीय भाषा अथवा राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी है जैसे बंगाली, आसामी, मराठी पंजाबी, उड़िया और अन्य भाषाएं। हमने साहित्यिक पुरस्कार के प्रयोजन के लिए किसी एक भाषा को मान्यता नहीं दी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार को एक राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में मान्यता दी गई है। हम प्रत्येक मुख्य भारतीय भाषा के लिए यह पुरस्कार देते हैं। हमारी ऐसी कोई भाषा विशेष नहीं है जिसे साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए एक मात्र भाषा के रूप में मान्यता दी जा सके। हम यह पुरस्कार सभी मुख्य भारतीय भाषाओं के लेखकों को देते है। इससे यह पता लगता है कि परिवर्तन की धारणा, वास्तव में जो कुछ हम कर रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि हम जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 1957 में 107 परम्पराओं के अन्तर्गत स्वदेशी और जनजाति के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए मानकों को स्वीकार किया था। इस समय इन मानकों में संशोधन करने के लिए विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया है। जहां तक मैं जानता हूं संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार को एक प्रश्नावली भेजी है। लेकिन भारत सरकार ने जनजाति के लोगों अथवा यहां तक कि संसद से भी परामर्श करने की कभी नहीं सोची कि इसके लिए क्या मानक होना चाहिए। एक काफी बड़ी प्रश्नावली संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत सरकार को भेजी गई है और इसे संसद को प्रस्तुत नहीं किया गया और यहां तक कि इस मामले पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का भी गठन नहीं किया गया है। भारत सरकार एक ओर तो अपने लोगों की बहु-भाषी और बहु-संस्कृति को स्वीकार करती है और दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र में वे 'बॉयलिंग पॉट' के सिद्धान्त को प्रस्तुत कर रही है। अतः मैं कहता हूं, हमारे यहां बहुत से विरोधाभास हैं।

सभापति महोदय, जब सभी अन्य मुख्य भारतीय भाषाएं जीवित रह सकती हैं और फल-फूल सकती हैं, तो छोटी जाति और जनजाति भाषाओं को भी उनके जीवित रहने के लिए आश्वासन दिया जाना चाहिए। यह भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है और पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वह जनजाति भाषाओं को संरक्षण दे। यह राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक प्रबन्ध करे जहां छोटी जाति और जनजाति के समूह स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। हमें वास्तविकता से कभी इन्कार नहीं करना चाहिए। यदि हम जनजाति समस्याओं को हल करने के अपने प्रयासों में हम वास्तव में ईमानदार हैं, तो हमें उसे वर्तमान वास्तविकता के आधार पर हल करने का प्रयास करना चाहिए। आज हम देखते हैं प्रधान समूह जनजातियों में निहित अपने स्वार्थों को बढ़ावा दे रहे हैं। अतः यह देखना हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रधान ग्रुप को किस प्रकार रोका जाए और छोटे जातीय ग्रुपों को संरक्षण दिया जाए। मैं समझता हूं कि स्वायत्तता जिसकी भारतीय संविधान में पहले से ही व्यवस्था की गई है, उसकी सभी जनजाति क्षेत्रों में व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उनको न केवल परामर्श का ही अधिकार मिल जाएगा बल्कि उन्हें भागीदारी का अधिकार भी मिल जाएगा। भारतीय संविधान में जनजातियो के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपबन्ध हैं। इसमें

[श्री समर ब्रह्म चौधरी]

छठी अनुसूची का उपबन्ध है। इसमें अनुच्छेद 244 (क) के अन्तर्गत स्वायत: जिलों की व्यवस्था जब गारो और खासी पर्वतीय जनजातियों के लोग एक अलग पहाड़ी राज्य लेने के लिए कड़ा सं कर रहे थे, तो इसी संसद ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 244 (क) जोड़ा था और राज्य के अन्द ही उप-राज्य के एक दर्जे का सृजन किया था जिससे इन लोगों में सुरक्षा की अनुभूति हो सके। जब इ संसद ने एक नए विधान के सृजन से पूर्वोत्तर पहाड़ी जनजातियों के लोगों के मस्तिष्कों में सुरक्षा व अनुभूति और भागीदारी की अनुभूति पैदा करके वहां स्वायत्तता की व्यवस्था की तो हम कुछ उ प्रकार के विधान को क्यों नहीं अपनाते जिसमें हम वास्तव में अन्य जनजातियों के लोगों में सुरक्षा अनुभूति और एक-दूसरे से संबंध रखने की अनुभूति ला सकते हैं ?

एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि इस विधेयक से असंतोष के बीज पैदा हो जा मैं तो यह कहता हूँ कि बल्कि यह विधेयक असंतोष का ही उत्पाद है। जनजातियों के लोगों में ह ही असंतोष है और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है जनजाति भारत पहले से ही प्रज्ज्वलित हाल ही में मुझे झारखंड जाने का अवसर मिला था।

6.00 म० प०

मैंने झारखंड में क्या देखा कि झारखंड आन्दोलन में न केवल जनजाति के लोग सक्रिय रूप शामिल हैं बल्कि अन्य गैर-जनजाति के लोग भी इसमें शामिल हैं। अत: आशंकित होने की बजाए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि यही उचित समय है कि हमें अनुसूचित जनजातियों के लोगों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और किसी प्रकार की स्वायत्तता प्रदान करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वे अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : आपका धन्यवाद। इस विधेयक पर अगले दिन फिर विचार किया जाएगा। सभा अब सोमवार, 9, नवम्बर, 1987, 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 9 नवम्बर, 1987/18 कार्तिक 1909 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

सनलाईट प्रिंटर्स-दिल्ली